अंक

राजभाषा भारती

...र्च 1990

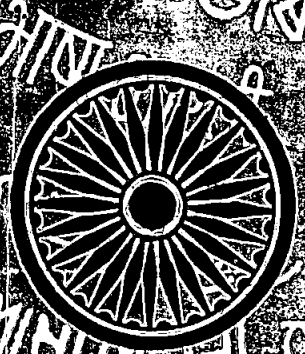

नई दिल्ली : अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी संगोष्ठी में उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा से "वायस ऑफ जर्मनी" की हिन्दी प्रसारण सेवा के लिए सम्मान ग्रहण करते हुए जर्मनी दूतावास के प्रथम सचिव (संस्कृति) डॉ. पीटर अम्मान (पृ. 31–32)

उद्घाटन सत्र में (बाएं से) चीन के श्री ली झाओकिन महासचिव श्री लल्लन प्रसाद व्यास, अध्यक्ष—सोवियत संघ के प्रो. अलेकजेंडर सितकेविच, उद्घाटनकर्त्ता हैं ट्रिनिडाड कनाडा के प्रो. हरिशंकर आदेश और मोरिशस के श्री सुरेश रामवर्ण (पृ० 31)

एको धर्मः परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा ।
विद्यैका परमा तृप्तिरहिंसैका सुखावहा ।।57।।—विदुर नीति

भावार्थ—केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शान्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है।

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

राजभाषा भारती

वर्ष : 12
अंक : 48

माघ-फाल्गुन 1911 शक
जनवरी-मार्च 1990

संपादक

डॉ० महेशचन्द्र गुप्त डी. लिट्.
निदेशक (अनुसंधान)
फोन : 617807

उप-संपादक
डॉ० गुरुदयाल बजाज
फोन : 698054

पत्रिका में प्रकाशित लेखों/सामग्री में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

निःशुल्क वितरण के लिए

पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (11वां तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

अनुक्रम

संपादकीय
पाठकों के पत्र

चिन्तन

1. विश्व मंच और हिन्दी — जगदम्बी प्रसाद यादव — 1
2. भाषा और वाणी — श्रीधर प्रसाद बहुगुणा — 3
3. शब्दार्थ के नए आयाम — डॉ. नरेश कुमार — 5
4. हिन्दी में विज्ञान कथा साहित्य — शुकदेव प्रसाद — 6
5. उत्तरप्रदेश की अदालती भाषा — किरणपाल सिंह तेवतिया — 9
6. एम.एस-सी. की पढ़ाई और हिन्दी (कृषि) — जगन्नाथ — 13
7. समय-प्रबन्धन विश्लेषण — एम. आर. नायर, वे. शेषन् — 15
8. भारतीय परमाणु बिजलीघरों में सुरक्षा — दिलीप भाटिया — 17
9. भारतीय रेलों में पत्रिका प्रकाशन — रमेश नीलकमल — 19

साहित्यिकी

10. पंजाबी : भाषा, साहित्य और राजभाषा — कुलभूषण कालड़ा — 23

पुरानी यादें : नए परिप्रेक्ष्य

11. अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी और राष्ट्रभाषा हिन्दी — 26

विश्व हिन्दी दर्शन

12. अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी संगोष्ठी — लल्लन प्रसाद व्यास — 31

☐ **समिति समाचार**

(क) केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक का कार्यवृत्त 33

(ख) हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें 40

(1) रेल मंत्रालय (2) वाणिज्य मंत्रालय (3) श्रम मंत्रालय
(4) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(5) इस्पात विभाग (6) खान विभाग

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें— 52

(1) तिरुवनन्तपुरम (2) मंगलूर (3) हुबली (4) पारादीप
(5) बड़ौदा (6) भोपाल (7) इन्दौर (8) आगरा (9) अलीगढ़
(10) कानपुर (11) जयपुर (बैंक) (12) जयपुर

(घ) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें— 65

(1) गोवा शिपयार्ड लि., गोवा (2) कोटा-चित्तौड़गढ़ परियोजना, कोटा
(3) सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली (4) इंजीनियर्स इंडिया लि., नई दिल्ली

☐ **राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां** 68

1. पुणे में राजभाषा के माध्यम से वैज्ञानिक संगोष्ठी
2. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में गृह पत्रिका-प्रकाशन
3. भाषा, समाज और संस्कृति : विचार गोष्ठी
4. मध्य क्षेत्र के हिन्दी अधिकारियों का द्वितीय सम्मेलन
5. विकास बैंक : हिन्दी अधिकारी सम्मेलन
6. भारत डायनामिक्स में राजभाषा संगोष्ठी
7. केनरा बैंक, बम्बई अंचल का चतुर्थ वार्षिक राजभाषा सम्मेलन

☐ **हिन्दी के बढ़ते चरण** 76

1. बैंकिंग उद्योग में ग्राहक की भाषा का प्रयोग आवश्यक (साक्षात्कार)

☐ **हिन्दी दिवस/सप्ताह समारोह** 79

☐ **हिन्दी कार्यशालाएं** 108

☐ **विविधा—**

- समाचार दर्शन 114
- प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना 115
- प्रेरणा पुंज 116
- पुस्तक समीक्षा 117

☐ आदेश-अनुदेश 121

संपादकीय

वित्तीय वर्ष के अन्तिम दो-तीन महीने सरकारी कार्यालयों/मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि में व्यस्ततापूर्ण होते हैं, क्योंकि इस अवधि में नए बजट तैयार करने, लोकसभा व राज्य सभा के बजट सत्र के लिए आवश्यक सूचनाएं जुटाने आदि के लिए श्रम करना पड़ता है। विश्वास है कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानक मानदण्ड के अनुसार हिन्दी प्रयोग संबंधी पदों के सृजन के लिए बजट में प्रावधान तथा रिक्त पदों को भरने के लिए समुचित प्रयास अवश्य किए गए होंगे।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक कार्यक्रम अवश्य पहुंच चुका होगा। वर्ष 1990-91 में पत्राचार, तारों के प्रेषण, टंकण यंत्रों की खरीद, टंककों तथा आशुलिपिकों की भर्ती आदि के लक्ष्य* किंचित बढ़ाए गए हैं। वर्ष 1990-91 में सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में अनुदान का कम से कम 25% हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए खर्च का लक्ष्य रखा गया है। बाजार में विभिन्न विषयों पर उपयुक्त हिन्दी पुस्तकें उपलब्ध होने पर यह राशि बढ़ाकर 50% तक खर्च की जा सकती है। राजभाषा विभाग के एक अन्य आदेश के अनुसार यह भी सुझाव दिया गया है कि पुस्तकालयों की "पुस्तक चयन/क्रय समिति" में हिन्दी अधिकारी को सदस्य-सचिव के रूप में रखा जाए। गत वर्षों में इसी आधार पर सरकारी कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकों की खरीद की जाती रही है।

राजभाषा विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कुछ कार्यालयों† आदि में ललित साहित्य की खरीद के नाम पर ऐसी पुस्तकें खरीदी गई हैं जो कि किसी भी पुस्तकालय में खरीदी जानी वांछित नहीं है। पुस्तकालय अनुदान का उपयोग केवल अच्छे स्तर की पुस्तकों की खरीद हेतु अपेक्षित है। राजभाषा विभाग के आदेश के अनुसार भविष्य में साहित्यिक पुस्तकों की खरीद केवल विख्यात लेखकों की कृतियों तक ही सीमित रखी जाए।

साहित्यिक पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ ग्रन्थ, अनुवाद में सहायक पुस्तकें, कोश, शब्दावलियां, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों के ग्रन्थ, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही 'मौलिक पुस्तक लेखन योजनाओं' के अन्तर्गत पुरस्कृत और प्रकाशित पुस्तकें पूर्ववत् खरीदी जाएं।

विश्वास है कि आप वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जुट गए होंगे। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में आपकी उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में राजभाषा भारती सदैव तत्पर है। प्रस्तुत अंक में 'चिन्तन' स्तम्भ के अन्तर्गत 9 लेख सम्मिलित हैं, जिनमें से श्री जगदम्बी प्रसाद यादव का लेख "विश्व मंच और हिन्दी" ज्ञानवर्द्धक

---

*वार्षिक कार्यक्रमः तुलनात्मक रिपोर्ट, के लिए देखिए—कवर पृष्ठ तीन।

†विस्तृत जानकारी के लिए देखिए—आदेश अनुदेश' पृ. 121

है तो दूसरी ओर 'हिन्दी में विज्ञान कथा साहित्य', समय प्रबन्धन विश्लेषण', "भारतीय परमाणु बिजलीघरों में सुरक्षा" आदि तकनीकी प्रकृति के लेख हैं जो पाठकों को अवश्य ही रुचिकर लगेंगे। "साहित्यिकी' के अन्तर्गत विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य, प्रदेश विशेष में राजभाषा के रूप में उसके प्रयोग और हिन्दी के साथ अन्तर्सम्बन्ध दर्शाने वाली लेखमाला शुरू की गई है। इस शृंखला में इस बार श्री कुलभूषण कालड़ा का लेख "पंजाबी : भाषा, साहित्य और राज्यभाषा" प्रस्तुत है। गत दिनों दिल्ली में 'अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी संगोष्ठी' आयोजित हुई जिसका विवरण 'विश्व हिन्दी दर्शन' स्तम्भ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है।

गतांक में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, गोरखपुर में आयोजित 19वें अधिवेशन में अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रेरणादायक अध्यक्षीय भाषण की पहली किस्त दी गई थी, अब उसी विचारोत्तेजक भाषण की समापन किस्त 'पुरानी यादें : नए परिप्रेक्ष्य में' स्तम्भ के अन्तर्गत दी जा रही है।

'हिन्दी के बढ़ते चरण' स्तम्भ के अन्तर्गत इस बार 'स्टेट बैंक ऑफ पटियाला' के महाप्रबन्धक श्री प्रभुदयाल से हुए साक्षात्कार का ब्यौरा दिया गया है।

अन्य स्तम्भ--समिति समाचार, राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां, हिन्दी कार्यशालाएं, विविधा आदेश-अनुदेश के अन्तर्गत पूर्ववत् सामग्री दी गई है।

मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि में 'हिन्दी दिवस' बड़े उत्साह और उल्लास से आयोजित किए गए और इन आयोजनों के विवरण बड़ी मात्रा में प्रकाशनार्थ प्राप्त हुए। राजभाषा भारती अंक 47 के कलेवर को देखते हुए प्राप्त सभी विवरणों का उपयोग सम्भव नहीं था, अतः शेष सामग्री प्रस्तुत अंक में 'हिन्दी दिवस/सप्ताह समारोह' स्तम्भ के अन्तर्गत दी जा रही है।

श्री राधाकांत शर्मा के स्थानान्तरण के बाद श्री रमेश चन्द्र जैन ने भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, राजभाषा विभाग का पदभार संभाल लिया है। उनके संरक्षण में 'राजभाषा भारती' का प्रत्येक अंक राजभाषा कार्यान्वयन के लिए उपयोगी एवं सहायक सिद्ध हो, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं।

राजभाषा भारती का प्रस्तुत अंक अपनी सामर्थ्य और सीमाओं के अनुसार ज्ञानवर्द्धक सामग्री और विविध जानकारियां आदि लेकर आपके हाथों में है, स्वयं पढ़ें और सहकर्मियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें।

पत्रिका के बारे में सुधी पाठकों के सुझावों की सदैव प्रतीक्षा रहेगी।

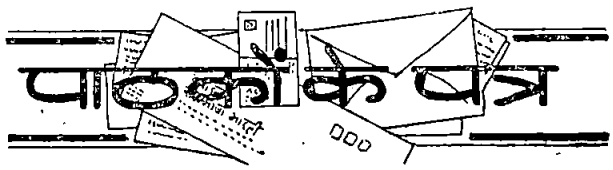

"राजभाषा भारती" का अंक 45 सुन्दर है। सचित्र "प्रेरणा पुंज" सचमुच प्रेरणादायक स्तम्भ है और आशा है कि आप इसके लिए कम से कम 2 पृष्ठ रखकर इसे स्थायी रूप देंगे। उक्त अंक में कई प्रेरणादायक लेख हैं, जिनके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं।

ति. कृ. राजामणी ऐयर,
14-7 दक्षिण बस्ती (जवन)
डाकघर : कांस बहाइल पिन-770034
जिला : सुन्दरगढ़ (उत्कल)

"राजभाषा भारती" का अंक-46 मिला, धन्यवाद। 'संपादकीय' में राजभाषा के संबंध में विचार स्पष्ट हैं। इससे हिन्दी के प्रोन्नयन में कार्यरत लोगों का मनोबल और सुदृढ़ हो जाता है। 'चिंतन' स्तम्भ के अन्तर्गत 'राजभाषा हिन्दी ही क्यों, हिन्दी को राजभाषा के रूप में और सुदृढ़ रूप में निर्धारित करता है। डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी के लेख से भाषा, समाज तथा संस्कृति के अटूट संबंध का परिचय मिलता है। आपने अपनी पत्रिका में विभिन्न संगठनों में आयोजित किए जा रहे 'हिन्दी सप्ताह' संबंधी समाचार का प्रकाशन कर हिन्दी के प्रति हमारे जैसे अहिन्दी भाषी क्षेत्र में और दिलचस्पी बढ़ा दी है।

ओ. सत्यनारायणराव,
क. राजभाषा अधिकारी
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड,
बन्डलभोटु (आंध्र)-522663

'राजभाषा भारती' में प्रकाशित राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी सूचनाएं, समाचार और टिप्पणियां पढ़कर तो व्यापक जानकारी मिलती ही है, राजभाषा से संबंधित लेख भी बड़े ज्ञानवर्द्धक तथा पठनीय होते हैं। प्रस्तुत अंक (43) में 'राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा" तथा 'अनुवाद : विशिष्ट विद्या एवं युगीन आवश्यकता "शीर्षक लेख काफी उपयोगी एवं स्तरीय हैं। "तकनीकी लेखन में कम्प्यूटर का योगदान", 'देवनागरी में यांत्रिक सुविधाएं' जैसे लेख से हमें राजभाषा के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का जायजा मिलता है।"

मधुसूदन साहा, अधिकारी
राउरकेला इस्पात संयंत्र,
राऊरकेला-169011

"राजभाषा भारती" कई वर्षों से राजभाषा-हिन्दी के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न उच्चकोटि के विद्वतापूर्ण लेखों के संग्रह, भेंटवार्ता, भारत सरकार की राजभाषा नीति, "चित्र समाचार" तथा बढ़ते कदम इत्यादि के कारण पत्रिका केवल पठनीय ही नहीं, अपितु संग्रहणीय भी बन गई है।

नरसिंह राम,
परमाणु ऊर्जा विभाग
तूतीकोरन (तमिलनाडु)

आपकी पत्रिका राजभाषा भारती देखने का अवसर मिला। सुसम्पादन में संस्कृत ग्राम के समाचार के प्रकाशनार्थ विशेष अभिनन्दन स्वीकार करें।

डॉ० कृष्ण नारायण पाण्डेय
आकाशवाणी, पणजी, गोवा

हमारे दक्षिणांचल कार्यालय पर आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, राज्य एवं पांडिचेरी संघ राज्य के प्रशासन का दायित्व है। इस व्यवस्था में जब हिन्दी कार्यान्वयन के प्रश्न, समाधान एवं अत्यावश्यक सूचना आदि के प्रत्यक्ष संबंध के औचित्य के विषय में जब जब आपकी सूचनापरक "राजभाषा भारती" पत्रिका पढ़ने को मिलती है तो हमें उससे काफी लाभ हुआ है।

अ.गो. जोशी, सहायक महाप्रबन्धक,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दक्षिणी अंचल कार्यालय
15, पोलिस स्टेशन मार्ग, बसवन गुडी,
बेंगलूर (कर्णाटक)-560004

भारत सरकार द्वारा हिन्दी प्रचार-प्रसार व विकास तथा देश-विदेश में हो रही हिन्दी गतिविधियों की जानकारी देने वाली "राजभाषा भारती" त्रैमासिकी चलाई जा रही है। यह पत्रिका मेरे जैसे कई लोगों के लिए उपयोगी और मार्गदर्शक है।

माधव चिंधू सुखाडे,
216, शिवाजी नगर,
जलगांव-425001

राजभाषा भारती अंक-46 मिला। केनरा बैंक के महाप्रबन्धक श्री आर०एस० पै० का साक्षात्कार बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकाशित किया गया है। हम आपके आभारी हैं।

पत्रिका का संपादकीय विचारोत्तेजक एवं सारगर्भित है। संपादकीय पढ़कर ऐसा लगता है जैसे इतिहास के झरोखे से राजभाषा व राष्ट्रभाषा का मंथन अपनी चरम सीमा पर आकर नया बोध व दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है। भविष्य में भी ऐसे ही रोचक संपादकीय पढ़ने की अपेक्षा रहेगी।

इसके अतिरिक्त 'मुगलों के राजकाज में हिन्दी' व हिन्दी 'अष्टावधानी' नामक लेखक काफी जानकारी पूर्ण है। 'अनुवाद' कविता तथा 'प्रेरणा पुंज' का प्रकाशन राजभाषा भारती की अनन्यतम उपलब्धि है।

वेद प्रकाश दुबे, राजभाषा अधिकारी,
केनरा बैंक, दिल्ली मंडल कार्यालय,
नई दिल्ली

राजभाषा भारती का अप्रैल-जून 1989 अंक देखने का अवसर मिला। सफल संपादन के लिए हार्दिक बधाई स्वीकार करें। पत्रिका में समन्वित सामग्री राजभाषा के प्रयोग से जुड़े लोगों के लिए अत्यन्त उपयोगी और प्रेरणादायी है।

डॉ. विजय नारायण गुप्त,
हिन्दी अधिकारी,
भारतीय स्टेट बैंक, भुवनेश्वर।

राजभाषा भारती का प्रत्येक अंक सुन्दर साज-सज्जा, कलेवर एवं स्तरीय सामग्री से परिपूर्ण होता है। "हिन्दी के बढ़ते चरण" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित "राजभाषा के प्रयोग में एक अग्रणी बैंक" भेंटवार्ता में श्री आर. श्रीधर पै० से डॉ गुरुदयाल बजाज की भेंटवार्ता निश्चित ही सफल एवं सराहनीय प्रयास है। बैंकिंग उद्योग के वरिष्ठ कार्य पालकों के राजभाषा के संबंध में प्रेरणास्पद विचार एवं कुशल मार्गदर्शन निश्चित ही प्रत्येक कर्मचारी के लिए पथ-प्रदर्शन देते हैं। आशा है भविष्य में भी इसी प्रकार की भेंटवार्ताओं की श्रृंखला अनवरत प्रकाशित करते रहेंगे। पत्रिका में प्रकाशित प्रत्येक लेख, निबन्ध आदि उत्कृष्ट स्तर के हैं।

एस. सी. गौड,
प्रबन्धक (राजभाषा) केनरा बैंक,
अंचल कार्यालय चण्डीगढ़।

राजभाषा भारती का 46 वां अंक पढ़ा। निश्चय ही यह बहुत उपयोगी है। इसके द्वारा राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार, चिन्तन एवं स्वरूप के विषय में नवीनतम जानकारी" मिलती है। डॉ. वीरेन्द्र सक्सेना का लेख-"हिन्दी अष्टावधानीः डॉ. चेबोलु शेषगिरी राव" बहुत ही प्रेरणादायक है। भारत के बाहर हिन्दी की स्थिति के बारे में श्री बहमदत्त स्नातक का लेख-"बहुत सम्मान है हिन्दी का भारत के बाहर" पर्याप्त जानकारी देता है। "साहित्यिकी के अन्तर्गत डॉ. सर्वदानन्द द्विवेदी ने 1988 का पूरा साहित्यिक-परिचय देकर हिन्दी ईयर बुक का कार्य है। भाई सतीश दुबे की कविता 'अनुवाद' बहुत अच्छी लगी।

पिछले अंक से आपने भारतीय भाषाओं के बारे में जो श्रृंखला प्रारम्भ की है, निश्चय ही प्रशंसनीय कदम है। प्रस्तुत अंक में कन्नड़ भाषा के विषय में पर्याप्त जानकारी मिली। इस प्रकार राजभाषा-भारती हिन्दी के प्रयोग के निरन्तर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

डॉ. रमेश चन्द्र शुक्ल,
हिन्दी अधिकारी,
जम्मू-कश्मीर दूर संचार परिमंडल,
श्रीनगर

राजभाषा भारती पत्रिका स्तरीय ही नहीं बल्कि बहुमूल्य सामग्री भी पाठक तक पहुंचाती है। लेखों का स्वरूप राजभाषा नीति के अनुकूल होता है तथा समय-समय पर शोधपरक लेख भी प्रकाशित किए जाते हैं।

पद्म श्री डॉ. श्याम सिंह "शशि",
निदेशक, प्रकाशन विभाग,
पटियाला हाऊस, नई दिल्ली

"राजभाषा भारती" का अंक 45 प्राप्त हुआ। इतनी उपयोगी और ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए बधाइयां स्वीकार करें। सभी लेख स्थाई महत्व के हैं। "स्मृति विज्ञान" से सर्वथा नूतन जानकारी प्राप्त हुई।

डॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया
मदनमोहन व्रज लोक समिति
टकसाल गली, वृन्दावन-281121

"राजभाषा भारती" पत्रिका के दो अंक देखें। अंक-44 में डॉ. (श्रीमती) पुष्पा बंसल का अनुवाद विषयक लेख तथा अन्य लेख काफी ज्ञानवर्द्धक एवं संतुलित लगे। पत्रिका पढ़कर लगा कि अनुवाद तथा भाषा के स्वरूप को समझने में यह पत्रिका अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।

प्रो. रोहिणी अग्रवाल,
1831-न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
सैक्टर-1 हुड्डा, रोहतक-124001

राजभाषा भारती (अंक-45) पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हिन्दी की प्रगति की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस अंक में जो व्यंग्य लेख सम्मिलित किया गया है, वह अच्छा बन पड़ा है। ऐसी सामग्री "राजभाषा भारती" को रोचक बना देगी।

ओम प्रकाश गुप्त "प्रकाश" पत्रकार,
119/212, कंथई भवन,
वाल्दा स्ट्रीट, घसिमारी मण्डी,
लखनऊ

राजभाषा भारती (अंक 46) अपने विषय की एकमात्र अनूठी पत्रिका है। उत्तम पठनीय लेखों के साथ-साथ आपके प्रेरणादायक सम्पादकीय अत्यन्त सशक्त और प्रखर लगा। बधाई स्वीकार करें। प्रभु आपकी लेखनी को और भी प्रवाह दे। यह कामना है :—

अल्लाह करे जोर-ए-कलम और ज्यादा आचार्य क्षेमचन्द्र सुमन का लेख 'राजभाषा हिन्दी ही क्यों ?' अकाट्य युक्तियों से युक्त एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है। अन्य लेख भी बड़ी विद्वत्तापूर्ण लिखे गए हैं।

यशपाल आर्यबंधु, आर्य निवास,
चन्द्र नगर, मुरादाबाद-244032

राजभाषा भारती अंक-46 में प्रकाशित सभी सामग्री महत्वपूर्ण है। आचार्य- क्षेमचन्द्र सुमन, महात्मा हंसराज, वीरेन्द्र सक्सेना के लेख अत्यधिक प्रेरणाप्रद एवं उपयोगी है। 'राजभाषा भारती' के माध्यम से विविध क्षेत्रों में हो रही राजभाषा विषयक गतिविधियों की सूचना एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती है।

गंगा प्रसाद राजौरा राजभाषा अधिकारी,
इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र,
जनकपुरी, नई दिल्ली

राजभाषा भारती अंक-46 में प्रकाशित लेख "कन्नड़: साहित्य, भाषा और राजभाषा" काफी रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणापूर्ण है। सम्पादकीय राष्ट्रप्रेम की भावना जगाने में सफल है। डॉ. राजजन्म शर्मा के जब्तशुदा गीत

दे दे मुझे तू जालिम,
मेरा यह आशियाना,
आरामगाह मेरी, मेरा बहिश्तखाना।

की उक्त पंक्तियां मन को झकझोरने में सफल हैं। सुझाव है कि उक्त रचना यदि आप पूर्ण रूप से राजभाषा भारती में प्रकाशित करें तो पाठकों को इससे प्रेरणा मिले।

अशोक कुमार सेठी, अधिकारी,
केनरा बैंक, दिल्ली अंचल कार्यालय,
कनाट प्लेस, नई दिल्ली

"राजभाषा भारती" हमें निगमित कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हो रही है। इसमें जो सामग्री दे रहे हैं वह प्रेरक व्यावहारिक, ज्ञानवर्द्धिक और रोचक भी होती है। तकनीकी विषयों पर हिन्दी में लिखे लेख बहुत उपयोगी होते हैं। श्री वे. शेषन, का "स्मृति विज्ञान" विषयक लेख बहुत पसन्द आया।

संत कुमार टण्टन,
महा. प्रबन्धक (रा. भा.)
भारतीय टेलीफोन इन्डस्ट्रीज
लि., नैनी, इलाहबाद

चिंतन

विश्व मंच और हिन्दी

□जगदम्बी प्रशाद यादव*

हिन्दी भारत की ग्राम ग्रादमी की जरूरत की भाषा के रूप में जैसे प्रकृति की कोख से पैदा हुई है। यह कहना कठिन है कि हिन्दी का जन्म भारत के किस प्रदेश में हुग्रा। जिस ग्राम ग्रादमी की भाषा के रूप में यह विकसित हुई है उस ग्रादमी की सन्तति—हिन्दुस्तान, नेपाल, बंगलादेश, पाक, बर्मा, श्रीलंका के हर चौराहे पर, हर घाट पर, हर बाजार, हर तीर्थ में श्रमिकों, भिखमंगों की टोली में, क्रान्तिकारियों की हर जमात में मिल जाएगी। यह ग्रादमी की परिस्थिति और प्रकृति से देश की सामासिक संस्कृति की वाहक रही है।

कालिदास यदि संस्कृत के प्रथम महाकवि हैं तो वे ही हिन्दी के प्रथम ज्ञात कवि हैं। ग्रभिज्ञान शाकुन्तलम् में वैदिक और विक्रमोर्वशीयम् में दोहा और सोहर जैसे लौकिक शब्दों का प्रयोग इसका प्रमाण है।

हिन्दी भाषा पहले बनी और इसके कवि बाद में बने। यह संस्कृत के साथ पनपती गई। कबीर, तुलसी, विद्यापति सब भाषा कवि घोषित हुए। भाषा बहता नीर कबीर ने कहा तो तुलसी ने कहा—भाषा भनीति मोर मति धोरी। महाकवि चन्दरवरदाई ने इसे स्पष्ट किया—"यह षट भाषा है यानि विभिन्न प्रदेशों और स्रोतों से बनी सामाजिक देश की साम[illegible]षा है और इसका काव्य पुराण और कुरान [illegible]या गया है। हिन्दी इसी भाषा धारा का प[illegible] इस हिन्दी को शासन का बल, धर्म का [illegible] श्रेष्ठता का बल मिलता गया और धीरे [illegible]विकसित करता हुग्रा वर्तमान में खड़ी हि[illegible] चयन किया गया। साहित्य रचना इस[illegible] स्थिर होने लगे और मानव भाषा के [illegible] जन साधारण की भाषा बनी और ग्र[illegible]ी। हिन्दी की परम्परा ग्रन्तर प्रां[illegible]ड़ी है, जो कुम्भ के मेले के समय हिन्दी में और सिर्फ हिन्दी में ग्रापस में बात करते हैं। ग्राज की हिन्दी प्रचारिणी संस्थाओं से सदियों पहले से यह काम हो रहा है। उन्हीं ग्रखाड़ों के एक प्रतिनिधि ग्रतिकेचन गिरि ने संवत 1866 में सोवियत के बाकू नगर के पास ज्वाला जी के मंदिर पर जो शिलालेख खुदवा कर लगवाया वह खड़ी बोली हिन्दी में है।

प्रारंभ के बांगरू, कौरवी, ब्रजभाषा, ग्रवधी, मैथिली, भोजपुरी, कन्नौजी, राजस्थानी ग्रादि ग्राज ये ही सब खड़ी बोली हो गयी हैं। हिन्दी के इतिहासकार ग्रगर भ्रम में नहीं रहकर और खोज भारत के स्वभाग एवं ग्रन्य देशों में करते तो उन्हें हिन्दी, ग्रान्ध्र, नेपाल और यूरोप के रोमनी या जिप्सी तथा सोवियत संघ के इंकी या इन्दुस्थानी जो उजबेकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में बसते हैं, मिलते हैं। इनकी भाषा देखें—जा, दिक, कोन, छल बेल, बुदर (जाओ देखो कौन लड़का उधर है।) और जा देख कौन छल ग्राया द्वारको (जाओ देखो कौन लड़का द्वार पर ग्राया है) ये मूलतः हिन्दी है।

भारत में ग्रनेक दिग्विजयी सम्राट हुए हैं जिन्होंने विशाल राजसी यज्ञ किया है। दुनियां को (भारत) समझ कर। ग्रर्जुन के बनाये मंदिर ग्रभी भी रूस में है। भारत के संतों ने भी दुनिया को मानवता धर्म का ज्ञान कराने के लिए दिग्दिर्शत का भ्रमण किया है। जिसका प्रमाण उनके धर्म की वाणी, कथा, कहानी के रूप में रूस, चीन, इन्डोनेसिया, थाइलैण्ड, जापान ग्रादि में मिलते हैं। उनके कई पर्व-समारोह भारतीयता को प्रस्तुत करते हैं। इन्डोनेसिया देश मुसलमान है पर ग्रपने को राम से जोड़ते हैं। रामलीला करते हैं—वायुयान लाइन का नाम गरुड़ रखते हैं और ग्रमेरिका में जो राज प्रसाद बनाया तो नाम 'रामायण' रखा। हिन्दी मानवीय मूल्यों की भाषा के रूप में विकसित हुई है। इसे निश्छल लोक कल्याणकारी महात्माओं की जरूरत है। मानवता के कल्याण के लिए इसका प्रचार प्रसार-ग्राज ग्रकेले भारत के लिए नहीं, विश्व के ग्रपने हित में है। ग्रात्म गौरव की

*पूर्व सांसद, एकाशी, मुंगेर (बिहार)

अनुभूति से सम्पन्न हिन्दी विश्व की मानव मूल्यों के लिए आत्मत्यागवाली वृत्ति को अपनाता हुआ विश्व कल्याण के क्षेत्र में भारी योगदान दे सकेगा।

विश्व का पर्यटन करने वाला विश्व हिन्दी का स्वरूप देखकर एकबार भौंचक अवश्य रह जाएगा। मैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका के यात्रा पर था और भारतीय परिधान में था। पाक, वर्मा, बंगलादेशीय, श्रीलंका आदि के आव्रजन कई फर्लांग से दौड़े आकर प्रेम से मिलते और पूछते "आपको यहां भोजन में अवश्य कठिनाई होती होगी" और वे एक सायं अपने यहां भोजन के लिए आमंत्रित करते। ईरान के तेहरान शहर में एक परिवार में जाना ही पड़ा। छप्पन प्रकार के भारतीय भोजन पहली बार चखने का मौका मिला। इन सब की मिलन भाषा हिन्दी थी।

अफ्रीका के समूचे पूर्वी तट, मध्य अफ्रीका जिसे काइरे कहते हैं, पश्चिमी तट जहां नाइजीरिया आदि देश है—वहां आपको मिलने वाले से हिन्दी भाषा से मधुर मिलन होगा। पता नहीं कब उनके पूर्वज वहां पहुंचे और संघर्ष पूर्वक अपनी भाषा और संस्कृति को संजोये हुए हैं। हिन्दी अब एक देशीय नहीं बहुदेशीय हो चुकी है। बोलने वालों, समझने की दृष्टि से यह विश्व की दूसरी भाषा बनकर चीनी भाषा के समीप हो गई है। हिन्दी हृदयों को जोड़ने वाली ऊर्जा के रूप में और प्रेम गंगा के रूप में विश्व में विकसित और प्रसारित हो रही है।

शताधिक भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों स्वांतः सुखाय सीखते हैं। रूस, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैण्ड, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, चीन, जापान, नार्वे, स्वेडेन, पौलैण्ड, आस्ट्रेलिया, मैक्सिको आदि में है। रूस में तो एक लाल बहादुर पाठशाला में एक हजार छात्र-छात्राएं हिन्दी माध्यम से पढ़ते हैं।

भारत से जाने वाले भारतवंशी आज दुनियां के 136 देशों के 5 करोड़ के रूप में हैं इनमें 3 करोड़ की भाषा हिन्दी है दुनियां में फैले हैं—मरीशस, फिजी, गुयाना, सुरीनाम, कीनियां, ट्रीनीडाड-टूबेको, बर्मा, थाईलैण्ड, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों में रह रहे हैं। इनके साथ हिन्दी भाषा और भारतीय संस्कृति भी वहां फल-फूल रही है।

इन देशों में हिन्दी का रचना संसार में बहुत ही विपुल पूर्ण एवं समृद्ध है। भाषा और साहित्य की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। हिन्दी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकमं को लक्ष्य करके प्रसारित हो रही है।

हिन्दी का इतिहास लिखने वाले विद्वानों ने परिश्रम अवश्य किया पर वे सम्पूर्ण भारत में भी इस की खोज नहीं कर पाये। विदेशों में तो अभी भी खोज शेष ही है। मैं उदाहरण स्वरूप मात्र भारत के उत्तर में 500 मील लम्बाई में पूर्व से पश्चिम तक फैला नेपाल है। इस नेपाल को एक सूत्र में बांधने वाला महाराज पृथ्वी नारायण शाह नाथ सम्प्रदाय के उन्नायक हिन्दी के सुपरिचित कवि थे और गोरखनाथ के भक्त थे। इस नाथ संप्रदाय ने हिन्दी के प्रचार प्रसार में एक अच्छी भूमिका निभाई है। यह नेपाल हिन्दी का विशाल क्षेत्र हिन्दी जगत से अपरिचित है। एक झांकी सर्वप्रथम मिलती है जब म.म. हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति की पंक्तियां एवं कुछ पदों को यहां खोज निकाला।

पौने दो करोड़ नेपाल दुनियां का दूसरा हिन्दी का देश है। आबादी के हिसाब से और हिन्दी जानने वाले की दृष्टि से यह पहला देश है। इसके एक करोड़ के लगभग हिन्दी भाषी हैं तथा शायद ही कोई गोरखा परिवार होगा जो हिन्दी नहीं जानता होगा। यहां के लोगों की हिन्दी पहली या दूसरी भाषा सबकी है। हां राष्ट्र भाषा के रूप में या द्वितीय भाषा के रूप में अभी तक यह यहां भी प्रस्थापित प्रयत्नों के बाद भी संभव नहीं हो पाई है। नेपाली सीखने के लिए पहले हिन्दी सीखनी पड़ती है। 95 प्रतिशत लोग हिन्दी जानते समझते हैं।

यहां हिन्दी साहित्य के और हस्तलिखित ग्रन्थ भी भरे पड़े है। विद्यापति और नाथ पंथी रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियां स्थान-स्थान पर देखने को मिलती हैं। "कलजम स्वरूप" की दो प्रतियां सुरक्षित हैं। मल्ल राजाओं के दो सौ से छः सौ वर्ष पूर्व से अधिक हिन्दी उत्कृष्ट भजन और नाटक उपलब्ध हैं। मानवीर कछिपति का नाटक, कृष्ण चरित्र प्याख हिन्दी साहित्य का सुन्दर ग्रन्थ है। ये अधिकांशत या अप्रकाशित होने के कारण सूची तैयार करना कठिन है। गिरिश वल्लभ जोशी, मोहन राज शर्मा, डा. ध्रुव चन्द गौतम, चेतन कर्मी दुर्गा प्र. श्रेष्ट, बुन्नीलाल, उपेन्द्र आदि अनेक नाम हिंदी के विद्वानों के गिनाये जा सकते हैं।

आज आवश्यकता है कि वहां के अप्रकाशित ग्रन्थों के प्रकाशन की, प्राचीन मध्यकालीन रचनाओं की खोज की तथा वर्तमान समय में लिखने वालों को प्रोत्साहन देने की यह बात मात्र नेपाल के लिए ही नहीं बल्कि 136 देशों में फैले भारतवंशियों की कीर्ति की खोज प्रकाशन और प्रोत्सहन की।

आज इसको जानने की भी परम आवश्यकता है कि जिस गति से हिन्दी अपना रहा है, सीख रहा तथा इसमें लिख भी रहा है—इससे संबंध स्थापित करने की और उनको विविध प्रकार से सहयोग देने की। इनसे संस्कृति संबंध बनाने की।

श्रीपाद स्वामी, ऐसे संतों ने, हरे राम प्रेमी भक्तों ने संसार व्यापी मीरा के समान भगवान के गीतों को हिन्दी में गुंजा रहे हैं—वे अन्तर्राष्ट्रीय भाषा हिन्दी की मान्यता—आवश्यकता का प्रभाव क्षेत्र बिना सरकार के और बिना हिन्दी प्रचारिणी सभा के स्वतः कर रहे हैं। हम धार्मिक

(शेष पृष्ठ 4 पर)

भाषा और वाणी

☐श्रीधर प्रसाद बहुगुणा*

भारत सरकार के राजभाषा विभाग के विशेष प्रयत्नों तथा प्रेरणा से विभागों, कार्यालयों में हिन्दी भाषा में पत्राचार का शुभारम्भ ही नहीं, अपितु प्रत्येक कर्मचारी के मन में राष्ट्रभाषा में सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्य करने तथा हिन्दी की प्रगति के लिये नवीन उत्साह एवं रुचि का संचार हुआ।

हिन्दी भाषा की प्रगति के मार्ग के सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों में जो जागृति उत्पन्न हुई, जो रुचि तथा उत्साह देखने में आया, वह निस्सन्देह राष्ट्रीय गौरव तथा स्वाभिमान का विषय है। इससे हमारे सम्पूर्ण देश का मस्तक ऊंचा होता है। सबसे अधिक खुशी की बात तो यह है कि जो अधिकारी, कर्मचारी अंग्रेजी अधिक और हिन्दी कम जानते थे, उन्होंने भी प्रण कर लिया है कि वे अब हिन्दी भाषा में अधिकाधिक कार्य (पत्राचार, आलेख व टिप्पणी) हिन्दी में लिखने की कोशिश करेंगे। जनमानस के हृदय परिवर्तन का यह श्रेय अन्त में राजभाषा विभाग को ही जाता है जिनके प्रयत्नों, योगदान व पुरुषार्थ से हिन्दी भाषा के मार्ग में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है।

यह हर्ष का विषय है कि सरकारी काम-काज के कार्यान्वयन में हिन्दी भाषा का प्रयोग सभी क्षेत्रों में उत्साह तथा प्रेम से हो रहा है। अन्य क्षेत्रों, राज्यों के कर्मचारियों द्वारा हिन्दी भाषा में की गई प्रगति के बारे में, मैं अधिक नहीं जानता किन्तु मुख्यालय के आदेशों, निर्देशों के आधार पर अकेले क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने दो साल के अन्तराल में हिन्दी के कार्यान्वयन में जो प्रगति की है, उत्साह दिखाया है, वह सराहनीय है।

सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा को स्वेच्छा, प्रेम से अपनाए जाने के अनेक कारणों में से हिन्दी भाषा में अधिकाधिक कार्य करने वालों को पुरस्कार योजना की नीति सम्मिलित है। यह हिन्दी भाषा की लोकप्रियता, समृद्धि के मार्ग में शुभ चिन्ह है। वैसे भी हिन्दुस्तानी होने के नाते हिन्दी जो हमारी अपनी भाषा है, को प्रेम व सद्भावना की दृष्टि से स्वीकार करना हम सभी का कर्त्तव्य है।

यह अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि भाषा विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम है। किसी भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे से करीब आते और सम्पर्क स्थापित करते हैं, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी संस्कृति होती है जिसकी झलक उस राष्ट्र की सरल, सुबोध व परिमार्जित भाषा से परिलक्षित होती है। साहित्य के माध्यम से हम अपने विचार, कल्पना व चिन्तन को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अपनी सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिये हमें ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो सरल, सुबोध होने के साथ अमृत के समान मधुर हो। हिन्दी ही एक मात्र ऐसी भाषा है जिसमें ये सारे गुण विद्यमान हैं और जो भारत के आधे से अधिक जनसंख्या द्वारा आसानी से बोली, लिखी व समझी जाती है।

मैं कह चुका हूं कि भाषा और वाणी हमें एक दूसरे से संपर्क कराती है, हमें जोड़ती है, हमारे विचारों, भावों के आदान-प्रदान का माध्यम भाषा व वाणी है किन्तु हमारी वाणी-भाषा ऐसी होनी चाहिए, जिससे हम अपनी भाषा के माध्यम से सारी दुनियां के लोगों को प्रभावित, आकर्षित कर सके।

पल-पल, क्षण-क्षण हमें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है, घर में हों या घर के बाहर। इसीलिये ऐसी वाणी बोलने की आदत डालनी चाहिए जो रुचिकर व मधुर हो। जब कोई रुचिकर तथा मधुर वाणी में बातचीत करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसके विपरीत कठोर वाणी किसी को भी अच्छी नहीं लगती, कठोर वाणी (कटु बोलना) दूसरे के मन पर तीर के समान चुभकर कष्ट पहुंचाती है। ऐसी बात क्यों बोली जाए जो दूसरे के मन पर बुरा प्रभाव डाले और जिसके कारण हम बुरे बने। यही बुराई कभी-कभी तनाव व झगड़े के रूप में गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर देती है।

कठोर वाणी का घाव बड़ा तीव्र होता है जिसको आसानी से भरा नहीं जा सकता। दूध का जला हुआ छाज को भी फूंक फूंक कर पीता है, कटु वचनों का प्रभाव बुरा ही होता है। ऐसे व्यक्ति से कोई बात करना पसन्द

*सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार पो०, 126/14, बो एन रोड लाल, बाग, लखनऊ

नहीं करता। पैर अगर फिसल जावे तो उसे फिसलने से रोका जा सकता है किन्तु जबान अगर एक बार फिसल गयी तो उसे रोकना असंभव है।

अगर हमारी आदत सत्कर्मों की दिशा में है तो हमें झूठें, फरेब, जैसे बुरे कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं है जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे और हम पाप के भागीदार बनें। इसलिये हमारी वाणी (वचन) सत्य होने के साथ प्रिय भी होनी चाहिए। झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं और पाप का परिणाम सदैव बुरा होता है। सत्य और मीठा बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। फिर वाकछल किसलिये किया जाये? इस बुरी आदत को मन से निकाल देना चाहिए। सत्य, रुचिकर तथा मधुर बोलने का अभ्यास बहुत ही अच्छी बात है। वही वाणी, भाषा का प्रयोग करें जो सबके लिए हितकर व कल्याणकारी हो।

कुछ लोगों की आदत होती है कि वे बोलते समय उचित अनुचित का विचार नहीं करते। ऐसे लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। बोलते समय वाणी पर काबू रखना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कुछ मन में आया उचित अनुचित का विचार किये बिना बोल दिया, साथ ही बोलते समय इस बात का भी ध्यान रहे कि आपकी बात सार्थक व प्रभावशाली हो अन्यथा खामोश रहना ही उचित है।

कभी-कभी क्रोध में आकर लोग कटु वचन बोलने लगते है, ऐसे समय में धैर्य धारण करना तथा चुप रहना उचित है। कन्फ्यूशियस के अनुसार—"जब क्रोध उठे तो उसके नतीजों पर विचार करें।" जिन कारणों से क्रोध उत्पन्न होता है, उन कारणों पर विचार कर उनके समाधान का प्रयत्न किया जाये तो इस समस्या पर बहुत कुछ काबू पाया जा सकता है। इस समस्या पर काबू पाने के लिये मधुर व हितकर वाणी बोलना आवश्यक है क्योंकि मधुर वाणी अमृत के समान हितकर, रुचिकर लगती है।

किसी ने पूछा कि अमृत कहां मिलता है? एक विद्वान ने कहा कि अमृत समुद्र में है, दूसरे ने कहा कि अमृत चन्द्रमा में है, तीसरे ने कहा कि वह पाताल के सर्पों में है। किसी अन्य ने कहा कि वह औरतों के मुंह में है। कुछ विद्वानों ने कहा कि अगर अमृत समुद्र में होता तो समुद्र का जल खारा क्यों होता? चन्द्रमा में होता तो वह घटता-बढ़ता क्यों? पाताल के सर्पों में होता तो उसमें विष क्यों होता? औरतों के मुंह में होता तो उसका पति अमर क्यों नहीं हो जाता? पुनः किसी विद्वान ने कहा 'अमृत' इनमें से किसी में भी नहीं, जो सब में ईश्वर को देखता है और सबको प्यार भरी नजर से देखता है उसी की वाणी में अमृत है।

किसी ने सोचा कि फूलों में अमृत पाया जाता है परन्तु अनेक प्रयत्न करने पर भी फूलों में अमृत नहीं मिला क्योंकि फूलों के रस को भंवरों ने प्यार, गुनगुनाकर जूठा कर दिया है। चाहे समुद्र हो या चन्द्रमा, पाताल के सर्प हों या नारी का मुंह तथा किसी माली के बाग के फूल, अमृत वास्तव में कहीं भी नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं कोई कमी है, स्वार्थ है। केवल सद्-व्यवहार व मधुर वाणी में ही अमृत है। इसीलिये कहा गया है? "मधुर वाणी अमृत के समान है।"

किसी भाषा को लिखना, पढ़ना व बोलना ही भाषा की प्रगति तथा लोकप्रियता के लिये काफी नहीं है। उसके साथ मधुर वाणी का अभ्यास करना उतना ही आवश्यक है जितना भाषा को लिखना, बोलना। आप जब कभी प्यार से व शिष्टतानुसार बात करते हैं तो सभी को अच्छा लगता है। इसका एक दूसरे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अतः मधुर, सत्य व हितकर वाणी बोलना अपने तथा दूसरों के लिये कितना हितकर है? इसका अनुभव आप अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी से प्राप्त कर सकते हैं।

सरल, सुबोध व ज्ञानवर्धक भाषा तथा मधुरवाणी का प्रयोग हिन्दी भाषा की लोकप्रियता, समृद्धि व राष्ट्रीय गौरव के लिये आवश्यक है।

पृष्ठ 2 का शेष

बात छोड़ भी दें तो संसार को सहयोग करें कि हिन्दी प्रेम दिलों को जोड़ने वाली सरल और अद्भुत भाषा है। देव-नागरी लिपि आज के वैज्ञानिक, तकनीकी, कम्प्यूटर युग में सबसे उपयुक्त लिपि है।

हिन्दी बिना सरकार की घोषणा किये भी भारत की राष्ट्रभाषा का स्थान पाया—चारों धाम और सभी अखिल भारतीय तीर्थों के द्वारा अंतर्देशीय व्यापार यात्राओं के प्रयोग में पाया और आज विभिन्न प्रकार से बिना भारत के योगदान से विश्व भाषा के रूप में सम्मानित हो रहे हैं। इस प्रकार भले ही वह संयुक्त राष्ट्र संघ की वैकल्पिक भाषा का स्थान न पाया हो पर संसार के व्यवहार में वहां हिन्दी प्रेमी विद्वान द्वारा स्वतः ही संसार की प्रथम भाषा के रूप में द्रुतगति से सम्मानित अनायास होती जा रहीं है।

भारत सरकार इतना तो करे कि इनके प्रशासक राजदूत, वाणिज्यदूत और राष्ट्रीय नेता स्वयं इसकी मान्यता विदेशों में इसका प्रयोग कर के दें तो यह हिन्दी वर्षों के कार्य को महीना और दिनों में पूरा कर दिखाये।

शब्दार्थ के नए आयाम

□ डॉ. नरेश कुमार*

वस्तुतः शब्द अपने में पारदर्शी नहीं होते हैं, विशिष्ट संदर्भ के साथ उनके अर्थ की अभिव्यक्ति का संबंध जुड़ा होता है। उदाहरणार्थ, बैंकिंग संदर्भ में "ड्राफ्ट" का एक विशेष अर्थ है, किंतु कार्यालय में इसका अभिप्रायः "प्रारूप, मसौदा" और सेना में इसका अर्थ, "दस्ता, टुकड़ी" (सैनिकों की) होता है। इसी प्रकार "क्रॉस्ड चैक"—रेखित चैक बैंकिंग संदर्भ में अपना विशिष्ट अर्थ रखता है।

शब्दों को प्रयोग के उपरांत सामाजिक स्वीकृति मिलती है। वर्तमान समाज में "कम्प्यूटर" के पर्याय "अभिकलित्र" तथा "अभिकलक" शब्द प्रचलित न हो सके और अंग्रेजी-रूप "कम्प्यूटर" को ज्यों का त्यों गृहीत करना ही भारतीय मानस को अच्छा लगा।

परंपरागत अर्थ का संदर्भ शब्द को नए आयाम प्रदान करता है। "बिजली" शब्द आकाश में सहसा उत्पन्न होने वाले उस प्रकाश का द्योतक है जो किसी बादल से पृथ्वी की ओर आने वाली वातावरण की बिजली के कारण होता है," "किंतु अब Electricity के पर्याय "विद्युत" के अर्थ में भी "बिजली" शब्द का प्रयोग होता है। "आकाशवाणी" के अर्थ की सीमा पहले "देववाणी" (वह शब्द या वाक्य जो आकाश से देवता लोग बोलें) तक सीमित थी, किंतु अब इसका प्रयोग "बेतार की युक्ति से प्रसारित वाणी" के निहित, अभिप्राय से विस्तृत होकर "आल इंडिया रेडियो" के लिए व्यापक रूप में प्रचलित है। "सचिव" का मूल अर्थ "मित्र, सहचर, मंत्री, परामर्शदाता" था किंतु अब यह विशेष पद के लिए प्रयुक्त है। मंत्रालय शब्द में "मंत्र" शब्द का भाव वैदिक मंत्रों के संग्रह या वे वाक्यांश नहीं हैं जिनके उच्चारण में दैवी प्रभाव या शक्ति हो या जिनसे विभिन्न कामनाओं की सिद्धि हो अपितु इसमें "परामर्श या सलाह" का भाव भी निहित है। यही परामर्श का भाव विकसित हुआ "मंत्रालय" शब्द में जिसके कारण यह शब्द शासन के किसी मंत्री या उसके विभाग के कार्यालय के लिए प्रयुक्त होने लगा। विमोचन का मूल अर्थ "मुक्त करना; बंधन खोलना; गिराना; निकालना" आदि था किंतु "पुस्तक-विमोचन" का व्यापक प्रयोग इसमें नया अर्थ ही जोड़ देता है। "जन-गणना" का शाब्दिक अर्थ, लोगों का गिनना, है, किंतु "पापुलेशन" के पर्याय "जनगणना" का अर्थ "मर्दुमशुमारी, जनसंख्या की गिनती" से लिया जाने लगा। "संसद" का मूल अर्थ—"सभा, सम्मिलन मंडल, न्यायालय" था, किंतु वर्तमान प्रजातांत्रिक प्रणाली में "पार्लियामेंट" के पर्याय के रूप में इसका प्रयोग प्रचलित हो गया। वस्तुतः किसी शब्द का सहज प्रचलन भाषा-परंपरा से प्रभावित होता है और विशिष्ट समाज द्वारा तत्सम शब्दों को सरलतापूर्वक अपना लिया जाता है। बंगला-भाषी को हिंदी में प्रचलित "सिर-दर्द" का प्रयोग करना पसंद नहीं और उसे "शिरो-वेदना" माथा-व्यथा ही ग्राह्य है। "व्हाईट पेपर" (किसी विषय के संबंध में पूर्ण ब्यौरा) का शाब्दिक अनुवाद "श्वेत-पत्र" अपने में अर्थ के नए आयाम को समेटे हुए है। शब्द-निर्माण की प्रक्रिया में अपनाई गई मिश्र-पद्धति सरलीकरण पर आधारित होने के कारण, यथा--रजिस्टर्ड के लिए "रजिस्ट्रीकृत", शेयर होल्डर के लिए "शेयरधारक, वोल्टेज के लिए "वोल्टता" आदि शब्दों को भारतीय जन मानस ने स्वीकार किया। "रोटी पड़ी है/रोटी डाल दो" के स्थान पर" रोटी परोसी गई है"/रोटी परोस दो" आदि वाक्यांश सामाजिक शिष्टता के सूचक माने जाते हैं। "एरोड्राम" (हवाई अड्डा) और "एयरपोर्ट" (विमान पत्तन)—जहां "सीमाशुल्क" की सुविधाएं प्राप्त हों आदि शब्दों की विशिष्ट तकनीकी अर्थ-बोधगम्यता ही उनके उपयुक्त प्रयोग में लाभकारी हो सकती है। नायक (नेता, श्रेष्ठ पुरुष, वह पुरुष जिसका चरित्र किसी काव्य या नाटक आदि का मुख्य विषय हो), लोकनायक (जनता को किसी ओर प्रवृत्त करने का प्रभाव रखने वाला पुरुष), अभिनेता (अभिनय करने वाला, स्वांग दिखाने वाला, नाटक का पात्र), नेता (अगुआ., प्रवर्तक) आदि शब्दों के प्रयोक्ता को उनके अर्थों के संबंध में ठीक जानकारी होनी चाहिए।

उच्चारण में समानता रखने वाले तथा समान अर्थ वाले शब्दों में परस्पर सूक्ष्म भेद पर हमारी दृष्टि पड़नी चाहिए, यथा—निदेशक (निर्देश करने वाला, 'अंग्रेजी के 'डाइरेक्टर' पद के लिए प्रयुक्त, किसी संस्था का प्रधान जिसे कानूनी ढंग से अधिकार प्राप्त हों) तथा निर्देशक

शेष पृष्ट 8 पर

*235,पटेल नगर प्रथम, गाजियाबाद-201001 (उ. प्र.)

हिन्दी में विज्ञान कथा साहित्य

☐ शुकदेव प्रसाद*

आम किस्सागोओं की तरह विज्ञान जगत में भी किस्सागो हुए हैं, जिन्होंने कल्पना के पंख लगाकर उड़ानें भरी हैं। विज्ञानियों ने कालांतर में उनकी कल्पना को जीवंत आयाम भी दिया है।

'विज्ञान-कथा' अथवा "विज्ञान-गल्प" के लेखन में वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित कल्पना के तानेबाने बुने जाते हैं और उसे औपन्यासिक या कथात्मक शिल्प में ढाला जाता है। लोक विज्ञान लेखन की यह विधा यूं नई तो नहीं है, पर इधर काफी लोकप्रिय होती जा रही है।

दूर गगन में उड़ते पक्षियों को देखकर मानव ने उड़ना चाहा और उड़कर अंतरिक्ष के रहस्य को जानना चाहा। फलतः तमाम कथाएं एवं उपन्यास अंतरिक्ष यात्रा सम्बन्धी लिखे गए। यदि प्रारंभ से आज तक उपलब्ध सम्पूर्ण विज्ञान कथा साहित्य का सर्वेक्षण किया जाए तो पता चलेगा कि 75 फीसदी कहानियां या उपन्यास अन्तरिक्ष यात्राओं से ही सम्बन्धित हैं। विषयान्तर भी हुआ है। उदाहरणार्थ एच.जी. वेल्स ने "टाइम मशीन" की कल्पना की, जिसके सहारे आने वाले कल की तस्वीरें देखी जा सकती हैं।

वेल्स ने टाइम मशीन की कल्पना की तो पावेल वेझिनेव ने "आन ए डार्क नाइट" में एक ऐसे यंत्र की कल्पना की है, जिसके जरिए "तेरे मन की मैं भी बूझूं" वाली बात चरितार्थ होती है।

हिन्दी में विज्ञान कथा लेखन विधा अभी अनछुई सी लगती है। छिटपुट प्रयास ही हुए हैं।

अनूदित साहित्य

एच.जी. वेल्स, जूल्स वर्न और आर्थर सी. क्लार्क जैसे महान् विज्ञान कथाकारों ने अपनी लेखनी से अंग्रेजी विज्ञान कथा साहित्य का विपुल भंडार भरा है।

इस पाश्चात्य साहित्य को कुछेक प्रकाशकों ने हिन्दी जगत को सुलभ कराया है। इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ने वर्षों पहले जूल्सवर्न की कई किताबों के अनुवाद "इन नामों से प्रकाशित किया था—"समुद्र-गर्भ की यात्रा", "नरभक्षकों के देश में", "उड़ते अतिथि", "रहस्यमय द्वीप", "द्वीप का रहस्य", भूगर्भ की यात्रा", "दृढ़प्रतिज्ञ", "गब्बारे में अफ्रीका यात्रा", "चंद्रलोक की यात्रा", "चन्द्रलोक की परिक्रमा", "अस्सी दिन में पृथ्वी की परिक्रमा"। यहीं से एच.जी. वेल्स की एक पुस्तक का अनुवाद "आकाश में युद्ध" शीर्षक से छपा था।

राजपाल एंड संस, दिल्ली ने जूल्स वर्न की पुस्तकों का "अस्सी दिन में दुनियां की सैर" और "समुद्री दुनियां की रोमांचक यात्रा" शीर्षक से अनुवाद प्रकाशित किया है।

सुप्रसिद्ध कलाकार और फिल्म निर्देशक श्री सत्यजित राय ने भी विज्ञान कथाओं के क्षेत्र में अपनी कलम चलायी है। उनके "प्रोफेसर शंकू", "प्रोफेसर शंकू के कारनामें" तथा "बादशाही अंगूठी" जैसे वैज्ञानिक उपन्यास (राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली) उपलब्ध हैं। वर्तमान में लिख रहे हिन्दीतर भाषी विज्ञान लेखकों में डॉ. जयंत विष्णु नारलीकर, डॉ. बाल फोंडके, दिलीप सालवी, और समरजीतकर के नाम उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी में मौलिक कथाएं

हिन्दी में वैज्ञानिक उपन्यासों के जनक होने का श्रेय स्व. बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री को है। यों तो आपके पिता बाबू देवकी नंदन खत्री ने तिलस्मी उपन्यासों की नींव डाली थी। उनके द्वारा रचित 'चंद्रकांता", "चंद्रकांता संतति" "भूतनाथ" और "रोहतास मठ" जैसे तिलस्मी उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय हुए। इनकी लोकप्रियता के बारे में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने "हिन्दी साहित्य का इतिहास" में लिखा है कि इन उपन्यासों का आनन्द लेने के लिए अहिन्दी भाषियों ने हिन्दी सीखी।

लेकिन बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री ने मूलतः वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर अपनी मौलिक सूझ-बूझ से "लालपंजा", "रक्त मंडल", "सुफेद शैतान", "सुवर्ण रेखा", "स्वर्ग-पुरी", "सागर-सम्राट" (लहरी बुक डिपो, वाराणसी) आदि वैज्ञानिक उपन्यास हिन्दी में लिखे। इन उपन्यासों में कई में तो नितांत सामाजिक समस्याओं का वर्णन है पर वैज्ञानिक रोमांच और चमत्कार से भरपूर।

पुरानी पीढ़ी

खत्री जी की अधिकांश कल्पनाएं सच भी साबित हुईं। उल्लेखनीय है कि सर्व प्रथम उन्होंने ही "स्टीलमैन" (आज का "रोबोट") की कल्पना की थी। फिर हिन्दी में विज्ञान कथाएं लिखी जाने लगीं।

*निदेशक' विज्ञान वैचारिकी, अकादमी, 34, एलनगंज इलाहाबाद-211002

सुप्रसिद्ध मिश्र बंधुओं में से एक डॉ. नवल बिहारी मिश्र ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। आप पेशे से चिकित्सक थे और फुरसत के क्षणों में विज्ञान कथाएं लिखा करते थे। उस समय प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं यथा "सरस्वती", "त्रिपथगा", "विज्ञान-लोक" आदि में प्राय: आपकी विज्ञान कथाएं छपा करती थीं।

उन के दो कहानी संग्रह—"अधूरा आविष्कार", 'अदृश्य-शत्रु' (इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद) प्रकाशित हुए हैं। सन् 70 वाले दशक में इण्डियन प्रेस से ही प्रकाशित होने वाली विज्ञान पत्रिका "विज्ञान जगत" में धारावाहिक रूप से "उड़ती मोटरों का रहस्य" नामक उन का वैज्ञानिक गल्प छपा था। मुझे ज्ञात नहीं है कि यह पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हुआ या नहीं। अभी कुछ ही दिनों पूर्व डॉ. मिश्र गोलोक-वासी हुए हैं।

पुरानी पीढ़ी के विज्ञान कथाकारों में स्व. श्री कैलाश साह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने बहुत सी अच्छी वैज्ञानिक कहानियां हिन्दी जगत को दी हैं।

कैलाश साह की "असफल विश्वामित्र" (विज्ञान लोक, फरवरी, 1972, आगरा), "मशीनों का मसीहा" (साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 4 जुलाई, 1976), "प्रलय के बाद" (विज्ञान भारती, जुलाई-अगस्त, 1974, इलाहाबाद) आदि कहानियां उल्लेखनीय हैं।

कैलाश साह के प्रकाशित वैज्ञानिक उपन्यास हैं—"मकड़ी का जाल" और "अंतरिक्ष के पार" (विश्व विजय प्रकाशन, नई दिल्ली) उन्होंने बच्चों के लिए भी एक वैज्ञानिक उपन्यास लिखा है—"हरे दानवों का देश", जिसे शकुन बाल पाकेट बुक्स नई दिल्ली ने प्रकाशित किया है। कैलाश साह की इस विधा की दो और किताबें हैं—"मृत्युंजयी" (कथा संग्रह) तथा "मोआम् की यात्राएं" (उपन्यास)।

जब हम हिन्दी में विज्ञान कथाओं का आकलन करने बैठे हैं, तो हमारे जेहन में एक और महत्वपूर्ण नाम उभर कर आता है रमेश वर्मा का, जिनकी चर्चा किए बगैर यह चर्चा अधूरी रह जाएगी। रमेश वर्मा का लेखन अंतरिक्ष विज्ञान को समर्पित था। अन्तरिक्ष विषयक कई किताबें तो उन्होंने लिखी ही, कई गल्प भी हिन्दी जगत को उन्होंने भेंट किए।

वर्षों पहले श्री वर्मा ने "साप्ताहिक हिन्दुस्तान" के अंतरिक्ष विशेषांक (23 फरवरी 1969) में "अंतरिक्ष के कीड़े" शीर्षक लघु वैज्ञानिक उपन्यास लिखा था। इसके अतिरिक्त उन्होंने "सिंदूरी ग्रह की यात्रा" तथा "अंतरिक्ष स्पर्श" सरीखे वैज्ञानिक उपन्यास लिखे हैं। खेद की बात है श्री रमेश वर्मा हमारे बीच नहीं रहे। पुरानी पीढ़ी की चर्चा चल रही है तो उसमें कुछ और नामोल्लेख जरूरी हैं।

श्री गिरजाशंकर का वैज्ञानिक उपन्यास "दुष्ट-दमन" मेरे देखने में आया है, जिसे लहरी बुक डिपो वाराणसी ने छापा था। इसी तरह की दो और कहानियों की किताबें पठनीय हैं।—ये हैं श्री माया प्रसाद त्रिपाठी कृत "साढ़े सात फुट की तीन औरतें" तथा "आकाश की जोड़ी" (भारती भंडार प्रेस, इलाहाबाद)।

डॉ. यमुना दत्त वैष्णव "अशोक" बहुत पहले से इस दिशा में संलग्न हैं। इण्डियन प्रेस ने "भेड़ और मनुष्य" शीर्षक से उन का विज्ञान-कथा संग्रह छापा था। उनका एक वैज्ञानिक उपन्यास भी प्रकाशित है—"हिम सुन्दरी" (विश्व विजय प्रकाशन, नई दिल्ली)। अभी हाल ही में उनकी कहानियों का संग्रह-श्रेष्ठ वैज्ञानिक कहानियां—(ग्रंथायन, अलीगढ़) प्रकाशित हुआ है।

नई पीढ़ी

मैंने प्रारम्भ में ही कहा है कि यह क्षेत्र अभी भी अनछुआ पड़ा है। हालांकि वैज्ञानिक जानकारी को लोकप्रिय करने और जिज्ञासा को शांत करने का यह सर्वोत्तम माध्यम है, पर अभी इस दिशा में अधिक कार्य नहीं हो पाया है।

मुझे तो लगता है कि पुरानी पीढ़ी ही नई पीढ़ी के बनिस्बत अधिक जागरूक थी। इधर बड़ी मुश्किल से दो-चार नाम सामने उभर कर आते हैं, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। अत: मैं समीक्षा नहीं करने जा रहा हूं, सिर्फ अब तक की हुई प्रगति की एक सूची पेश कर रहा हूं। समीक्षा तो तब होती है, जब पर्याप्त मात्रा में काम हुआ हो।

राजेश्वर गंगवार, राममूर्ति, देवेन मेवाड़ी, प्रेमानंद चन्दोला, रमेश दत्त शर्मा, शुकदेव प्रसाद आदि की कहानियां यदा कदा निगाह से गुजरी हैं। इधर काम इतना कम हुआ है कि समीक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजेश्वर गंगवार की "शीशियों में बंद दिमाग' "पराग", दिसम्बर, 1975), "साढ़े तैंतीस वर्ष" "विज्ञान-भारती", (आइन्स्टाइन स्मृति अंक, 1979), "सप्तबाहु" ("पराग", (दिसम्बर 1984); राममूर्ति की "हरे जीवों के चंगुल में" ("पराग" दिसम्बर 1975), प्रेमानंद चन्दोला की "वनस्पति मानव" (विज्ञान प्रगति, मई 1984), रमेशदत्त शर्मा की "हंसोड़ जीन", (विज्ञान प्रगति, मार्च अप्रैल 1984), शुकदेव प्रसाद की "वसुधैव कुटुम्बकम्" ("विज्ञान", 1977), "रोबो मेरा दोस्त" ("मेला" 1979), "अंतरिक्ष के मित्र" (विज्ञान, जनवरी, 1984) आदि वैज्ञानिक कहानियां पठनीय हैं। देवेन मेवाड़ी एक वैज्ञानिक उपन्यास संक्षिप्त रूप में साप्ताहिक हिन्दुस्तान में छपा था, जिसका शीर्षक इस समय मुझे स्मरण नहीं है। श्री राम लखन सिंह ने "विज्ञान" मासिक में कई वैज्ञानिक कहानियां प्रकाशित की हैं।

कुछ और नाम

राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली से कुछ और वैज्ञानिक उपन्यास छपे हैं—"शीशे का आदमी" (कुमुद नागर) 'धनश्याम दा' (प्रेमेन्द्र मित्र), 'एक भूत और सपनों का रहस्य' (सतीश दत्त पाण्डेय)।

बालोपयोगी/वैज्ञानिक उपन्यास हैं—"अज्ञात द्वीप" (उदय सिंह), "राजा की अंतरिक्ष यात्रा" (दीप) "मंगल की सैर" (सुशील कपूर), और 'शुक्र की खोज' (सुशील कपूर)। इन पुस्तकों को विश्व-विजय प्रकाशन, नई दिल्ली ने प्रकाशित किया है।

रेलवे और रोडवेज के बुकस्टालों पर सस्ते उपन्यासों का बिकना कोई नयी बात तो नहीं, पर हैरतअंगेज वैज्ञानिक कारनामों वाली किताबें देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। इन्हें वैज्ञानिक उपन्यास कहा गया है। एक पुस्तक जो मेरे देखने में आई है, वह है—"कैदी किरणें"। इसके लेखक हैं—'विज्ञान के श्रेष्ठ उपन्यासकार डाक्टर रामन'। ईश्वर ही जानता होगा कि ये डाक्टर रमन कौन सज्जन हैं? दूसरी किताब का शीर्षक है—"सूरज की भेंट।" इसके लेखक के रूप में नाम छपा है—'विज्ञान कथा के सिद्धहस्त लेखक प्रोफेसर दिवाकर'। हम इस पचड़े में न भी पड़े कि ये प्रोफेसर दिवाकर कौन हैं, तो पाठकों के रुचि के बदलाव के लिए इनका स्वागत है। हां, इन पुस्तकों के प्रकाशक हैं—हिन्द पाकेट बुक्स, नई दिल्ली।

मेरी अपनी धारणा

इधर जो कथाएं लिखी जा रही हैं, वस्तुतः उनमें विज्ञान कथाओं जैसा तेवर मुझे नहीं नजर आया। कथा, कथा ही होती है, सिद्धान्त नहीं। वैज्ञानिक सिद्धान्त मात्र आधार होते हैं और विज्ञान कथाकारों को यह मानकर चलना चाहिए कि पाठक विज्ञान के मूलभूत सिद्धान्तों से परिचित हैं। अतः विज्ञान के मूल से हमें इंच भर इधर या उधर नहीं जाना चाहिए। कल्पना के जो भी रंग हम कथाओं में भरें, पर मूल भूत सिद्धान्तों का रंचमात्र भी विशेष नहीं होना चाहिए। और न ही कहानी का ताना बाना बुनकर विज्ञान की बातें समझाई जानी चाहिएं। विज्ञान कथाकारों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यह विज्ञान लेखन की एक सरल विधा तो हो सकती है, पर विज्ञान कथा नहीं। मैं अपनी बात पुनः दोहराता हूं कि कथा, कथा होती है, सिद्धान्त नहीं।

कुछ छिटपुट प्रयास

अभी तक कोई ठोस कार्य सामने नहीं आया है। इक्का-दुक्का प्रयास ही हुआ है। बाल पत्रिका "पराग" ने दिसम्बर 1975 में "विज्ञान कथा अंक" निकाला था, वर्ष 1984 में पुनः "पराग" ने "विज्ञान कथा अंक" प्रकाशित किया है। ये सारे प्रयास कैसे हैं, इस बारे में विचार करने की वेला अभी नहीं आयी है। अभी तो मात्र शुरुआत है, भविष्य उजला है। मुझे आशा है कि आगामी दशकों में यह विधा विज्ञान लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा होगी।

अंत में एक विनम्र निवेदन और। यहां मैंने, हिन्दी में विज्ञान कथाओं के क्षेत्र में कहां, क्या और कितना लिखा गया है, उसको इकट्ठा करने का प्रयास मात्र किया है, यदि किसी का नामोल्लेख न हुआ हो तो वह सिर्फ मेरी न जानकारी के नाते ही हुआ है। मैंने मात्र शुरुआत की है, इस क्षेत्र के सारे संदर्भ एकत्र किये जाने चाहिए, ताकि पूरी तस्वीर सामने आ सके। □

पृष्ठ 5 का शेष

(पथप्रदर्शक, जो किसी विशिष्ट पद से विभूषित न हो) योजना (स्कीम, किसी काम को करने का विचार या आयोजन), तथा परियोजना (जैसे इंजीनियरी प्रोजेक्ट प्रायोजना), परीक्षा (इम्तहान) तथा परीक्षण (टैस्टिंग, परीक्षा की क्रिया या भाव), पर्यवेक्षण (किसी बात का अवलोकन करने के उपरांत समीक्षा करना), तथा परिवीक्षा (प्रोबेशन, परख, आजमाइश) सर्वे (भूमि की नाप जोख कर उसका नक्शा बनाना), सर्वेक्षण (सर्वे, पर्यावलोकन करने के उपरांत जांच करना), निरीक्षण (इन्सपैक्शन, मुआयना), देख-रेख (सुपरवीजन), हैसियत, कार्य-क्षमता (इफीसिएंसी) तथा प्रवीणता (प्रोफीसएन्सी, निपुणता) के अर्थ-भेद को समझकर ही व्यवहार में उनका उचित प्रयोग किया जा सकता है। □

उत्तर प्रदेश की अदालती-भाषा

□किरनपाल सिंह तेवतिया*

उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रान्त देश का वह पहला राज्य था जिसने स्वतंत्रता मिलने के साथ ही हिन्दी को प्रांत की राजभाषा और देवनागरी लिपि को प्रान्त की राजकीय लिपि के रूप में संवैधानिक तौर पर स्वीकार कर लिया था। प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री बी. एन. झा ने प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार के इस निर्णय से अवगत कराते हुए लिखा —"मुझे आपको यह विदित करने का आदेश हुआ है कि संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल के पिछले अधिवेशन में स्वीकृत निम्नलिखित गैर सरकारी प्रस्ताव को सरकार ने मान लिया था—"यह काउन्सिल सिफ़ारिश करती है कि हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि को इस प्रान्त की राजभाषा तथा लिपि स्वीकार किया जाय।"[1]

निश्चय ही यह आदेश प्रदेश की सभी अदालतों में कार्य करने वाले कर्मचारियों और न्यायाधीशों के सामने भी आया। उस समय अदालतों की भाषा में एकरूपता नहीं थी। कहीं पर अंग्रेजी, कहीं पर उर्दू-फ़ारसी तो कहीं पर देवनागरी लिपि में लिखित उर्दू-फ़ारसी भाषा का प्रयोग हो रहा था जिस कारण अदालत की भाषा का सम्प्रेषण एक आदमी के लिए मुश्किल हो रहा था। दूसरे अदालत के कर्मचारी उर्दू-फ़ारसी भाषा को ही जारी रखने पर तुले हुए थे जिससे उनका आधिपत्य कायम रहे। अतः प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर अदालत के सभी कार्यों की भाषा में एकरूपता लाने के लिए प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने एक अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया जो मूलरूप में यहां दिया जा रहा है :—

"[संख्या 4686 (6)/3-170-47 तारीख 8 अक्तूबर, 1947, सामान्य शासन विभाग]" संयुक्त प्रान्त की गवर्नर उन अधिकारों के अनुसार जो उन्हें जाब्ता दीवानी 1908 (ऐक्ट 5 सन् 1908 का) की धारा 137 की उपधाराओं (1) और (2) से प्राप्त हैं, तत्सम्बन्धी अन्य पूर्व घोषणाओं को रद्द करके, यह घोषित करती है कि इलाहाबाद स्थित हाई कोर्ट आफ जुडिकेचर तथा अवध के चीफ कोर्ट के अधीनस्थ दीवानी अदालतों की भाषा हिन्दी होगी और इन अदालतों में जो आवेदन पत्र दिये जायेंगे और जो कार्रवाईयां होंगी उन्हें देवनागरी लिपि में लिखा जायगा।

प्रतिबन्ध यह है कि वर्तमान कानून और नियमों के अनुसार ऐसी भाषा या लिपि का प्रयोग, जो इस समय व्यवहार में आ रही है, करते रहने की अनुमति उन शासन आदेशों के अनुसार रहेगी जो प्रान्तीय सरकार समय-समय पर जारी करे।

बी. एन. झा, चीफ सेक्रेटरी"

यद्यपि इस आदेश के अनुसार प्रदेश के दोनों उच्च न्यायालयों तथा उनके अधीनस्थ सभी ज़िला न्यायालयों में न्याय के लिए सभी प्रकार की कार्रवाई हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होनी चाहिए थी परन्तु इसमें सरकार को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, हां निचली अदालतों में कुछ स्थानों पर देवनागरी लिपि को अपना लिया गया पर हिन्दी भाषा के नाम पर तब भी फ़ारसी-युक्त उर्दू को ही प्राथमिकता दी जाती रही। इसका मूल कारण था सरकारी आदेश में दी गई वह छूट जिसके अनुसार "हिन्दी न जानने वाले विचारपति तथा अन्य कर्मचारी, जब तक दूसरी आज्ञा न निकले तब तक, उसी तरह अदालती कार्रवाईयों को लिख सकते हैं जिस तरह वे अब तक वर्तमान कानून और नियमों के अनुसार लिखते आये हैं।"[3] इस धारा का उन कर्मचारियों ने पूरा लाभ उठाया जो हिंदी के पक्ष में नहीं थे, परिणामस्वरूप अदालतों का कार्य आज़ादी से पहले अपनाए गए ढांचे पर ही चलता रहा।

सरकार के लगातार प्रयत्नों और कर्मचारियों की पुरानी पीढ़ी के स्थान पर नई पीढ़ी आने पर आज प्रदेश की ज़िला-अदालतों से लेकर उच्च न्यायालय तक ने हिन्दी भाषा को काफी हद तक अपना लिया है, परन्तु प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों से जो अदालती सूचनाएं वादी-प्रतिवादी

*27/46, गुरुद्वारा रोड, करनपुर, देहरादून—248001

को भेजी जाती हैं, उनकी भाषा आज भी प्रायः उर्दू बहुल-फ़ारसी ही है। प्रयाग ज़िला-न्यायालय से उत्तर प्रदेश के किसानों के हितार्थ सन् 1979 में एक सूचना निकाली गई जिसे यहां उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है—

"हिदायत वास्ते काश्तकार

हर काश्तकार को लाजिम है कि तारीख लिखी हुई इश्तिहार पर हाजिर होकर अमीन से पर्चा लेवे और सब लिखाई पर्चा से देख लेवे कि दुरुस्त है या नहीं। अगर किसी बात की बाबत कुछ उज्र हो तो तारीख मिलने पर्चा के अन्दर मियाद 30 (तीस) दिन रुबरु डिप्टी हाकिम नहर खुद या बजरिये डाक पेश करे। बाद गुजरने मियाद इस्तगासा सुना न जायगा।"[4]

इस उद्धरण को पढ़ने से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश का किसान तो क्या अन्य आदमी भी इसे समझने में कठिनाई का अनुभव करेगा। आम जनता जब तक इस भाषा को किसी अन्य माध्यम से समझने का प्रयास करेगी तब तक इस सूचना से लाभ उठाने की अन्तिम तिथि निकल चुकी होगी। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के न्यायालयों से हटकर मध्य उत्तर प्रदेश के न्यायालयों की भाषा देखिए। इटावा ज़िला अदालत से जारी की गई एक अदालती सूचना को मूलरूप में ही दिया जा रहा है। इसकी भाषा पर भी ध्यान दीजिए—

"इत्तलानामा दरख्वास्त हसूल हुक्म मुशहूर मन्सूखी डिसमिसी नालिश

[आर्डर 9, कायदा 9 (2)]

मुकाम जिला व अदालत श्रीमान एम. ए. सी. ई. सी. विशेष न्यायाधीश इटावा दीवानी मुकदमा मिस्लेनियस नं. 4 नवम्बर, सन् 84 बावत सन 19— ई. मुतफरिक नंबर बावत सन् 19 ई. साकिन मुहईसायल श्रीमती सहीदा बेगम बनाम उ. प्र. सरकार वगैरा मुद्दा अलेह तरफसानी साकिन अमृतपाल सिंह पुत्र केहर सिंह नि. आदर्शनगर ए 38 फगवाड़ा जिला कपूरथला (या) बनाम निरंकारी भवन क पास सतनाम पूरा फगवाड़ा कपूरथला पंजाब।

हरगाह मुद्दई अजकरुस्वहर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशइर मंसूखी डिसमिसी नाम बुर्दा हस्व हिदायत हाजा तारीख माह सन् 19-ई. पेश की जाती है लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आज इस अदालत में तारीख 25 माह 2 सन् 1988 ई. अमानतम बजरिए वकील अदालत हाजा या बजरिए मुख्तार मजाज हस्व जाब्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर बजह (अगर कोई हो) जाहिर करे कि नाम बुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मंजूर की जाए।

मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से आज व तारीख 16.1.88 माह—सन् ई. को जारी किया गया।

हस्ता/—
जज अव्वल

कलेक्टर या मजिस्ट्रेट कलेक्टर दर्जा-दोयम

सील

गत जनवरी, 1988 को निकाली गई इस अदालती सूचना में नाममात्र को ही हिन्दी शब्दों का प्रयोग हुआ है वरना इसकी पूरी भाषा फ़ारसी मिश्रित उर्दू है। प्रदेश के केवल इन्हीं दो ज़िला-न्यायालयों में ही नहीं वरन् आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहरादून, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर आदि प्रायः सभी ज़िला न्यायालयों में अदालती-भाषा का यही रूप सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के मुजफ्फरनगर जिला-रजिस्ट्रार के न्यायालय से नवम्बर, 1987 को जारी इस सम्मन की भाषा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है—

"सम्मन विनावर इनफिसाल मुकदमा (आर्डर कायदा 1 व 5) न्यायालय श्रीमान जिला रजिस्ट्रार मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर मुकदमा रेखा जैन बनाम सतीशचन्द्र सुपुत्र श्री कुंवर दीपचन्द जैन 1 बाबर रोड, नई दिल्ली।

हरगाह रेखा जैन ने आपके नाम एक नालिश बाबत के दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है आप बतारीख के जो 22 माह 12 सन् 1987 ई. बाबत 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमे के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके, हाजिर हो और जवाबदेही दावा कि करे और उसी रोज अपने जुमला गवाहों का जिनकी सहादत पर निजी तमाम दस्तावेजों को जिन पर आप अपनी जवाबदेही की ताईद में इस्तदलाल करना चाहें पेश करे अगर बरोज मकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा और हाजिरी आपके मसमूह और फैसला होगा।

बसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 19 माह 11 सन् 1987 ई. जारी किया गया।

मुहर

ह./—
दिनेश चन्द्र दत्त भार्गव
जिला निबंधक
मुजफ्फरनगर

उपरोक्त अदालती सूचना को पढ़कर लगता है कि आज हम अपनी आजादी के 40 वर्ष बाद की नहीं वरन् आजादी मिलने से 36 वर्ष पहले गुलाम भारत में प्रचलित

अदालत की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात् पिछले 75 वर्षों में हमारी अदालती-भाषा के स्वरूप में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं आया है। सबूत के तौर प्रस्तुत है सन् 1911 में असिस्टेंट कमिश्नर लैन्सडाउन की अदालत से जारी एक सम्मन। नीचे दिए जा रहे सम्मन और ऊपर दिए गए सम्मन की भाषा और शब्दों की समानता देखने लायक है :—

"सम्मन बग़रज़ इनफ़िसाल मुक़द्दमा

(आर्डर 3 कवायद 1 व 5 मजमूआ ज़ाबिता दीवानी सन 1908 ई.)

नम्बर मुक़द्दमा दीवानी 242 सन् 1911

बअदालत असि. कमिश्नरी मुक़ाम लैन्सडौन

मुद्दई शंकरदास सोहन लाल बनिया 2/3 गोरखा छावनी लैन्सडौन मुद्दाअलेह शिबसहाय बनिया अजीतगढ़ रियासत जयपुर बनाम शिवसहाय वल्द छोटे लाल साकिन अजीतगढ़ रियासत जयपुर

वाज़ह हो कि शंकरदास सोहन लाल ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत 196 111 E 1 के दायर की है लिहाज़ा तुम को हुक्म होता है कि तुम तारीख आठ 8 जनवरी, 1911 वक्त दस बजे दिन असालतन या मार्फत वकील के जो मुक़द्दमा के हालात से क़रार वाक़ई वाकिफ़ किया गया हो और जो कुल अमूर अहममुतअल्लिक़ा मुक़द्दमा का जवाब दे सके या जिस के साथ कोई और शख्स हो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाज़िर हो और जवाबदिही दावा की करो—और हरगाह वही तारीख जो तुम्हारी हाज़िरी के लिये मुक़र्रर है वास्ते इनफ़िसाल कतई मुक़द्दमा के तजवीज़ हुई है पस तुम को लाज़िम है कि उसी रोज़ अपने जुमला गवाहों को हाजिर करो नीज़ जुमला दस्तावेज़ात जिन पर तुम बताईद अपनी जवाबदिही के इस्तदलाल करना चाहते हो उसी रोज पेश करो—

और तुमको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज़ मज़कूर तुम हाज़िर न होगे तो मुक़दमा बग़ैर हाज़िरी तुम्हारी मसमू और फ़ैसल होगा —

बसब्त मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत के आज व तारीख 6 माह अक्तूबर, सन् 1911 जारी किया गया।

मुहर

ये उद्धरण स्वयं ही यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के न्यायालयों पर आज भी ब्रिटिश काल का पूर्ण प्रभाव है और वे भी अंग्रेजी की भांति उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसे आज प्रदेश के एक प्रतिशत लोग भी नहीं समझ पाते। श्री ओंकारनाथ श्रीवास्तव ने अंग्रेजी सरकार की भाषा नीति की आलोचना करते हुए लिखा था कि अंग्रेजों ने "कचहरी अदालत और पुलिस में वह जबान चलाई कि किसान कभी समझ ही न सके और उसे ठगने और लूटने में उन्हें आसानी हो।"[8]

क्या इन सब उदाहरणों से यह सिद्ध नहीं होता कि उत्तर प्रदेश की अदालतें जनता की समझ में न आने वाली भाषा का प्रयोग करके एक तरफ़ तो प्रदेश की आम जनता के साथ अन्याय कर रही हैं और दूसरी तरफ़ केन्द्र तथा राज्य सरकार की राजभाषा-नीति का मज़ाक उड़ा रही हैं? जिस भाषा को आज स्वयं अदालत के कर्मचारी भी सही ढंग से समझ पाने में असमर्थ हैं उस भाषा को गरीब जनता के ऊपर क्यों ज़बरन थोपा जा रहा है? क्या यही स्वतंत्र देश की भाषा है?

उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए सभी हिन्दी-भाषी प्रदेशों, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की अदालतों की भाषा हिन्दी है। इन प्रदेशों के न्यायालयों से जो अदालती सूचनाएं निकाली जाती हैं उनकी भाषा सरल और व्यावहारिक हिन्दी होती है जिसे कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी आसानी से समझ लेता है। यूं तो इन सभी प्रदेशों के न्यायालयों से जारी अदालती-सूचनाएं आये दिन किसी न किसी समाचारपत्र में छपती रहती हैं और लेखक के पास भी इनकी कतरनें उपलब्ध हैं परन्तु इन सभी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना यहां सम्भव नहीं है। अतः एक उदाहरण देना ही यहां अधिक उपयुक्त होगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला से जारी की गई यह अदालती सूचना लेखक के मतानुसार सबसे सरल स्पष्ट और व्यावहारिक है। आप भी देखिए—

"हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला—171001

मुकद्मा नं. एफ.ए.ओ. 241 आफ 1983

दी ओरियेंटल फायर एंड जनरल इंशोरेंस कंपनीवादी

बनाम

श्रीमती विद्या देवी व अन्य प्रतिवादी

उद्घोषणा अधीन आदेश 5 नियम 20, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908।

नोटिस बनाम :

1. श्रीमती तिलकेश मैथानी पुत्री श्री भीमा नंद शर्मा, निवासी 29, मानसिंहवाला (कर्णपुर) जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) ···(प्रतिवादी नं. 6)

2. श्रीमती प्रेमलता मुमगैन पुत्री श्री भीमा नंद शर्मा, निवासी 29, मानसिंहवाला (कर्णपुरा) जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) ···(प्रतिवादी नं. 7)

3. श्रीमती भुवनेश्वरी डोन्डयाल पुत्री श्री भीमा नन्द शर्मा, निवासी 482, मॉडल टाउन, युमना नगर, (हरियाणा)। (प्रतिवादी नं. 8)

इस न्यायालय को पूरा यकीन हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण पर साधारण ढंग से नोटिस की तामील नहीं हो सकती। अतः इस विज्ञापन द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप स्वयं या अपने किसी यथावत् अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा 23 मई, 1988 प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होवें अन्यथा आपके विरुद्ध "एक पक्षीय" कार्यवाही की जावेगी।

मेरे हस्ताक्षर तथा इस न्यायालय की मोहर से आज दिनांक प्रथम अप्रैल, 1988 को जारी हुआ।

हस्ता/--
(मनीश कुमार)
अधीक्षक (न्यायिक)
हिप्र, उच्च न्यायालय
शिमला।

यदि हिमाचल प्रदेश अथवा अन्य हिन्दी भाषी प्रदेशों के न्यायालयों की भांति उत्तर प्रदेश के न्यायालय भी सरल और व्यावहारिक हिन्दी का प्रयोग करने लगें तो प्रदेश के लोगों को न्याय मिलने में अधिक आसानी होगी और फिर हर आदमी अदालत की भाषा को समझ सकेगा और अपनी बात अदालत को आसानी से समझा सकेगा।

प्रश्न यह नहीं है कि भाषा का स्वरूप क्या हो? वस्तुतः भाषा कोई भी हो, उसमें संप्रेषणीयता अति आवश्यक है। आज की अदालती भाषा में संप्रेषणीयता का सर्वथा अभाव है। अदालत की भाषा सदियों पुरानी फ़ारसीयुक्त-उर्दू है जो आज आम व्यक्ति के व्यवहार के परे की भाषा है। अदालत से जो भी सम्मन या अदालती-सूचनाएं सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए निकाली जाती हैं उनकी भाषा उन व्यक्तियों की समझ में नहीं आती। अदालती-भाषा केवल रूढ़ शब्दों पर आधारित होती है जिनके अर्थ निश्चित होते हैं और जो न्याय के क्षेत्र में प्रायः एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। अदालत चाहे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले की हो अथवा बिहार के भागलपुर ज़िले की, परन्तु कानून के शिकंजे में जकड़ा हुआ व्यक्ति न्यायालय से यह अपेक्षा करता है कि उसके विषय में जो भी कार्रवाई हो वह एक ऐसी आम भाषा में हो जिसे वह आसानी से समझ सके पर दुर्भाग्य से उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती।

ऊपर दिए गए इन उदाहरणों से एक बात निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाती है कि आज की अदालती-भाषा को जहां एक तरफ हिन्दी पढ़ा-लिखा व्यक्ति समझ नहीं पाता वहीं दूसरी तरफ उर्दू-पढ़ा-लिखा व्यक्ति उसे ठीक से पढ़ने में असमर्थ है। जब जनता का एक बहुत बड़ा समुदाय इस भाषा को समझ नहीं पाता और दूसरा समुदाय उसे पढ़ नहीं पाता तो फिर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जारी रखना कहां तक न्यायसंगत है? आखिर इससे अदालत का कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रदेश को सदियों से हिन्दी का केन्द्र बिन्दु माना जाता रहा है उसी प्रदेश में हिन्दी को अदालती-भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिल पा रही है जबकि संप्रेषण की दृष्टि से यहां व्यावहरिक हिन्दी को अदालती-भाषा बनाया जाना अति आवश्यक है।

---

1. परिपत्र संख्या-4683/3-170-47, दिनांक 8 अक्तूबर, 1947, हिन्दी निर्देशिका, अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री (लखनऊ) उत्तर प्रदेश द्वारा मुद्रित 1955, पृ. 39।
2. हिन्दी निर्देशिका, अधी. मु. तथा ले. सा. (लख.) उ. प्र. द्वारा मुद्रित, 1955, पृ. 43।
3. हिन्दी निर्देशिका, अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री (लखनऊ) उत्तर प्रदेश द्वारा मुद्रित, 1955, पृ. 41।
4. विनोद कुमार मिश्र--जिला न्यायालय और हिन्दी (लेख), **राष्ट्रभाषा संदेश** हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, भाग 19, अंक 17, 15 मार्च, 1984।
5. अदालती सूचना; जनसत्ता, 30 जनवरी, 1988 पृ. 4।
6. हिन्दुस्तान--26 नवम्बर, 1987।
7. गढ़वाली मासिक पत्र--संपा. तथा प्रका., पं. गिरिजादत्त नैथाणी, भाग 7, जून, 1911 अंक 2।
8. ओंकारनाथ श्रीवास्तव--हिन्दी साहित्य : परिवर्तन के सौ वर्ष, पृ. 139।
9. अदालती सूचना--जनसत्ता, 22 अप्रैल, 1988।

एम० एससी (कृषि) की पढ़ाई और हिंदी

□जगन्नाथ*

कृषि मंत्रालय का यह सौभाग्य रहा है कि आजादी के प्रारम्भ से ही उसे समय-समय पर ऐसे मंत्री मिलते रहे है जो किसानों के शुभचिन्तक थे और इसी लिए जनता तक कृषि में अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों को उन्हीं की भाषा में पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। ऐसे मंत्रियों में डा. राजेन्द्र प्रसाद, रफी अहमद किदवई, श्री जगजीवन राम, श्री फखरूद्दीन अली अहमद, राव वीरेन्द्र सिह और श्री भजन लाल के नाम श्रद्धा से लिए जा सकते हैं। ऐसे प्रयत्न भी हुए कि कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी भी किया जाए। कुछ वर्ष पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने "अनुसंधानशाला से भूमि तक" (लेबोरेटरी टू लैण्ड) तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के कार्यक्रम भी बनाए। कुछ अंश तक यह कार्यक्रम सफल भी हुए। किन्तु आशानुकूल सफलता इसी लिए नहीं मिल सकी कि कृषि विश्वविद्यालयों से हिन्दी माध्यम से स्नातक स्तर तक पढ़ कर जो विद्यार्थी निकले उन्हें केन्द्रीय सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी एकमात्र माध्यम होने के कारण नौकरियां नहीं मिल सकी। इसी कारण बाद के विद्यार्थियों में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई करने की रूचि नहीं रही और वे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने लगे। यही कारण है कि कृषि संबंधी अनुसंधान प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रहा। कृषि विज्ञान केन्द्र में भी अंग्रेजीदां अधिकारियों और वैज्ञानिकों का वर्चस्व हो गया। अतः इन दोनों कार्यक्रमों के उद्देश्य पूरे नहीं हो सके। सम्भवतः इस बात को लक्ष्य में रख कर मार्च, 1989 में नई दिल्ली में कृषि मेले का उद्घाटन करते हुए माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को अपने भाषण में इस बात को दोहराना पड़ा कि कृषि संबंधी अनुसंधान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहने चाहिएं अपितु वे किसानों तक पहुंचने चाहिएं जिससे कि कृषि शिक्षा और अनुसंधान का उद्देश्य पूर्ण हो सके। स्वाभाविक है कि यदि छात्रों को स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा हिन्दी माध्यम से दी जाए तो वे अपने आगामी जीवन में अनुसंधान संबंधी अपनी रिपोर्टों आदि हिन्दी में आसानी से दे सकेंगे और परीक्षणों को किसानों तक उन्हीं की भाषा में पहुंचा सकेंगे। पहले हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में जो यह कठिनाई थी कि हिन्दी माध्यम से शिक्षित छात्रों की भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की कृषि अनुसंधान सेवा में नियुक्ति नहीं हो सकती थी क्योंकि तब सेवा में प्रतियोगितात्मक परीक्षा का एकमात्र माध्यम केवल अंग्रेजी था, अब वह कठिनाई नहीं रही। पिछले कुछ वर्षों से इस चयन प्रतियोगिता का माध्यम वैकल्पिक रूप से हिन्दी भी हो चुका है और अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़कर आए हुए कुछ विद्यार्थियों ने हिन्दी माध्यम का विकल्प चुना है।

*ए-26 रोहित कुंज, डाकघर---रानी बाग, दिल्ली-110034

जुनियर फैलोशिप परीक्षा में भी हिन्दी हुई

जहां कृषि अनुसंधान सेवा में नियुक्ति हेतु ली जाने वाली प्रतियोगिता संबंधी सभी प्रश्न पत्रों में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की सुविधा दी गई है, साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आगामी पढ़ाई जारी रखने के लिए दी जाने वाली कनिष्ठ अध्येता वृत्ति (जूनियर फैलोशिप) की प्रतियोगितात्मक परीक्षा में भी प्रश्न पत्रों में उत्तर हिन्दी में दिए जाने का विकल्प दे दिया है। इस प्रकार शिक्षण, प्रशिक्षण और नौकरी में हिन्दी के विकल्प की सुविधा हो जाने से आपस में तालमेल बैठ गया है। यदि स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई में भी हिन्दी का विकल्प हो जाए तो यह तालमेल पूरी तरह से पूरा हो सकेगा।

पाठ्य पुस्तकों का प्रश्न

एक तर्क यह दिया जाता है कि यदि उच्चतम स्तर तक कृषि की शिक्षा का माध्यम हिन्दी कर भी दिया जाए तो उच्च स्तर की पाठ्य पुस्तकें प्राप्त नहीं हैं। इसके उत्तर में मुख्य बात तो यह है कि जब पुस्तकों की मांग होगी तो लेखक और प्रकाशन ऐसी पुस्तकों को लिखने और प्रकाशित करने के लिए स्वतः आगे आ जाएंगे। इस अर्थ युग में बिना मांग के कोई न तो श्रम करना चाहता है और न पूंजी लगाना चाहता है। अतः अध्यापक शुरूआत के रूप में हिन्दी माध्यम से पढ़ाने के लिए अपने पाठ तैयार करके उन्हें साइक्लोस्टाइल करा सकते हैं और विद्यार्थियों को दे सकते हैं। बाद में यही पाठ पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए आधार सामग्री का काम देंगे। जब मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप निदेशक के रूप में कृषि विश्वविद्यालयों का कार्य देख

रहा था तब भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें लिखवाने और छपवाए जाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान देने की एक योजना पर विचार हो रहा था। यदि यह योजना बन गई है तो उसका व्यापक प्रचार किए जाने और उसे अधिक उदार बनाए जाने की आवश्यकता है। यदि नहीं बनी है तो उसे बनवाया जाए।

ऐसी बात भी नहीं है कि हिन्दी में कृषि संबंधी उत्तम कोटि की पुस्तकों का नितान्त अभाव है। पिछले कई वर्षों से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा डा. राजेन्द्र प्रसाद पुरस्कार के नाम से हिन्दी में मौलिक रूप से लिखी गई कृषि संबंधी पुस्तकों पर हजारों रुपए के पुरस्कार दिए जा रहे हैं और अब हिन्दी में पर्याप्त उच्च कोटि का कृषि संबंधी साहित्य लिखा और प्रकाशित किया जा चुका है। इस विषय में काफी अधिक साहित्य कृषि विश्वविद्यालयों, हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा निजी प्रकाशकों ने भी प्रकाशित कर दिया है। यदि स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो जाएगा तो रहा-सहा साहित्य भी हिन्दी में लिखा और प्रकाशित किया जाने लगेगा।

हिन्दी माध्यम से पढ़ाने वाले अध्यापकों की व्यवस्था

प्रश्न उठाया जाता है कि यदि उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी कर भी दिया जाए तो हिन्दी में पढ़ा सकने वाले अध्यापक कहां से आएंगे। परन्तु इस प्रश्न का समाधान भी उतना कठिन नहीं है जितनी कल्पना की जाती है। अभी भी अनेक सक्षम प्राध्यापक ऐसे हैं जो हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दे सकते हैं। शुरूआत में अध्यापकों को अंग्रेजी में तकनीकी शब्दों का प्रयोग करने और विद्यार्थियों को परीक्षाओं में मिली-जुली शब्दावली का प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। हिन्दी में प्रशिक्षण देने को प्रोत्साहन हेतु ऐसे शिक्षकों को विशेष भत्ता दिया जा सकता है। जिन अध्यापकों को हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त न हो उन्हें हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण दिलाया जाए और आगामी भर्ती में ऐसे प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए जो अंग्रेजी तथा हिन्दी में यथा आवश्यकता पढ़ा सकें। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए हिन्दी में लघुकालीन गहन पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था की जाए।

एक तर्क यह भी दिया जाता है कि कृषि विश्वविद्या[illegible] और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अपने संस्थान राष्ट्रीय स्तर के हैं और उनमें भारत के सभी राज्यों के तथा विदेशों के विद्यार्थी भी पढ़ने आते हैं। उन्हें हिन्दी माध्यम से शिक्षा देना व्यावहारिक नहीं है। इसके लिए सभी कृषि विश्वविद्यालयों में और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में विद्यार्थियों के दो बैच बनाए जा सकते हैं। एक बैच को हिन्दी माध्यम से शिक्षा दी जाए और दूसरे बैच को अंग्रेजी माध्यम से तथा अंत में दोनों भाषाओं में परीक्षा लेने की व्यवस्था की जाए। विद्यार्थियों की मांग के अनुसार ही शिक्षा सामग्री हिन्दी अथवा अंग्रेजी में उन्हें दी जाए। ऐसे कृषि विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में जहां प्रायः हिन्दी भाषी क्षेत्रों के और गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कश्मीर, सिक्किम आदि क्षेत्रों के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनमें सामान्यतः केवल हिन्दी माध्यम से ही शिक्षा दी जाए। समय-समय पर ऐसे बाहर के विद्वानों को भी कक्षाओं में भाषण के लिए बुलाया जाए जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हों ताकि विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार हिन्दी या अंग्रेजी में प्रश्न पूछ सकें।

भारत सरकार की 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भी उच्च स्तर तक शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अप्रैल, 1988 के अपने आदेशों में विश्वविद्यालयों को तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों को भी हिन्दी माध्यम से पढ़ाए जाने की व्यवस्था करने को कहा है। जो स्थान सामान्य विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का है वही स्थान कृषि विश्वविद्यालयों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का है। अतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इस विषय में अपनी सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। कृषि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों का भी यह कर्त्तव्य है कि इस विषय को समिति में उठाएं जिससे कि प्रधान मंत्री जी के उपर्युक्त संदर्भित उदबोधन को कार्यान्वित किया जा सके।

☐

समय-प्रबन्धन-विश्लेषण

(अंग्रेजी मूल लेख रवीन्द्र नाथ झा)

अनुवाद–वे. शेषन्*

वर्तमान में समय प्रबन्धन हमारे देश के प्रबुद्ध व्यक्तियों में महत्व पाता जा रहा है। समय के महत्त्व और मूल्य ने पश्चिमी देशों में औद्योगिकीकरण के साथ-साथ उचित मान्यता प्राप्त कर ली थी परन्तु भारत औद्योगिक क्षेत्र में उसके महत्त्व और क्षमता के बारे में हाल ही में विचार हुआ है। इस उदासीनता का कारण भारत का क्षेत्रीय वातावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सदियों से लिप्त रहना हो सकता है। इससे भी ज्यादा है हम भारतीय लोगों की धार्मिक भावना। शाश्वत सत्ता की भावना से अभिप्रेत तथा पारलौकिकता की तरफ उन्मुख भारतीय संस्कृति ने समय को वास्तविकता न मानकर एक मायावी प्रतीति माना है। इस प्रवृत्ति से "भारतीय समय" की धारणा पनपी जो समयनिष्ठा में पूर्ण विश्वास के अभाव का द्योतक है। एक शब्द का जन्म हुआ है – "समयनिष्ठा"। भारतीय लोगों को शान्त और सुस्त माना जाता है।

यह शुभ लक्षण है कि भारत में औद्योगिकीकरण हो जाने के समय को संसाधन के रूप में पहचाना गया है जिससे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के जरिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। यह शाश्वत सत्य है कि हम एक समय ढांचे में जी रहे हैं और चल रहे हैं। समय का ढांचा सार्वभौमिक और सार्वजनिक है। समय एक अमूल्य संसाधन है जिसकी हमें क्षति नहीं करनी चाहिए। हर क्षण का हमें फलदायक और अर्थपूर्ण कार्य में उपयोग करना चाहिए। प्रसिद्ध समय प्रबन्धन सलाहकार ऐलेन लकैन ने कहा है "समय जीवन है"। यह अनुकरणीय व न बदले जाने वाला है। समय की क्षति करना जीवन की क्षति करने के बराबर है। समय पर अधिकार जीवन पर अधिकार करने के समान है। अधिकार करके ही अधिकांश फायदा उठाया जा सकता है।"

लाभदायक एवं मूल्यवान जीवन का रहस्य है समय का कुशलतापूर्वक और प्रभावी उपयोग। मयस प्रबन्धन का यह अर्थ नहीं है कि घड़ी पर निरंतर नजर रखें और आदमी "टाइम-नट" कहलाए। समय प्रबन्धन का उनके लिए कोई महत्त्व नहीं है जो इतने व्यस्त रहते हैं कि समय का सही लाभ नहीं उठा पाते और उन लोगों के लिए भी नहीं जो हमेशा अपनी कार्यसूची बनाते रहते है और समय पर मोहित रहते हैं जिससे अन्त में समय की क्षति दीखती है। समय प्रबन्धन एक विवेकी सम्मिश्रण है जिसमें समय-नियंत्रण, समय योजना और समय पर कार्य करने की व्यवस्था शामिल है।

समय-नियंत्रण का आरंभ लक्ष्य निर्धारित करने से होता है और उन लक्ष्यों को महत्व के आधार पर प्राथमिकता देनी होती है। इसके बाद समय योजना प्रारंभ होती है जिससे भविष्य को नजर में रखते हुए वर्तमान में कार्यक्रम बनाया जाता है। समय प्रबन्धन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग ठीक समय पर कार्य करना है जो समय योजना को साकार बनाता है।

उत्पादन के संसाधन रूप में समय का प्रमुख अंश यह है कि वह निरंतर है और बगैर गतिरोध के न कोई सत्ता या अधिकार उस पर बाधा डाल सकता है। जो समय की क्षति करते हैं वे अपनी महानता और गौरव खो बैठते हैं। मानव यंत्र सामग्री धन प्रबंधन जैसे संसाधन समय की जगह नहीं ले सकते और न उसका विकल्प हो सकते हैं। समय का प्रवाह निरंतर होता रहता है जिसका हर क्षण हमें उचित उपयोग करने की याद दिलाता है।

आइंस्टाइन ने कहा "समय सापेक्षिक विचार है जो हर चीज का चौथा आयाम है।" अब प्रश्न उठता है कि समय के बदलते प्रवाह में उसकी कैसे माप की जाए। हम घटनाओं को समय के हिसाब और संतुलन से मापते हैं और इसी माप को वास्तविकता मानते हैं जिससे समय एक सच्चाई साबित होता है न कि माया। न केवल अर्थव्यवस्था उपलब्धि बल्कि कोई भी सफलता और असफलता चाहे किसी भी प्रकार की हो उसकी समय से तुलना करते हैं।

*उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन), इंजीनियर्स इंडिया लि., 1, भीकाएजी कामाप्लेस, नई दिल्ली–110066

चार्ल्स कैथरीन ने अपने समय का भविष्य निरूपण निम्न वाक्य में किया है –

"मेरी भविष्य पर दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि मैं अपना शेष जीवन उसी में बिताऊंगा।"

समय प्रबन्धन हमें याद दिलाता है कि हम उसका वर्तमान एवं भविष्य में कैसे प्रबंध कर सकते हैं। समय योजना और समय प्रतिष्ठा किसी भी सफल प्रयत्न के लिए अनिवार्य होते हैं। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कठोर प्रयत्न व एकाग्रता से समाधान नहीं किया जा सकता है। इस प्रयत्न और एकाग्रता के लिए समय का सफल प्रयोग करना चाहिए क्योंकि समय हमें निःशुल्क एवं अनपेक्षित मिला है। सौ मील की यात्रा एक कदम से आरम्भ होती है बशर्ते कि वह कदम सही समय और सही दिशा में उठाया गया हो।

समय संसाधन के रूप में सृष्टि का अमूल्य उपहार है और इसकी विशेषता है कि निरंतर समय के लिए हमें कष्ट नहीं उठाना पड़ता और न ही उसकी उपेक्षा की जा सकती है। यह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जिस चीज के लिए प्रयत्न, शक्ति और कीमत की आवश्यकता नहीं होती उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रवृत्ति को हमें रोकना है ताकि इस अमूल्य संसाधन की हमारी सृष्टि से हमारी लापरवाही और सुस्ती से क्षति न हो।

ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा समय के अभाव के बारे में शिकायत करते रहते हैं जिससे उन्हें अपने जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। यह झूठा बहाना है क्योंकि समय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अगर हम उसके साथ रहने चलने और सही उपयोग की पद्धति जानते हैं। हेनरी फोर्ड का कहना बहुत ही सटीक है कि "व्यस्त व्यक्ति के पास हर चीज के लिए समय है।" व्यस्त व्यक्ति अपने समय के हर क्षण की उचित योजना बनाता है जबकि सुस्त आदमी या आलसी अधिकारी व प्रबंधक समय अभाव के बारे में शिकायत करता रहता है और समय को दोषी ठहराता है। हमें समय के यथोचित उपयोग में सक्षम और दक्ष होना चाहिए ताकि इस अमूल्य संसाधन का सार हम समझ सकें।

समय का सुनियोजित प्रयोग करने की दृष्टि से इसे चार प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं :

1. आत्म विकास समय
2. प्राकृतिक आवश्यकताओं के लिए समय
3. सामाजिक कार्यों के लिए समय
4. प्रबंधन या व्यवसाय समय

उपर्युक्त कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार और कार्य की उपयोगिता के अनुसार उचित समय देना या समय का विभाजन करना चाहिए।

ईश्वर ने सृष्टि बनाते वक्त समय को दो भागों में बांटा– दिन और रात। दिन का समय श्रम व कार्यों के लिए और रात का समय विश्राम व मनोरंजन के लिए निर्धारित किया।

इसका मतलब यह है कि ईश्वर हम से समय का अभिप्रेत कार्यों के लिए विवेकपूर्ण उपयोग चाहता है। परन्तु यह असंभव है कि एक समय का सभी के लिए एक जैसा आदर्श विभाजन हो। फिर भी हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकतानुसार समय का विभाजन करके उसका अनुसरण करना चाहिए।

आत्म-विकास समय–– अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए समय लगाना और विकास कार्यों के लिए जैसे पढ़ाई, सोच-विचार और चिंतन के लिए समय निर्धारित करना, क्योंकि समाज के प्रति हमारा सहयोग हमारे आत्म-विकास पर निर्भर है जिसे हम स्वयं अपने प्रयासों और आत्मानुशासन से प्राप्त कर सकते हैं।

प्राकृतिक आवश्यकताओं के लिए समय––यह वह समय है जिसे हम निद्रा, खाने, प्राकृतिक क्रियाएं, मनोरंजन और व्यायाम में बिताते हैं। अच्छी तंदरुस्ती के बिना जीवन में सफल होना असंभव है, अतः प्राकृतिक क्रियाओं के लिए समय देना चाहिए।

सामाजिक कार्यों के लिए समय––जो समाज और परिवार के साथ बिताते हैं। हर व्यक्ति का न केवल खुद के प्रति दायित्व है बल्कि अपने परिवार, समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है। अगर समाजिक कार्यों के लिए समय का सुनियोजन करते हैं तो सामाजिक गौरव बढ़ता है और अन्य कार्यकलापों के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। संबंधियों और मित्रों के यहां जाना, शादी और धार्मिक कार्यों में भाग लेना यह सब समझबूझ के साथ करना चाहिए। रोज कुछ समय परिवार के लिए अवश्य देना चाहिए ताकि मजबूत और सुखद पारिवारिक जीवन व्यावसायिक जीवन की सफलता का आधार बन सके।

प्रबंधन या व्यवसाय समय––व्यावसायिक या कार्यालयीन समय का ठीक हिसाब रखना चाहिए क्योंकि व्यावसायिक जीवन व्यावसायिक क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा बनाए रखता है और हमें तरक्की भी दिलाता है। इसके लिए हमें न केवल समय का दक्षता के साथ उपयोग करना चाहिए बल्कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के समय का दक्षतापूर्वक उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि आपके दल को जो काम सौंपा गया है वह सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। दफ्तरों में हमारा समय पत्राचार करने, आगंतुकों से मिलने, टेलीफोन पर बात करने, भेंट करने, बैठकों का आयोजन करने और भाग लेने, सम्मेलन और संगोष्ठियों में, यात्राओं में, खबर लेने और देने में बीतता है। इन सब कार्यों के लिए उचित समय आवश्यकतानुसार देना चाहिए।

अंत में, यह कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिक प्रगति ने मानव समय चेतना और संस्कृति पर कई तरह से प्रभाव डाला है और मानव इस परिवर्तन के साथ अभ्यस्त हुआ है। स्टीरियो से दशाब्दी पहले की ध्वनि को सुना जा सकता है।

(शेष पृष्ठ **18** पर)

भारतीय परमाणु बिजलीघरों में सुरक्षा

□दिलीप भाटिया*

राजस्थान परमाणु बिजलीघर ने देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में चौथा स्थान प्राप्त करके न सिर्फ नया कीर्तिमान स्थापित किया है परन्तु अपनी क्षमता को प्रमाणित भी कर दिखाया है। इस बिजलीघर की दूसरी इकाई से सन् 1988-89 के कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं :—

क्षमता घटक (कैपेसिटी फैक्टर)	86%
उपलब्धता घटक (एवेलेबिलिटी फैक्टर)	94% (365 दिनों में 343 दिन कार्यरत)
लक्ष्य उत्पादन (टारगेट जनरेशन)	1281 मिलियन यूनिट्स
प्राप्त उत्पादन (जेनेरेशन एचीवड)	1653 मिलियन यूनिट्स
निरन्तर उत्पादन (अनवरत)	145 दिन
विश्व में 430 बिजलीघरों में स्थान	चौथा सर्वोत्तम

अनवरत व अधिकतम उत्पादन हमारा लक्ष्य है पर हमेशा सुरक्षा को ध्यान में रखकर। हमारे सुरक्षा मापदंड उच्च कोटि के हैं। हाल में ही हमने वार्षिक रख-रखाव शटडाउन को भी कम करने में आशातीत सफलता प्राप्त की है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के इतिहास में 1989 का शटडाउन सबसे कम अवधि 35 दिन का रहा।

अमेरिका की थ्री माइल दुर्घटना और सोवियत संघ की चेरनोबिल दुर्घटना ने हम पर एक प्रश्न चिह्न लगा दिया है कि हमारे देश के परमाणु बिजलीघर कितने सुरक्षित हैं इनमें दुर्घटना होने की क्या संभावनाएं हैं ? जनता को यह प्रश्न पूछने का अधिकार है। भारत सरकार द्वारा स्थापित मानक बोर्ड व विशेषज्ञों की कमेटियों को भी यह पूर्ण अधिकार है कि वह हमारे सुरक्षा प्रावधानों का अवलोकन करे तथा यह देखें कि सभी संभावनाओं को दूर करके बिजलीघर की अधिक सक्षम ही नहीं परन्तु अधिकतम सुरक्षित भी कर दिया गया है।

सही तकनीकी तथ्यों को आपके सामने लाने का यह प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप स्वयं ही सुरक्षा प्रावधानों का मूल्यांकन कर सकें व स्वयं आश्वासित हो सकें।

सुरक्षा सर्वोपरि है। विद्युत् उत्पादन हमारा लक्ष्य है। जल साधारण की सुरक्षा, बिजलीघर में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा और उपकरणों की सुरक्षा हमारे मूल लक्ष्य हैं, जिन्हें हम डिजाइन, स्थापना व संचालन की हर गतिविधि में पूरी लगन से अनुसरण करते हैं।

संचालन में लिखित दिशा-निर्देश हैं व तकनीकी मापदंड निर्धारित है। इन सभी का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन किया जाता है। किसी भी उपकरण में कोई भी खराबी आने पर उसे तत्काल ठीक किया जाता है। अगर वह उपकरण ऐसे स्थान पर है वहां पर विद्युत् गृह संचालन के समय प्रवेश निषिद्ध है या उपकरण को निकालने से विद्युत् उत्पादन पर व्यवधान आने की संभावना है, तो इस स्थिति या बिजलीघर में स्थापित संचालन अवलोकन कमेटी इसका विस्तार से अवलोकन करती है व सभी सुरक्षा प्रावधानों को ध्यान में रखकर विचार-विमर्श करके उचित दिशा-निर्देश देती है। सुरक्षा उपकरणों के लिए विकल्प है, इसलिये दूसरा उपकरण चलाने के बाद ही ऐसे उपकरणों को रख-रखाव के लिए निकाला जाता है। किसी भी तकनीकी मापदंड का पालन न हो पा रहा हो, तो उचित स्तरीय अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त की जाती है व यह अनुमति एक निश्चित समय के लिए ही होती है प्रथम संभव समय पर इसे ठीक करके संयंत्र को दोषमुक्त कर दिया जाता है। अधिक उपयोगी, अनवरत उत्पादन और अधिक सुरक्षा के लिए कार्य प्रणाली व संयंत्र में उचित परिवर्तन भी किए जाते हैं। सभी घटनाओं का बारीकी से अवलोकन किया जाता है व कार्यकलापों में आवश्यक हो तो परिवर्तन किया जाता है। मानवीय भूलों के लिए दोषी व्यक्तियों को उचित दंड भी दिए जाते हैं।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और मुख्य कार्यालय बम्बई में स्थापित सुरक्षा अनुपालन कमेटियां सभी कार्य-कलापों व घटनाओं का पुनरावलोकन करती हैं। उनमें निश्चित निरीक्षण कार्यक्रम होते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय निर्धारित मापदंड होते हैं। संयंत्र चलाने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं व प्रशिक्षित कर्मचारियों को ही बिजलीघर चलाने व रख-रखाव के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान है। तीन वर्ष बाद पुनर्मूल्यांकन करके इन लाइसेंसों को नवीनीकरण

*टाइप-4/6-सी, अणुकिरण कालोनी, भाभानगर, (कोटा)-323307

करने का भी प्रावधान है। निश्चित रूपरेखा व नियमों के अन्तर्गत ही परिवर्तन किए जाते हैं व इन्हें समय-समय पर निरीक्षण करके इनकी क्षमता व उपयोगिता का भी मूल्यांकन किया जाता है।

हमारा प्रमुख लक्ष्य अधिकतम बिजली उत्पादन करना है ताकि हमारा संस्थान नए कीर्तिमान स्थापित करे व अधिक से अधिक लाभ कमाए। परन्तु इस लक्ष्य के लिए मानवीय सुरक्षा सर्वोपरि है। जन हानि की कीमत पर उत्पादन नहीं किया जाता है। लक्ष्य पूरा किया जाता है। सुरक्षा में मापदंड प्रथम है। कार्य व्यवधान नहीं होने दिया जाता है, हां, यह अवश्य देखा जाता है कि आज जो कमियां हैं, अगली बार वे कमियां नहीं हों व कार्य अनुरक्षण व संचालन दोषरहित व सुरक्षापूर्ण हो।

जीवन बहुमूल्य है। जन हानि को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। परमाणु बिजलीघर की सुरक्षा के लिए डिजाइन में कई प्रावधान हैं। अनवरत निर्देश पालन व कार्यकलाप निरीक्षण किया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे तौर तरीके, आपातकालीन कार्यक्रम और समर्पित कार्य भावना पूर्ण सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण है। चेरनोबिल व अमेरिका की दुर्घटनाएं प्रावधानों का पालन न करने के कारण व मानवीय भूलों से हुई है। हमने अपने कार्यकलापों का अवलोकन करके इनमें आवश्यक परिवर्तन भी किए हैं व सुरक्षा प्रावधान अधिक कड़े किए हैं।

सुरक्षा के लिए चेतना बढ़ी है। मानवीय भूल संयंत्र को बंद कर देगी, जिससे नाभिकीय प्रक्रिया स्वतः ही रूक जाएगी व संयंत्र अधिक सुरक्षित हो जाएगा। इससे आर्थिक हानि मात्र ही होगी, कोई भी दुर्घटना होने की संभावना नहीं है।

चेरनोबिल संयंत्र का डिजाइन हमारे संयंत्रों से भिन्न है। चेरनोबिल में उच्च तापमान 700 डिग्री सैल्सियस का ग्रेफाइट मंदक के रूप में काम में आता है जबकि हमारे यहां कम तापमान का भारी पानी मंदक के रूप में काम में आता है। हमारे यहां दो संशोधन प्रावधान हैं व द्रुतगामी स्वचालित शटडाउन प्रणाली है। थ्री माइल दुर्घटना में कोई जन हानि नहीं हुई है। चेरनोबिल में 32 जानें गई, पर आम जनता का एक भी व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ। अधिकतर मौतें गर्मी व आग फैलने के कारण हुई। अभी तक 5000 वर्ष संचालन हो गए हैं, विश्व में 430 परमाणु बिजलीघरों को चलते हुए आज तक इस प्रणाली के बिजलीघरों द्वारा एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है।

दुर्घटना कहां नहीं होती? सड़क, ट्रेन वायुयान की दुर्घटनाएं, सूखा, बाढ़, कल-कारखाने, डैम सभी तो दुर्घटना से रहित नहीं हैं। मोरवी (भारत) के डैम दुर्घटना में 5000 जाने गई, 1000 जानें उड़ीसा में 1980 में गई, 120 जानें कर्नाटक में, 1981 में। यूनियन कार्बाइड, भोपाल की दुर्घटना में 1984 में 2500 व्यक्ति मारे गए।

इंजीनियर यह विश्वास रखता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। हम शून्य दुर्घटना व शतप्रतिशत सुरक्षा को नहीं पा सकते। हमने आपातकालीन योजनाएं बनाई हैं, आन साइट व आफ साइट। आफ साइट आपातकालीन स्थिति में लोक प्राधिकारियों के लिए विस्तृत कार्य योजनाएं हैं। कार्यक्रम प्रक्रिया की क्षमता का निर्धारण करने और संसूचित अपर्याप्ताओं को दूर करने के लिए ड्रिल की जाती है। आपातकालीन स्थिति में अच्छे समन्वयन के लिए एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाती है। जन समुदाय को जानकारी देने के लिए संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। इस प्रकार कोई दुर्घटना हो भी गई तो उसके लिए हम पूर्ण तैयार हैं, हम हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है व पूर्ण सक्षम भी।

अनवरत अथक प्रयत्न, लगन, निष्ठा व क्षमता द्वारा हम यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे परमाणु बिजलीघर विश्वसनीय, सक्षम व दोष रहित हैं व सुरक्षित होने के कारण यह आज बिजली उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है व हमारे संकल्प इस योगदान को अधिक से अधिक सर्वश्रेष्ठ बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। □□

पृष्ठ 16 का शेष

रेडियो भी दूर हो रहे भाषण और गानों को सुनने की सुविधा देता है जिससे मानव को यात्रा करने की जरूरत नहीं रही अर्थात समय की दुनिया भी संकुचित हो गई है जबकि समय चेतना बढ़ गई है।

सोमसेट मॉघम ने बहुत सही शब्दों में कहा है, "जीवन बहुत ही विचित्र है और उसके आमोद-प्रमोद का अनुभव करने के लिए आदमी में अनोखी विनोदशीलता होनी चाहिए क्योंकि समय शीघ्र व्यतीत होता जाता है, वापस नहीं आता और यह सबसे अमूल्य मानव संसाधन है। इसकी क्षति नहीं करनी चाहिए। समय की क्षति करना जीवन को व्यर्थ करने की एक विलक्षण परन्तु नाजुक प्रक्रिया है। □

भारतीय रेलों में पत्रिका प्रकाशन

रमेश नीलकमल*

पत्र-पत्रिकाओं का जन-जीवन में उतना ही महत्त्व है जितना चन्दन के लिए उसमें सुगन्ध होना। पत्रिका का जन्म कब और कैसे हुआ; इसकी परिकल्पना मानव-मस्तिष्क में आई कैसे; फिर आज तक की लम्बी दौड़ और आपा-धापी में इसका स्वरूप कैसा हो गया है--आदि प्रश्नों का अन्तहीन सिलसिला किसी शोधार्थी की तलाश भले ही कर रहा हो, लेकिन जब हम रेलों में पत्रिका की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम मन में एक ही बात आती है कि बस, रेल के सफर का आनन्द पत्रिकाएं पढ़कर लूटिए। आप यदि विशिष्ट रेल गाड़ी से यात्रा कर रहे हों, तो अपने साथ-साथ चल रहे पुस्तकालयों से लेकर पत्र-पत्रिकाओं का आनन्द लें या फिर व्हीलर की दुकानों से पत्रिकाएं खरीदें और रास्ते भर शब्द संसार में विचरण करते रहें। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि देश की प्रगति में अपना सम्यक् योगदान देने वाली रेल व्यवस्था भी पत्रिकाएं निकालती हैं? सोचा भी हो, तो क्या वे इन की स्तरीयता, राष्ट्रभाषा को सम्यक् वितान देने की फलवत्ता तथा सांस्कृतिक एकता सरोवर में सौ-सौ फूल खिलाने की गुणवत्ता से परिचय भी रखते हैं।

रेल मंत्रालय के राजभाषा निदेशक (अब सेवा निवृत्त) श्री शिवसागर मिश्र ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि रेलों का काम केवल एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों को पहुंचाना नहीं है। यात्री हैं कौन और माल हम क्यों पहुंचा रहे हैं, इसका अर्थ भी जानना है और इसका अर्थ जानने के लिये हमें अपने समाज को हमें अपने आप को पहचानना होगा और इस पहचान के लिये जरूरी है कि हम अपनी सामाजिक संस्कृति को बचाने की कोशिश करें। यह भी भाषा की पूजा से ही सम्भव है। उनके इस कथन में मैं विनम्रतापूर्वक जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय सामाजिक संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए भाषा के पूजा आयोजन में पत्रिकाओं का शतदल कमल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिये तो रेलें भी पत्रिकाएं निकालती हैं।

रेलों की पत्रिकाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी उन पत्रिकाओं की है जो 'स्मारिका' कही जाती हैं और जो किसी अवसर विशेष पर प्रकाशित की जाती हैं। इनमें भी कई उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण अंक आते हैं जिनमें किसी विषय-विशेष पर अति विशिष्ट या शोधपरक रचनाएं आती हैं, लेकिन विज्ञापनों के बल पर प्रकाशित होने वाली ऐसी स्मारिकाऐं कालगर्भ में जल्दी ही तिरोहित हो जाती हैं, क्योंकि ये जन-जन तक पहुंच नहीं पाती हैं। जमालपुर कारखाने की 125वीं वर्षगांठ (08-02-87) पर एक बड़ी ही आकर्षक स्मारिका का प्रकाशन किया गया। भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान, जमालपुर से प्रकाशित होने वाली 'ज्योति', क्षेत्रीय रेलों के हिन्दी समारोह के अवसर पर प्रकाशित स्मारिकाऐं या फिर अखिल भारतीय रेलवे हिन्दी समारोहों के अवसर पर प्रकाशित स्मारिकाएं ध्यान आकर्षित करती हैं। इसी तरह चित्तरंजन रेल ईंजन कारखाना तथा डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी ने अपनी स्मारिकाऐं प्रकाशित की हैं जो प्रचार-साहित्य के अन्तर्गत आती हैं।

रेलों में पत्रिका की दूसरी श्रेणी है उन पत्रिकाओं की जो हिन्दी विभागों द्वारा निकाली जाती हैं। रेल व्यवस्था हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं रेल कार्यालयों में उसके प्रगामी प्रयोग के लिये प्रयत्नरत है और इसी उद्देश्य से पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं जिनमें हिन्दीतर भाषा भाषियों की हिन्दी-रचना को वरीयता दी जाती है। भाषा के क्रमिक विकास एवं अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिये यह आवश्यक भी है।

तीसरी श्रेणी है उन पत्रिकाओं की जिनका उद्देश्य हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ रेल कर्मियों की, रेलकर्मी साहित्यकारों की साहित्य दृष्टि का प्रस्फुटन करना भी होता है। सुधी आलोचक तथा प्रखर साहित्यकार डॉ. श्याम सुन्दर घोष ने मुझे एक पत्र में लिखा था कि "आज जीवन के हर क्षेत्र से साहित्य को जोड़ने की जरुरत है--श्रम और श्रमिकों से तो और भी। आज श्रमिक वर्ग में राजनीतिक चेतना प्रबल है, होनी भी चाहिए, लेकिन उसे साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना से भी जोड़ने की जरुरत है। ऐसा किए बिना काम नहीं चलेगा। उनकी राजनीतिक चेतना को (साहित्य के

*सहायक कारखाना लेखा अधिकारी, पूर्व रेलवे, जमालपुर-811214

अभाव में) मैं एकांगी और अधूरी चेतना मानता हूं। साहित्यिक चेतना से जुड़कर ही बोध की प्रखरता संस्कार और परिष्कार पा सकती है?।

रेलकर्मी भी सामाजिक प्राणी हैं। उनका भी सामाजिक दायित्व है। उनके विचारों को भी पत्रिकाओं के द्वारा परिष्कृत एवं संस्कृत किया ही जाना चाहिए। अतः रेलकर्मियों की स्वयंसेवी संस्थाऐं या हिन्दीतर विभाग द्वारा निकाली जा रही कुछ पत्रिकाएं हैं जिनका अलग महत्व है। तीसरी श्रेणी में ऐसी ही पत्रिकाएं आती हैं।

मेरे पास क्षेत्रीय मुख्यालयों तथा मंडलों से प्रायः पत्रिकाएं आती रहती हैं। अतः उनमें से कुछ के विषय में बातें करना युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

पूर्व रेलवे मुख्यालय की समाचार-पत्रिका है—"जीवन-मार्ग' जिसका प्रकाशन पूर्व रेलवे का जनसंपर्क विभाग-प्रतिमाह करता है। इसके हिन्दी संगठन का मुखपत्र है त्रैमासिक 'प्रतिबिम्ब' जिसके अबतक छः अंक निकले हैं। इसका छठा अंक 'मैथिलीशरण गुप्त' विशेषांक है जिसमें दस साहित्य-परक लेख तथा दो कविताएं हैं जो सब के सब मैथिलीशरण गुप्त की साहित्य-साधना के परिचायक हैं। इस अर्थ में इस विशेषांक का महत्व और भी स्पष्ट होता है कि इस रेलवे के एक लेखा अधिकारी (इन पंक्तियों के लेखक) को उनकी काव्यकृति 'आग और लाठी' पर रेल-मंत्रालय ने वर्ष 1987 का 'मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार' स्वरूप सात हजार रुपये की राशि एवं प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया है।

पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल की अनियतकालीन पत्रिका है 'रेलवाणी' जिसके भी अबतक छः अंक निकले हैं और जिन्होंने अपने निकाले जाने की भूमिका बाखूबी निभाई है। राजभाषा अधिकारी के.के. महाजन के प्रधान सम्पादकत्व में कार्यकारी सम्पादक परेश सिनहा के सम्यक् प्रयत्न से प्रसूत 'रेलवाणी' का पांचवां अंक संग्रहणीय बन पड़ा है। गाँधी, शास्त्री, नेपाली, दिनकर और सर्वेश्वर के जन्मदिन की तथा महादेवी वर्मा और अज्ञेय के निधन-दिवस की स्मृतियां कुरेदता यह अंक जहां एक ओर प्रखर कवि सत्यनारायण (पटना), डॉ. आनन्द नारायण शर्मा (वेगूसराय) और शिवनारायण (पटना) की क्रमशः सर्वेश्वर, दिनकर और अज्ञेय पर रचनाओं से सुसज्जित है, वहीं रेलकर्मी-रंगकर्मियों की उपलब्धियों को गिनाता हुआ परिचय अभिभूत कर देता है।

अखिल भारतीय हिन्दी सप्ताह समारोह भुवनेश्वर (उड़ीसा) के अवसर पर प्रकाशित 'रेलवाणी' का छठा अंक अपनी संतुलित साहित्यिकी से आश्वस्त करता है कि रेलों में परिवेश को सुरुचिपूर्ण बनाने में साहित्य का अवदान सराहनीय रूप से सुनिश्चित है।

मुगलसराय मंडल की रेलसुकृता', धनबाद की 'किसलय', हावड़ा मंडल की 'रेल रसना' और आसनसोल मंडल की 'रेल-रश्मि' पत्रिकाएं त्रैमासिक कही जाकर भी अनियतकालीन है, क्योंकि विभागीय पत्रिकाओं की यही नियति होती है। उपर्युक्त पत्रिकाओं में उल्लेखनीय बातें यह है कि 'रेलमुक्ता' का अंक पाँच पुस्तकाकार कविता विशेषांक हैं जिसे 'दूर्वादल' की संज्ञा दी गई है और जिसमें विद्वान् सम्पादक कविराज शिवगोविन्द त्रिपाठी, मंडल राजभाषा अधिकारी (सम्प्रति पूर्वोत्तर रेल मुख्यालय, गोरखपुर में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी) सहित सोलह रेलकर्मी कवियों की कविताएं संकलित हैं। 'रेलरसना' का तीसरा अंक लघुकथांक है जिसमें सात अहिन्दी भाषियों की मूल रूप से हिन्दी में लिखी लघुकथाऐं संयोजित की गई हैं।

पूर्व रेलवे स्थित कारखाने भी अपनी साहित्य संपदा प्रदर्शित करने में पीछे नहीं हैं। सवारी एवं माल डिब्बा कारखाना लिलुआ अर्द्धवार्षिकी 'राजभाषा'—प्रभा' ने हिन्दीतर भाषा भाषी रेलकर्मी-साहित्यकारों की रचनाएं समायोजित कर हिन्दी के प्रचार-प्रसार में रेलकर्मियों की आस्था को बल दिया है, तो जमालपुर रेल-इंजन मरम्मत कारखाना की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (लेखा-विभाग) ने 'लेखा-भारती' (अब तक तीन अंक) प्रकाशित कर पत्रकारिता के क्षेत्र में हलचल ला दी है। समिति के सचिव एवं संपादक (इन पंक्तियों के लेखक ने) इसमें उच्चस्तरीय लेखों, कहानियों और कविताओं के अतिरिक्त रेल विषयक निबंधों को भी समाहित किया है। संरक्षा में हमारा योगदान (प्रो. रमेश चन्द्र सुकुल 'चंद्र', राजभाषा हिन्दी की दशा और दिशा (रघुनन्दन प्रसाद शर्मा), चल-स्टाक प्रबन्ध में तांबाघर का योगदान (के. एन. राव, तथा बी. पी. भगत), समय परिपालन संहिता नया वेतनमान आदि रेल विषयक निबंधों से सजी-धजी 'लेखा-भारती' के अंक पठनीय हैं। संग्रहणीय भी।

पूर्व रेलवे की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए दानापुर मंडल स्थित बक्सर रेलवे स्टेशन के रेलकर्मियों द्वारा गठित एक स्वयंसेवी संस्था 'रेल हिन्दी मंच' का रेलों की पत्रिका में योगदान को नजर अंदाज करना उचित नहीं होगा। उक्त संस्था ने 'रेल हिन्दी' पत्रिका के तीन अंकों का प्रकाशन किया है, पर प्रशासकीय स्तर पर सम्यक सहयोग पाने के लिए वहाँ के रेलकर्मी साहित्य सेवी अब भी सम्पादक द्वय रमेश नीलकमल और रामजी पाण्डेय 'अकेला' के साथ-साथ आशावान् हैं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे स्थित हिन्दी संगठनों एवं अन्यान्य विभागों द्वारा कुल ग्यारह पत्रिकाऐं प्रकाशित की जा रही हैं जिनमें से आद्रा मंडल की 'जय चण्डी' (अब तक पाँच अंक) बिलासपुर मंडल की 'दीक्षा' (अब तक चार अंक), खड़गपुर मंडल की 'उद्बोधन', चक्रधरपुर मंडल की 'स्वर्णरेखा' (वर्ष 8 अंक 1) तथा भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग (निदेशक लेखा परीक्षा का मुख्यालय स्थित कार्यालय) से प्रकाशित 'मुकुल' उल्लेखनीय हैं। 'दीक्षा' का रेल-परिवार कविता विशेषांक (कवियों के चित्र परिचय सहित) एक अनुपम उपलब्धि है तथा बिलासपुर मंडल का हिन्दी संगठन

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी रामचरण कटारे के सम्पादकत्व में एक और अनूठा कार्य कर रहा है। वह अनूठा कार्य है हिन्दी सेवी रेलकर्मी साहित्यकारों का सम्मान। ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक और नाटककार डॉ. रामकुमार वर्मा तथा सुप्रसिद्ध कवि श्री रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' के हाथों पन्द्रह रेलकर्मी साहित्यकारों को सम्मानित किया जाना बहुत महत्वपूर्ण और अनुकरणीय कदम है।

आठवें वर्ष में चल रही चक्रधर पुर मंडल की पत्रिका 'स्वर्ण-रेखा' की प्रस्तुति तथा विषय-चयन सम्पादक मदन मोहन शांडिल्य की साहित्यक सूझबूझ की परिचायक है दक्षिण पूर्व रेलवे (पुरानी बी.एन.आर.) ने अपना शताब्दी वर्ष (9 मार्च 1888 से 8 मार्च, 1988) मनाया है जिसके उपलक्ष में 'जयचंडी' का 'बी.एन.आर. शताब्दी विशेषांक' एक सामयिक प्रस्तुति है जो प्रतिपादित करती है कि रेलें राष्ट्र की रीढ़ हैं, तथा रेलें राष्ट्र की सम्पत्ति हैं, जिनके यथोचित रखरखाव से ही हम इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने के काबिल हो सकेंगे।

द. पू. रे. मुख्यालय से एक और त्रैमासिक 'गतिमान' का शीघ्र प्रकाशन पत्रिकाओं की लड़ी में एक और विशिष्ट फूल की श्रीवृद्धि करेगा।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे मुख्यालय का मुखपत्र है त्रैमासिकी 'रेल-भारती' जो अपने नवें वर्ष में है और नियमित प्रकाशित हो रही है। इसके मंडलों से भी पत्रिकाएं निकाली जाती हैं। अलीपुर द्वार मंडल की अर्द्धवार्षिक पत्रिका 'बंगा समांचल गुंजन' (वर्ष 4 अंक 6) एक सार्थक पत्रिका के रूप में सामने आती है। सम्पादक राम किशोर सिन्हा ने रेलकर्मियों के साहित्योद्गार को बंगाल और असम अंचल की इस पत्रिका 'गुंजन' में स्थान देकर इसे फलप्रसू बनाया है।

दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय से 'रेल-सुधा' का प्रवेषांक (जनवरी-मार्च, 1988), गुंतकल मंडल की त्रैमासिकी 'गुंतकल-वाणी' (वर्ष 3 अंक 6) तथा हैदराबाद मंडल से 'अजंता' का प्रकाशन कई माइनों में अर्थ रखता है। इनकी प्रस्तुति, विषय-चयन तथा संयोजन हमें उन रेल कर्मियों की हिन्दी-निष्ठा के प्रति आश्वस्त करता है जो भाषा को देश की संस्कृति का प्राण मानते हैं।

दक्षिण रेलवे मुख्यालय से 'दक्षिण ध्वनि' मद्रास मंडल से 'माधुरी' पालक्काट मंडल से 'रेल समाचार' और 'चिराग' मदुरै मंडल से 'मधुरैल ध्वनि' तथा तिरुअनन्तपुरम मंडल से प्रकाशित 'संगम' के प्रकाशन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि हिन्दी का विरोध कहीं नहीं है। रेल कर्मियों में तो और भी नहीं। जैसे हमारी सामाजिक संस्कृति अनेकता में एकता का सिद्धांत प्रतिपादित करती है, वैसे ही भारतीय रेल भी जन-मानस को अपनी पत्रिकाओं से समृद्ध करती रही है। हम लोग एक सूत्र में बंधे हैं और रेलकर्मी साहित्यकार अपनी ओजमयी रचनाओं से जो स्नेह प्रदीप जला रहे हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय की आस्था को संबलित कर रहे हैं, वह श्लाघनीय है।

मध्य रेल की पत्रिकाओं में मुख्यालय से प्रकाशित 'राजभाषा समाचार' तथा 'रेल सुरभि' उल्लेखनीय है। 'रेल सुरभि' का राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त स्मृति-अंक के संयोजन, विषय-चयन और प्रस्तुत 'साकेत' की दो पंक्तियों को सार्थक करती है:—

"सन्देश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया,
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।"

सचमुच 'रेल-सुरभि' स्वर्गिक सुरभि की पहचान बनकर आई है जिसकी सुगन्ध-गरिमा से सारा रेल निलयम प्रोदभासित है। क्यों न हो, जब रेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987 में संयुक्त प्रेमचन्द पुरस्कार से पुरस्कृत तथा 'इंद्रलोक' (उपन्यास) के रचयिता श्री विश्वनाथ मिश्र जैसे साहित्य सेवी वहां रेलकर्मी हों।

उत्तर रेलवे मुख्यालय से भी "सरस्वती-संगम" (वर्ष 1 अंक 4) पत्रिका निकाली जा रही है जिसका अद्यतन अंक मैथिली शरण गुप्त विशेषांक है। इसके सम्पादक प्रसिद्ध व्यंग्यकार गोपाल चतुर्वेदी हैं जिन्हें पिछले वर्ष रेल मंत्रालय ने उनकी पुस्तक 'अफसर की मौत' पर संयुक्त 'प्रेम चन्द पुरस्कार' से सम्मानित किया था। आप रेलवे बोर्ड में संयुक्त निदेशक (वित्त) हैं और अनवरत अपने अचूक व्यंग्य-लेखन से साहित्य सौरभ में निखार ला रहे हैं।

इसी तरह पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल से 'प्रगति' और पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल से 'सरोवर' तथा कोटा मंडल से 'नक्षत्र' का प्रकाशन अपने आप में कीर्तिमान है।

इतना ही नहीं, रेलवे बोर्ड की एक नई निर्माण इकाई 'इरकॉन' (भारतीय रेल कांस्ट्रक्शन कम्पनी लि.) 'इरकॉन समाचार' निकालकर पत्रकारिता में अपना अवदान दे रही है। फिर अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (लखनऊ) भी हिन्दी में त्रैमासिक समाचार बुलेटिन निकालता है। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना से 'अजय धारा' का प्रवेषांक सम्पादिका और वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी शान्ता इवनाती की सूझ-बूझ की देन है।

'रेल राजभाषा' रेल मंत्रालय के राजभाषा निदेशालय की पत्रिका है जिसके अंक 21-22 में प्रकाशित एक टिप्पणी के अनुसार सम्पूर्ण भारतीय रेलों में इस समय हिन्दी की 50 पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं जो हिन्दी के बहु आयामी प्रयोग की दिशा में अनवरत कार्यशील हैं।

ज्ञातव्य है कि दस वर्ष पूर्व ऐसी एक भी पत्रिका प्रकाशित नहीं हो रही थी। कुछ नहीं से कुछ होना यद्यपि महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है पर बिना नींव के आधार की स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। रेल मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी मासिकी 'भारतीय रेल' विगत एक चतुर्थ शताब्दी से न केवल हिन्दी की सेवा करती आ रही है, वरन् रेलकर्मी साहित्यकारों की रचनाओं का प्रकाशन तथा वर्ष-दर-वर्ष विशेषांक निकाल कर रेलवाङ्मय की प्रस्तुति भी कर रही हैं। रेल कर्मियों के लिए रियायती दर पर सुलभ यह पत्रिका बहुत ही उपयोगी है और रेल इतिहास के विगत 135 वर्षों का लेखा जोखा और परिचय प्रस्तुति करती है। यह रेलवे बोर्ड की पत्रिका है और अपनी गरिमा के अनुकूल ही है।

लेकिन यह आलेख तब तक अपूर्ण रहेगा जब तक पत्रकारिता के जनक पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो रेलवे में ही तार बाबू थे, याद न कर लिया जाए। फिर सम्प्रति ख्यातिप्राप्त व्यंग्यकार के.पी. सक्सेना तथा गोपाल चतुर्वेदी, उपन्यासकार शिवसागर मिश्र कवि दिलीप कुमार बनर्जी, कविराज शिव, गोविन्द त्रिपाठी, लालसा लाल तरंग, रामचन्द्र सिंह त्यागी, जगदीश नारायण श्रीवास्तव, वेद प्रकाश पाण्डेय, मदन पाण्डेय, शब्बीर हुसेन, नवल भागलपुरी, जी कृष्णमूर्ति, डा. रामबहादुर सिंह भदोरिया प्रभृति सबके सब रेलकर्मी साहित्यकार हैं और अनवरत लिख रहे हैं।

अवश्य खरीदें

हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित आदेशों का संकलन--1986 (समूल्य)

राजभाषा विभाग ने कुछ समय पहले हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित आदेशों का एक बृहत संकलन द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया है जो भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस संकलन का उद्देश्य यह है कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के लिए संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी सम्बन्धी कानूनी उपबन्धों और प्रशासनिक अनुदेशों के बारे में संदर्भ निर्देशिका का काम दे सके। यह एक समूल्य प्रकाशन है और इसका मूल्य 20.30 पैसे है। कृपया इसकी प्रतियां भारत सरकार के प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली या किताब महल, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली से खरीदी जाएं।

□

आदेशों का अनुपूरक संकलन (निःशुल्क)

उपर्युक्त आदेशों के संकलन में वर्ष 1986 तक के आदेश संकलित हैं। अद्यतन आदेश उपलब्ध कराने के लिए मई 1986 से दिसम्बर 1988 तक के आदेशों का अनुपूरक संकलन प्रकाशित किया गया है जिसकी निःशुल्क प्रतियां राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन (11वां तल), खान मार्केट, नई दिल्ली से उपलब्ध हो सकती हैं।

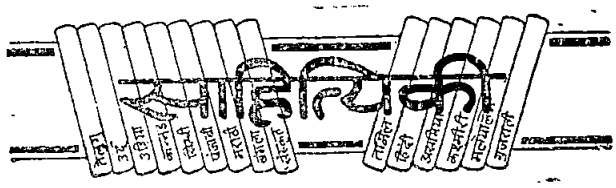

पंजाबी : साहित्य, भाषा और राज्यभाषा

□कुलभूषण कालड़ा*

पंजाब राज्य की भाषा पंजाबी है। भाषा विज्ञानी पश्चिमी पंजाबी तथा पूर्वी पंजाबी में अन्तर मानते हैं मगर यह अन्तर बहुत थोड़ा है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है तथा इसकी उप-बोलियां डोगरी, माझी, दोआबी, मलवई, पुआधी-राठी, भरिआणी, लहिन्दी तथा पोठोहारी है। इसका जन्म 11वीं शताब्दी के आरम्भ में उस समय की प्रांतीय लोक बोलियां टकी तथा कैकयी के आधार पर शोरसैनी एवं पैशाची अपभ्रंश के संयोग से हुआ।

गुरुओं ने अपने समय में लोक बोलियों का ही पक्ष लिया तथा उन्होंने अपने अध्यात्मिक गीत व सामाजिक सुधार के सन्देश इन्हीं में दिए। गुरू अर्जुन देव जी ने गुरमुखी साहित्य का 1601 का में गुरू ग्रंथ साहिब के रूप में संपादन करके न केबल पंजाबी बोली को बल्कि हिन्दुस्तानी को भी अमूल्य खजाना दिया।

गुरुओं के अलावा उस शताब्दी में दामोदर ने मुलतानी रंग की ठेठ पंजाबी में हीर की प्रेम कहानी लिखी। इसी प्रकार शाह हुसेन की काफियां टकसाली पंजाबी के स्वच्छ रूप को प्रकट करती हैं।

17वीं शताब्दी में भाई गुरदास ने समाज सुधार तथा सिखी प्रचार हेतु वारे लिखी। 18वीं शताब्दी में कवि वारिस शाह ने हीर लिख कर पंजाबी को घर-घर घुमा दिया।

सर्वप्रथम यूरोपीय लिखित एडलिंग की मिथरीडेटस (1806 ई. बर्लिन) में पंजाबी नाम का प्रयोग किया गया। उसके पश्चात पंजाबी ग्रामर तथा तथा पंजाबी डिक्शनरी नाम के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा बहुत सी किताबें लिखी गई।

*राजभाषा अधिकारी स्टेट बैंक आफ पटियाला, माल रोड, पटियाला-147001

पंजाबी चाहे देवनागरी, उर्दू लिपि तथा रोमन इत्यादि लिपियों में लिखी जा सकती है मगर गुरमुखी लिपि ही पूर्ण तौर पर पंजाबी ध्वनी व्यक्त कर सकती है।

अनेक कबीलों और जातियों की भाषाओं के शब्द पंजाबी भाषा में ततसम रूप में तद्भाव रूप में लिए गए हैं—दुध (दुगध) तथा कादी (काज़ी) इत्यादि।

पंजाबी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द आवश्यकतानुसार इस प्रकार लिए गए हैं कि वह उसमें ढल कर के ही बन जाते हैं। उदाहरणतया चबचा तसीदा, गब इत्यादि शब्द फारसी में से लिए गए हैं।

पंजाबी की वर्णमाला के 35 अक्षरों को उच्चारण स्थान के अनुसार निम्नानुसार बांटा गया है।

(1) कंठी
(2) तालवी
(3) मुर्धनी
(4) दंदी
(5) होंठी
(6) अनुनासिक

पंजाबी के 35 मूल स्वरों में तीन स्वर (ੳ ਅ ੲ) ह तथा शेष 32 व्यंजन है। कुल अक्षर सात-सात कतारों में बांट दिए गए हैं। पहली कतार के तीन स्वरों में 'स' तथा 'ह' जोड़ दिए गए हैं तथा उनका क्रम निम्नानुसार है:—

पंजाबी					हिन्दी				
ੳ	ਅ	ੲ	ਸ	ਹ	उ	अ	ई	स	ह
ਕ	ਖ	ਗ	ਘ	ਙ	क	ख	ग	घ	ङ
ਚ	ਛ	ਜ	ਝ	ਞ	च	छ	ज	झ	ञ
ਟ	ਠ	ਡ	ਢ	ਣ	ट	ठ	ड	ढ	ण
ਤ	ਥ	ਦ	ਧ	ਨ	त	थ	द	ध	न
ਪ	ਫ਼	ਬ	ਭ	ਮ	प	फ	ब	भ	म
ਯ	ਰ	ਲ	ਵ	ੜ	य	र	ल	व	ड़

पंजाबी वारतक रचना

यह ठीक है कि पहले पंजाबी का प्रयोग कविता हेतु किया गया तथा वारतक बहुत बाद में अस्तित्व में आई पर अगर हम गोरखनाथ को साधुकड़ी प्रधान पंजाबी का कवि मानते हैं तो गोरख की वारतक में लिखी पुस्तक भी साधुकड़ी प्रधान पंजाबी की पहली पुस्तक है। श्री गुरु नानक देव जी के सचखंड जाने के वाद गुरू अंगद देव जी ने बाले से बाबा जी की जीवनी सुनी। दूसरी साखी पोठोहारी बोली में 1558 ई. की लिखित बताई जाती है। इसी प्रकार तीसरी जन्मसाखी 1625 से पहले की लिखी बताई जाती है। आगे चलकर भाई बिधी चन्द की साखी 1640 ई. में तथा मेहरबान की जन्म साखी गुरू अर्जुन देव जी के समय में लिखी गई। इन जन्म साखियों की वारतक में काव्यरंग तथा रस मौजूद है छोटे-छोटे वाक्य हैं।

गुरमुखी नामकरण

श्री गुरू नानक देव जी ने जहां पंजाबी भाषा को अपनाया वहां पंजाबी वर्णमाला को भी महत्व दिया। अन्य गुरुओं ने भी उन अक्षरों में अपनी वाणी लिखी। गुरुओं के सिखों को उस समय अधिकतर गुरमुख कहा जाता था। इन गुरमुखों ने गुरूओं द्वारा बरती लिपि को ही अपने विचारों को लिखितबद्ध करने का साधन बनाया।

गुरमुखों द्वारा प्रयोग की जाने वाली "अर्ध नागरी लिपि" अब गुरमुखी नाम से प्रसिद्ध हो गई। गुरमुखी वास्तव में लिपि का नाम है। पंजाबी भाषा का नहीं।

राजनीतिक तौर पर पंजाब की सरहदें

लाहौर को पंजाब की राजधानी बनाया गया तथा शीघ्र ही यह शहर विद्या, साहित्य व कला का केन्द्र बन गया। लहिंदी बोली के स्थान पर केन्द्रीय पंजाबी का महत्व बढ़ा क्योंकि यह लाहौर की स्थानीय बोली थी। सन् 1860 ई. में भाषा विभाग आरम्भ हुआ—लड़कों को उर्दू पढ़ना अनिवार्य था मगर लड़कियों को पंजाबी की परीक्षा देने की अनुमति मिल गई। सन् 1883 ई. में पंजाब यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। फारसी, संस्कृत व अरबी की परीक्षाओं के साथ-साथ उर्दू, हिन्दी व पंजाबी की परीक्षाएं भी आरम्भ हुई। उर्दू लिपि में भी पंजाबी भाषा की तीन परीक्षाएं शुरू हुई। इस तरह से पंजाबी का प्रचार प्रसार आरम्भ हुआ।

आधुनिक पंजाबी का प्रारंभिक समय

आदिकाल

आदिकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग 700ई. से 1000ई. तक तथा दूसरा भाग 1000 ई. से गुरू नानक देव जी तक अथवा 1526 ई. तक। इस लम्बी अवधि में पंजाबी अपभ्रंश से निकलकर अपना अलग अस्तित्व स्थापित करती है। क्रियाएं संयोगात्मक स्थिति से वियोगात्मक स्थिति को प्राप्त करती हैं। कर्ता, कर्म तथा सम्बन्ध कारकों में परिवर्तन आता है और पंजाबी अपभ्रंश से अलग रूप में स्वतन्त्र रूप से आगे बढ़ती है। पहले मुलतान में भाषा परिवर्तन का केन्द्र बनता है तथा 1000 ई. में लाहौर इस भाषा की टकसाल तथा गढ़ बन जाता है और गुरुओं के आगमन से अमृतसर इस भाषा का प्रसिद्ध केन्द्र बनता है।

मध्यकाल

(पंजाबी का स्वर्ण युग)

यह काल स्वर्ण युग कहा जाता है। यह युग 1526 ई. से मुगल शासन से आरम्भ होता है तथा पंजाब में अंग्रेजों के शासन के साथ समाप्त हो जाता है। इसकी अवधि 1526 ई. से 1850 ई. तक निर्धारित की जा सकती है। इस काल में बहुत सी घटनाएं घटती हैं। लोधी वंश के बाद मुगल वंशभारत का शासक बनता है। मुगलकाल में राजा टोडरमल की नीति से हिन्दू फारसी विद्या की प्राप्ति में लग जाते हैं तथा मुसलमान स्थानक बोलियों में साहित्य रचना करना अपना कर्तव्य समझते हैं। श्री गुरू नानक स्वयं पंजाबी को अपने विचारों का माध्यम चुनते हैं। गुरुओं के अलावा इस काल में शाह हुसैन आदि मुसलमान सूफी तथा कहानीकार पंजाबी भाषा को धनी बनाते हैं।

आधुनिक काल

इस काल को भी दो भागों में रखा जा सकता है—पहले 1850 ई. से 1947 ई. तक तथा 1947 ई. से आज तक—

इस काल में बड़े राजनीतिक उतार चढ़ाव आए हैं। पंजाब में इस्लाम राज्य का अंत होता है। पंजाब में जन्में महाराज रणजीत सिंह पंजाब की शासन डोर संभालते हैं। इस शासन में पंजाबी भाषा तथा साहित्य अंग्रेजी साहित्य व भाषा से प्रभावित होता है। हीर वारिस शाह टकसाली भाषा में लिखी जाती है। आर्य समाज तथा सिंह सभा जैसी धार्मिक संस्थाएं अपना अस्तित्व कायम करती हैं जिनके द्वारा हिन्दी तथा पंजाबी भाषा की प्रगति होने लगती है। 1947 ई. में फिर शासन परिवर्तन होता है तथा अंग्रेजों का युग समाप्त होता है। भारत की स्वतन्त्रता के बाद पंजाबी भाषा तथा साहित्य में एक नयी जागृति पैदा होती है। साहित्यकारों तथा कवियों का झुकाव एक नए क्षेत्र की तरफ जाता है।

यह ठीक है कि पंजाब में अंग्रेजी राज्य भारत के शेष प्रदेशों की अपेक्षा बाद में स्थापित हुआ मगर पंजाबी लोग अंग्रेजी साहित्य से बहुत शीघ्र प्रभावित हुए—पंजाबी ने आधुनिकता की तरफ बहुत शीघ्रता से कदम बढ़ाए—आज

इसके नवीन साहित्य के रंग में कविता, उपन्यास, मिनी कहानी, नाटक एकांकी, निबन्ध, रचना विज्ञान, भाषा विज्ञान, साहित्य का इतिहास, आलोचना का इतिहास, लोकगीत इत्यादि मौजूद हैं। यह सब पंजाबी की अमीरी तथा सृजन शक्ति के सूचक हैं।

राजभाषायी स्थिति

पंजाबी को प्रथम रूप में राजभाषा का दर्जा महाराजा भूपिन्दर सिंह पटियाला द्वारा दिया गया जैसाकि सन् 1911 के शाही फरमानों तथा सन् 1912 में पटियाला रियासत के परिपत्रों से स्पष्ट है। इसी प्रकार महाराज यादविन्द्रा सिंह द्वारा 23-12-1947 को पंजाबी विभाग बनाने हेतु योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अलावा पैपसू अदालतों की भाषा हेतु पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ अदालती आर्डीनिस विक्रमी 2005 सम्वत् (2005 का 2) की धारा 44 के अधीन यह निश्चित किया गया था कि हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी अथवा गुरमुखी अक्षरों में पंजाबी होगी।

26 जनवरी, 1949 को भारतीय संविधान में देश की 14 विकसित बोलियों को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान की अनुसूची 8 में पंजाबी भाषा अक्षर क्रम अनुसार दसवें नम्बर पर दर्ज हुई। भारतीय गणतंत्र के अलग-अलग राज्यों ने भारतीय संविधान की धारा 345 के अन्तर्गत अपने-अपने राजभाषा अधिनियम बनाए तथा लगभग सभी भारतीय बोलियों को राजभाषाओं का दर्जा प्राप्त हो गया।

पंजाबी भाषा के विकास तथा इसे उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाने हेतु पंजाब विधान मण्डल द्वारा 1961 में पंजाबी यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया तथा 1962 में राष्ट्रपति डा. राधा कृष्णन ने पटियाला (पंजाब) में इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया।

प्रथम नवम्बर, 1966 को बोली के आधार पर नए एक भाषी पंजाब का पुर्नगठन हुआ और इस सम्बन्ध में राजभाषा अधिनियम 29-12-1967 को पंजाब के राज्यपाल द्वारा पारित हुआ।

उस समय पंजाब सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार सरकारी कामकाज पंजाबी में करने के लिए तिथियां निश्चित कर दी गई तथा इस उद्देश्य हेतु 13 अप्रैल, 1968 वैसाखी का शुभ दिन चुना गया।

पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1967

भारत गणराज्य के 18वें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मण्डल द्वारा निम्नानुसार कानून बनाए गए :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(1) इस अधिनियम को पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1967 कहा जाएगा।

(2) इस का विस्तार सारे पंजाब राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त लागू हो जाएगा।

परिभाषा

(क) "पंजाबी" का अर्थ गुरमुखी लिपि में पंजाबी है।

(ख) "राज्य सरकार" का अर्थ पंजाब राज्य की सरकार है।

पंजाबी के पूर्ण तौर पर प्रचालन एवं सुगम बनाने हेतु भाषा विभाग पंजाब द्वारा सचिवालय तथा इसकी अलग-अलग शाखाओं, निदेशालयों एवं अन्य कार्यालयों की आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न आकार की पंजाबी टाईपराईटरों की खरीद की गई।

पंजाबी भाषा पढ़ाने, पंजाबी टाईप एवं आशुलिपि का प्रशिक्षण देने हेतु सचिवालय तथा भाषा विभाग स्तर पर क्लासें आरम्भ की गईं। इस कार्यक्रम के आरम्भ में 75,000 से भी ऊपर सभी श्रेणियों के कर्मचारियों ने इन प्रशिक्षणों हेतु प्रवेश प्राप्त किया। प्रोत्साहन योजना के सन्दर्भ में पंजाबी टंकण परीक्षा पास करने पर कर्मचारियों को 500/- रु. की नकद राशि देने का प्रावधान भी रखा गया है।

इसके अलावा भाषा विभाग द्वारा राज्यभर के कार्यालयों को कार्यालय मैनुअल, शब्दावली, दीवारी चार्ट, स्वःशिक्षक गाईड तथा जानकारी से भरपूर कैलेण्डर वितरित किए गए।

इस प्रकार पंजाबी तथा गुरमुखी जो बहुत पहले धार्मिक ग्रन्थों तथा अन्य कृतियों तक ही सीमित थी पंजाब राज्य की विधिवत रूप से राजभाषा बनने पर विकास की राह पर अग्रसर हुई।

देश में अलग-अलग भाषाओं ने एक दूसरे से काफी कुछ प्राप्त करना है। भाषा ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित करता है तथा किसी भी भाषा के समृद्ध साहित्य पर कुछ लोगों का ही अधिकार नहीं होता बल्कि वह पूरी मनुष्यता के प्रयोग में आने वाली वस्तु होती है। पंजाबी की उन्नति से अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को भी उन्नत होने का उत्साह मिलेगा तथा वह भाषाएं भी समृद्ध बनेंगी, ऐसी आशा है।

संदर्भ और टिप्पणियां

(1) पंजाबी बोली दा इतिहास, प्यारा सिंह पदम, मनजीत प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी, पटियाला; 1954

(2) पंजाबी भाषा दा विकास, डा. काला सिंह बेदी सेवक साहित्य भवन, 2899, बाजार सीता राम, दिल्ली-6; 1971

(3) सोवीनर—पंजाबी उत्सव, भाषा विभाग, पंजाब; 13 अप्रैल 1968 □

अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी और राष्ट्रभाषा हिन्दी

[गोरखपुर में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 19वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद से अमर शहीद श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो ऐतिहासिक भाषण दिया था, वह वर्तमान परिस्थितियों में समीचीन है। राजभाषा भारती (अंक 47) में उनके भाषण को प्रस्तुत किया गया है, अब प्रस्तुत है उस प्रेरणादायक भाषण की समाप्य किस्त । ---संपादक]

हिन्दी भाषा भाषियों के उद्योग से हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त नहीं हुआ है। जैसी-जैसी परिस्थिति थी, उसको देखते हुए बाबू हरिश्चन्द्र और उनके समकालीन हिंदी विद्वान तो कभी इस बात को व्यावहारिक बात भी नहीं मान सकते थे कि देश के अन्य भाषा भाषी लगभग सभी समुदाय हिंदी को इतना गौरवान्वित स्थान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, किन्तु सार्वदेशिक आवश्यकताएं बढ़ती गई और देश भर के लिए काम करने वालों के सामने प्रकट और अप्रकट दोनों प्रकार से यह प्रश्न उपस्थित होता गया कि वह किस प्रकार अपनी बात को देश के दूर से दूर कोने के झोपड़ तक पहुंचायें । भगवान बुद्ध ने धर्म के प्रचार के लिए पाली को अपनाया था, देश के वर्तमान कार्यकर्ताओं ने युग-धर्म के प्रचार और ज्ञान के लिए अनेक गुणों के कारण हिन्दी को अपनाना आवश्यक समझा । नानक और कबीर-सूर और तुलसी राष्ट्रभाषा के लिए पहले ही क्षेत्र तैयार कर गये थे। उनकी वाणी और पद देश के कोने-कोने में उन असंख्यों श्रद्धालु नर-नारियों के कंठों से आज कई शताब्दियों से प्रतिध्वनित हो रहे हैं, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है। हिन्दी के फारसी मिश्रित रूप उर्दू ने एक विशेष दिशा में एक बहुत बड़ा काम किया था। देश भर में जहां भी मुसलमान बसते हैं, वहां की भाषा चाहे कोई भी क्यों न हो, वे उर्दू के रूप में हिन्दी समझते हैं और हिन्दी बोलते हैं ।

अंग्रेजी शासनकाल में फारसी के स्थान पर आसीन होने पर उर्दू हिन्दी के मार्ग में किसी अंश में कुछ बाधा डालने वाली अवश्य सिद्ध हुई, किन्तु अब वह ऐसी कदापि नहीं है

पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य

और उसका जन्म हिन्दी के विरोध के लिए नहीं हिन्दी की वृद्धि के लिए हुआ। मेरी धारणा तो यह है कि उर्दू के रूप में मुसलमान भारतीयों ने हिन्दी की और भारत वर्ष की अर्चना की। उर्दू वह वाणी पुष्प है जिसे मुसलमानों ने इस देश के हो जाने के पश्चात् भक्ति भाव से माता की अरदास करते हुए उनके चरणों में चढ़ाया । आज नहीं, जब यह राष्ट्र पूर्ण राष्ट्र हो जाने के योग्य होगा, उस समय, राष्ट्रभाषा के निर्माण में उर्दू और उसके द्वारा देश की जो सेवा मुसलमान भारतीयों से बन पड़ी, उसका वर्णन इतिहास में स्वर्णांकित अक्षरों में होगा।

स्वामी दयानन्द आर्यसमाज और गुरुकुलों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में बड़ा काम किया है। राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आन्दोलनों से राष्ट्र भाषा और राष्ट्र लिपि की आवश्यकता अनुभव होने लगी। कृष्ण स्वामी अय्यर, जस्टिस शारदाचरण मिश्र, महाराजा संभाजीराव गायकवाड़, जस्टिस आशुतोष मुकर्जी आदि ने अब से बहुत पहले इस दिशा में बहुत उद्योग किया था । अन्य भाषा भाषियों ने देश भक्ति और राष्ट्र निर्माण के विचार से हिन्दी को अपनाना आरम्भ किया । मराठी और गुजराती की साहित्य परिषदों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया । महात्मा गांधी के इस प्रश्न को अपने हाथ में ले लेने के पश्चात् तो राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार विधिवत अन्य प्रांतों में होने लगा और दक्षिण में जहां सबसे अधिक कठिनाई थी, बहुत संतोषजनक काम हुआ। राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस ने भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया है, और अब देश के विविध भागों से आए हुए उसके प्रतिनिधि उसका अधिकांश काम हिन्दी में करते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का स्थान निर्विवादरूपेण सुरक्षित है । उर्दू वालों को पहले चाहे जो आपत्ति रही हो, किन्तु अब वे भी इसे मानने लगे हैं कि उर्दू हिंदी ही का फारसी मिश्रित रूप है और डा. अंसारी और प्रो. जफर अली ऐसे मुसलमान नेता तक हिन्दी को राष्ट्रभाषा के नाम से पुकारना आवश्यक और गौरव की बात समझते हैं। इस द्रुत गति से बहुत ही थोड़े समय में हिन्दी का इस स्थान को प्राप्त कर लेना देश में नए जीवन के उदय का विशेष चिह्न है ।

राष्ट्रभाषा का काम अभी तक केवल भारत में ही हुआ है। बृहत्तर भारत अभी तक उससे कोरा है । लाखों भारतवासी, विदेशों में पड़े हुए हैं । वे अपनी वेशभूषा और भाषा भूलते

जाते हैं। अभी तक वे इस देश के हैं और देश के नाम पर विदेशों में टूटे-फूटे रूप में हिन्दी को अपनाते हैं किन्तु धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति का अधिकार उन पर से कम होता जाता है और सम्भव है कि कुछ समय पश्चात् वे नाम मात्र ही के लिए भारतीय रह जायेंगे । उनको अपना बनाये रखने और हिन्दी का सन्देश संसार में अनेक स्थलों पर पहुंचाने का यही सबसे सुगम उपाय है कि उन तक राष्ट्रभाषा हिन्दी का संदेश पहुंचाया जाए।

प्रचार और उन्नति के कुछ उपाय

हिन्दी के प्रचार और उन्नति के लिए पहले के सहज और स्वाभाविक ढंग की अपेक्षा अब अधिक क्रमबद्ध शैली को ग्रहण करने की आवश्यकता है। एक भाषा और राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दी इस समय जिस स्थान पर पहुंच चुकी है, वहां से उसका सतत आगे बढ़ सकना उसी समय संभव है, जब उसके प्रचार और उन्नति के लिये नये अधिक व्यापक साधनों से काम लिया जाये।

(अ) हिन्दी के प्रचार का सबसे बड़ा साधन है, हिन्दी प्रान्तों में लोक शिक्षा को आवश्यक और अनिवार्य बना देना कोई घर ऐसा न रहे जिसके नर-नारी, बच्चे और बूढ़े तक तुलसी कृत रामायण और साधारण पुस्तकें और समाचार पत्र न पढ़ सकें । यह काम उतना कठिन कदापि नहीं है जितना की समझा जाता है । यदि टर्की में कमाल पाशा बूढ़ों और बच्चों तक को थोड़े से समय के भीतर साक्षर कर सकते हैं और सोवियत दस बर्ष के भीतर रूस में अविद्या का दिवाला निकाल सकता है तो इस देश में भी सब प्रकार की शक्तियां जुटकर बहुत थोड़े समय में अविद्या के अंधकार का नाश कर प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने और लिखने के योग्य बना सकती हैं । देश के अन्तरतर में रहने वाले लोग तक शिक्षा के महत्व को सहज में समझने लगे हैं और इस समय जो लोक-सेवक ग्राम संगठन के आवश्यक कार्यों में अपना समय और शक्ति लगाये हुए उनका अनुभव है कि बहुत थोड़े से प्रयास से देहात के लोगों में साक्षर होने की अभिलाषा उत्पन्न की जा सकती है । हम जितनी साक्षरता बढ़ायेंगे उतना ही भाषा और साहित्य का कल्याण होगा । जब करोड़ों निरक्षर, साक्षर बन जायेंगे, तब उनकी बौद्धिक आवश्यकताओं की प्रेरणा से हिन्दी भाषा और साहित्य के सौष्ठव में स्वतः बहुत वृद्धि हो जाएगी । किसी समय, शरीर और स्वास्थ्य की त्रुटियों के दूर करने के लिए जर्मनी में यह आन्दोलन उठाया गया था कि जर्मन लोग भोजन में शक्कर अवश्य खाएं । आलू और केले के अपने व्यापार की वृद्धि को क्षति न पहुंचने देने या उसे अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए इंगलैण्ड में 'खूब आलू खाओ' 'खूब केले खाओ' का आंदोलन चल चुका है । निरक्षरता को दूर करने के लिए रूस में बड़े-बड़े चित्रों द्वारा झोंपड़े तक में यह विचार पहुंचाकर कि निरक्षर व्यक्ति आंख पर पट्टी बांधे हुए उस मनुष्य के समान है, जो चट्टान की कगार पर खड़ा हुआ पग बढ़ाते ही नीचे खड्ड में गिरने के लिए तैयार है, साक्षरता का आलोक देश के कोने कोने में पहुंचाया गया । इस देश में भी हिंदी और देश के हित के लिए इसी प्रकार का सुसंगत और व्यापक आंदोलन उठाया जाना चाहिए । लोक शिक्षा के काम में हिन्दी के समाचार पत्रों से बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है । यदि वे इस आन्दोलन को आंदोलन के ढंग से उठा लें और अपने, कलेवर में साधारण आदमियों के नित्य के जीवन और नित्य की आवश्यकताओं का अधिक-सजीव चित्रण करें तो वे निःसंदेह अधिक लोकप्रिय होते और अपना प्रचार बढ़ाते हुए देश के करोड़ों आदमियों की सुषुप्त बुद्धि के जागरण और हिन्दी के कहीं अधिक प्रचार का श्रेय प्राप्त करेंगे।

(आ) जिन स्थानों में हिन्दी को स्थान मिल चुका है या जहां उसका स्थान मिलना और न मिलना, दोनों एक समान हैं, वहां उसका प्रचार बढ़ाने और उचित स्थान की प्राप्ति के लिए पूरा यत्न करना आवश्यक है । सरकारी और अर्ध-सरकारी कामों और स्कूलों में अब भी, हिन्दी को उचित स्थान प्राप्त नहीं है । मातृ भाषा को पाठयक्रम में क्या स्थान मिलना चाहिए, इस दृष्टि से स्कूल की पुस्तकों में बहुत सी त्रुटियां हैं । इसी देश में यह बात देखी जा सकती है कि छोटे-छोटे बच्चों के मस्तिष्क पर अनावश्यक रूप से पराई भाषा का बोझ पड़ता है । यहीं यह देखा जा सकता है कि उच्च शिक्षा कहीं भी, यहां तक कि हिंदू विश्वविद्यालय तक में, मातृभाषा द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती यह सम्भव है कि लड़कियों तक में उच्च शिक्षा के लिए एक विदेशी भाषा आवश्यक पढ़ना पड़े । और, इस पर भी यह अनोखी बात यहीं देखी जा सकती है कि मातृभाषा में भी गणित, रेखा-गणित, भूगोल आदि की जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं उनके अंक और उनके पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी में होते हैं । अपने अस्वाभाविक वातावरण के कारण हम इस प्रकार की बहुत-सी अधोगति को दूर नहीं कर सकते, किन्तु तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं और उसके करने से हमें कदापि नहीं चूकना चाहिए । रेल के बहुत से कार्यों में हम हिन्दी को अच्छा स्थान दिला सकते हैं और कम से कम इतना तो करा ही सकते हैं कि स्टेशनों पर लगे हुए नामों के पट्ट और सक्षण-सूचक पत्रों में हिन्दी की हत्या तो न होने पाये । पंजाब और सिंध में हमारी धार्मिक संस्थायें बहुत सहज में हिन्दी के प्रयोग को स्वीकार कर सकती हैं । देश के अन्य प्रान्तों में हिन्दी का जो काम हो रहा है वह तो बढ़ेगा ही हमें **परदेशों में अपने भाइयों के पास भी अधिक बल के साथ हिन्दी का संदेश भेजना चाहिए** । वहां अपने आदमियों में हिन्दी ही का एक छत्र राज्य था, किन्तु अब दशा बदलती जाती है और ऐसा भाषित होता है, कि मातृ-भाषा के विस्मरण के साथ ही वे देश और उसकी संस्कृति

का भी विस्मरण कर बैठेंगे। अमरीका, अफ्रीका, फीजी, गुयाना, वर्मा आदि में अपने भाइयों तक हिन्दी का संदेश पहुंचाना भारतवर्ष की संस्कृति की रक्षा करना है। युवकों को इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वे किसी प्रकार भी घाटे में न रहेंगे। इस प्रकार हिन्दी और देश की सेवा कर सकेंगे और संसार भ्रमण करके अपने मानसिक क्षितिज को भी अधिक विस्तृत कर सकेंगे।

(इ) हिन्दी में अच्छे और आवश्यक ग्रंथों के लिखने और प्रकाशित करने के लिए भी संगठित प्रयत्न होना चाहिए। हिन्दी विद्वानों की सुसंगठित मंडली द्वारा सदा भाषा और साहित्य के क्षेत्र की त्रुटियों पर विचार करें। यह सम्भव नहीं है कि कोई भी मण्डली सब प्रकार की पुस्तकों को लिख या प्रकाशित कर सकें। इसलिए इस प्रकार की मण्डली लेखकों और प्रकाशकों में सम्बन्ध स्थापित करें। जिन विषयों पर लिखे जाने की आवश्यकता हो, उन पर लिखने के लिए लेखकों और प्रकाशित करने के लिए प्रकाशकों को उत्साहित करें। ऐसे लेखक भी इस समय हैं जो किसी आवश्यक विषय पर ग्रंथ लिख बैठे हैं, किन्तु यद्यपि उनका ग्रंथ है तो अच्छा और खोजपूर्ण, किन्तु वह चलेगा नहीं। इसलिए कोई प्रशासक उसके प्रकाशन का साहस नहीं करता। इस प्रकार की मण्डली किसी भी ऐसे ग्रंथ को प्रकाशकों में कमी के कारण व्यर्थ न पड़ा रहने दे। उसके उद्योग की या तो उस ग्रंथ का कोई प्रकाशक खड़ा हो जाये या फिर सम्मेलन ऐसी कोई संस्था अपनी ओर से उसका प्रकाशन करे।

सत्साहित्य की वृद्धि के लिए साहित्य मण्डली प्रकाशित होने वाले ग्रंथों के विषय की आलोचना प्रत्यालोचना भी कर। अनुवाद का काम बेसिर-पैर का हो रहा है। अनावश्यक और व्यर्थ के अनुवाद अपने आप समाप्त हो जायेंगे, किन्तु यदि सविज्ञ जन समय-समय पर उन पर अपना मत प्रकट किया करें तो बहुत सा श्रम और शक्ति की बचत हो जाये। किसी समय बंगला में अनुवाद की झड़ी लगी थी, अब अंग्रेजी से हम बहुत कुछ लेते हैं। व्यर्थ को वस्तु कहीं से भी लेने की आवश्यकता नहीं, अच्छी को कहीं से छोड़ना भी नहीं चाहिए। विदेशी भाषाओं में केवल अंग्रेजी को अपना आधार मान बैठने के कारण हमने अपनी दृष्टि को संकुचित बना लिया है और हम संसार भर की वस्तुओं को केवल अंग्रेजी चश्मे से देखने लगे हैं। अंग्रेजी में जो कुछ नहीं है उसे हम नहीं जान पाते। उसमें जो कुछ तोड़ा मरोड़ा हुआ है उसे हम उसी प्रकार के विकृत रूप में देखते हैं। अंग्रेजी और बंगला के शब्दों और वाक्यों की हिन्दी पर बहुत छाया पड़ी है। मैं अन्य भाषाओं से कुछ भी लेने शब्दों और वाक्यों के लेने तक के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु अपनी भाषा के व्यक्तित्व की रक्षा का विचार रखते हुए मैं कुछ लेना चाहता हूं उसे खोकर नहीं। हमारे अनुवादकों को विदेशी भाषाओं में फ्रेंच और जर्मन भाषा के भण्डार तक पहुंचने का यत्न करना चाहिए। घर में हमें संस्कृत, पालि और उर्दू की ओर भी दृष्टि डालनी चाहिए। संस्कृत और पालि के अनेक ग्रन्थ और उनका पौराणिक बौद्ध और जैन साहित्य हिन्दी के रूप में आकर हमारे बौद्धिक जीवन के लिए बहुत श्रेयस्कर हो सकता है। आयुर्वेद के समस्त ग्रन्थों के हिंदी में होने और लोक कल्याण के लिए उनकी शिक्षा बहुत व्यापक रूप से हिन्दी में होने की आवश्यकता है विज्ञान, पुरातन, इतिहास, राजनीतिक और अर्थशास्त्र और विविध धर्मों के ऐतिहासिक उत्थान और पतन पर मौलिक और अनुवादित बहुत सी पुस्तकें हिन्दी में होनी चाहिए। अभी पिछले मास ही, महिला विद्यापीठ के उपाधि वितरण उत्सव पर अध्यक्षीय महोदय ने कहा था कि हिन्दी में स्त्री साहित्य की बहुत कमी है और उनकी वृद्धि के लिए यत्न होना चाहिए। स्त्रियों ने हिन्दी की बहुत रक्षा की। उन दिनों मैं जब उत्तरी भारत में हिन्दी का ज्ञाता होना लज्जाजनक तक समझा जाता था, लाला हरदयाल के कथनानुसार, उन कठिन दिनों में भी हिन्दी, यदि बची रहीं तो केवल स्त्रियों के कारण और माताओं बहिनों और पत्नियों को पत्र लिखने के लिए पुरुषों को विवश होकर नागरी अक्षरों का परिचय प्राप्त करना पड़ता था। अब इस युग में तो, उनके लिए जो साहित्य आवश्यक है उसकी कमी नहीं रहनी चाहिए। साइमन कमीशन के साथ देश भर की शिक्षा की दशा जांच करने के लिए, हटांग कमेटी बैठी थी। उसकी रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है। वह कमेटी कहती है कि देशी भाषाओं में बाल साहित्य की बहुत कमी है और यह भी एक कारण है जिससे लोक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता। हिन्दी के साहित्य सेवियों का इधर भी ध्यान जाना चाहिये। इधर हिन्दी में स्त्री साहित्य और बाल साहित्य के रूप में कुछ पुस्तकें निकाली भी हैं किन्तु अभी बहुत सुरुचि और सुचयन के साथ बहुत निकलने की आवश्यकता है। उर्दू की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उससे अब हिन्दी को बहुत लाभ पहुंच सकता है। उसके वजीर, हाली, दाग, गालिब, आजाद और अकबर सहज में हमारे हो सकते हैं। और उनकी कृतियों से हम लाभ उठा और गर्व कर सकते हैं। हिन्दी और उर्दू के शब्द और वाक्य रचना में कोई अन्तर नहीं है हाली और रत्न-ना 'शरशार' ऐसे उर्दू साहित्य सेवियों के ग्रन्थों के मुहावरे बहुत लाभ के साथ हिन्दी में ग्रहण किये जा सकते हैं। हिन्दी भारतीय राष्ट्र की समस्त निधि की रक्षिका होनी चाहिए। इसलिए प्राचीन विशाल भारत पर भी उसमें साहित्य होना चाहिए। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'बृहत्तर भारत, संस्था के कारण, हमें प्राचीन विशाल, भारत के दर्शन होते जा रहे हैं। वह अत्यन्त दिव्य है। वह अत्यन्त गौरवान्वित करने वाला है।

श्रीमान कपूरथला नरेश हाल ही में, स्याम देश के त्वांगकोर नामक स्थान के खंडहरों में प्राचीन विशाल भारत के गौरव-स्वरूप कुछ सुन्दर मंदिरों और उनमें खचें हुए

शताब्दियों पुराने रामायण और महाभारत सम्बन्धी चित्रों और मूर्तियों को लगभग 2–3 मील के घेरे में अब तक बने हुए देखकर आश्चर्य चकित हो गये थे। उनके ये शब्द हैं––"प्राचीन रोम और ग्रीस के सबसे अधिक सुन्दर वैभवशाली स्मारकों से भी बढ़कर यह सुन्दर और शोभाशाली है और संसार भर में इससे बड़ी अद्भुत कोई वस्तु मैंने आज तक नहीं देखी।" कपूरथला नरेश संसार भर में कई बार भ्रमण कर चुके हैं। उनकी यह राय है––"जावा, सुमात्रा, बाली श्याम तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान आदि में पता नहीं हमारी संस्कृति का कितना वैभव छिपा पड़ा है। जो कुछ पता लगता जाये उसका हिन्दी द्वारा परिचय हमारी भाषा को जितना ऊंचा करेगा, कम से कम उतना ही ऊंचा वह हमारे मन को भी करेगा।

नागरी लिपि पर जो आक्रमण हो रहे हैं उनमें भी इसकी रक्षा के लिए यत्न होना चाहिए, पहले तो हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना जाना ही कठिन था किन्तु अब जब यह कठिनाई नहीं रही तब रोमन अक्षरों की श्रेष्ठता और सुविधा प्रकट करके देश के काम में उनके व्यवहृत किये जाने की बात उठायी जा रही है। यह चर्चा पहले तो विदेशी लोगों द्वारा चली, किन्तु अब तो अपने आदमी भी तुर्की के कमाल पाशा के अनुकरण के बहुत अभिलाषी हैं। अभी हाल ही में पंजाब के कमिश्नर मि. लतीफ ने रोमन लिपि को भारत वर्ष की राष्ट्र-लिपि बना दिये जाने के लिए समाचार पत्रों में लेख लिखे और कुछ समय पहले, सर्वदलीय सम्मेलन की लखनऊ में एक बैठक में जबकि देश की लिपि पर विचार हुआ, तब देश में कुछ मुख्य कार्यकर्त्ता बड़े आग्रह के साथ इस बात के लिए तैयार थे कि रोमन लिपि राष्ट्र लिपि मान ली जाए। नागरी लिपि सर्वथा दोष-शून्य नहीं है। और हिन्दी के टाइप में तो सुविधा और शुद्धता की दृष्टि से बहुत से सुधार वांछनीय हैं, परन्तु केवल इन त्रुटियों के कारण देश और राष्ट्र पर गौरव करने वाले किसी व्यक्ति के मन की रोमन लिपि ऐसे दोषपूर्ण और परदेशी वस्तु पर लोट-पोट नहीं हो जाना चाहिए। रोमन लिपि का सबसे बड़ा आकर्षण यह कहा जाता है कि उसके द्वारा हम संसार के और भी संकट हो जायेंगे और उसकी बहुत सी मान्य सुविधाओं से लाभ उठाने वाले बन जायेंगे। किन्तु स्वतन्त्र अस्तित्व को मिटा देने वाले इस मोंह के कारण हम अपनी इस आशा को और विश्वासों को छोड़ दें कि 32 करोड़ आदमियों की लिपि से संसार एक दिन परिचय प्राप्त करने और उसे विशेष स्थान देने के लिए लालायित होगा।

और भी बहुत सी दिशाओं में हमें अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी। हमारी संस्थाओं में और उनके कार्य के ढंग में जो त्रुटियां हों, उनको भी दूर करना आवश्यक है। इस महायज्ञ में सबकी और सब प्रकार की शक्तियों का संयोजित होना आवश्यक है। कुछ कर सकने योग्य कोई भी भारतीय ऐसा न बचे, जो अपनी शक्ति भर भारतवर्ष की 'राष्ट्रभाषा' की भीतरी और बाहरी बुद्धि के काम में हाथ बटाने के लिए आगे न बढ़े। मनुष्य के भाग्य का नक्षत्र उसे अपने जीवन के लक्ष्य की ओर प्रेरित किया करता है। मनुष्य के समूह, जातियों और राष्ट्रों के रूप धारण करके दैवी बल की प्रेरणा से अपने हिस्से के विश्व-चित्र की पूर्ति करते हैं। भाषा और उसके साहित्य के जन्म और विकास की रेखाएं भी किसी विशेष ध्येय से शून्य नहीं हुआ करती। हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य का भविष्य भी बहुत बड़ा है। उसके गर्भ में निहित भवितव्यताएं इस देश और उसकी भाषा द्वारा संसार भर के रंगमंच पर एक विशेष अभिनय कराने वाली हैं। मुझे तो ऐसा भासित होता है कि संसार की कोई भी भाषा मनुष्य, जाति को इतना ऊंचा उठाने, मनुष्य का यथार्थ में मनुष्य बनाने और संसार को सुसभ्य और सद्भावनाओं से युक्त बनाने में उतनी सफल नहीं हुई जितनी कि आगे चलकर हिन्दी भाषा होने वाली है। हिन्दी को अपने पूर्व संचित पुण्य का बल है। संसार के बहुत बड़े विशाल खण्ड में सर्वथा अंधकार था, लोग अज्ञान और अधर्म में डूबे हुए थे, विश्व-बंधुत्व और लोक-कल्याण का भाव भी उनके मन में उदय नहीं हुआ था, उस समय जिस प्रकार, इस देश से सुदूर देश-देशांतर में फैलकर बौद्ध भिक्षुओं ने बड़े-बड़े देशों से लेकर अनेकानेक उपत्काओं, पठारों और तत्कालीन पहुंच से बाहर गिरि-गुहाओं और समुद्र-तटों तक जिस प्रकार धर्म और अहिंसा का संदेश पहुंचाया था, उसी प्रकार अदूर भविष्य में उन पुनीत संदेश वाहकों की संवर्ति संस्कृत और पालि की अंग्रेजी हिन्दी द्वारा भारत वर्ष और उस की संस्कृति के गौरव का संदेश एशिया महाखण्ड के प्रत्येक मंत्रणा स्थल में, एशियाई महासंघ के प्रत्येक रंगमंच पर सुनावेगी। मुझे तो वह दिन दूर नहीं दिखाई देता, जबकि हिन्दी साहित्य अपने सौष्ठव के कारण जगत साहित्य में अपना विशेष स्थान प्राप्त करेगा और हिन्दी भारतवर्ष में ऐसे विशाल देश की राष्ट्र-भाषा की हैसियत से, न केवल एशिया महाद्वीप के राष्ट्रों के समान केवल बोली भर न जायेगी, किन्तु अपने बल से संसार की बड़ी-बड़ी समस्याओं पर भरपूर प्रभाव डालेगी और उसके कारण अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बिगड़ और बना करेंगे। संसार की अनेक भाषाओं के इतिहास, धर्मांनियों में बहने वाले ठंडे रक्त को उष्ण कर देने वाली उन मार्मिक समस्याओं से भरे पड़े हैं, जो उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए घटित हुई। फ्रांस की किरणों की नोक छाती पर गड़ी हुई होने पर भी हर प्रांत के जर्मनों ने अपनी मातृभाषा के न छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा की और उसका अक्षर-अक्षर पालन किया। कनाडा के फ्रांसीसियों का अपनी मातृभाषा के लिए प्रयत्न करना किसी समय अपराध था किन्तु घमण्डी मनष्यों के बनाए हुए इस कानून का मातृभाषा के भक्तों ने सदा उल्लंघन किया। इटली आस्ट्रिया के छीने हुये प्रदेशों के लोंगो के गले के नीचे जबर्दस्ती अपनी भाषा चाहती थी किन्तु वह अपनी समस्त शक्तियों से भी मातृभाषा के प्रेमियों को न दबा सकी। आस्ट्रिया ने हंगरी को पददलित करके उसकी भाषा नाश करनी चाही किन्तु आस्ट्रिया निर्मित राजसभा में बैठकर हंगरी वालों को अपनी भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा में बोलने से इनकार कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका के जनरल बोथा ने

केवल इस बात को सिद्ध करने के लिए कि न उसका देश विजित हुआ और न ही उनकी आत्मा ही, बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हुए भी बादशाह जार्ज से साक्षात होने पर अपनी मातृभाषा डच में बोलना ही आवश्यक समझा और एक दुभाषिया उनके तथा बादशाह के बीच में काम करता था। यद्यपि हिन्दी के अस्तित्व पर अब इस प्रकार के खुले प्रहार नहीं होते किन्तु उन ढके मुंदे प्रहारों की कमी भी नहीं है जो उन पर और इस प्रकार देश की सुसंस्कृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। साहस के साथ और उस अगाध विश्वास के साथ जो हमें हिन्दी भाषा और उसके साहित्य के परभोज्ज्वल भविष्य पर है, हमें इस प्रकार के प्रहारों का सामना करना चाहिए और जितने बल और क्रियाशीलता के साथ हम ऐसा करेंगे जितनी द्रुत गति के साथ हम अपनी भाषा की त्रुटियों को पूरा करेंगे और उसे 32 करोड़ व्यक्तियों की राष्ट्रभाषा के बलशाली और गौरव युक्त बनायेंगे, उतना ही शीघ्र हमारे साहित्य-सूर्य की रश्मियां दूर-दूर तक समस्त देशों में पड़ कर भारतीय संस्कृति ज्ञान और कला का

सन्देश पहुंचायेंगी, उतने ही शीघ्र भाषा के दिये गये भाषण संसार की विविध रंगस्थलियों में गुंजरित होने लगेंगे और उनसे मनुष्य जाति मात्र की गति-मति पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा और उतने ही शीघ्र एक दिन और उदय होगा और वह होगा तब जब इस देश के प्रतिनिधि उसी प्रकार जिस प्रकार आयरलैण्ड के प्रतिनिधियों ने इंगलैण्ड से अन्तिम संधि करने और स्वाधीनता प्राप्त करते समय अपनी विस्मृत भाषा मौलिक में सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। भारतीय स्वाधीनता के किसी स्वाधीनता पत्र पर हिन्दी भाषा में और नागरी अक्षरों में अपने हस्ताक्षर करते हुए दिखाई देंगे।

2 मार्च 1930

—दैनिक गणेश (17-6-89)
कानपुर से समाचार

प्रपत्र-4 (देखिए नियम 8)

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

समाचारपत्रों का पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम

"राजभाषा भारती" के स्वामित्व तथा अन्य विवरणों की सूचना

1. प्रकाशन स्थान	लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003.
2. प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3. मुद्रक का नाम व पता	प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली।
क्या भारत का नागरिक है	भारतीय नागरिक
4. प्रकाशक का नाम व पता	डॉ. गुरुदयाल बजाज उप संपादक, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, 11वां तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।
क्या भारत का नागरिक है	भारतीय नागरिक
5. संपादक का नाम व पता	डॉ. महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक (अनुसंधान) राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते, जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से सांझेदार या हिस्सेदार हों।	भारत सरकार

मैं डॉ. गुरुदयाल बजाज एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

(डॉ. गुरुदयाल बजाज)

दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 प्रकाशक के हस्ताक्षर

विश्व हिन्दी दर्शन

अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी संगोष्ठी

लल्लन प्रसाद व्यास*

विश्व साहित्य संस्कृति संस्थान ने अपनी गरिमा और स्तर के अनुकूल दिल्ली में कुछ दिन पूर्व एक द्वि-दिवसीय "अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी संगोष्ठी" का आयोजन किया जो लगभग दो सप्ताह के अन्तराल में ही इसका दूसरा महत्वपूर्ण आयोजन था। जनकपुर (नेपाल) में आयोजित पंचम "अन्तर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन" के बाद यह "अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी संगोष्ठी" आयोजित हुई। गोष्ठी में भारत के अतिरिक्त सोवियत संघ, हालैण्ड, चीन, ब्रिटेन, फिजी, मोरिशस, त्रिनिडाड, कनाडा, गयाना और सूरीनाम के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यह सम्मेलन अक्तूबर, 1987 में लन्दन और अक्तूबर, 1988 में हेग (हालैण्ड की राजधानी) में आयोजित प्रथम और द्वितीय संगोष्ठियों की शृंखला में तीसरा था। यह संगोष्ठी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के सहयोग से आयोजित हुई। इस आयोजन में भारत भर के सरकारी तथा स्वायत्तशासी प्रतिष्ठानों (बैंक आदि भी) के राजभाषा अधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

संगोष्ठी का मुख्य विचारणीय विषय "राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में हिन्दी : आधुनिक चुनौतियाँ" निश्चित किया गया था जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से कम्प्यूटर के उपयोग से हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं के सम्मुख उत्पन्न समस्याओं और सम्भावनाओं पर विचार करना था। पिछले कुछ वर्षों से यह अनुभव किया जाता रहा कि कम्प्यूटरों के उपयोग से अंग्रेजी का उपयोग स्वाभाविक रूप से अत्यधिक बढ़ रहा है, यहां तक कि कहीं-कहीं जिन सरकारी विभागों में राजभाषा हिन्दी का उपयोग होता था, वहां भी अंग्रेजी की वापसी हो रही है। अतएव यदि तत्काल इस समस्या को बढ़ने से रोका न गया और कम्प्यूटर जैसे यन्त्र को अपनी भारतीय भाषाओं के उपयोग के अनुसार नहीं बनाया गया तो वह इन भाषाओं को ही निगल जाएगा और विदेशी भाषा अंग्रेजी के प्रचार में सहायक बनेगा। ऐसी गम्भीर आधुनिक समस्या पर विचार करने वाला यह पहला अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था।

*सी-13 प्रेस एनक्लेव, साकेत, नई दिल्ली-110017.

इसी उद्देश्य से भारतीय भाषा और कम्प्यूटर विषय पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें गोदरेज, एस.आर.जी., श्याम कम्प्यूटर्स, सॉफ्टेक, नाइटेल, ए.ई.एम., सोनाटा, आदि कम्पनियों ने भाग लिया।

उद्घाटन सत्र

इस सत्र की अध्यक्षता सोवियत संघ के प्रमुख कवि विद्वान प्रो. अलेक्जेंडर सिनकेविच ने की तथा उद्घाटन किया त्रिनिडाड के हिन्दी विद्वान और प्रचारक प्रो. हरिशंकर आदेश ने। सर्वप्रथम "विश्व साहित्य संस्कृति संस्थान" के महासचिव श्री लल्लन प्रसाद व्यास ने संगोष्ठी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व की तीसरी बड़ी भाषा को राष्ट्रसंघ में स्थान मिलना चाहिए तथा भारत में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक उपयोग में सहायक बनें, न कि बाधक। प्रो. आदेश ने अपने उद्घाटन भाषण में इसका समर्थन किया।

मोरिशस के हिन्दी प्रचारक श्री सुरेश रामधर्ण ने मोरिशस में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का विवरण दिया और कहा कि हिन्दी के साथ ही हमारा कल्याण जुड़ा है। हालैण्ड में रामचरितमानस के माध्यम से हिन्दी के प्रचारक श्री ब्रहमदेव उपाध्याय ने बताया कि उस देश में हिन्दी का प्रचार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है तथा तीन रेडियो स्टेशन हिन्दी के कार्यक्रम प्रसारित करने में लगे हैं। भारत में चीनी दूतावास के सांस्कृतिक सचिव श्री ली झाओ किन ने चीन में हिन्दी के व्यापक उपयोग पर प्रकाश डाला। अन्त में प्रो. सिनकेविचव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सोवियत संघ में हिन्दी के असाधारण महत्व के बारे में बताया। संस्थान की ओर से आभार श्री एन. एन. अग्रवाल ने व्यक्त किया।

इसके बाद राजस्थान परिषद् (जो हिन्दी व्यवहार को बढ़ाने का कार्य में संलग्न है) की ओर से भोज की व्यवस्था की गई।

दूसरा सत्र

अपराह्न के सत्र की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध समाजसेविका तथा हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षा कुमारी निर्मला देशपाण्डे ने की तथा संचालन किया केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक डॉ. गंगा प्रसाद विमल ने। इस सत्र का विचारणीय विषय था--"राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी"। जिसमें केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के निदेशक डॉ. बालगोविन्द मिश्र, राजभाषा विभाग के निदेशक डॉ. महेश चन्द्र गुप्त, शिक्षा-शास्त्री डॉ. यतीन्द्र तिवारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर तथा चिकित्सा विज्ञान में हिन्दी के पक्षधर डॉ. जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, वाणिज्य-व्यापार में हिन्दी के समर्थक श्री रजनीश गोयनका आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा राष्ट्रीय जीवन को धरती के संस्कारों से युक्त बनाने तथा भारत के अपने स्वतन्त्र मौलिक व्यक्तित्व की पुनःस्थापना के लिए स्वभाषा के व्यापक उपयोग पर बल दिया। इसके पूर्व कम्प्यूटर प्रदर्शनी का उद्घाटन सोवियत विद्वान अलेक्जेंडर सिनकेविच ने किया जिसमें सोवियत दूतावास के सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख डॉ. वी.के. पारखोमेनको भी उपस्थित थे।

उपराष्ट्रपति की प्रेरणा और प्रोत्साहन

उसी दिन सायंकाल उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने अपने निवास पर संगोष्ठी के भारतीय तथा विदेशी प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया जहां मोरिशस के श्री सुरेश रामबर्ण को हिन्दी प्रचार, सोवियत संघ के प्रो. अलेक्जेंडर सिनकेविच को हिन्दी साहित्य सृजन तथा 'वॉयस ऑफ जर्मनी' और "बी.बी.सी." को उनकी हिन्दी प्रसारण सेवाओं के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान पट्ट, सम्मान-पत्र तथा शाल भेंट करके किया गया। विदेशों में हिन्दी प्रसारण के लिए प्राप्त होने वाला यह पहला सम्मान था। जिसके लिए बी.बी.सी. और वॉयस ऑफ जर्मनी के संचालक मण्डल ने विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। बी.बी.सी. की हिन्दी सेवा की ओर से उनके दिल्ली प्रतिनिधि श्री सतीश जैकब और 'वॉयस ऑफ जर्मनी' की ओर से पश्चिम जर्मनी दूतावास प्रथम सचिव (सांस्कृतिक) के डॉ. पीटर अम्मान ने यह सम्मान स्वीकार किया।

अपने आशीर्वचन में महामहिम उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि हिन्दी की धारा समन्वय की धारा है और सबको सम्मान देने वाली है। वस्तुतः हिन्दी का सन्देश भारत का सन्देश है।

भारतीय भाषाएं और कम्प्यूटर

दूसरे दिन की संगोष्ठी अपराह्न में शुरू हुई जिसकी अध्यक्षता संगोष्ठी के महामंत्री श्री लल्लन प्रसाद व्यास ने की तथा संचालन रेल मंत्रालय के निदेशक (राजभाषा) श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने किया। इसमें इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अपर निदेशक डॉ. ओम विकास, राजभाषा विभाग के तकनीकी निदेशक श्री कौशिक मुकर्जी, रेल मंत्रालय के कम्प्यूटर विशेषज्ञ डॉ. अस्थाना तथा सॉफ्टेक कम्प्यूटर कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री हेमन्त कुमार ने सविस्तार बताया कि कम्प्यूटरों के माध्यम से हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के उपयोग की प्रक्रिया शुरू हो गयी है और इसकी अमित सम्भावनाएं हैं, बशर्ते भारत सरकार तथा गैर सरकारी संस्थान भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दें। अन्त में श्री व्यास ने आशा व्यक्त की कि 'संस्थान' ऐसी गोष्ठी और अधिक व्यापक रूप से आगामी वर्ष भी आयोजित करेगा। यह गोष्ठी भविष्य के और अधिक विशाल आयोजन की भूमिका है।

प्रेरक कवि गोष्ठी

इसके पूर्व प्रातःकाल प्रेस इन्क्लेव स्थित संस्थान के कार्यालय में एक काव्य-गोष्ठी महाकवि प्रो. हरिशंकर आदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसका संचालन कलकत्ता से पधारें प्रसिद्ध कवि डॉ बुद्धिनाथ मिश्र ने किया। इस कवि गोष्ठी में भाग लेने वाले कवियों में डॉ. बलदेव बंशी, डॉ. जगदीश गुप्त, डॉ. यतीन्द्र तिवारी, राजेश श्रीवास्तव, सर्वदानन्द द्विवेदी, श्री प्रद्युम्न नाथ तिवारी "करुणेश" आदि ने अपनी प्रेरक और सोद्देश्य रचनाओं के माध्यम से कविगोठी को सार्थकता प्रदान की।

इस प्रकार भाषा साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में दो दिन की यह "अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी संगोष्ठी" एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना बन गई जिसने भविष्य में अनेक आशाओं और आकांक्षाओं को जन्म दिया है तथा यह विश्वास भी जगाया है कि राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में स्वभाषा पर ऐसी सार्थक चर्चाएं भविष्य में भी निरन्तर होती रहनी चाहिए। "विश्व साहित्य संस्कृति संस्थान" की ओर से भी विश्वास दिलाया गया कि वह अपना सांस्कृतिक योगदान नित नवीन ढंग से करता चलेगा। इस आयोजक संस्था के बारे में ये ज्ञातव्य है कि यह प्रतिवर्ष भाषा संस्कृति और युवा वर्ग से संबंधित अतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गोष्ठी आदि आयोजित करता है जिसका उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय एकता और विश्व में सद्भाव और शांति का विस्तार करना है। दिसम्बर 1988 में इसने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में चतुर्थ विश्व रामायण सम्मेलन आयोजित किया था जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरामन ने किया था और समापन उपराष्ट्रपति डा. शंकरदयाल शर्मा ने। इस सम्मेलन में सभी धर्मों और शासन पद्धतियों के देशों ने भाग लिया था।

□

(क) केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

केन्द्रीय हिन्दी समिति की 22वीं बैठक प्रधान मंत्री जी की अत्यधिक कार्यव्यस्तता के कारण विदेश मंत्री श्री पी.वी. नरसिंहराव की अध्यक्षता में दिनांक 12 अक्तूबर 1989 को आयोजित हुई।

श्री आर.के. शर्मा, सचिव राजभाषा विभाग ने अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों का स्वागत किया और गृह मंत्री जी का भाषण पढ़ा जिसमें मुख्य बातें ये थीं:—

राजभाषा नीति के संबंध में सांविधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। राजभाषा के बारे में उचित मानसिकता का वातावरण बनाने के लिए गतवर्ष जम्मू, चण्डीगढ़ और गोवा में राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया गया। राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का जायजा लेने के लिए बेंगलूर, बम्बई, कलकत्ता, गाजियाबाद, गुवाहाटी, भोपाल और कोच्चिन में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय खोले गए हैं।

भारतीय संविधान का प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार किया जा चुका है। विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) संशोधन विधेयक पारित किया गया है।

संसदीय राजभाषा समिति ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी जो तीन रिपोर्टें राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की हैं उनकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जा रही है।

विदेश मंत्री जी ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए संतोष व्यक्त किया कि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में जो कठिनाइयां आई हैं, उन्हें हम हटाते रहे हैं। आदेशों के माध्यम से जितना किया जा सकता है वह हो रहा है, किन्तु जितना अपने मन से होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। जहां इच्छा शक्ति होती है वहां काम अच्छा होता है। आदेश और इच्छा शक्ति के बीच की सीमा रेखा हम लांघ नहीं पा रहे हैं। आदेशों द्वारा इच्छा कैसे पैदा की जाए वह विचारणीय है।

इसके पश्चात् कार्यसूची की विभिन्न मदों पर विचार-विमर्श हुआ। समिति की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गई।

21वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के दौरान त्रिभाषा सूत्र और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल की बैठक बुलाने और निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में विचार के दौरान डॉ. जगन्नाथ मिश्र, संसद सदस्य, ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम के अन्तर के कारण बढ़ती हुई खाई का उल्लेख किया और जोर देकर कहा कि पूर्वांचल सहित भारत के सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर हिन्दी भाषा अनिवार्य की जाए।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने यह जानना चाहा कि क्या शिक्षा विभाग में प्रस्तावित बैठक हुई है या नहीं और उसके क्या परिणाम निकले हैं। इस संबंध में समुचित जानकारी दिए जाने का निर्णय हुआ।

[कार्रवाई : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग]

हिन्दी के प्रचार से संबंधित संस्थाओं के अनुदान की दरों में बढ़ोतरी करने के बारे में शिक्षा विभाग ने सूचित किया कि सभी स्वैच्छिक संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान में 10 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। विचार-विमर्श के दौरान श्री सुधाकर पाण्डेय ने यह उल्लेख किया कि हिन्दी की अखिल भारतीय संस्थाओं को रख-रखाव के लिए अनुदान नहीं दिया जा रहा है। रख-रखाव के लिए जिस प्रकार कुछ संस्थाओं को अनुदान

दिया जाता है उसी प्रकार अन्य संस्थाओं को भी अनुदान दिया जाए। इस पर उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने भी कहा कि केन्द्र सरकार को इस विषय में विचार करना चाहिए।

(कार्रवाई : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग)

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में संबंधित समिति को विचार भेजे जाने के विषय में चर्चा के दौरान श्री सुधाकर पाण्डेय ने उल्लेख किया कि समिति के अध्यक्ष को विचार भेजे गए हैं, किन्तु अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस बारे में उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। श्री पाण्डेय का यह विचार था कि हिन्दी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार-क्षेत्र से अलग कर दिया जाए, जिस प्रकार इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विश्व हिन्दी विद्यापीठ विधेयक, 1988 के प्ररूप पर शिक्षा विभाग में गठित उप-समिति द्वारा विचार किए जाने के बारे में शिक्षा राज्य मंत्री श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही ने उपसमिति की बैठक शीघ्र कराए जाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि से अनुरोध किया। उन्होंने उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना दक्षिण में किए जाने के उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के सुझाव से भी सहमति व्यक्त की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि ने आयोग के अध्यक्ष का यह विचार बताया कि देश के विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई का वैकल्पिक माध्यम रहे तो उससे देश में समान शिक्षा नीति व्यावहारिक रूप ले सकेगी। इस विचार का स्वागत किया गया।

केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिन्दी में काम करने की क्षमता तेजी से उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा के दौरान यह बताया गया कि सभी वैयक्तिक कम्प्यूटर देवनागरी में भी काम कर सकते हैं। इन कम्प्यूटरों का उपयोग वर्डप्रोसेसर के रूप में करने के लिए साफ्टवेयर पैकेज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जहां इन कम्प्यूटरों का उपयोग वर्ड प्रोसेसर के रूप में किया जाता है वहां उसके लिए द्विभाषक वर्ड प्रोसेसर की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के बारे में इलेक्ट्रानिकी विभाग कार्रवाई कर रहा है। उस विभाग द्वारा कम्प्यूटर सूचना कोड और कुंजी पटल के मानकीकरण के बारे में एवं उन्हीं कम्प्यूटरों को जिन पर हिन्दी में भी काम करने की क्षमता हो, खरीदने के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। सचिव (राजभाषा) ने विभाग के तकनीकी कक्ष में भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर के माध्यम से काम करने के निमित्त किए जा रहे विशेष प्रयासों का एवं इसके लिए साफ्टवेयर विकसित करने के क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त हुई है, उसका उल्लेख किया। तकनीकी कक्ष के निदेशक ने सूचना दी कि इस प्रयोजन के लिए तैयार किए जा रहे डिस्क में 16 भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। विदेश मंत्री जी ने तकनीकी कक्ष के इन प्रयासों को सराहा।

(कार्रवाई : राजभाषा विभाग)

द्विभाषिक इलेक्ट्रानिक टेलिप्रिंटर के उत्पादन में शीघ्रता लाने के निर्णय पर विचार करते समय यह बताया गया हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स लिमिटड, मद्रास द्वारा गतवर्ष लगभग 3000 टेलिप्रिंटर बनाए गए जिनमें से लगभग आधे ऐसे थे जिनमें हिन्दी में काम लिया जा सकता है। श्री सुधाकर पाण्डेय ने यह जानना चाहा कि कितने समय में द्विभाषिक टेलिप्रिंटर सभी विभागों को उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री पन्ना लाल शर्मा ने द्विभाषिक यंत्रों में स्थिति संतोषजनक न होने का उल्लेख किया और कहा कि सभी टेलेक्स द्विभाषिक करा लिए जाएं। इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

(कार्रवाई : दूर संचार तथा राजभाषा विभाग)

हिन्दी के पदों के सृजन और भरे जाने के बारे में कठिनाई को दूर करने और हिन्दी के लिए आवश्यक पदों के सृजन में उदारता बरतने के विषय में चर्चा के दौरान श्री पन्ना लाल शर्मा ने उल्लेख किया कि हिन्दी संबंधी पदों के सृजन के बाद उनके भरने के लिए जो पैनल बनाए जाते हैं उन्हें यथासमय ऑपरेट नहीं किया जाता जिससे पैनल एक वर्ष के बाद अप्रभावी हो जाने के पश्चात् पद भरे नहीं जाते। ऐसी स्थिति में मंत्रालय/विभाग से संबंधित वित्त प्रभाग तथा वित्त मंत्रालय, सामान्य, नियमानुसार, जिसके अन्तर्गत कोई पद जो एक वर्ष से अधिक रिक्त रहे उसे भरा नहीं जा सकता है। ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति नहीं देता है। इन स्थितियों में यह भी अपेक्षा की जाती है कि एक वर्ष की रिक्तता के बाद इन पदों को भरने के लिए बजट में समतुल्य बचत दिखाई जाए। इन कारणों से हिन्दी के निमित्त सृजित पदों को भरने में परिहार्य कठिनाइयां आती हैं। यह विचार व्यक्त किया गया कि सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को निदेश दिया जाए कि वे हिन्दी पदों को भरने से संबंधित पैनल को यथाशीघ्र क्रियान्वित करें तथा वित्त मंत्रालय भी हिन्दी पदों के बारे में अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाए।

(कार्रवाई : वित्त मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग)

अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए उपलब्ध अवसरों की जांच किए जाने और उनके अपर्याप्त होने पर उचित कार्यवाही करने के संबंध में राजभाषा विभाग के दिनांक 6-4-1988 के आदेश का उल्लेख करते समय श्री हिमांशु जोशी ने इस संबंध में हुई प्रगति के विवरण जानना चाहा। सचिव (राजभाषा) ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में वांछित कार्रवाई संबंधित मंत्रालय/विभाग स्वयं करते हैं।

मेडिकल और इंजीनियरी के विषयों पर हिन्दी में पुस्तकें शीघ्र तैयार करने और इन विषयों में हिन्दी भाषी राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए हिन्दी माध्यम का विकल्प दिए जाने के निर्णय के बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया कि हिन्दी भाषी क्षेत्र के मैडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षा के माध्यम पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है, जो मौके पर अध्ययन करने के लिए कई मैडिकल कालेजों का दौरा कर रही है। हिन्दी में पुस्तकें तैयार कराने का उल्लेख करते समय डा. जगन्नाथ मिश्र ने सुझाव दिया कि हिन्दी में मौलिक लेखन किया जाए और इसके लिए विशेष अनुदान दिया जाए। श्री हिमांशु जोशी ने इस कार्य को योजनाबद्ध तरीके से किये जाने पर जोर दिया और सुझाव दिया कि तीन वर्ष का लक्ष्य रखकर इस कार्य को अलग-अलग संस्थानों में बांट दिया जाए। इस संबंध में सहमति व्यक्त की गई।

केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों का कार्यान्वयन तथा संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर कार्रवाई

केन्द्रीय हिन्दी समिति के निश्चयों के पूरी तरह कार्यान्वयन पर विचार के दौरान श्री सुधाकर पाण्डेय ने उल्लेख किया कि यह निर्णय हुआ था कि केन्द्रीय हिन्दी समिति के सर्वसम्मत निर्णय कैबिनेट के निर्णय माने जाएंगे। केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप-समिति की बैठकें भी 6-6 महीने तक नहीं होतीं, इसलिए निर्णयों के कार्यान्वयन पर समुचित दृष्टि नहीं रह पाती। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संसदीय राजभाषा समिति यद्यपि पिछले 12-13 वर्षों से काम कर रही है तो भी उसके प्रतिवेदन विलंब से प्रस्तुत हो रहे हैं। संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष डा. रुद्र प्रताप सिंह, संसद सदस्य ने इस संबंध में सूचित किया कि समिति की 1985 और 1986 में हुई बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार समिति अपना प्रतिवेदन छः खण्डों में प्रस्तुत कर रही है। सन् 1986 में ही समिति का पहला प्रतिवेदन, सन् 1987 में दूसरा प्रतिवेदन और सन् 1988 में तीसरा प्रतिवेदन तैयार करके राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर दिए गए। उन्होंने यह भी बताया कि चौथे प्रतिवेदन को भी पारित कर दिया गया है और वह भी शीघ्र राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इस प्रकार संसदीय राजभाषा समिति सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने में उसका बहुमूल्य योगदान है और समिति के योगदान की सामान्यतः सराहना की गई। उन्होंने समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई के लिए अनुरोध किया।

विदेशों में हिन्दी का प्रयोग

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को मान्यता दिए जाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय अध्यक्ष महोदय ने यह बताया कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 700 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने आदि की सूचनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। आवश्यकता है इसके लिए समुचित वातावरण पैदा करने की। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में भाषण आदि देने के लिए भारत सरकार की ओर से सहजता से व्यवस्था कर दी जाती है। फिलहाल यहां से टाइपिस्ट आदि वहां ले जाए जाते हैं किन्तु भविष्य के लिए वहीं पर व्यवस्था करवा दी जाएगी। सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में भाषण देने के लिए साधुवाद भी दिया। अध्यक्ष महोदय ने, श्री अश्विनी कुमार द्वारा वहां हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाए जाने के लिए खर्च का प्रश्न उठाये जाने पर, यह स्पष्ट किया कि प्रश्न खर्च का नहीं है, बल्कि हिन्दी के पक्ष में अन्य देशों का समर्थन मिलने का है, जिसमें कुछ समय लग सकता है।

केन्द्रीय सरकार के विदेशों में स्थित कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन।

केन्द्रीय सरकार के विदेशों में स्थित कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाने के मामले पर विचार करते समय यह निर्णय लिया गया कि विदेशों में स्थित भारतीय संस्थाओं के कार्यालयों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उनके कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए अलग वार्षिक-कार्यक्रम बना लिया जाए।

(कार्रवाई: राजभाषा विभाग)

विदेशों में आयोजित भारतीय महोत्सवों में हिन्दी का प्रयोग

श्री हिमांशु जोशी का यह प्रस्ताव था कि विदेशों में भारतीय महोत्सव जैसे राष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय प्रतिनिधियों को हिन्दी का प्रयोग करने की सलाह दी जाए और हिन्दी का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने इस विचार से सहमति प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे अवसर पर सभी सूचना पट्ट तथा महोत्सव में रखी गई प्रदर्शन की वस्तुओं आदि का विवरण हिन्दी में भी प्रस्तुत करवाया जाना चाहिए।

[कार्रवाई: विदेश मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (संस्कृति विभाग)]

दूरदर्शन और आकाशवाणी से हिन्दीतर भाषी लोगों के लिए विशेष समाचार वाचन की व्यवस्था कराना

डा. एन.के. जोसेफ का यह प्रस्ताव था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों की समाचार प्रसारण योजना के अन्तर्गत विशिष्ट हिन्दी में समाचार वाचन की व्यवस्था आरम्भ की जाए ताकि हिन्दीतर प्रदेशों के नव हिन्दी शिक्षित लोगों को हिन्दी समाचार समझने में विशेष सुविधा हो। इस विषय में कुछ सदस्यों ने आकाशवाणी द्वारा धीमी

गति के समाचार पढ़े जाने का उल्लेख किया । निर्णय हुआ कि इस विषय में दूरदर्शन के अधिकारियों से विचार-विमर्श कर लिया जाए।

(कार्रवाई : राजभाषा विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)

न्याय एवं विधि के क्षेत्र में हिन्दी

उच्चतम न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग की अनुमति

श्री पन्नालाल शर्मा का यह विचार था कि उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयों में हिन्दी के प्रयोग के लिए संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन की आवश्यकता नहीं है । वस्तुतः इस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार ऐसा करने के लिए सिर्फ संसद द्वारा अधिनियम बनाने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय ने यह आदेश दिया कि विधि एवं न्याय से चर्चा करते हुए आगे की कार्रवाई की जाए।

(कार्रवाई : राजभाषा विभाग तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय)

"क" और "ख" क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत कराना

श्री पन्नालाल शर्मा का यह प्रस्ताव था कि राजभाषा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार राजभाषा नियमों में वर्णित "क" और "ख" क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत कराने का निदेश दिया जाए। निर्णय किया गया कि इस पर अगली बैठक में विचार किया जाए ।

(कार्रवाई . राजभाषा विभाग)

अधिकरणों में हिन्दी का प्रयोग

श्री पन्नालाल शर्मा का यह प्रस्ताव था कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क अधिकरण, स्वर्ण नियंत्रण अपील अधिकरण आदि के नियमों में भाषा संबंधी उपबंध को संविधान की धारा 343 के अनुसार बदला जाए अर्थात् नियमों में यह लिखा जाए कि अधिकरण की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी होगी और केन्द्रीय राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पहले की तरह ही किया जा सकेगा । श्री शर्मा ने इस संबंध में यह उल्लेख किया कि 6 जनवरी, 1988 को दिल्ली में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा आयोजित अधिकरणों में हिन्दी का प्रयोग विषयक विचार गोष्ठी में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष ने यह कहा था कि अधिकरणों की स्थिति उच्च न्यायालयों आदि से भिन्न है और उन्हें सरकारी कार्यालयों की तरह माना जा सकता है । इस संबंध में यह निर्णय किया गया कि इस मामले में विधि और न्याय मंत्रालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण आदि से गहन और निरंतर विचार-विमर्श जारी रख कर आगे की कार्रवाई की जाए।

(कार्रवाई : राजभाषा विभाग तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय)

केन्द्रीय अधिनियमों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराना

श्री बालकृष्ण का यह प्रस्ताव था कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार समग्र केन्द्रीय विधियों के प्राधिकृत पाठ उन सभी प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित कराए जिन्हें राज्य सरकारों ने अपनी राजभाषा बनाया है तथा इस प्रावधान को लागू करने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए । उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 343 के साथ अनुच्छेद 246 पढ़ा जाए और प्राधिकृत पाठ विधि मंत्रालय के राजभाषा खण्ड द्वारा तैयार किए जाएं । उन्होंने यह सूचित किया कि "इण्डिया कोड" के सारे अधिनियमों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद पहले ही हो चुका है। विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड के संयुक्त सचिव डा. धन्य कुमार जैन ने इस बारे में स्टाफ की कमी का उल्लेख किया और कई कठिनाइयां बताईं। श्री पन्नालाल शर्मा ने विधि मंत्रालय के राजभाषा खण्ड द्वारा इस विषय में किए जा रहे कार्यों एवं प्रयासों की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि उक्त मंत्रालय के राजभाषा खण्ड को सुदृढ़ किया जाए ताकि उनकी कार्य क्षमता बढ़े और वे इस दिशा में अधिकाधिक कार्य कर सकें । यह निर्णय हुआ कि श्री बालकृष्ण इस बारे में अध्यक्ष महोदय को विस्तृत नोट भेजेंगे । विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड को यदि क्षमता बढ़ानी हो तो वे क्षमता बढ़ाएंगे ।

(कार्रवाई : विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड)

विधि शब्दावली के प्रयोग में एकरूपता लाना

श्री बालकृष्ण का यह प्रस्ताव था कि विधि शब्दावली के विषय में विधि मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रयुक्त हिन्दी की शब्दावली में समन्वय होना चाहिए । यह बताया गया कि विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड द्वारा जो विधि शब्दावली विकसित की गई है वह यथासंभव सभी भारतीय भाषाओं के प्रयोग के लिए है । तदनुसार यह निर्णय किया गया कि मीडिया से तालमेल बनाए रखा जाए और यथासंभव भाषा संबंधी स्वरूपता बनाए रखी जाए । इसके लिए एक उप समिति शीघ्र गठित की जाए, जो वांछित समन्वय का कार्य संपादित करे।

(कार्रवाई : विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड, राजभाषा विभाग तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय)

विधेयकों को अंग्रेजी और हिन्दी में साथ-साथ बनाना

श्री बालकृष्ण का यह प्रस्ताव था कि अंग्रेजी और हिन्दी में विधेयकों का साथ-साथ प्रारूपण किया जाए। वर्तमान में यह व्यवस्था है कि अंग्रेजी में प्रारूप बनने के पश्चात् उसका हिन्दी अनुवाद किया जाता है जो कि उचित नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहले प्रारूपण हिन्दी में किया जाए और बाद में उसका अंग्रेजी रूपान्तर किया जाए। इस संबंध में कुछ कठिनाइयां बताई गई। श्री बालकृष्ण ने तर्क दिया कि अब विधि की मानक शब्दावली उपलब्ध है, इसलिए इस कार्य में कठिनाई की विशेष संभावना नहीं है। इस संबंध में यह निर्णय किया गया कि विधेयकों का हिन्दी में मूल प्रारूपण तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

(कार्रवाई : विधायी विभाग)

शिक्षा एवं परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में हिन्दी माध्यम से शिक्षा

डॉ. मलिक मोहम्मद का यह प्रस्ताव था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षा के माध्यम के मामले में हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा जाए। डॉ. देवी प्रसन्न पट्टनायक का यह प्रस्ताव था कि प्रत्येक राज्य में हिन्दी और अंग्रेजी द्विभाषी माध्यम से शिक्षा के केन्द्रीय महाविद्यालय की स्थापना की जाए और महाविद्यालय स्तर पर हिन्दी माध्यम से पढ़ाई का प्रावधान किया जाए। डा. जगन्नाथ मिश्र ने नवोदय विद्यालयों में हिन्दी माध्यम में पढ़ाई न कराने का उल्लेख किया और हिन्दी माध्यम अपनाने में कठिनाइयां जाननी चाही। सदस्यों का यह विचार था कि महाविद्यालयों में जहां-जहां अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है वहां-वहां विकल्प के रूप में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई का प्रावधान रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने इस विचार से सहमति प्रकट करते हुए उल्लेख किया कि नवोदय विद्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के माध्यमों में समान दक्षता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। यह निर्णय किया गया कि क्रमिक रूप में देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई का विकल्प तैयार करने के प्रयत्न किए जाएं।

(कार्रवाई : मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग)

हिन्दी और सामान्यतः अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका

श्री सुधाकर पाण्डेय ने अध्ययन, अध्यापन और परीक्षा के लिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका को जानना चाहा और उल्लेख किया कि आयोग में कोई भारतीय भाषा एकक नहीं है। उन्होंने ऐसे एकक की स्थापना के लिए सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नई भर्ती के समय यह शर्त रखी जाए कि जो शिक्षक भारतीय भाषाओं में शिक्षा दे सकेंगे उन्हें वरीयता दी जाएगी। इस संबंध में यह सूचित किया गया कि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अध्ययन और अध्यापन पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्वानों की एक समिति का गठन किया है। समिति के मार्गदर्शन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। यह निर्णय किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भारतीय भाषा एकक की स्थापना के साथ-साथ विशेषज्ञों द्वारा दिए गए विभिन्न प्रस्तावों पर कार्य किया जाए।

(कार्रवाई : मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)।

मैडिकल कालेजों तथा तकनीकी विषयों की प्रवेश परीक्षा आदि में भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाना

श्री हिमांशु जोशी का प्रस्ताव था कि मेडिकल कालेजों में प्रवेश परीक्षा के लिए सभी भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाया जाए। उन्होंने यह भी जोर दिया कि प्रौद्योगिकी, मैडिकल और इंजीनियरी परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम की सुविधा दी जाए। इस विषय में सदस्यों की यह आम राय थी कि मैडिकल कालेजों की प्रवेश परीक्षाओं में हिन्दी को भी वैकल्पिक माध्यम शीघ्र बनाया जाए और मैडिकल, इंजीनियरी कालेजों में क्रमिक रूप में हिन्दी माध्यम में पढ़ाई के प्रयत्न किए जाएं। अध्यक्ष महोदय ने यह विचार व्यक्त किया कि धीरे-धीरे सब क्षेत्रों में हिन्दी माध्यम अपनाया जाए, किन्तु मैडिकल की पढ़ाई में हिन्दी माध्यम पर फिलहाल जोर न दिया जाए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव श्री मधुसूदन दयाल ने सूचित किया कि मैडिकल कालेजों में प्रवेश परीक्षा के प्रश्न-पत्र वस्तु-निष्ठा प्रकार के होते हैं और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यायालय को यह निवेदन करने का निर्णय कर लिया है कि वे दोनों भाषाओं अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में प्रश्न-पत्र तैयार करवाएंगे।

(कार्रवाई : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करना

श्री हिमांशु जोशी का प्रस्ताव था कि केन्द्रीय सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अब तक अंग्रेजी की अनिवार्यता ज्यों की त्यों बनी हुई है; राजभाषा विषयक संकल्प के पालन

के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी उनके पास नहीं है । उल्लेखनीय है कि संसद के दोनों सदनों में दिसम्बर, 1967 में सर्वसम्मति से पारित संकल्प के अनुसार, जो 18 जनवरी, 1968 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, संघ सेवाओं में भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय सामान्यतया हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का ज्ञान अपेक्षित है । श्री पन्नालाल शर्मा ने इस तथ्य को प्रकाश में लाते हुए बताया कि इस बारे में राजभाषा संकल्प की धारा 4(क) का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसे संसद की अवमानना माना जाना चाहिए। उन्होंने इस धारा को अविलम्ब लागू किए जाने पर जोर दिया । डा. जगन्नाथ मिश्र ने उल्लेख किया कि देश में सिर्फ 7% बच्चे अंग्रेजी पढ़ते और बोलते हैं और सरकारी सेवाओं में उन्हीं का वर्चस्व है । उन्होंने आगे कहा कि इसी वजह से सरकारी प्रतिष्ठानों में तनाव बना हुआ है और हिन्दी माध्यम से पढ़े-लिखे नौजवानों को सेवाएं नहीं मिल रही हैं, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता । समिति के अन्य सदस्यों ने भी इस संबंध में चिन्ता और जिज्ञासा व्यक्त की । अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस विषय पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित एक विशेष समिति विचार कर रही है । तो भी उन्होंने यह निर्णय दिया कि इस विषय में जांच की जानी चाहिए ।

(कारवाई : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

टेलीप्रिंटर और पुलिस बेतार में हिन्दी

द्विभाषिक टेलीप्रिंटर की व्यवस्था

श्री शंकर राव लोंढे का प्रस्ताव था कि कार्यालयों में द्विभाषी टैलीप्रिंटरों की व्यवस्था होनी चाहिए । इस विषय में सचिव (राजभाषा) ने सूचित किया कि द्विभाषी टैलीप्रिंटरों का उत्पादन हिन्दुस्तान टैलिप्रिंटर्स, मद्रास द्वारा किया जा रहा है और ये टैलीप्रिंटर चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह कार्य जल्दी कराया जाना चाहिए और इसे समयबद्ध बनाने की कोशिश की जाए ।

(कार्रवाई : दूर संचार विभाग)

पुलिस बेतार हिन्दी में भेजने की व्यवस्था

श्री शंकर राव लोंढे का प्रस्ताव था कि इस समय पुलिस बेतार रोमन लिपि में भेजे जाते हैं और अन्य सरकारी कार्यालय भी ऐसा ही कर रहे हैं । उन्होंने देवनागरी लिपि में तार भेजने के संबंध में जानकारी मांगी है । इस पर सचिव (राजभाषा) ने प्रगति होने का उल्लेख किया । यह निर्णय लिया गया कि प्रगति की समीक्षा की जाती रहे ।

(कार्रवाई : गृह मंत्रालय तथा दूर संचार विभाग)

हिन्दी प्रशिक्षण

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश-पूर्व हिन्दी का ज्ञान आवश्यक करना

श्री पन्नालाल शर्मा का प्रस्ताव था कि सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में विदेशी प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रवेश-पूर्व हिन्दी की न्यूनतम योग्यता अनिवार्य की जाए और प्रवेश के पश्चात् एक पीरिएड प्रति दिन के हिसाब से कम से कम आठवीं कक्षा तक का प्रयोजन-मूलक हिन्दी का ज्ञान उन्हें कराया जाए । श्री शर्मा ने कहा कि अन्य देशों जैसे रूस, जापान और जर्मनी आदि में जो लोग प्रशिक्षण के लिए जाते हैं उन्हें उन देशों की भाषाएं सीखकर जाना पड़ता है। इसलिए हमारे देश में भी ऐसी व्यवस्था करने का औचित्य है । अध्यक्ष महोदय का यह मत था कि इसमें अभी समय लगेगा और यह कार्य धीरे-धीरे होगा ।

(कार्रवाई : राजभाषा विभाग)

दक्षिण भारत में केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान सुदृढ़ करना

श्री एम. के. वेलायुधन् नायर का प्रस्ताव था कि केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के उप-कार्यालय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी स्थापित किए जाएं। इस विषय में सूचित किया गया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम, मद्रास, कोयम्बतूर और कोचीन नगरों में उप-संस्थान खोलने का प्रस्ताव है । श्री नायर ने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण में खोले जाने वाले केन्द्रों के लिए वहीं के लोगों को संस्थानों के साथ संबद्ध किया जाए और संस्थानों की स्थापना समयबद्ध रूप में की जाए ।

(कार्रवाई : राजभाषा विभाग)

सेवाओं में भर्ती होने से पहले हिन्दी प्रशिक्षण

प्रो. मलिक मोहम्मद का यह प्रस्ताव था कि कर्मचारियों को उनके भर्ती होने से पहले अथवा भर्ती होने के तुरन्त बाद (परिवीक्षावधि में ही) तीन महीने के लिए हिन्दी में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस विषय में सूचित किया गया कि सेवा में आने से पहले प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती और कि परिवीक्षा काल में शिक्षण के लिए आदेश जारी किए गए हैं ।

(कार्रवाई : राजभाषा विभाग)

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले हिन्दी प्रशिक्षण को मान्यता देना

श्री वी.एस. राधाकृष्णन का प्रस्ताव था कि गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम में जो परीक्षार्थी हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हिन्दी की स्वयं-सेवी संस्थाओं से ऐसे पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए । उनका यह मत था कि हिन्दीतर भाषी प्रदेशों में जनता

में हिन्दी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। सचिव (राजभाषा) ने इस बारे में विचार करने का आश्वासन दिया।

(कार्रवाई : राजभाषा विभाग)

हिन्दी टाइपिंग आशुलिपि के लिए ट्रेनिंग रिजर्व की व्यवस्था

श्री हिमांशु जोशी का मत था कि हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि सिखाने का कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से नहीं चल पाने का मुख्य कारण ट्रेनिंग रिजर्व की व्यवस्था का न होना है जो कि की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने आर्थिक कठिनाई को ध्यान में रखकर यह निर्णय दिया कि इस विषय को सचिव (राजभाषा) देखेंगे।

(कार्रवाई : राजभाषा विभाग)

अध्यापकों, छात्रों और लेखकों के लिए विशेष व्यवस्था अहिन्दी भाषी अध्यापकों की नियुक्ति :

डा. देवी प्रसन्न पट्टनायक का यह प्रस्ताव था कि हिन्दी भाषी राज्यों में अन्य भारतीय भाषाएं सिखाने हेतु हिन्दीतर भाषी हिन्दी के अध्यापक नियुक्त करने के लिए उसी प्रकार अनुदान दिया जाए जिस प्रकार हिन्दीतर भाषी राज्यों के हिन्दी के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए दिया जाता है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से यह सूचित किया गया कि उनके कार्यक्रम में इस प्रकार का प्रावधान है।

(कार्रवाई : मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)

अहिन्दी प्रदेश के छात्रों की छात्रवृत्ति संबंधी प्रक्रिया में सुधार

श्री वी. एस. राधाकृष्णन का प्रस्ताव था कि हिन्दीतर भाषी प्रदेशों के हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों के छात्रवृत्ति संबंधी आवेदन-पत्रों को क्षेत्रीय हिन्दी अधिकारी द्वारा भेजने की सुविधा दी जाए। इस विषय में शिक्षा विभाग द्वारा सूचित किया गया कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

[कार्रवाई : मानव संसाधन मंत्रालय (शिक्षा विभाग)]

अहिन्दी भाषी प्रान्तों के प्रत्याशियों की हिन्दी पदों पर नियुक्ति

श्री एम.के. बेलायुधन नायर का यह प्रस्ताव था कि हिन्दीतर प्रांतों के हिन्दी संबंधी पदों पर भर्ती के लिए अनुभव की शर्त हटाई जाए और संबंधित प्रदेशों की भाषा का ज्ञान आवश्यक माना जाए जिससे हिन्दीतर भाषा-भाषी प्रत्याशियों को उक्त पदों पर नियुक्ति मिल सके। इस विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका।

सरकारी सूचनाओं और कमेंट्री में सही हिन्दी वर्तनी का प्रयोग

श्री रमाप्रसन्न नायक का यह प्रस्ताव था कि सरकार की नीति के अनुसार भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए तथा अटपटी और बनावटी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वर्तनी की शुद्धता और सही उच्चारण पर विशेष जोर दिया। उनका यह कहना था कि जहां कहीं हिन्दी की वर्तनी गलत लिखी होती है उससे आम जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्री पन्ना लाल शर्मा का यह मत था कि इस समय प्रश्न हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग का है और वर्तनी पर अधिक जोर देने से मुख्य मुद्दे से ध्यान हट जाने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय का यह विचार था कि सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इस बारे में ध्यान देना चाहिए।

(कार्रवाई : सभी मंत्रालय/विभाग)

साहित्य अकादमी में हिन्दी का प्रयोग

श्री हिमांशु जोशी का प्रस्ताव था कि साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण समारोहों में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रमुखता दी जाए। किन्तु वहां अंग्रेजी का वर्चस्व उभर कर आगे आता है जो दुख की बात है। इसके लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। उन्होंने कई उदाहरण देकर बताया कि साहित्य अकादमी के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिन्दी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है और अंग्रेजी छाई रहती है। सचिव (राजभाषा) ने कहा कि साहित्य अकादमी ने 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दे रखी है जिनमें से कई संविधान-इतर हैं। श्री सुधाकर पाण्डेय ने उल्लेख किया कि हिन्दी की कई उप-भाषाओं को मान्यता देकर साहित्य अकादमी ने समस्या बढ़ा दी है। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या अन्य भारतीय भाषाओं की बोलियों और उप-भाषाओं को भी अकादमी मान्यता देगी। साहित्य अकादमी के इस कार्य से हिन्दी की अन्य उप-भाषाओं और बोलियों के दावे भी खड़े हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि इस संबंध में साहित्य अकादमी से विचार-विमर्श किया जाएगा।

(कार्रवाई : मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संस्कृति विभाग)

गृह राज्य मंत्री (राज्य) श्री संतोष मोहन देव के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई। गृह राज्य मंत्री जी ने माननीय विदेश मंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए एवं सदस्यों के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए विश्वास प्रकट किया कि इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप सरकार का वह सारा काम हिन्दी में होने लगेगा जो अब तक अंग्रेजी में होता आ रहा है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि बैठक में लिए गए निर्णयों और निष्कर्षों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जाएगी। □

(ख) हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें

1. रेल मंत्रालय

माननीय रेल राज्य मंत्री, की अध्यक्षता में रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 36वीं बैठक 3 अक्तूबर, 1989 को रेल भवन, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई ।

समिति के सदस्य सचिव एवं निदेशक, राजभाषा रेलवे बोर्ड ने रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलों में हिंदी के प्रयोग-प्रसार की स्थिति सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि :—

(1) क्षेत्रीय रेलों की सभी विभागीय और भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र द्विभाषिक रूप में देने **और प्रत्याशियों को हिंदी अथवा अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से नियमित रूप से नजर रखने की व्यवस्था की गई है, इन आदेशों के पालन में "ग" क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां हैं जिनका निराकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं,**

(2) भारत सरकार की द्विभाषिक नीति के अनुसार पी. सी. आदि इलेक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी क्षेत्रीय रेल प्रशासनों से आग्रह किया गया है कि डेटा प्रोसेसिंग के काम में हिंदी का प्रयोग करके सभी पर्सनल कम्प्यूटरों में द्विभाषिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, इन आदेशों के पालन पर नजर रखी जाएगी ।

(3) नई दिल्ली स्थित आरक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर के माध्यम से लगभग 70 गाड़ियों के आरक्षण चार्ट, विशेष साफ्टवेयर की मदद से हिंदी में छापने शुरू कर दिए गए हैं । अब इसका प्रयोग कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि में भी किया जाएगा ।

(4) पिछली बैठक के बाद राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अधीन 38 और रेल कार्यालयों को अधिसूचित किया गया है और इन सभी कार्यालयों में नियम 8(4) भी लागू किया गया है । इस नियम के अन्तर्गत कुछ नए विषयों को विनिर्दिष्ट करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है ।

(5) क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड द्वारा पिछली तिमाही में मूल पत्राचार के अन्तर्गत "क" और "ख" क्षेत्रों को क्रमशः 77.8% और 53% पत्र हिंदी में भेजे गए, मूल पत्राचार में और वृद्धि के लिए कारगर उपाय किए जाएंगे ।

(6) इस समय हिंदी प्रशिक्षण के लिए 54,078 प्रशासनिक कर्मचारी शेष हैं, इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि जिन केन्द्रों में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं वहां विभागीय केन्द्र स्थापित किए जाएं और कुछ कर्मचारियों को पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाए, परिचालिक कर्मचारियों को क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षण के दौरान ही कामचलाऊ हिंदी सिखाने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है ।

(7) बोर्ड कार्यालय की 77 में से 49 नियम पुस्तकें हिंदी/द्विभाषिक रूप में मुद्रित ह चुकी हैं । 5 पुस्तकें मुद्रणाधीन हैं। 8 अनुवाद के विभिन्न चरणों में हैं। शेष 14 के अंग्रेजी संस्करण का संशोधन होने पर उनके हिंदी अनुवाद का काम हाथ में लिया जाएगा।

7-6-1989 को आयोजित समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई के विवरण पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित सुझाव दिए गए :—

1. जिन कार्यालयों में कम्प्यूटर की व्यवस्था है वहां किन-किन अनुप्रयोगों के लिए हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी सूचना संकलित की जा रही है और माननीय सदस्यों को इससे अवगत करा दिया जाएगा ।

(1) "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित स्टेशनों पर खान-पान रसीदों, अमानती सामान घर रसीदों, अतिरिक्त किराया टिकट रसीदों, बिस्तर रसीदों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति में सुधार के लिए कार्रवाई की जाए ।

(2) सर्वश्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी और सुधाकर पाण्डेय के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया कि रेलों में हिंदी संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति की जिन सिफारिशों को वित्त मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया है, उनके लिए प्रस्ताव पुनः रेल राज्य मंत्री के अग्रेषण पत्र के साथ वित्त मंत्रालय को भिजवाया जाए ।

(3) श्री सुधाकर पाण्डेय ने सुझाव दिया कि भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न-पत्र की भांति हिंदी भाषा का प्रश्न-पत्र अनिवार्य करने का प्रस्ताव केन्द्रीय हिन्दी समिति के विचारार्थ भेजा जाए।

(4) रेल दावा अधिकरण में हिंदी कार्य के लिए न्यूनतम पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुसरण किया जाए।

(5) क्षेत्रीय रेलों में अंग्रेजी स्टेनोग्राफरों की भांति हिंदी स्टेनोग्राफरों को भी वरीयता के आधार पर पदोन्नति देने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जाए।

(6) जालंधर स्टेशन पर आरक्षण चार्ट, रजिस्टर में प्रविष्टियां, पार्सल रखने, सामान बुक कराने की रसीदें, कोरे पर्ची टिकट आदि के प्रयोग में जो कमी है, उसे दूर किया जाए ।

(7) रेलवे की प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण उपरान्त ली जाने वाली परीक्षाओं में रेलवे के तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्यायों से संबंधित प्रश्न पूछने की सिफारिश पर शीघ्र कार्रवाई की जाए ।

(8) गृह मंत्रालय ने अधिकारियों को हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जो योजना प्रचारित की है, उसे यथाशीघ्र रेलों पर भी लागू किया जाए।

(9) रेलों के विश्रामगृहों में सामान की सूची को नियमानुसार हिंदी में प्रदर्शित करने के संबंध में अनुपालन रपट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

(10) स्टेशनों पर उद्घोषणाएं करने वालों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से जिस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, उसी प्रकार की कार्यशालाएं अन्य स्टेशनों पर भी चलायी जानी चाहिएं।

(11) पुणे स्टेशन पर और दक्षिण-पूर्व रेलवे के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के नियमानुसार प्रयोग से संबंधित अनुपालन रपट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

बैठक में विचारार्थ नये विषयों पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित सुझाव दिए गए:—

(1) क्षेत्रीय रेलों पर स्थापित हिंदी पुस्तकालयों के सुचारू संचालन के लिए ग्रंथपाल की नियुक्ति हेतु कोई मानदण्ड तय किया जाए। सुझाव दिया गया कि जिन पुस्तकालयों में 5,000 से अधिक पुस्तकें हों, वहां अलग पूर्णकालिक ग्रंथपाल की व्यवस्था की जाए।

(2) अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ में साफ्टवेयर पैकेज की व्यवस्था करके पी. सी. को द्विभाषी काम करने में सक्षम बनाने की कार्रवाई शीघ्र की जाए ।

(3) श्री सुधाकर पाण्डेय के प्रस्ताव पर उन्हें सूचित किया गया कि सी.सी. टी. वी. के माध्यम से स्टेशनों पर प्रदर्शित की जाने वाली लिखित सचनाएं हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिंदी-अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषा में भी प्रदर्शित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

(4) वर्तमान आदेशानुसार रेल कर्मचारियों के सभी नाम, पदनाम बैज नियमानुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए । पूर्व रेलवे, दक्षिण-पूर्व रेलवे और उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में इन आदेशों का विशेष रूप से उल्लंघन हो रहा है। अतः इन रेलों के महाप्रबन्धकों का ध्यान इस ओर दिलाया जाए।

(5) श्री वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया कि "क" क्षेत्रों के रेल कार्यालयों को यह निदेश पुनः दोहराया जाए कि न केवल रजिस्टरों के बाहर विषय हिंदी में लिखे जाएं बल्कि रजिस्टरों के भीतर सभी प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं ।

(6) हिंदी पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद पर रोक लगाने और उस धन से पुस्तकालयों के लिए स्थान और अलमारी आदि की व्यवस्था करने के संबंध में श्री रतनचन्द धीर के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया कि जिन पुस्तकालयों/वाचनालयों आदि के लिए उपयुक्त स्थान, अलमारी, फर्नीचर, आदि की व्यवस्था नहीं है वहां 31 दिसम्बर, 89 तक यह व्यवस्था कर दी जाए ।

(7) रांची, रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय में हिंदी कार्य के लिए न्यूनतम पदों का तत्काल सृजन किया जाए और जब तक यह व्यवस्था नहीं होती तब तक मानदेय या

ठेके के आधार पर हिंदी का काम कराने की अनुमति भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को दी जाए।

(6) डॉ. बलदेव वंशी की शिकायत पर मंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि हाल में चितरंजन रेल इंजन कारखाने द्वारा खलासी की भर्ती के लिए अंग्रेजी में लिखित परीक्षा लिया जाना अनुचित है, इच्छुक प्रत्याशियों की परीक्षा पुनः हिंदी माध्यम से लेने की व्यवस्था की जाए ताकि कोई प्रत्याशी भाषा ज्ञान के कारण घाटे में न रहे ।

(7) डॉ. बलदेव वंशी और श्री सुधाकर पाण्डेय के सुझाव पर यह निर्णय भी लिया गया कि चितरंजन स्थित रेलवे स्कूलों को केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बद्ध करने के प्रश्न पर भी गुण-अवगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

(8) डॉ. लक्ष्मी नारायण दुबे के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि झांसी स्टेशन पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, चिरगांव स्टेशन पर राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त और बाजापुर स्टेशन पर स्वर्गीय राष्ट्रकवि बालकृष्ण शर्मा "नवीन" के परिचय फलक लगाए जाएंगे ।

श्री प्रेम नारायण नागर के सुझाव पर यह स्पष्ट किया गया कि दक्षिण रेलवे को गाड़ियों में चलने वाले गाड़ी अधीक्षकों को भी हिंदी वार्तालाप प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाएगी ।

श्री शिवाजी राव आयदे ने सुझाव दिया कि "क" क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों के गार्डों को निर्देश दिया जाए कि रेलवे गार्ड जर्नल में विवरण हिंदी में भरें।

श्री अब्दुल हन्नान अंसारी, संसद सदस्य ने सुझाव दिया कि हिंदी प्रसार के लिए धनराशि आबंटित करते समय अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए अधिक राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण का कार्य तेज और सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए।

श्री तोम्बी सिंह, संसद सदस्य का कहना था कि प्रशिक्षण संस्थाओं में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जानी चाहिए। साथ ही, रेलों पर हिंदी कार्य की मानीटरिंग की पर्याप्त व्यवस्था रहनी चाहिए। निरीक्षण का काम केवल संसदीय समिति के निरीक्षण के समय ही नहीं अन्यथा भी निरन्तर किया जाना चाहिए ।

श्री प्रेम नारायण नागर ने प्रस्ताव रखा कि समिति की यह 36वीं बैठक भारतीय रेलों में हिंदी कार्य की आशातीत वृद्धि का स्वागत करती है और इस समिति के अध्यक्ष रेल मंत्री, श्री सिन्धिया जी की हिंदी भाषा के प्रति सद्भाव, सदाशयता और पूर्ण सहयोग के लिए बधाई देती है। राजभाषा कार्य में लगे रेल अधिकारी और कर्मचारी भी बधाई के पात्र हैं, डा. लक्ष्मी नारायण दूबे ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया ।

2. वाणिज्य मंत्रालय

हिंदी सलाहकार समिति की बैठक 28 सितम्बर, 1989 को वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई ।

अध्यक्ष ने बताया कि पिछली बैठक के बाद संसदीय राजभाषा समिति ने कई संगठनों का निरीक्षण किया तथा एस. टी. सी., एम एम. टी. सी, निर्यात निरीक्षण परिषद ई सी जी सी, आयात-निर्यात नियंत्रण संगठन, स्पाईसेस बोर्ड, कैश्यू कारपोरेशन, आदि कार्यालयों में काम की गति बढ़ाने के लिए सुझाव और निर्देश दिए और साथ ही इनके काम की अनेक मदों की प्रशंसा भी की।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमने वाणिज्य से संबंधित विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तकों के लिए "वाणिज्य ग्रंथ पुरस्कार योजना" शुरू की है ताकि हिन्दी में इन विषयों पर मौलिक पुस्तकें लिखने को प्रोत्साहन मिले। इसमें हमने प्रथम, द्वितीय या तृतीय पुरस्कारों की आम परिपाटी से हटकर, बराबर-बराबर राशियों के पांच पुरस्कार रखे हैं ताकि सभी विद्वानों के परिश्रम का समान रूप से सम्मान हो।

उन्होंने बताया कि टेलेक्स और टेलीप्रिंटर द्विभाषी कराने के लिए वाणिज्य राज्य मंत्री स्वयं संचार मंत्री को यह लिखा है कि हमारे मंत्रालय तथा सभी संगठनों के टेलेक्स आदि शीघ्र ही द्विभाषी कराने की व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुझे एक विशेष सूचना देने में हर्ष हो रहा है। यह विचार किया गया था कि सरकारी संस्थानों के लिए तो ऐसे आदेश हैं कि वे अपने माल पर तथा माल से संबंधित विवरण पर अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग करें, किंतु निजी क्षेत्र के गैर-सरकारी उद्योगों और निर्माताओं से भी अपील की जाए कि वे अपने माल पर हिंदी का प्रयोग करें ; हमारी निर्यात निरीक्षण परिषद् के निदेश ने ऐसी अपील जारी की। इस अपील की प्रतिक्रिया काफी सुखद रही है। कुछ निजी उद्योगों ने हमारे पत्रों का उत्तर भी हिंदी में दिया है, जैसे शा वैलेस तथा यू. के. पेंटस/यू. के. पेंटस ने अपने "राजदूत" पेंट्स पर देवनागरी का प्रयोग शुरू कर दिया है तथा प्रचार साहित्य हिंदी में बनाने का निर्णय लिया है। मेसर्स आयशर गुडअर्थ तथा एटलस साईकिल इंडस्ट्रीज ने अपने माल का प्रचार साहित्य हिंदी में जारी किया और उसके

नमूने हमें भेजे हैं। अन्य अनेक प्रतिष्ठित उद्योगों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक रही है—जैसे टोटो बबल्स इंडिया लि., रैलिस इंडिया, पेस्टीसाईड्स इंडिया, आदि।

हमारे लिए "ग" क्षेत्र में स्थिति तमिलनाडु के मैसर्स नेवेली मेरामिक्स एंड रिफ्रैक्टरीज लि, साउथ अकाट, श्री चक्रटायर्स लि., मदुरै तथा पश्चिम बंगाल के मैसर्स हिन्दुस्तान गैस एंड इंडस्ट्रीज कलकत्ता की प्रतिक्रिया विशेष सुखद रही।

भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने "हिन्दी लिखें" नाम से एक पुस्तिका तैयार की है। निगम के अध्यक्ष श्री आई. पी. हजारिका के विशेष अनुरोध पर समिति के अध्यक्ष वाणिज्य मंत्री जी ने पुस्तक का विमोचन किया।

चर्चा प्रारंभ करते हुए डा. रत्नाकर पाण्डे ने कहा कि हम सबके लिए यह गर्व और हर्ष की बात है कि वाणिज्य मंत्री स्वयं राजभाषा कार्य में गहरी रूचि लेकर और नई नई पहल करके अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने सोवियत संघ से रूसी भाषा में मिले नियंत्रण का उत्तर हिन्दी भाषा में देकर यह सिद्ध कर दिया है कि उनमें राजभाषा के प्रति अगाध निष्ठा है।

सदस्य सचिव श्री कौल ने समिति को सूचित किया कि राजभाषा कार्य के लिए वाणिज्य मंत्रालय में पांच नए पद तथा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के संगठन में 17 नए पद बनाए गए हैं।

डा. पाण्डे ने स्टाफ के ही संबंध में आगे कहा कि उन्होंने सभी संगठनों की रिपोर्टें देखी हैं। संसदीय राजभाषा समिति के भी सदस्य होने के नाते उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय के भारत भर में फैले कार्यालयों और संगठनों का निरीक्षण किया है। हर जगह यही देखने को मिला है कि हिंदी स्टाफ की अत्यधिक कमी है।

उन्होंने कहा कि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों के दौरान प्राप्त अनुभव और संगठनों की रिपोर्टों के आधार पर उनका प्रस्ताव है कि मंत्रालय सभी कार्यालयों में हिन्दी स्टाफ का सर्वे करें और जरूरत के अनुसार हिंदी पदों के सृजन के लिए निर्देश करें।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि डा. पाण्डे का प्रस्ताव उपयोगी है और इसे निर्णय मानकर तदनुसार कार्रवाई की जाए।

डॉ. पाण्डे ने हिन्दी स्टेनोग्राफरों का मुददा उठाया तथा कहा कि हिन्दी स्टेनोग्राफर से खास तौर से हिन्दी भाषी क्षेत्रों में काम में बहुत मदद मिलती है।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में, खासतौर से दक्षिण के अधिकारियों में हिन्दी के प्रति सीरियसनेस हैं, निष्ठा है। वहां हर कार्यालय में कम से कम एक एक हिन्दी स्टेनोग्राफर मंजूर कीजिए ताकि वे फिलहाल डिक्टेशन देकर हिंदी में पत्राचार करें।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि हिन्दी स्टेनोग्राफर वास्तव में बहुत आवश्यक है और हर कार्यालय में जरूरत के अनुसार एक हिन्दी स्टेनोग्राफर अवश्य रखा जाए।

डॉ. पाण्डे, श्री जगदम्बी प्रसार यादव, श्री मुदगल तथा श्री शर्मा का विचार था कि जो कार्यालय या उपक्रम बडे है उनमें सबमें वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी रखवाईए। एक हिन्दी अधिकारी अनुवाद का काम देखें और दूसरा वरिष्ठ अधिकारी राजभाषा नीति का कार्यान्वयन देखें—जिसे आप लोग इंप्लीमैंटेशन वर्क कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि समिति ने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि स्टाफ धनराशि अथवा अन्य साधनों की कमी को राजभाषा नीति के पालन में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा इसलिए पूर्ण निर्णय के अनुसार इन मुददों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि हिन्दी स्टाफ के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए जाएं। उन्हें कुछ प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार भी दिए जाए। इन बातों के अभाव में प्रतिभाशाली व्यक्ति या तो राजभाषा पदों की ओर आकर्षित ही नहीं होते, या फिर आते भी हैं तो छोड़कर चले जाते हैं। और अगर काम करते भी है तो कुंठित रहते है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सुझाव उपयोगी है और आदेश दिया कि इस और ध्यान दिया जाए तथा आवश्यक कार्रवाई की जाए।

सदस्यों की राजभाषा स्टाफ, पदोन्नति के अवसर, बजट व्यवस्था, अन्य सुविधाओं आदि से संबंधित टिप्पणियों पर राजभाषा विभाग के सचिव श्री राधाकान्त शर्मा ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि राजभाषा स्टाफ के लिए राजभाषा विभाग ने जो न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित किए है वे वित्त मंत्रालय की सहमति से जारी किए गए हैं। अतः इन मानदण्डों के अनुसार राजभाषा कार्य के पद व्यय विभाग को मामला भेजे बिना ही बनाए जा सकते हैं। सभी मंत्रालय इनके अलावा भी अन्य पद वित्त मंत्रालय की सहमति से बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

डॉ. पाण्डे तथा श्री यादव ने कहा कि इस समिति ने एक साल पहले यह निर्णय लिया था कि जो अधिकारी या कर्मचारी राजभाषा हिन्दी का अच्छा काम करे, उनके करेक्टर रोल में प्रशंसा लिखी जाए कि उन्होंने राजभाषा नीति का सुन्दर पालन किया है। किन्तु इस मुददे परई सी जी सी को छोड़कर किसी अन्य संगठन ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। इस संबंध में तथ्य और आंकड़े देकर समिति को यह

बताया जाए कि मंत्रालय तथा सभी सगठन इस बारे में क्या कार्रवाई कर रहे हैं और यदि नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि माननीय सदस्यों की इच्छानुसार अगली बैठक में सूचना और आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं।

डॉ० पाण्डे ने कहा कि मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। समिति के हर निर्णय पर सभी संगठन अपनी-अपनी "एक्शन टेकन रिपोर्ट" अलग-अलग दिया करें।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि अगली बैठक से अभी संगठन अपनी-अपनी कृत कार्रवाई रिपोर्ट (ऐक्शन टेकन रिपोर्ट) अलग-अलग प्रस्तुत करें।

डॉ. पाण्डे, श्री यादव तथा श्री मुदगल ने कहा कि प्रगति रिपोर्टों को देखने से पता लगता है कि हालत अच्छी नहीं है। अधिकांश संगठनों में प्रगति रिपोर्ट ठीक से समझी नहीं गई है और ठीक से भरी नहीं जाती है।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि तथ्यों और आंकड़ों की सही प्रस्तुति बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस बारे में माननीय सदस्यों के प्रस्ताव के अनुसार तुरन्त कार्रवाई की जाए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए :—

(1) अंग्रेजी के शब्दों की बजाय हिन्दी के अथवा भारतीय भाषाओं के भी शब्दों का प्रचलन बढ़ाने पर बल दिया जाए। इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के कामकाज को शब्दावली पर विचार हो सकता है।

(2) कार्यशालाओं में समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को आमंत्रित किया जाए और उनके अनुभव का लाभ उठाया जाए।

(3) हिन्दी में मूल पत्राचार आगे नहीं बढ़ रहा है। वाणिज्य मंत्री जी ने आह्वान किया और पहल भी की, वाणिज्य राज्य मंत्री जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया, अब बड़े अधिकारी भी मूल हिन्दी पत्राचार बढ़ाने में रुचि लें।

(4) द्विभाषी यांत्रिक सुविधाएं प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों छोरो पर जल्दी लगाई जाए साथ ही, समिति को यह भी बताया जाए कि कम्प्यूटर आदि द्विभाषी यंत्रों से कितना काम हिन्दी में लिया गया।

(5) हिन्दी भाषी क्षेत्रों को हिन्दी पत्रों के उत्तर ही नहीं बल्कि मूल पत्र भी हिन्दी में जाएं।

(6) राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अधिक सक्रिय सक्षम और सार्थक बनाई जाए।

(7) हर संगठन और कार्यालय में राजभाषा कार्य का अलग बजट हो और उसका वर्गीकरण हो। इस संबंध में मंत्रालय सर्वेक्षण करके समुचित आदेश जारी करे।

(8) राजभाषा कार्य की प्रगति का निरीक्षण लगातार किया जाएं।

(9) गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों आदि से भी हिन्दी का प्रयोग कराने का वाणिज्य मंत्री जी का प्रयास सराहनीय है। इस दिशा में नए नए उपाय खोज कर प्रयत्न चलता रहे।

(10) वाणिज्य मंत्रालय की पत्रिकाओं में लेखों के लिए समूचित पारिश्रमिक की व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने श्री यादव के सुझावों को उपयोगी बताते हुए आदेश दिया कि तदनुसार कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि राजभा संबंधी नियमों और अदेशों का पालन तो हर हालत में होना है। इसलिए माननीय सदस्यों के सुझाव के अनुसार स्टाफ आदि की व्यवस्था तुरंत की जाए और जो कठिनायां वास्तविक हैं वे दूर की जाएं।

मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात के कार्यालय की अनेक मदों में प्रगति की प्रशंसा की गई किन्तु कुछ मदों में विशेष प्रगति के सुझाव भी दिए गए यथा मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में देवनागरी टाईपराईटरों के लक्ष्य प्राप्त करना, धारा 3(3) के अन्तर्गत सभी लाईसेंस परमिट द्विभाषी जारी करना, जांच बिन्दु प्रभावी करना, मुख्यालय के लिए अतिरिक्त हिन्दी पदों का सृजन-हिन्दी मूल पत्राचार बढ़ाना, अधीनस्थ कार्यालयों का विधिवत निरीक्षण, आदि।

मुख्य नियंत्रक श्री तेजेन्द्र खन्ना ने प्रश्न उठाया कि क्या अंग्रेजी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जा सकता।

समिति के उपाध्यक्ष वाणिज्य राज्य मंत्री श्रीदासमुंशी ने व्यवस्था दी कि हिन्दी क्षेत्रों से आए अंग्रेजी पत्रों का उत्तर तो हिन्दी में अवश्य दिया जाए। अध्यक्ष महोदय ने उपाध्यक्ष महोदय का समर्थन करते हुए कहा कि इस बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर समुचित कार्रवाई की जाए।

स्पाईसेस बोर्ड के सचिव श्री के. गी. नायर ने अपने संगठन में राजभाषा कार्य की उपलब्धियां का उल्लेख किया अध्यक्ष महोदय के इस आदेश पर कि कठिनाइयां बताए, श्री नायर ने कहा कि सबसे बड़ी कठिनाई राजभाषा स्टाफ की कमी है। डॉ. पाण्डे ने श्री नायर का समर्थन करते हुए कहा कि स्पाईसेस बोर्ड के कार्य का उन्होंने हाल ही में निरीक्षण किया है और बोर्ड में अच्छे प्रयास हो रहे हैं किन्तु उनके यह स्टाफ की वास्तव में कमी है। डॉ. पाण्डे ने कहा कि बोर्ड के अधिकारियों ने समिति को दिए गए आश्वासन के अनुसार एक महीने के समय में सम्पूर्ण हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर

किन्तु यह सारा भार मात्र एक हिन्दी अधिकारी पर ही है। स्पाईसेस बोर्ड में समुचित स्तर का राजभाषा स्टाफ तुरन्त बढ़ाना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि स्पाईसेस बोर्ड में समुचित स्तर के राजभाषा पदों की शीघ्र ही व्यवस्था की जाए।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के महानिदेशक डा. सक्सेना ने संस्थान में राजभाषा कार्य की प्रगति का ब्यौरा दिया। श्री यादव तथा श्री शर्मा ने संस्थान में राजभाषा कार्य के लिए प्रयासों की सराहना की किन्तु उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट के आंकड़ों में कुछ विसंगतिया दिखाई पड़ती हैं जिन्हें ठीक किया जाए। श्री यादव ने कहा कि संस्थान की पत्रिका के मुख्य पृष्ठ में सीधा खड़ा (वर्टिकल) विभाजन करके उसे द्विभाषी बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने तदनुसार कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजभाषा नीति के सभी मुद्दों का पालन अवश्य होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने चर्चा का समापन करते हुए कहा कि हर्ष की बात है कि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें बहुत जीवन्त रहती है। आज की बैठक में भी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन सभी निर्णयों पर कार्रवाई आवश्यक है ताकि राजभाषा कार्य आगे बढ़े।

3. श्रम मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की चौदहवीं बैठक, केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 27-9-89 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में हुई।

मंत्री महोदय ने समिति को हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से स्वागत कराया परन्तु साथ ही यह भी कहा कि कतिपय क्षेत्रों में उतनी प्रगति नहीं हो पाई जितनी कि अभीष्ट है। उन्होंने समिति के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि वे मंत्रालय को उसकी कमियों से अवगत कराएं तथा उन्हें दूर करने के लिए अपने उपयोगी एवं मूल्यवान सुझाव भी दें।

श्रम मंत्री जी ने अपने कर-कमलों से उन कार्यालयों को शील्ड और ट्राफियां प्रदान कीं जिन्होंने वर्ष 1986-87 और 1987-88 में हिन्दी के प्रयोग के क्षेत्र में सराहनीय काम किया था। मंत्रालय के उन तीन कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया जिन्होंने सितम्बर, 1988 में आयोजित हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए थे। निबन्ध प्रतियोगिता के संबंध में दिए गए पुरस्कारों के संदर्भ में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि श्री पन्नालाल शर्मा ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों की वैयक्तिक फाइल/सेवा पंजी में भी इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने कहा कि हिन्दी सप्ताह/दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के संबंध में पुरस्कार वितरण के लिए अलग से विशेष समारोह आयोजित किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को इससे प्रेरणा मिले और उनके मन में हिन्दी के प्रति प्रेम की भावना बढ़े। इस प्रकार के समारोह में हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के हिन्दी अनुवाद के संदर्भ में अपर सचिव महोदय ने बताया कि केवल "बोनस संदाय नियम, 1975" नामक एक नियमावली का ही हिन्दी अनुवाद होना बाकी है। उन्होंने बताया कि यह नियम अनुवाद हेतु विधायी विभाग को पहले ही भेजा जा चुका है और आशा है कि इस वर्ष के समाप्त होने से पहले ही इसका अनुवाद भी हो जाएगा।

नियमों के अनुवाद के विशिष्ट संदर्भ में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि ने यह सुझाव दिया कि जब अंग्रेजी में नियम बनाए जाते हैं तो उनका हिन्दी अनुवाद भी साथ के साथ करवा लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने उनके इस विचार से सहमति प्रकट की।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि ने कहा कि बार-बार उत्तर यही मिलता है कि रिक्त पद शीघ्र भर लिए जायेंगे जबकि ये पद सन् 1980 से खाली पड़े हैं, तो उन्हें भरा क्यों नहीं जाता। अपर सचिव ने बताया कि आवश्यक नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं परन्तु संबंधित व्यक्ति वहां ड्यूटी संभालने नहीं जाते।

समिति को बताया गया कि "क" क्षेत्र में खोले गए विशेष स्कूलों में बाल श्रमिकों को हिन्दी का ज्ञान कराया जाता है और उनमें शिक्षा का माध्यम भी हिन्दी है। "ख" क्षेत्र में ऐसा कोई स्कूल नहीं खोला गया। अन्यत्र खोले गए स्कूलों में शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाती है।

सदस्यों ने मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) में हो रहे हिन्दी काम की प्रशंसा की। परन्तु केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि ने हिन्दी पत्राचार के संदर्भ में कहा कि यह कुछ अटपटा सा लगता है कि तिमाही में प्राप्त कुल 5252 हिन्दी पत्रों में से 3662 पत्रों का उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने चाहा कि इन्हें टेस्ट चैक करवा लिया जाना चाहिए। मंत्रालय की ओर से आश्वासन दिया गया कि भविष्य में रिपोर्ट भेजने से पूर्व अनुभागों के अधिकारियों/शाखा अधिकारियों को ये आंकड़े टेस्ट चैक कर लेने के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को भी लिख दिया जाएगा कि वे भी अपने यहां इस प्रकार की टैस्ट चैकिंग की व्यवस्था कर लें ताकि आंकड़ों में किसी प्रकार की कोई विसंगति न हो।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि ने कहा कि मूल पत्रों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए । उन्होंने सुझाव दिया कि यह प्रयत्न रहना चाहिए कि हर आगामी तिमाही में पहले की अपेक्षा 10% के लगभग तक अधिक मूल पत्र हिन्दी में जारी हों। इससे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगा । श्रम मंत्री ने कहा कि इसके लिए प्रयास किए जाएंगे ।

समिति ने रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय की इस बात के लिए प्रशंसा की कि उनके यहां से 97% मूल पत्र हिन्दी में जारी होने लगे हैं। परन्तु इस बिन्दु पर सदस्यों ने असंतोष प्रकट किया कि यद्यपि महानिदेशालय में कई कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अभी दिया जाना है तथापि उन्हें प्रशिक्षित कराने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है । इस पर अपर सचिव ने समिति को बताया कि अब तक इस बात के लिए प्रयास चल रहे थे कि इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए स्वयं मंत्रालय में ही विभागीय व्यवस्था हो जाए । उन्होंने बताया कि इसके लिए राजभाषा विभाग से अपेक्षित अनुमति मिल गई है और विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) और रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के कार्यालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए आगे की अपेक्षित कार्यवाही यथाशीघ्र आरंभ कर दी जाएगी ।

समिति ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि यद्यपि रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में एक रोमन इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर है, एक रोमन कम्प्यूटर है और एक रोमन टेलेक्स मशीन भी है परन्तु हिन्दी में ऐसी कोई मशीन नहीं है । उन्होंने इस प्रकार के एक-एक यंत्र के हिन्दी में भी खरीदने पर बल दिया । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा ।

लिफाफों पर पते लिखने के बारे में कुछ सदस्यों ने कहा कि चाहे किसी भी क्षेत्र को पत्र जा रहा हो, लिफाफों पर पते हिन्दी में ही लिखे जाने चाहिएं । इस पर राजभाषा विभाग के निदेशक, श्री सर्वेश्वर झा ने कहा कि यदि "ग" क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे गए तो इससे समस्या पैदा हो जाएगी । उन्होंने कहा कि वर्तमान आदेशों को ध्यान में रखते हुए केवल हिन्दी भाषी क्षेत्रों को जाने वाले लिफाफों पर ही हिन्दी में पते लिखना उचित होगा । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि "ख" क्षेत्र को जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर भी हिन्दी में पते लिखे जाने चाहिए ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की हिन्दी प्रगति संबंधी जानकारी पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने कहा कि उनके यहां से कुछ सामान्य आदेश अंग्रेजी में जारी हो रहे हैं हालांकि ये द्विभाषी रूप में साथ-साथ जारी होने चाहिएं। इसी प्रकार कुछ हिन्दी पत्रों का उत्तर भी अंग्रेजी में दिया जा रहा है । बैठक में उपस्थित कर्मचारी राज्य बीमा की महानिदेशक ने कहा कि प्रश्नगत सामान्य आदेशों का अनुवाद भी बाद में जारी करवा दिया गया था । उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में सभी सामान्य आदेश नियमानुसार द्विभाषी रूप में जारी किए जाएंगे और हिन्दी पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में ही दिया जाएगा ।

सदस्यों ने आपत्ति की कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के यहां से भेजे जा रहे हिन्दी तार निर्धारित लक्ष्य से कहीं कम हैं । इस पर भी निगम की महानिदेशक ने कहा कि इस स्थिति में सुधार करने के लिए अवश्य प्रयास किए जाएंगे ।

सदस्यों ने नोट किया कि यद्यपि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 25 प्रशिक्षित आशुलिपिक और 51 प्रशिक्षित टंकक हैं तथापि काम केवल क्रमशः 1 और 3 कर्मचारियों से ही लिया जा रहा है । महानिदेशिका ने कहा कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा । सदस्यों ने यह भी कहा कि निगम में फार्मों आदि के अनुवाद/मुद्रण की गति भी धीमी है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस काम में तेजी लाई जाए।

समिति को बतलाया गया कि मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) में अब केवल एक रोमन टेलेक्स मशीन ऐसी है जिसके स्थान पर द्विभाषी मशीन लगवाई जानी है । समिति को आश्वासन दिया गया कि मामले की पैरवी महानगर टेलीफोन निगम के साथ की जाएगी ।

सदस्यों ने यह बात विशेष रूप से नोट की कि अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण मैन्युअल हिन्दी में भी उपलब्ध हैं । श्री पन्नालाल शर्मा ने कहा कि जब मैन्युअल हिन्दी में मौजूद हैं तो हिन्दी में प्रशिक्षण देने में क्या कठिनाई है । श्री सुधाकर पाण्डेय ने कहा कि लगभग 6 लाख तकनीकी शब्दों के अधिकृत पर्याय मौजूद हैं । अतः तकनीकी शब्द-कोशों का उपयोग किया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि यदि हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाए तो इसका अन्य कई बातों पर भी प्रभाव पड़ेगा । श्रम मंत्री ने कहा कि संस्थानों में दिया जाने वाला प्रशिक्षण अधिक से अधिक हिन्दी में दिया जाना चाहिए ।

प्रशिक्षण सामग्री और मैन्युअलों के अनुवाद कार्य के संबंध में श्री शर्मा ने कहा कि यदि अनुवाद स्टाफ पर्याप्त नहीं है तो यह काम मानदेय के आधार पर कराया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए सेवा-निवृत्त हिन्दी कार्मिकों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं । श्रम मंत्री ने इस सुझाव से सहमति प्रकट की ।

श्रम सचिव ने कहा कि चूंकि अधिकांश शब्द तकनीकी प्रकार के होते हैं, इसलिए यह देखने के लिए कि कहां-कहां प्रशिक्षण हिन्दी में दिया जा सकता है, संबद्ध कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर विचार कर लिया जाएगा ।

सदस्यों ने इस बात पर बल दिया कि मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के कार्यालय में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु लिखित विभागीय परीक्षा में सार-लेखन का जो प्रश्न अंग्रेजी में होता है, वह भी हिन्दी में होना चाहिए यह निर्णय हुआ कि हिन्दी सलाहकार समिति के इस विचार से राजभाषा विभाग को अवगत कराया जाए ।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने सुझाव दिया कि मंत्रालय के जिन सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाएं निकाली जाती हैं उन्हें हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं निकालने का भी प्रयास करना चाहिए और उन पत्रिकाओं में हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में लिए गए प्रमुख निर्णय भी छापे जाने चाहिए ताकि कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी हो सके । अध्यक्ष महोदय ने इस सुझाव से सहमति प्रकट की और कहा कि इसे मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लाया जाए ।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने कहा कि श्रम विषयक जो हिन्दी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं उन्हें मंत्रालय के पुस्तकालय में उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाने चाहिएं । यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया ।

सदस्यों ने कहा कि हिन्दी कार्यशालाएं कुछ निर्धारित मानकों के अनुसार आयोजित की जानी चाहिएं । उन्हें आश्वासन दिया गया कि सभी कार्यालयों को इस आशय के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि वे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही कार्यशालाओं का आयोजन करें ।

4, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक 19 सितम्बर, 1989 को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई ।

सदस्य सचिव ने मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की सदस्यों को जानकारी दी । समिति द्वारा हिन्दी के प्रयोग की स्थिति पर प्रायः असंतोष प्रकट किया गया । सदस्यों का कहना था कि (क) वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों का पालन नहीं किया जा रहा है । इसके लिए समुचित कदम उठाए जाएं। (ख) राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के अनुपालन की स्थिति अच्छी नहीं है । इस ओर ध्यान दिया जाए । 'क' और 'ख' क्षेत्रों को कम से कम 25 प्रतिशत तार हिन्दी में अवश्य भेजे जाएं। सामान्य आदेश द्विभाषी जारी किए जाएं । तथा हिन्दी भाषी राज्यों को पत्र हिन्दी में ही लिखे जाएं । (ग) तिमाही प्रगति रिपोर्टों की गहन समीक्षा करते हुए कहा गया कि रिपोर्ट तैयार करने में ठीक-ठीक आंकड़े नहीं दिए जाते हैं। आंकड़े वास्तविक तथा जहां कहीं आवश्यक हो तुलनात्मक रूप में दिए जाने चाहिएं । (घ) वरिष्ठ अधिकारी हिन्दी में डिक्टेशन दें और अपनी टिप्पणियां हिन्दी में लिखकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें । (ङ) हिन्दी जानने वाले टाइपिस्टों /स्टेनोग्राफरों का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए । साथ ही देवनागरी टाइपराइटरों की पूरी व्यवस्था हो । (च) सचिव, अपर सचिव तथा संयुक्त सचिव जैसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के साथ एक-एक हिन्दी स्टेनो अटैच किया जाए तो हिन्दी पत्र व्यवहार में निश्चित प्रगति की जा सकती है । (छ) प्रारूप (ड्राफ्ट) मौलिक रूप से हिन्दी में तैयार किए जाएं तथा अनुवाद का सहारा न लिया जाए ।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की जानकारी मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों को नहीं है । सदस्यों को यह सूचित किया गया कि मंत्रालय द्वारा इन पुस्तकों को खरीद कर निःशुल्क वितरित करना कठिन होगा तथापि सदस्यों ने इस बात पर फिर से बल दिया कि पुस्तकों का प्रचार/प्रसार करने के लिए मंत्रालय को इस बारे में कुछ न कुछ कदम अवश्य उठाने चाहिए । (ग) एक सदस्य का यह भी सुझाव था कि प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा में हिन्दी/क्षेत्रीय भाषाओं का विकल्प दिए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय में मंत्रालय का पक्ष सशक्त रूप से रखा जाए ताकि हिन्दी/क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों की प्रतिभा का राष्ट्रीय हित के लिए उपयोग हो सके ।

हिन्दी माध्यम से आयोजित संगोष्ठी/कार्यशालाएं

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नयी दिल्ली द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिन्दी माध्यम की संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विचार व्यक्त किया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान आदि पर हिन्दी माध्यम की संगोष्ठी पटना और इंदौर में आयोजित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

समिति का विचार था कि ऐसे सम्मेलनों/संगोष्ठियों के आयोजन में हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को, यदि वे स्थानीय रूप से उपलब्ध हों, तो आमंत्रित किया जाना चाहिए ।

हिन्दी पदों को बनाया जाना/भरा जाना

समिति का यह दृढ़ मत था कि राजभाषा नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए संशोधित निर्धारित मान-दण्डों के अनुसार सभी कार्यालयों में हिन्दी के पदों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

(क) मंत्रालय में उप-निदेशक (राजभाषा) का पद बनाए जाने के बारे में समिति को सूचित किया गया कि वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार यह मामला

कार्य अध्ययन यूनिट को भेजा गया है । इस पर भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं राजभाषा विभाग के सचिव श्री राधा कान्त शर्मा ने यह स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित मानदंड के अनुसार पद बनाया जा रहा है तो इस मामले को वित्त मंत्रालय में भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में हिन्दी पदों के संबंध में दी गयी सूचना को नोट करते हुए सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी पदों के बारे में परिषद द्वारा संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन को शीघ्र पूरा किया जाए ।

केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण एवं प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु में हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था

समिति को सूचित किया गया कि इस संस्थान में हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने/अंशकालिक शिक्षण की व्यवस्था के बारे में अभी तक किए गए प्रयास सफल नहीं हुए हैं । यह सुझाव दिया गया कि सरकार को अंशकालिक शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए उनकी मांग के अनुसार पर्याप्त मानदेय की स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए । वर्तमान निर्देशों के अनुसार यह राशि बहुत कम है ।

5. इस्पात विभाग

विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 12-9-89 को बंगलौर (कर्नाटक) में हुई ।

यह बैठक माननीय इस्पात और खान राज्य मंत्री श्री महावीर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई

बैठक की कार्रवाई शुरू होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी में अच्छा काम करने पर मैंगनीज और इंडिया लि०, नागपुर को शील्ड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन हैदराबाद को बड़ी ट्राफी, विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना को छोटी ट्राफी तथा विभाग में हिंदी में सर्वाधिक काम करने पर श्री एस. श्रीधर को पदक से सम्मानित किया । सदस्य श्री पन्नालाल शर्मा ने सुझाव दिया कि व्यक्तिगत पुरस्कार के लिए संबंधित कर्मचारी की सर्विस पुस्तिका में प्रविष्टि की जानी चाहिए ।

डा. पी. के. बालसुब्रह्मण्यन ने बताया कि विशाखापट्टनम में एक नवीन योजना बनाई गई है। इसके अन्तर्गत कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया है ताकि हिन्दी में कार्य करने की क्षमता बढ़े । विश्व विद्यालय की ओर से इसे मान्यता भी मिल गई है । स्थानीय भाषा तेलुगू में भी प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया है । समिति ने इसकी सराहना की ।

माननीय सदस्यों ने भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि., में स्थापित अंग्रेजी कम्प्यूटर के बारे में आपत्ति करते हुए कहा कि भा. रि. लि. के अनुसार अमरीका की कम्पनी द्वारा निर्मित उनके कम्प्यूटर में हिन्दी में साफ्टवेयर नहीं डाले जा सकते, जबकि राजभाषा नीति के अनुसार कम्प्यूटर द्विभाषी होने चाहिएं। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री कौशिक मुखर्जी, निदेशक (तकनीकी) ने स्थिति स्पष्ट की कि कम्प्यूटर की कोई भाषा नहीं होती । अतः यह कहना ठीक नहीं कि कम्प्यूटर अमरीका से मंगाया गया है और उसे हिन्दी में परिवर्तित करना और उससे हिंदी में काम लेना संभव नहीं है । फिर भी यदि कोई कठिनाई हो तो उपक्रम के विशेषज्ञों को राजभाषा विभाग में भेज कर हल निकाला जा सकता है । इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि कम्प्यूटर को परिवर्तित करने में अधिक खर्च भी नहीं आता । "सेल" के प्रतिनिधि श्री शिवराज जैन ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जब कभी कम्प्यूटर खरीदने का मौका मिलेगा तो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि ऐसा द्विभाषी कम्प्यूटर खरीदा जाए जिससे अनुवाद कार्य में भी सहयोग मिले ।

अध्यक्ष महोदय ने "सेल" के प्रतिनिधि श्री शिवराज जैन से "सेल" के अधीन इकाइयों/संयंत्रों में हिन्दी के पदों के भरने के बारे में पूछा । श्री शिवराज जैन ने बताया कि मिश्र इस्पात संयंत्र जो एलाय स्टील प्लांट है, उसमें एक टाइपिस्ट का पद खाली था, उसे भर लिया गया है "इस्को", उज्जैन में एक हिन्दी का पद खाली था, इसको भी भरने के आदेश दिए गए हैं लेकिन उम्मीदवार "स्टे आर्डर" ले आए हैं इसलिए इसको अभी तक भरा नहीं जा सकता । राउरकेला इस्पात संयंत्र में एक राजभाषा सहायक का पद भर लिया गया है और शेष पदों को आन्तरिक स्त्रोतों से भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में अनुवाद, तथा हिन्दी टाइपिंग का कार्य अन्य कर्मचारियों को मानदेय देकर करवाया जा रहा है । उन्होंने आगे बताया कि तीन रिक्तियां तो भर ली गई हैं । दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में पद भरे जाने हैं । अभी अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से यह काम लिया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी अधिकारियों, हिन्दी आशुलिपिकों तथा हिन्दी टाइपिस्टों के जितने पद रिक्त हैं, उनको विज्ञापन देकर शीघ्र भरने की कार्रवाई की जाए ।

डा. पी. के. बालसुब्रह्मण्यन ने कहा कि "ग" क्षेत्र में कुछ ऐसी कम्पनियां हैं, जहां पर पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है । तमिलनाडु जैसे राज्य में भी हिन्दी में कार्य होता है । वहां जो कुछ भी कार्य होता है उसकी प्रगति को आंकने के लिए यदि किसी पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं बोर्णिमलै गया था, वहां मैनेजमेंट पर, यानि प्रबन्धन पर एक सेमिनार हुआ था । उसमें जो मुख्य कार्यपालक या मुख्य अधिकारी थे, उन्होंने सेमिनार पर अच्छा पेपर तैयार किया था । सेमिनार

में अच्छे से अच्छे निबन्ध हिन्दी में पढ़े गए थे। उन्होंने कहा कि यह हिन्दीत्तर प्रदेश है और यदि यहां भी पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए तो अच्छा रहेगा।

डा. पी. के. बालसुब्रहमण्यन ने कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी का जिक्र किया और कहा कि इस कम्पनी में हिन्दी विषय में एम. ए. पास करने पर एक वेतनवृद्धि दी गई है। यही प्रोत्साहन दूसरे सभी उपक्रमों में भी क्यों नहीं लागू किया जाता। यदि कोई व्यक्ति हिन्दी में दक्षता प्राप्त करता है और सक्षम हो जाता है तो उसकी प्रोत्साहन के लिए कुछ वेतनवृद्धियों का प्रावधान करना अच्छा होगा। श्री सुधाकर प्रसाद राम तिवारी ने भी इसका समर्थन किया।

श्री सुधाकर प्रसाद राम तिवारी ने कहा कि स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि. के अधीन इकाइयों/संयंत्रों में विशेषकर मिश्र इस्पात संयंत्र, केन्द्रीय कोयला सप्लाई आर्गेनाइजेशन, 'इस्को' बर्नपुर, बोकारो इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और केन्द्रीय विपणन संगठन में धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। इस पर सेल के प्रतिनिधि श्री शिवराज जैन ने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी हों। लेकिन यह सत्य है कि दुर्गापुर, राउरकेला और धनबाद के कार्यालयों में धारा 3(3) का उल्लंघन हुआ है। श्री पन्नालाल शर्मा ने कहा कि कोई भी क्षेत्र हो, धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए।

श्री पन्नालाल शर्मा ने "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों/उपक्रमों द्वारा किए गए मूल पत्राचार की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि वे 10% के लक्ष्य से आगे बढ़ गए परन्तु "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालय या तो अभी तक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं या पिछली तिमाही से भी पीछे चले गए हैं। इस स्थिति को सुधारा जाना चाहिए।

श्री पन्नालाल शर्मा ने तारों की प्रतिशतता कम होने के बारे में जिक्र किया। उन्होंने उन अधिकारियों और कर्मचारियों जिनको हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कहा। उन्होंने आशुलिपिक और टंकक के बारे में कहा कि जितनों को प्रशिक्षण दिलवाया गया और प्रशिक्षण पाकर, कितने कर्मचारी, हिन्दी में काम करते हैं, इन बातों में तालमेल होनी चाहिए।

यांत्रिक सुविधाओं के बारे में श्री पन्नालाल शर्मा ने कहा कि यांत्रिक सुविधाएं जैसे टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, और वर्ड प्रोसेसर रोमन में ज्यादा हैं। द्विभाषी या हिन्दी में पर्याप्ति नहीं हैं। इसको द्विभाषी बनवाया जाए। उन्होंने कोड और मैनुअल के बारे में कहा कि उनका अनुवाद हो चुका है, उनको छपवाने में देर नहीं होनी चाहिए।

डा. पी.के. बालसुब्रमण्यन ने सुझाव दिया कि मद्रास में भी एक तकनीकी संगोष्ठी चलाई जाए क्योंकि पहले-पहल जब मैं इस समिति का सदस्य बना था, श्री विश्वनाथ अय्यर जी और मैंने दोनों ने मिलकर यह सुझाव दिया था कि मद्रास में भी तकनीकी संगोष्ठी चलाई जानी चाहिए। "सेल" तथा "मेकन" ने तो इसे गंभीरता से लिया और तकनीकी संगोष्ठियां आयोजित की। अतः मेरा सुझाव है कि तमिलनाडु में भी एक तकनीकी संगोष्ठी कराने की कोशिश करें।

पत्रिकाओं के बारे में अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए श्री पन्नालाल शर्मा ने कहा कि मुझे जो पत्रिकाएं मिली हैं वह बहुत ही अच्छे स्तर की हैं। इन पत्रिकाओं में हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों का उल्लेख होना चाहिए। उन्होंने मंत्री जी का भाषण यथा संभव पत्रिकाओं में छपवाने का भी सुझाव दिया जिससे कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों तक उनका सन्देश पहुंच सके।

इस्पात विभाग के उपक्रमों के उत्पादों पर हिन्दी में नाम लिखने के बारे में श्री दयाशंकर दुबे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री चिरंजीव सिंह ने समिति को बताया कि जिन उत्पादों पर नाम लिखना संभव होता है उन पर हिन्दी में भी नाम लिखा जाता है।

6. खान विभाग

खान विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की वर्ष 1989 की दूसरी बैठक दिनांक 12-8-89 को बेंगलूर में हुई। बैठक की अध्यक्षता इस्पात एवं खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (खान) ने की। राज्य मंत्री महोदय ने बताया कि 12 सितम्बर का राजभाषा हिन्दी के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आज ही के दिन सन्, 1949 में हिंदी को केन्द्र सरकार की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था, और तीन दिन की बहस के बाद 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को भारत सरकार की राजभाषा अपनाने का संकल्प पारित हुआ था। राज्य मंत्री जी आगे कहा कि राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार हमें कथनी और करनी में एकरूपता लाकर करना चाहिए।

उन्होंने, समिति को यह सूचना भी दी कि भूविज्ञान और खनन से संबंधित लगभग 7000 शब्दों की सूची हिंदी पर्याय निर्धारण हेतु वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी जा चुकी है और आयोग सितंबर, 1989 तक उस पर काफी कुछ काम कर चुका है, राज्य मंत्री महोदय ने सदस्यों

को यह सूचना भी दी कि नेशनल मिनरल अवार्ड में हिंदी लागू करके खान विभाग ने एक नई पहल शुरू की है।

डा. अय्यर ने अहिंदी भाषी क्षेत्र बंगलौर में बैठक आयोजित करने के लिये शुभकामना व्यक्त की और इसे एक अच्छी शुरुआत बताया। उन्होंने अर्द्धन्यायिक ट्रिब्यूनल आदेश हिंदी में जारी किये जाने की प्रशंसा की।

अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने की प्रोत्साहन योजना

राज्य मंत्री जी का अभिमत था कि इस्पात विभाग की तरह खान विभाग और उसके कार्यालय/उपक्रमों में भी वरिष्ठ अधिकारियों के लिये हिंदी में डिक्टेशन देने हेतु प्रोत्साहन योजना चलायी जाए।

तकनीकी काम हिंदी में किये जाने की योजना बनाना

कार्यवाही के प्रसंग में डा. सुधाकर पांडे की टिप्पणी थी कि भारतीय भू-सर्वेक्षण व नाल्को आदि द्वारा बार-बार तकनीकी किस्म के काम में हिंदी का प्रयोग हो पाने की समस्या बताई गई है। यह कोई समस्या नहीं हैं तथा तकनीकी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनाई जाए।

रिक्त हिंदी पदों पर शीघ्र भर्ती

श्री सुधाकर पांडे का कहना था कि भारतीय भूसर्वेक्षण आदि और भारतीय खान ब्यूरो में हिंदी अनुवादक के पद वर्ष 1987 से खाली चले आ रहे हैं। इन्हें शीघ्र भरा जाए।

हिंदी पद-धारियों की पदोन्नति

सर्व श्री अबरार अहमद खान और सुधाकर पांडेय का कहना था कि हिंदुस्तान जिंक लि. में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी पिछले करीब सात वर्षों से पदोन्नति से वंचित हैं। इसी प्रकार, बाल्को में व. अनुवादक पदोन्नति से वंचित हैं। राज्य मंत्री के आदेश पर हिन्दुस्तान जिंक लि. के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संबंधित अधिकारी को अतिशीघ्र पदोन्नति देने की कार्रवाई की जाएगी। श्री सुधाकर पांडे का कहना था कि बाल्को आदि में भी सभी हिंदी पदधारियों की तत्काल पदोन्नति की कार्यवाही की जाए।

साधनों के अनुरूप हिंदी के प्रगामी प्रयोग का मूल्यांकन

डॉ. अबरार अहमद खान का कहना था कि एजेंडा में मिली जानकारी से जाहिर है कि नाल्को और हिन्दुस्तान कापर लि. आदि में हिंदी की तुलना में अंग्रेजी के अधिक टाइपराइटर हैं। राज्य मंत्री का कहना था कि "बिलकुल न होने से कुछ हैं", यह अच्छा है और नाल्को आदि में भी हम हिंदी टाइपराइटरों को हिंदी टंककों/आशुलिपिकों के अनुपात में बढ़वाएंगे। और इस प्रसंग में राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार व्यवस्था की जाएगी।

कंम्पनियों की बोर्ड बैठक आदि की कार्यसूची और कार्यवृत्त द्विभाषी जारी करना

डॉ. अबरार अहमद खान और डॉ. अय्यर का कहना था कि प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि हिन्दुस्तान कापर लि. को छोड़कर, अन्य किसी उपक्रम में बोर्ड बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त द्विभाषी तैयार नहीं किए जाते। इस बारे में नाल्को की यह टिप्पणी कि "अधिकांश स्टाफ के गैर-हिंदी भाषी होने, सामग्री के अत्यन्त तकनीकी होने के कारण हिंदी में करना कठिन है", उचित नहीं है। इस दिशा में प्रयास शुरू किए जाने चाहिएं। इसी प्रकार बाल्को, हिन्दुस्तान जिंक लि. आदि में बोर्ड बैठक की कार्यसूची/कार्यवृत्त तत्काल से द्विभाषी तैयार करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

वर्कर्स मैनुअल और खान प्रक्रिया आदि से संबंधित हैंड बुक आदि के हिंदी पाठ

डा. अय्यर का कहना था कि "वर्कर्स मैनुअल", खान प्रक्रिया हैंड बर्क, खान कार्यालय में लागू पेंशन नियम, भविष्य निधि नियम आदि के हिंदी-अंग्रेजी पाठ के सैट सभी सदस्यों को सुलभ कराए जाएं।

हिंदी स्टाफ के लिए खानों में कार्य-शिविर का आयोजन

डा. अय्यर का कहना था कि पूर्व-प्रेषित उनके सुझाव का आशय यह था कि प्रत्येक कार्यालय/कंपनी का हिंदी अधिकारी जनसंपर्क का कार्य करता है, इन अधिकारियों के लिये अपने कार्यालय के विभिन्न तकनीकी साहित्य के सही हिंदी अनुवाद और शब्दावली में एकरूपता की दृष्टि से उसे अन्य उपक्रमों के साहित्यों के अनुवाद और कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त करना उपयोगी हो सकता है। अतः उनका सुझाव था कि एक उपक्रम के हिंदी अधिकारी व अनुवादक को दूसरे उपक्रमों में भेजा जाए, जहां प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे तकनीकी दस्तावेजों के अनुवाद का प्रशिक्षण देने के बारे में विशेषज्ञों द्वारा कार्यशिविर आयोजित किए जाएं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रकाशनों का हिंदी में प्रकाशन

डा. अय्यर का कहना था कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में "जिला-वार खनिज संपदा" पुस्तिकाएं निकालकर काफी अच्छा काम किया है, लेकिन इन ज्ञान-वर्धक पुस्तिकाओं की लोगों को जानकारी नहीं है। अतः उनका सुझाव था कि इस संगठन को चाहिए कि नेशनल बुक ट्रस्ट या प्रकाशन विभाग के सहयोग से खनिज संपदा के बारे में व्यावहारिक जानकारी जनता को उपलब्ध कराएं।

राजभाषा नियम 8(4) के अन्तर्गत अधिसूचित विषयों की सूची सुलभ करना

श्री पन्ना लाल शर्मा ने इस बात की तारीफ की कि भारतीय खान ब्यूरो और कुछ कंपनियों की यूनिटों ने कुछ अनुभाग/कार्य हिंदी में किये जाने हेतु विनिर्दिष्ट किए हैं। वे चाहते थे कि उन कार्यों/अनुभागों की सूची सदस्यों को उपलब्ध करायी जाए।

हिन्दी पुस्तकों की खरीद

श्री पन्ना लाल शर्मा का कहना था कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस वर्ष हिन्दी पुस्तकों पर लगभग 64,000 रु. खर्च करने की बात कही है, तो वे यह भी बतायें कि उन्होंने अंग्रेजी पुस्तकों पर कितनी राशि खर्च की है। इसी प्रकार, अन्य कार्यालयों/उपक्रमों द्वारा भी हिंदी और अंग्रेजी पुस्तकों पर खर्च की गई राशि का यूनिट-वार ब्यौरा दिया जाए।

तकनीकी विषयों पर हिन्दी परिचर्चा

श्री पन्ना लाल शर्मा का कहना था कि खान विभाग द्वारा अपने उपक्रमों के माध्यम से बारी-बारी से विभिन्न तकनीकी विषयों पर हिन्दी में परिचर्चा कराना एक सराहनीय कदम है। उनका सुझाव था कि इन परिचर्चाओं का संबंधित उपक्रमों आदि द्वारा पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

कार्यालयों : उपक्रमों के कोर्डों, मैनुअलों का और द्विभाषी मुद्रण

श्री पन्ना लाल शर्मा का कहना था कि अभी भी भारतीय भू-सर्वे के 6 में से 4 ब्यूरो के 36 में से 21, बाल्को (कोरबा) के 67 में से 4, हिन्दुस्तान जिंक लि. (मुख्यालय में 9 में से 1, दुण्डू में 4 में से 2), हिन्दुस्तान कापर लि. के 7 में से 1, नाल्को के 13 में से 5 कोड/मैनुअल हिन्दी अनुवाद/द्विभाषी मुद्रण हेतु शेष हैं। इनका प्राथमिकता से (हो सके तो एक महीने के अन्दर) अनुवाद कराके द्विभाषी मुद्रण किया जाए।

मूल पत्राचार में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग तथा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन

श्री पन्ना लाल शर्मा का कहना था कि भारतीय भूसर्वे सहित हिन्दुस्तान जिंक लि., हिन्दुस्तान कापर लि. की हिन्दी भाषी क्षेत्र की यूनिटों से "क" व "ख" क्षेत्र साथ निर्धारित प्रतिशत में हिन्दी में मूल पत्राचार नहीं हो रहा है और कुछ यूनिटों में तो पिछली तिमाही से भी कम पत्राचार हुआ है। यह उचित नहीं है और इसमें प्रगामी प्रगति होनी चाहिए और साथ ही राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का द्विभाषी अनुपालन सुनिश्चत किया जाना चाहिये।

हिन्दी, हिन्दी आशुलिपि/टंकण का प्रशिक्षण

श्री पन्ना लाल शर्मा का कहना था कि अनेक कार्यालयों/यूनिटों में हिन्दी प्रशिक्षण की गति काफी शिथिल है, इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

बालको समाचार एक उत्कृष्ट प्रकाशन

श्री सुधाकर पांडे, डा. अबरार अहमद खान, डा. अय्यर, श्री डामोर और श्री पन्ना लाल शर्मा का कहना था कि हिन्दी व अंग्रेजी में एक ही जिल्द में द्विभाषी (डिगलट) मुद्रित "बाल्को समाचार" का कथ्य/रूप-सज्जा किसी भी विदेशी प्रकाशन से कम नहीं है।

बैठक समापन करते हुए सचिव (खान) श्री प्रतीप लाहिरी ने सभी उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि अहिंदी भाषी क्षेत्र में स्थित हमारे कुछ यूनिटों ने, "क" व "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालय-यूनिटों की तुलना में, हिंदी में अच्छा काम किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उन पर मंत्री जी के सानिध्य में और अधिक प्रगति होगी। उन्होंने आगे बताया कि खान विभाग को वर्ष 1987-88 में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये माननीय प्रधान मंत्री से प्रथम पुरस्कार स्वरूप राजभाषा ट्राफी प्राप्त हुई है और हमारा हर संभव प्रयास होगा कि हम इससे पिछड़ने न पावें। उन्होंने माननीय अध्यक्ष, उपस्थित सभी सांसदो, गैर सांसदों और अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके उद्गार हम सबके लिये प्रेरणास्पद हैं और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हमारे प्रयास आगे भी बराबर जारी रहेंगे। □

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. तिरुवनंतपुरम

बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तिरुवनंतपुरम की दसवीं बैठक 19-12-1989 को श्री ए. एम. प्रभु, उपमहाप्रबंधक, केनरा बैंक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

उक्त समिति की उपसमिति के अध्यक्ष श्री बी. गणपति मंडल प्रबंधक, केनरा बैंक ने अध्यक्ष तथा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बैठक की चर्चाओं से लाभ उठाकर सभी सदस्य बैंक राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को और अधिक गति प्रदान करेंगे।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डॉ. जोस आस्टिन ने समिति के श्रेष्ठ कार्य निष्पादन की विशेष सराहना की।

सदस्य बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान मुख्य कमी हिन्दी प्रशिक्षण की महसूस की गई। समिति के सचिव श्री सोहन लाल, केनरा बैंक ने प्रतिवेदन किया कि तिरुवनंतपुरम में प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तथा चाहते हुए भी हम अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिलवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी होते हुए भी तिरुवनंतपुरम में राजभाषा विभाग और हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यालय नहीं हैं जिसके कारण उनसे जीवत संपर्क नहीं हो पाता।

डॉ जोस आस्टिन ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही यहां राजभाषा विभाग का कार्यालय खोलने की योजना है। विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि समिति के तत्वावधान में बैंकिंग प्राज्ञ पाठ्यक्रम के लिए कक्षाओं का आयोजन किया जाए। ये कक्षाएं जनवरी, 1990 से केनरा बैंक के क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, तिरुवतंनपुरम में चलाई जाएंगी। सचिव ने बताया कि 8 जनवरी, 1990 से एरणाकुलम में बैंक कर्मचारियों के लिए अल्पावधि अनुवाद प्रशिक्षण चलाया जा रहा है जिसका आयोजन बैंकों की नराकास तिरुवतंनपुरम और बैंकों की नराकास कोचिन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है।

अध्यक्षीय भाषण में श्री ए एम प्रभु ने सदस्य बैंकों से मिलने वाले निरंतर सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया और आशा प्रकट की कि भविष्य में भी वे इसी तरह सहयोग देते रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि "हिन्दी समय की मांग है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बैंकों में होने के नाते हमें लगातार जनता से संपर्क होता है। इसलिए यदि हम जनता को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले जनता की भाषा को अपनाना होगा। हिन्दी को काम में लाना होगा।"

2. मंगलूर

मंगलूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 7वीं बैठक भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की मेजबानी में 12-09-1989 को कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, पांडेश्वर, मंगलूर में आयोजित की गई।

सर्वप्रथम भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. के उप प्रबंधक श्री ए. के. आहूजा ने मुख्य अतिथि डॉ. महेश चन्द्र गुप्ता, समिति के अध्यक्ष, श्री वाय. एस. हेग्डे तथा मंगलूर नराकास के विभिन्न कार्यालयों से आये हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से पधारे मुख्य अतिथि डॉ० महेश चन्द्र गुप्ता, निदेशक (अनुसंधान) ने मंगलूर नराकास द्वारा प्रकाशित "नेहरू स्मृति स्मारिका – 1989" का विमोचन किया। तत्पश्चात समिति के अध्यक्ष श्री वाय. एस. हेग्डे ने भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. द्वारा इस बैठक की मेजबानी किये जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इससे समिति के कार्यों के लिए एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनेगें।

श्री हेग्डे ने सदस्य कार्यालयों द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन में उनकी सक्रिय सहभागिता और राजभाषा के प्रति उनकी निष्ठा पर संतोष व्यक्त किया।

डॉ. महेश चन्द्र गुप्त ने सदस्यों के विचार एवं सुझावों पर अपना स्टीक उत्तर दिया। दक्षिण क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूर के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री रामचन्द्र मिश्र ने अर्ध-वार्षिक रिपोर्टों की आवश्यकता एवं महत्ता पर बल दिया।

समिति के अध्यक्ष श्री वाय. एस. हेग्डे ने बैंकों, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों को उनके कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में समीक्षाधीन अवधि के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अलग-अलग तीन रोलिंग शील्ड देने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि

बैंकों एवं केन्द्रीय कार्यालयों के लिए मंगलूर टालिक द्वारा दो शील्ड प्रायोजित किये गये हैं, जबकि सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक शील्ड का प्रयोजन भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. ने किया है। इन शील्डों को विजेता 6 माह की अवधि तक अपने पास रख सकेंगें। यह शील्ड योजना मंगलूर में पहली बार लागू की गई है। मुख्य अतिथि डॉ. महेश चन्द्र गुप्ता ने विजेताओं को शील्डें प्रदान कीं :

(अ) उत्तम बैंक —केनरा बैंक, मंडल कार्यालय

(ब) उत्तम केन्द्रीय सरकार का कार्यालय —वरिष्ठ अधीक्षक डाक घर का कार्यालय

(स) उत्तम सार्वजनिक उपक्रम —नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लि. का कार्यालय

निम्नलिखित कार्यालयों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये :

(अ) आन्ध्रा बैंक

(ब) यूनियन बैंक आफ इंडिया

(स) बैंक आफ महाराष्ट्र

मेजबान कार्यालय ने महा प्रबंधक श्री के. नीलकंठन ने कहा कि हिन्दी संघ की राजभाषा है। यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपने दैनंदिन कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करें। उन्होंने ऐसी बैठकों को "यज्ञ" की संज्ञा दी।

मुख्य अतिथि डॉ. महेश चन्द्र गुप्त ने अपने भाषण में मंगलूर टालिक द्वारा हिन्दी की दिशा में की गई प्रगति पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बड़ी संख्या में सदस्यों की उपस्थिति पर भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मंगलूर टालिक द्वारा प्रकाशित "नेहरूस्मृति स्मारिका—1989" सदस्य कार्यालयों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। डा. गुप्ता ने भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम 1989–90 तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इनमें निहित अनुदेशों का अनुपालन करें।

केनरा बैंक, मंडल कार्यालय के प्रबंधक (राजभाषा अनुभाग) श्रीमती शांता डी. किणि के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही बैठक समाप्त हुई।

3. हुबली

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हुबली की वर्ष की दूसरी बैठक 23-1-90 को मंडल रेल प्रबंधक हुबली श्री बरियर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उप निदेशक (का.) श्री रामचन्द्र मिश्र ने राजभाषा विभाग की ओर से भाग लिया।

बैठक में विशेष करके हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी टाइपिंग व आशुलिपि केन्द्र और पुस्तकों की अनुपलब्धता के बारे में प्रश्न विचारार्थ रखे गए। सदस्यों का कहना था कि हिन्दी परीक्षाओं के लिए पुस्तकें प्राप्त नहीं हो रही हैं। नया सत्र भी शुरू हो गया है। पुस्तकों के बारे में बताया गया कि मैसूर प्रेस से छप रहे हैं और शीघ्र ही उनको उपलब्ध कराने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना को लिखा जाएगा और उनसे व्यक्तिगत संपर्क भी किया जाएगा। इसके साथ सदस्यों को यह भी बताया कि पुस्तकें कार्पोरेशन बैंक, मंगलूर प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है, अगर कोई सदस्य चाहे तो श्री नरसिंह प्रसाद यादव, हिन्दी अधिकारी से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है।

हिन्दी टाइप केन्द्र खोलने पर विचार किया जाए। पिछली बार समिति को उप निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना ने आश्वासन दिया था कि वे हुबली में केन्द्र खोलने पर विचार करेंगे। उन्हें बताया गया कि इस बारे में प्रयत्न किया जाएगा। एक मांग यह भी विचारार्थ रखी गई कि अगर प्राइवेट रूप से कोई अपने निजी प्रयत्नों से हिन्दी टाइप का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है और गृह मंत्रालय की परीक्षा देना चाहता है तो परीक्षा केन्द्र हुबली में रखा जाए, जिससे परीक्षार्थी हुबली में परीक्षा दे सके। परीक्षा केन्द्र के बारे में भी सदस्यों को बताया गया यदि 10 परीक्षार्थी होते हैं तो उप निदेशक (परीक्षा) परीक्षा केन्द्र स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए उनसे फार्म भेजते समय ही उप निदेशक (परीक्षा) से संपर्क करना होगा।

बैठक में अध्यक्ष की सहमति से यह भी निश्चय किया गया कि जो राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन की दिशा में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, उनके लिए राजभाषा शील्ड रोलिंग प्रारंभ की जाए। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में से एक सरकारी उपक्रमों में एक और बैंकों में से एक रेल मंडल प्रबंधक और स्टट बैंक आफ इंडिया ने अपनी ओर से एक-एक रोलिंग शील्ड समिति को भेंट स्वरूप देने का वचन दिया। अगली बैठक वर्ष 1989-90 में किए गए कार्य का मूल्यांकन करते हुए शील्ड प्रदान की जायेंगी।

कुछेक कार्यालयों में प्रशंसात्मक ढंग से आदेशों के कार्यान्वयन की ओर निष्ठा से रूचि दिखाकर कार्य किया गया है। इस दृष्टि से प्रशंसनीय उपलब्धि भी हासिल कर सके हैं। नगर समिति की बैठक में निम्नलिखित पांच कार्यालयों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए हैं :—

1. सेंट्रल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, 2. केनरा बैंक, मंडल कार्यालय, 3. बैंक आफ महाराष्ट्र, धारवाड़ शाखा, 4. आंध्रा बैंक, हुबली शाखा, 5. उप महा प्रबंधक, दूर संचार (नार्थ)।

बैठक के समापन से पूर्व भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मल्लिक द्वारा इस समिति को प्रशंसात्मक ढंग से चलाए जाने के लिए उनके कार्य की सराहना की गई और सदस्यों की अनुमति से इस तथ्य को समिति की बैठक में रिकार्ड करने हेतु नोट किया गया। बैठक का कुशल संचालन श्री टी.जी. मोहनलाल राजभाषा अधिकारी, मंडल रेल प्रबंधक हुबली द्वारा किया गया।

4. पारादीप

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पारादीप द्वारा प्रायोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पांचवी बैठक पत्तन न्यास के जवाहर अतिथि गृह में 4 नवम्बर, 1989 को आयोजित की गई।

समिति के सदस्य सचिव श्री एस. के. पटनायक ने स्वागत भाषण में डॉ. महीप सिह, डॉ. महेश चन्द्र गुप्त निदेशक श्री सिद्धिनाथ झा, उप निदेशक श्री बिमल चक्रवर्ती, क्षेत्रीय प्रबंधक युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को बैठक में उपस्थित होने के लिए समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद दिया।

सदस्य सचिव ने युनाइटेड बैंक आँफ इंड़िया के द्वारा बैठक को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए किए गए प्रयासों की काफी सराहना की। विशेषरूप से युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय प्रबंधक श्री श्यामल चक्रवर्ती की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि अन्य सदस्य भी राजभाषा की प्रगति के लिए ठोस कदम उठायेंगे।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय हिन्दी के सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. महीप सिह ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो सारे देश को एकता के सूत्र में बांध सकती है। उन्होंने यह कहा कि सभी कार्यालयों में बैंकों आदि में अधिक से अधिक काम हिन्दी में होना चाहिए।

श्री बिमल चक्रवर्ती क्षेत्रीय प्रबंधक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने इस बात पर जोर दिया कि सभी कार्यालयों और बैंकों में अधिक से अधिक काम हिन्दी में होना चाहिए।

डॉ. महेश चन्द्र गुप्त निदेशक (अनुसंधान) राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने पत्तन न्यास में राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति को देखते हुए पत्तन न्यास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि श्री प्रसन्न कुमार मिश्र अध्यक्ष, पारादीप पत्तन न्यास ने राजभाषा की प्रगति के लिए जो सराहनीय कदम उठाए हैं, वे उसके लिए बधाई के पात्र है। राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के संबंध में सदस्यों को विस्तृत जानकारी देते हुए डॉ. गुप्त ने कहा कि सभी कार्यालयों में अधिक से अधिक काम हिन्दी में होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजभाषा नीति के अनुपालन का दायित्व कार्यालय के प्रमुख का है। डॉ. गुप्त ने कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय के अध्यक्ष का उपस्थित रहना आवश्यक है।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री बिमल चक्रवर्ती का विशेष रूप से स्वागत करते हुए कहा कि आज पारादीप में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के लिए सौभाग्य की बात है कि इस बैठक में वख्यात लेखक डॉ. महीप सिह और राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. गुप्त एंवं श्री झा तथा युनाइटेड बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विमल चक्रवर्ती उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि हिन्दी की प्रगति के लिए सभी को एक जुट होकर काम करना पड़ेगा। यदि एक भाषा को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार करें तो अवश्य ही देश में एकता की भावना जागृत होगी। हिन्दी में काम करने के लिए हर व्यक्ति को दृढ़ संकल्प करना होगा।

कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण

डॉ. महेश चन्द्र गुप्त ने उपस्थित सभी सदस्यों से उनके कार्यालयों में हिन्दी प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी हासिल की। डॉ. गुप्त ने उपस्थित सदस्यों को सुझाव दिया कि वे अधिक से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण के लिए भेजें ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा हो सकें।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि पारादीप में हिन्दी के प्रति कर्मचारियों के उत्साह को देखते हुए और प्रशिक्षण कार्यक्रम को निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा करने के लिए पारादीप में एक पूर्णकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाए। परीक्षा शुल्क के संबंध में अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाता उसी प्रकार बैंकों, उपक्रमों आदि में भी कर्मचारियों को निःशुल्क परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। जिससे संस्थानों पर इस बाबत खर्च कम हो सकता है या परीक्षा शुल्क की राशि में कुछ रियायत मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पुस्तकों की दरें भी बढ़ गई हैं। हिन्दी की प्रगति को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों की दरें कम की जानी चाहिए ताकि सभी संस्थाएं अपने कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें खरीद सकें।

इन सुझावों का स्वागत करते हुए डॉ. गुप्त ने आश्वासन दिया कि वे इन मुद्दों पर राजभाषा विभाग में चर्चा करेंगे।

कार्यशाला का आयोजन

हिन्दी अधिकारी, पारादीप पत्तन न्यास ने सुझाव दिया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन, समिति की ओर से हिन्दी कार्यशाला का आयोजित किया जाए।

समिति ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

हिन्दी टाइपराईटिंग प्रशिक्षण

डॉ. गुप्त ने विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटरों की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त की। डॉ. गुप्त ने सुझाव दिया कि प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी टाइपराइटर समुचित मात्रा में होनी चाहिए।

हिन्दी टाइपराइटिंग प्रशिक्षण के बारे में सदस्य सचिव ने बताया कि पारादीप में राजभाषा विभाग का कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं और न ही कोई विभागीय व्यवस्था है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. के प्रबंधक श्री एन. पुजारी ने बताया कि पारादीप में प्राइवेट संस्थान के द्वारा हिन्दी टाइपराइटिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कर्मचारी प्राइवेट रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं।

इस सुझाव का स्वागत करते हुए सदस्यों ने निर्णय लिया कि वे अपने कर्मचारियों को हिन्दी टाइपराइटिंग प्रशिक्षण लेने हेतु भेजेंगे।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना

सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि कुछ कार्यालयों से ही तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। सदस्य सचिव ने सदस्यों से पुनः निवेदन किया कि वे तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय के अन्दर अध्यक्ष, न. रा. का. को भेजा करें जिससे कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में सही स्थिति का पता लगाया जा सके। उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने कहा कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

समिति ने यह निर्णय किया कि पारादीप में स्थित सभी कार्यालयों, बैंकों आदि में राजभाषा प्रगति के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रति वर्ष नेहरू शील्ड पुरस्कार रखा जाएगा।

हिन्दी अधिकारी, पारादीप पत्तन न्यास ने सुझाव दिया कि प्रतिवर्ष समिति के द्वारा वार्षिक दिवस का आयोजन किया जाता चाहिए। इस प्रकार के आयोजन से सभी सदस्य एक एक दूसरे के निकट आ सकते हैं।

सभी सदस्यों ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए अपनी सहमति प्रदान की। अन्त में युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पारादीप के प्रबंधक श्री श्यामल चक्रवर्ती ने सभी सम्मानित अतिथियों और सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दिया।

5. बड़ौदा (बैंक)

बड़ौदा नगर बैंक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीसरी बैठक दि. 10-11-1989 को श्री ए. वी. पारेख, उप महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं) बैंक ऑफ बड़ौदा प्रधान कार्यालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में श्री के. सी. पटेल, उप महाप्रबंधक, और डॉ. सोहन शर्मा, मुख्य प्रबंधक राजभाषा विभाग, बैंक ऑफ बड़ौदा, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई भी उपस्थित थे।

कार्यसूची की मदों पर चर्चा शुरू करने से पहले सदस्य सचिव के अनुरोध पर राजभाषा विभाग के मुख्य प्रबंधक डॉ. सोहन शर्मा ने एक ही वर्ष में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए समिति को बधाई दी। इसके पश्चात् उन्होंने भारत सरकार की राजभाषा नीति, वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग संबंधी सांविधिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कहा कि आज भी साईनबोड, नामपट्ट इत्यादि द्विभाषी/त्रिभाषी बनवाने की चर्चा करें, यह प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य तो न्यूनतम होते हैं, परन्तु हमें उन पर रुक नहीं जाना। जिस तरह बैंकिंग कार्य के अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम योजना बना कर चलते हैं, उसी प्रकार हिन्दी के प्रयोग संबंधी लक्ष्यों के लिए भी योजना पद्धति बना कर काम करना चाहिए।

बैंकों से प्राप्त अर्धवार्षिक रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए जिन बैंकों ने उल्लेखनीय कार्य किया है, उनकी सराहना की गई, जो बैंक वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए हैं उन्हें ये लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने का आग्रह किया गया। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से एक कार्य-योजना बना कर चलने का निर्णय लिया गया था। इसके प्रथम चरण में सभी अंग्रेजी टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिलवाने हेतु नगर समिति के मंच से सभी बैंकों के लिए एक संयुक्त टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया गया है। बैठक में अधिक से अधिक टाइपिस्टों को प्रशिक्षण हेतु नामित करने पर बल दिया गया। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को कार्यशाला में प्रशिक्षण दिलवाया जाता है, बैठक में इस मुद्दे पर भी बल दिया गया कि कार्यशाला में प्रशिक्षित कर्मचारियों से हिन्दी में काम करवाया जाना चाहिये। जिन बैंकों में स्थानीय रूप से कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की जाती, उनके लिये नगर समिति के मंच से कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया।

अतः बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 1989 के मूल्यांकन के लिए मानदंडों का निर्धारण और इस उद्देश्य हेतु उपसमिति के गठित करने का निर्णय भी लिया गया। इस समिति में सरकारी कार्यालयों के लिए चल रही नगर समिति के संयोजक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक निदेशक (राजभाषा), इस समिति के संयोजक बैंक–बैंक ऑफ बड़ौदा प्रधान कार्यालय के प्रबंधक (राजभाषा) तथा रेलवे स्टाफ कॉलेज के राजभाषा विभाग के प्रमुख अथवा उनके अनुपलब्ध होने पर बीमा कंपनी के राजभाषा विभाग के प्रभारी को सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

अंत में समिति के अध्यक्ष एवं बैंक ऑफ बड़ौदा प्रधान कार्यालय के उप महाप्रबंधक (परि. व सेवाएं) श्री ए. वी. पारेख ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक मद में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस समिति के स्तर से हम सभी बैंकों को मिल-जुल कर प्रयास करने चाहिएं। उन्होंने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध

किया कि समिति की ओर से आरंभ की गई "चल-वैजयंती" प्रतियोगिता में सभी बैंक उत्साह से भाग लें और शील्ड प्राप्त करने का प्रयास करें।

अंत में सेन्ट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विजय धरत ने धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता निभाते हुए यह दोहराया कि इस समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना हम सभी बैंकों के प्रमुखों का दायित्व है। बैंक ऑफ बड़ौदा इस समिति का संयोजक बैंक है और अपनी तरफ से बहुत सक्रियता से सभी बैंकों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये प्रयास कर रहा है, अतः हमें उन्हें अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए।

समिति का संचालन सदस्य सचिव श्रीमती सुधा जावा ने किया।

6. भोपाल

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 20-10-89 को श्री ओंकार नाथ मेहरोत्रा, मुख्य आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई। इस में नगर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों व उपक्रमों के कार्यालय अध्यक्षों ने भाग लिया।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रशासनिक अधिकारी श्री चान्नण ने समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य आयकर आयुक्त श्री ओंकार नाथ मेहरोत्रा तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, श्री निशिकान्त महाजन का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया।

सचिव ने बताया कि गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार भोपाल के कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों में काम करने वाले अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाये।

बैठक में उपस्थित "न्यू इंडिया एश्योरेंशस कम्पनी" के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री वेद गुप्ता ने सहर्ष अरेरा कालोनी स्थित केन्द्र में प्रबोध प्रवीण व प्राज्ञ के प्रशिक्षण की कक्षाएं आरंभ करने हेतु परिसर उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी।

आकाशवाणी/दूरदर्शन से राजभाषा नीति पर कार्यक्रमों का प्रसारण

सचिव ने बताया कि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से सरकार की राजभाषा नीति बाबत व कार्यालयों द्वारा हिन्दी में किये जा रहे श्रेष्ठ कार्यों का यदि प्रसारण होता है तो इससे अन्य कार्यालयों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा व लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। इस मद पर चर्चा के समय समिति को बताया गया कि राज्य भाषा विभाग के उप-निदेशक (का.) श्री जोशी ने दूरभाष पर यह जानकारी दी है कि नगर समिति की पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग ने केन्द्रीय सूचना मंत्रालय को लिखा है वहां से कार्रवाई होने के उपरान्त ही परिणाम सामने आ पायेंगे। यह निर्णय लिया कि जो कार्यालय हिन्दी में अच्छा कार्य कर रहे हैं, वे स्थानीय पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से अपने कार्यालय में किये जा रहे हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बाबत उपलब्धियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा वर्ष में एक बार निरीक्षण

समिति के सचिव ने कहा कि कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के विषय में राजभाषा नियमों, भारत सरकार की राजभाषा नीति व अन्य आदेशों का पालन दृढ़ता से नहीं हो रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि इस ओर कुछ दृढ़ता बरती जाये और यह प्रत्येक कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा संभव है।

निर्णय लिया गया कि कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष प्रस्ताव के अनुसार अपने नियमित निरीक्षण के समय अधीनस्थ कार्यालय एवं अनुभागों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का भी निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण में पाई गई कमियों व विसंगतियों के बावत अपने कार्यालय को प्रशासनिक अनुदेश देंगे।

"क" क्षेत्र में स्थित कार्यालय उपक्रमों आदि द्वारा कार्यसूची तथा कार्यवृत केवल हिन्दी में जारी करने का निर्णय लिया गया

आयकर विभाग के मुख्य आयकर आयुक्त और समिति के अध्यक्ष श्री मेहरोत्रा ने कहा कि कार्यालयाध्यक्षों को खुद हिन्दी में काम करके अपने अधीनस्थ लोगों को हिन्दी में काम करने के लिये प्रेरित करना चाहिए। अंग्रेजी के जो शब्द हिन्दी में प्रचलित हो गये हैं, उन्हें लिपि बदलकर प्रयोग में लाया जा सकता है।

श्री निशिकान्त महाजन, संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने सारगर्भित सम्बोधन में कहा कि राजभाषा के कार्यान्वयन के बारे में भारत सरकार की नीति सभी कार्यालयों के लिये समान रूप से लागू है। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठक में प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार मुझे लग रहा है कि भोपाल के अधिकांश कार्यालयों में हिन्दी में काम हो रहा है। यदि किसी कार्यालय में हिन्दी में काम नहीं हो पा रहा है तो वहां उसके कुछ कारण रहे होंगे। नगर समिति की बैठक का उद्देश्य यही है कि यहां के कार्यालय अध्यक्ष परस्पर मिल-जुलकर आपसी सहयोग से कार्यालयों की मुश्किल को दूर कर लें।

मध्यप्रदेश शासन से अंग्रेजी में पत्रों की प्राप्ति के बारे में उन्होंने कहा कि यदि पत्र अंग्रेजी में भी आते हैं, तो केन्द्रीय सरकार के कार्यालय और उपक्रम इस प्रकार के अंग्रेजी पत्रों का हिन्दी में उत्तर देकर राज्य सरकार के कार्यालयों के सामने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि उसके बाद भी राज्य सरकार से अंग्रेजी में पत्र प्राप्त होते हैं, तो अवश्य गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग इस विषय में उच्च-स्तर पर कार्रवाई कर राज्य सरकार को हिन्दी में पत्र भेजने के लिये अनुरोध करेगा।

संयुक्त सचिव ने कहा कि विभागों की अधिकांश परीक्षाओं के प्रश्नपत्र द्विभाषी रूप में आने लगे हैं उन्होंने बीमा कम्पनी का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ स्तरों के प्रश्नपत्र तो इस प्रकार के हैं जिनमें उत्तर किसी भाषा में नहीं देन होता, मात्र चिह्न लगाने होते हैं ।

7. इन्दौर

"भाषा हमारी अभिव्यक्ति का एक ऐसा सशक्त माध्यम है, जो हमें परस्पर जोड़ती है। यह सद्भाव और एकता का एक सार्थक सेतु है। हिन्दी में काम, देश सेवा का काम है, इस भावना को हम मिलजुलकर आगे बढ़ाएं।"

उपर्युक्त उद्गार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इन्दौर के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण अग्रवाल समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क ने भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न नगर राजभाषा समिति की ग्यारहवीं बैठक में व्यक्त किए।

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि प्रत्येक दिन हिन्दी दिवस है, हम सच्चे मन से हिन्दी में काम करें और कराएं।

उन्होंने बैठक में उपस्थित केन्द्रीय कार्यालयों, निगमों कंपनियों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का आह्वान किया कि वे स्वयं हिन्दी में काम करके अपने अधीन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें, स्टाफ की सुविधा के लिए अधिकतम-सहायक साहित्य उपलब्ध कराएं, हिन्दी कार्यशाला के आयोजन कराएं तथा राजभाषा नीति के अनुरूप हिन्दी का काम काज बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय करें।

इस अवसर पर श्रीमती निशा चतुर्वेदी निदेशक केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (राजभाषा विभाग, नई दिल्ली) ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह स्वाभिमान पालें कि यह हिन्दी में काम करते हैं तो हम किसी से कम नहीं हैं। हिन्दी, एक सशक्त भाषा है, जो शब्द आसानी से समझ में आएं उन्हें हिन्दी में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने आगे बतलाया कि केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा नयी दिल्ली, बंबई, बंगलौर व कलकत्ता में अनुवाद प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्यूरो द्वारा सरकारी नियमों व अन्य कागजातों का अनुवाद कार्य भी तेजी से किया जा रहा है।

बैठक में राजभाषा विभाग के मध्य क्षेत्र प्रभारी श्री डी. कृष्ण पणिक्कर सहायक निदेशक ने सरकार की राजभाषा नीति की अपेक्षाओं की जानकारी देते हुए अधिकारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए।

सर्वश्री एम. एस. बेग, मेवसिंह, डॉ. अखिलेश मिश्र व डॉ. आशा पाटनी ने अध्यक्ष व अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया। अनेक अधिकारियों ने अपने विभागों /कार्यालयों में किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों की जानकारी दी। बैठक की कार्यवाही का संचालन श्री राज केसरवानी ने तथा आभार प्रदर्शन श्री एम. एस. बेग, वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, शहर शाखा ने किया।

8. आगरा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आगरा की 16वीं बैठक दिनांक 22-8-89 को आयकर आयुक्त कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री सुरेश कपूर, अध्यक्ष एवं आयकर आयुक्त ने की। बैठक में गृहमंत्रालय राजभाषा विभाग के निदेशक (अनुसंधान) डॉ. महेश चन्द्र गुप्त उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त इस बैठक में आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. अगम प्रसाद माथुर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए ।

समिति के सचिव श्री सकलानी ने समिति का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया । आगरा नगर समिति अपने अथक परिश्रम से ही 1985 में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार पुरस्कृत हो चुकी है। हम सबका यह दायित्व है कि इसको और अधिक सक्रिय बनाने हेतु कार्य करें ।

पिछली बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही के संदर्भ में सचिव ने बताया कि हिन्दी कार्यान्वयन के श्रेष्ठ निष्पादन हेतु आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय ने नगर के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/बैंकों/निगमों/उपक्रमों के हिन्दी प्रगति के मूल्यांकन एवं निरीक्षण हेतु तीन समितियों का गठन किया था और स्थल निरीक्षण व मूल्यांकन के उपरांत तीनों समितियों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत कर दी हैं। सचिव ने बताया कि हमारे निरीक्षण एवं संपर्क दल ने अथक प्रयास से कार्यालयों के हिन्दी कार्यान्वयन का निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया। लेकिन काफी प्रयास के बावजूद भी नगर के लगभग 50% कार्यालय हिन्दी प्रयोग के प्रगति के आंकड़े समय से नहीं भेजते और निरीक्षण समिति के सदस्यों को भी कुछ कार्यालय ठीक प्रकार से जानकारी नहीं देते। नगर स्तर पर संयुक्त कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में समिति के सचिव ने बताया कि समिति की दूसरी बैठक के साथ नगर स्तर पर कर्मचारियों के लिए एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

सदस्य सचिव ने राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक कार्यालय की प्रगति रिपोर्ट पढ़ी और राजभाषा विभाग के निदेशक डाक्टर महेश चन्द्र गुप्त ने सभी कार्यालयों की प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की।

विभिन्न कार्यालयों की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुये राजभाषा विभाग के निदेशक डाक्टर महेश चन्द्र गुप्त ने बताया कि यद्यपि आगरा नगर के कार्यालयों में हिन्दी में काफी कार्य हो रहा है, फिर भी कुछ कार्यालय हिन्दी के कार्यान्वयन में अभी भी पिछड़े हुए हैं, जिसे हमें दूर करना है। उन्होंने हिन्दी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने हेतु अंग्रेजी टाइपराइटरों की संख्या में कमी किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए समस्त विभागाध्यक्षों को अंग्रेजी टाइपराइटरों की कुंजी पटलों को देवनागरी लिपि में यथाशीघ्र परिवर्तित किये जाने के निर्देश दिए और कहा कि इस संबंध

में की गयी कार्यवाही के परिणामों की अगली बैठक में समीक्षा की जाएगी। डाक्टर महेश चन्द्र गुप्त ने सभी विभागाध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि यह आवश्यक है कि हमारी मानसिकता में परिवर्तन हो, हमें यह सोचना होगा कि हम सबकी राजभाषा हिन्दी है, अंग्रेजी नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार यह चाहती है कि भारत के (क) और (ख) क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्यों के केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सामान्यतः सभी कार्य हिन्दी में हो। विशेष कर (क) क्षेत्र में जितने भी कार्यालय हैं उन सभी में संपूर्ण पत्राचार हिन्दी में होना चाहिए। किसी को भी जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए उन्होंने बताया कि यदि इस प्रकार की परिस्थिति में हिन्दी में पत्राचार नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि नियम व अधिनियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

हिन्दी कार्यान्वयन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन हेतु नगर स्तर पर समिति की तरफ से एक शील्ड योजना कई वर्षों से चल रही है। विभिन्न कार्यालयों का (1988-89) का स्थल निरीक्षण व कार्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कार्यालयों को क्रमशः नगर राजभाषा शील्ड/कप/प्रमाणपत्र प्रदान किये गये। स्वस्थ्य स्पर्धा हेतु राजभाषा के कार्य निष्पादन हेतु केन्द्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/निगमों एवं उपक्रमों के लिए अलग शील्ड रखी गयी।

आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अगम प्रसाद माथुर ने शील्ड एवं पुरस्कार दिए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. अगम प्रसाद माथुर ने वर्ष 1988–89 में हिन्दी कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन हेतु बैंकों/केन्द्र सरकार के कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों को अलग-अलग प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वालों को नगर राजभाषा शील्ड राजभाषा कप एवं प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया ।

वर्ष 1988-89 में श्रेष्ठ हिन्दी कार्य निष्पादन हेतु केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में केन्द्रीय जल आयोग व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को प्रथम, आयकर आयुक्त कार्यालय को द्वितीय व क्षेत्रीय रेल प्रबन्धक को तृतीय, बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रथम, क्षेत्रीय कार्यालय सिंडिकेट बैंक को द्वितीय, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को तृतीय तथा निगमों और उपक्रमों में भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रथम तथा भारतीय तेल निगम को द्वितीय एवं राज्य व्यापार निगम को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित करते हुये डॉ. अगम प्रसाद माथुर ने कहा कि भारत में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हिन्दी नहीं जानते और जानते हुये भी उसका प्रयोग न करना देश के लिए विश्वासघात है।

9. अलीगढ़

अलीगढ़ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सोलहवीं बैठक दिनांक 27-7-1989 को 15 बजे आकाशवाणी, अलीगढ़ परिसर में स्थित समुदाय केन्द्र में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्री जी.के. जलोटा, उपायुक्त, आयकर ने की ।

सर्वप्रथम समिति सचिव श्री युवराज बजाज ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा सभी से परिचय देने का आग्रह किया ।

पिछली बैठक में आई कठिनाइयों के सम्बन्ध में सचिव ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक की समस्या थी कि उनके यहां टंकक टाईपिंग करने को मना करते हैं। इसके लिए राजभाषा प्रतिनिधि श्री शमशेर अहमद खान ने अपने स्तर पर लिखने को कहा था। लेकिन अभी तक कोई सूचना इस बारे में नहीं मिली है। शायद अगली बैठक तक कोई सूचना प्राप्त हो सके। **भारतीय जीवन बीमा निगम की शिकायत थी कि हिन्दी के तार अंग्रेजी में प्राप्त होते हैं। इस सम्बंध में डाकघर से पत्र-व्यवहार किया जाएगा ।**

अध्यक्ष ने कहा कि हिन्दी प्रगति रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट भी हर बार कम ही प्राप्त होती हैं। इस बार भी केवल 6 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण करें तो कैसे करें। रिपोर्ट भेजना उतना ही आवश्यक है जितना बैठक में भाग लेना ।

इसके बाद सभी सदस्यों से अपने कार्यालय में हिन्दी की स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया :

(1) भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ के हिन्दी अधिकारी श्री जयसिंह वर्मा ने बताया कि उनके यहां पांच टाइपराइटर है जिनमें से दो हिन्दी के हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह हिन्दी टाइपराइटर 50 प्रतिशत करने जा रहे हैं। हिन्दी पत्राचार के सम्बन्ध में बताया कि पिछले वर्ष से इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा इस समय लगभग 60 प्रतिशत है । कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं । हिन्दी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई है । उन्होंने यह भी कहा कि जब राज्य सरकार अपना सारा काम हिन्दी में कर सकती है तो केन्द्रीय सरकार के कार्यालय क्यों अपना काम हिन्दी में नहीं कर सकते। हमारे यहां द्विभाषी फार्मों को प्रयोग के तौर पर हिन्दी कर दिया गया ह ।

(2) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर रेलवे श्री इरफान बेग ने कहा कि हम हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के जवाब भी हिन्दी में देते हैं। तकनीकी कठिनाइयों के कारण जवाब अंग्रेजी में देना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उनके यहां हिन्दी पत्राचार 85 से 90 प्रतिशत के बीच हैं। आशुलिपिक/टंकक भी हिन्दी जानते हैं।

(3) कैनरा बैंक के हिन्दी अधिकारी श्री पी.एन. शुक्ल ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारे यहां से उपभोक्ताओं को हिन्दी में पत्राचार होता है। उन्होंने कहा कि उनके बैंक की 33 शाखाएं हैं जिनमें से 32 अधिसूचित है तथा 1 को हिन्दी कार्य के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। सभी रबड़ मोहरें, नाम पट्ट द्विभाषी हैं। 16 कार्यशालाओं में 300 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। उनके यहां 90 प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है। प्रत्येक शाखा में 2-2 हिन्दी प्रतिनिधि रखे गए हैं। जिस शाखा में 20 से अधिक कर्मचारी हैं वहां उप-समिति गठित करने के अधिकार दिए गए हैं और वह स्वयं भी सभी शाखाओं में जाकर प्रगति देखते हैं।

(4) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के प्रतिनिधि ने बताया कि फार्म, रबड़ मोहर सभी द्विभाषी हैं। सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में काम करते हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में देते हैं तथा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के जवाब भी हिन्दी में देने की कोशिश की जाती है। उन्होंने बताया कि उनके यहां हिन्दी सहायक तथा हिन्दी टंकक भी हैं तथा हिन्दी का टाइपराइटर भी है।

(5) सिंडिकेट बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहां सभी रबर मोहरें द्विभाषी हैं। हिन्दी टंकक भी है। अहिन्दी भाषियों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। फार्म स्थानीय स्तर पर हिन्दी में छपवाए जा रहे हैं।

(6) विजया बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहां सभी कार्य हिंदी में होता है। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का जवाब हिन्दी में दिया जाता है।

(7) डाक वस्तु भंडार प्रपत्र एवं मुद्रा के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहां सभी काम हिन्दी में होता है।

(8) दी न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लि. के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके कार्यालय में 94 प्रतिशत कार्य हिन्दी में होता है। उनके यहां हिन्दी टंकक व हिन्दी अनुवादक भी हैं। तार हिन्दी में भेजे जा रहे हैं। ट्रायल बैलेन्स भी हिन्दी में भेजा जा रहा है।

(9) आकाशवाणी के प्रतिनिधि श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डेय ने बताया कि उनके यहां अधिकांश कार्य हिन्दी में होता है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के जवाब तथा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी हिन्दी में देते हैं। तकनीकी पत्रों के भी अधिकतर हिन्दी में लिखने का प्रयत्न किया जाता है। चैक हिन्दी में बनाए जाते हैं, कैश बुक हिन्दी में भरी जाती है। निविदाएं द्विभाषी रूप में भेजी जाती हैं। सभी फार्म द्विभाषी हैं।

कैनरा बैंक के श्री शुक्ल ने बतया कि बैंकों के लिए प्रगति रिपोर्ट का प्रोफार्मा अलग से है। उन्होंने यह भी कहा कि उप-समिति का कार्य क्षेत्र बता दें। सभी कार्यालयों को पत्र लिखकर उनसे सहमति प्राप्त कर लें तथा निश्चित करलें कि कितने कार्यालयों में एक माह में जाना है। सचिव ने कहा कि सुविधानुसार अध्यक्ष महोदय से मिलकर इसको तय किया जा सकता है।

10. कानपुर (बैंक)

बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक 1 सितम्बर 1989 को भारतीय स्टेट बैंक आंटलिक कार्यालय कानपुर के सभा कक्ष मे उप महाप्रबन्धक श्री राम पवित्र सिंह की अध्यक्षता में श्री आर.पी. सिंह उप महाप्रबन्धक ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा लिये गये कुछ साकारात्मक निर्णयों से राजभाषा के प्रयोग में गति आई है।

राजभाषा के प्रति अपनाई गई कार्यशैली कर्मचारियों/अधिकारियों के मानसिकता परिवर्तन हेतु प्रोत्साहन योजनाएं पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदण्ड आदि ऐसे क्षेत्र है जहां आपसी विचार-विमर्श से किये जा रहे प्रयासों से परिचित होंगे साथ ही उनसे अनुप्राणित होकर स्वयं भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें।

बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि उनके नियंत्रणाधीन 32 शाखाएं है 45 शाखाएं हिन्दी कार्य के लिए चयनित है तथा मूल पत्राचार का 98.8% पत्राचार हिन्दी में एवं निरीक्षण का प्रतिशत 46.4% है।

पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि ने बैठक में सूचित किया कि कुल 49 शाखाएं उनके नियंत्रण में हैं 39 कानपुर शहर में हैं, धारा 3 का शत-प्रतिशत अनुपालन हो रहा है, कुल टाइपराइटर 23 है जिनमें हिन्दी के 5 हैं।

समिति की बैठक नियमित हो रही है मूल पत्राचार का हिन्दी प्रतिशत 73% है।

इलाहाबाद बैंक के प्रतिनिधि ने कहा कि कुल 37 शाखाओं में 7 चयनित है, मूल पत्राचर का 92% पत्राचार हिन्दी में है धारा 3(3) का शत प्रतिशत अनुपालन हो रहा है।

बैंक ऑफ बड़ोदा के राजभाषा अधिकारी श्री राधेश्याम गुप्ता ने बतलाया कि उनकी कानपुर में 49 शाखायें हैं जिनमें से 22 ग्रामीण और 19 नगर में हैं। उनके यहां हिन्दी में 87% पत्राचार हो रहा है।

यूनियन बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबन्धक श्री एस. एन. सिह ने बतलाया कि उनकी कानपुरा के अंतर्गत 31 शाखाएं हैं जिनमें से 11 शहर में है धारा 3(3) का शतप्रतिशत अनुपालन हो रहा है पत्राचार 82% तथा तार 55% भेजे जा रहे हैं।

भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय कानपुर के प्रभारी अधिकारी (राजभाषा) ने बतलाया कि हमारे आंचलिक कार्यालय के अधीन 173 शाखाएं हैं जिनमें से 50 शाखाएं हिन्दी के पूर्ण प्रयोग हेतु चयनित है जोकि अपना शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करती है।

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग नई दिल्ली से पधारे श्री मनोहर लाल मैत्रेय और वित्त मंत्रालय बैंकिग विभाग के प्रतिनिधि से एस.के. चटर्जी ने सभी बैंक से आएं प्रतिनिधियों की बातें बड़े ध्यान पूर्वक सुनीं।

श्री मैत्रेय ने इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी राजभाषा अधिकारी से राजभाषा के अलावा और कार्य नहीं लिया जाना चाहिए।

11. जयपुर (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जयपुर की आठवीं बैठक 6 अक्तूबर 1989 को आयोजित की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबन्धक श्री जे. एन दौलतजादा ने इस बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में सदस्य बैंकों में हो रहे हिन्दी प्रयोग की समीक्षा करने के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि सदस्य बैंकों की शाखाओं में बचत खाते हिन्दी में खोले जायेंगे तथा ग्राहकों को बैंकों में हो रहे हिन्दी प्रयोग की जानकारी देने के लिए विशेष प्रयोग किये जायेंगे। सभी सदस्य बैंकों द्वारा बारी बारी से विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ सदस्यों के लिए सामूहिक हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

इस अवसर पर बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जयपुर की उपलब्धियां नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया जिसमें पिछले चार वर्षों के दौरान समिति द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख किया गया है तथा सदस्य बैंकों के प्रमुखों के विचार भी दिए गये हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भोपाल के सहायक निदेशक श्री डी. कृष्णपणिकर ने कहा कि इस समिति ने अल्पावधि में ही अपने उद्देश्यों/लक्ष्यों को कार्यान्वयन करके उन्हें साकार रूप दिया है।

बैंकिग प्रभाग (नई दिल्ली) के सहायक निदेशक श्री एस.के. चटर्जी ने समिति की बैठक की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि इस समिति की बैठक में लिए गए निर्णय बैंकिग उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।

अध्यक्षीय संबोधन में दौलतजादा ने कहा कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से बैंकों का संबंध समाज के सामान्य वर्ग से अधिक पड़ता है इस वर्ग के लिए अंग्रेजी भाषा अभी भी एक पहेली है अतः बैंकों का यह कर्तव्य है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण सारा बैंकिंग कारोबार हिन्दी में ही करें।

इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर के उप मुख्य अधिकारी श्री राधेश्याम राजस्थान सरकार के भाषा निदेशक श्री कलानाथ शास्त्री बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबन्धक (राजभाषा) डॉ. सोहन शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

प्रारम्भ में बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबन्धक एवं समिति के संयोजक श्री रसिकभाई देसाई ने सभी का स्वागत करते हुए यह आश्वासन दिया कि यह समिति सभी सदस्य बैंकों के सक्रिय सहयोग तथा राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय बैंकिंग प्रभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में जयपुर स्थित बैंकों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका निभायेगी।

समिति के सदस्य सचिव एव बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री डी.एम. जैन ने बैठक का संचालन किया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन दिया।

जयपुर स्थित बैंकों में हिन्दी पत्राचार

(1) 90 प्रतिशत और इससे अधिक पत्राचार हिन्दी में करने वाले बैंक--भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक

(2) 80 से 89 प्रतिशत--भारतीय स्टेट बैंक, तथा इलाहाबाद बैंक

(3) 70 से 79 प्रतिशत बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(4) 60 से 69 प्रतिशत--राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

(5) 50 से 59 प्रतिशत--यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

(6) 50 प्रतिशत से कम--इंडियन बैंक, पंजाब एण्ड सिध बैंक, केनरा बैंक, आन्ध्रा बैंक सिंडिकेट बैंक

(7) 0.24 प्रतिशत से कम--विजया बैंक

बैंकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित 90 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करें ।

हिंदी में तार

वार्षिक लक्ष्य 25 प्रतिशत का होने पर भी 97 प्रतिशत तार हिन्दी में भेजकर भारतीय स्टेट बैंक सबसे आगे हैं, इस दिशा में पंजाब नेशनल बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, नाबार्ड, इलाहबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थिति संतोषप्रद है, जिन्होंने 65 से 95 प्रतिशत तक तार हिन्दी में भेजे हैं ।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, केनरा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, का प्रतिशत 30 से 55 तक रहा है।

शेष बैंकों से अनुरोध है कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें ।

बैंकिंग प्रभाग के सहायक निदेशक श्री चटर्जी ने सूचित किया कि "क" क्षेत्र के लिए हिन्दी में भेजे जाने वाले तारों का प्रतिशत 25 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

शाखाओं में बचत खाते हिन्दी में खोलना

इस सम्बन्ध में सदस्य-सचिव द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत नोट में कहा गया कि बैंक की शाखा में आन्तरिक कार्य की शुरुआत ग्राहक द्वारा खाता खोलने से होती है, बचत बैंक खाता एक ऐसा खाता है, जिसका सम्बन्ध हर प्रकार के ग्राहक से पड़ता है, हिन्दी भाषी क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण हमारे अधिकतर ग्राहक हिन्दीभाषी हैं। अंग्रेजी जानने वाले ग्राहक भी हिन्दी जानते हैं। यदि 10 प्रतिशत ग्राहकों को छोड़ भी दिया जाये तो कम से कम 90 प्रतिशत ग्राहकों के खाते हिन्दी में आसानी से खोले जा सकते हैं । परन्तु यह देखा गया है कि खाता खोलने का आवेदन पत्र/फार्म हिन्दी में देने पर भी, स्टाफ सदस्यों की आदत के कारण, अधिकतर खाते अंग्रेजी में खोले जाते हैं। यह एक प्रकार से नियम 5 का उल्लंघन भी है। वैसे यह उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के अनुरूप भी नहीं है ।"

इस नोट पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श के बाद सभी की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि--

(1) सदस्य बैंकों की शाखाओं में खाता खोलने के लिए हिन्दी में दिये गये आवेदनों के जवाब में ग्राहकों के खाते हिन्दी में ही खोले जायेंगे तथा पासबुक भी हिन्दी में जारी की जाएगी।

(2) ग्राहकों को अपना आवेदन पत्र हिन्दी में देने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

बैंकों में हो रहे हिन्दी प्रयोग की जानकारी आम ग्राहकों को देना--समिति के सामने सदस्य सचिव द्वारा यह विचार रखा गया कि बैंकों में हिन्दी प्रयोग के अनुकूल माहौल बनता जा रहा है, परन्तु ग्राहकों के मन में अभी भी यह बात बैठ गयी है कि उनका काम अंग्रेजी के जरिए ही शीघ्र हो सकता है अतः इस भ्रम को दूर करने के लिए हिन्दी प्रयोग के प्रति ग्राहकों को जागृत/शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है ।

इस बात पर विचार विमर्श करने के बाद बैंक के ग्राहकों को जागृत/शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय लिया गया--

1. काउन्टरों पर कार्य करने वाले स्टाफ सदस्य ग्राहकों को हिन्दी प्रयोग की जानकारी दें।
2. हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने वाले ग्राहकों को प्रशंसा पत्र देने की कार्यवाही को तेज करें ।
3. ग्राहक सेवा के साथ-साथ हिन्दी प्रयोग की जानकारी देने वाले परचे छपवाकर काउन्टर पर रखें ।
4. ग्राहक सेवा समितियों की बैठकों में हिन्दी प्रयोग की जानकारी दें ।
5. ग्राहकों की जानकारी के लिए बैनर्स/पोस्टर्स लगवायें।

जयपुर स्थित शाखाओं/कार्यालयों को धारा 8(4) के अन्तर्गत चयनित करना--जयपुर स्थित बैंकों की अधिकतर शाखाएं/कार्यालय 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित हैं। अतः अब इन्हें 8(4) के अन्तर्गत चयनित करने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में श्री पणिक्करजी ने विभिन्न बैंकों के कार्यालयों के निरीक्षण का हवाला देते हुये कहा कि जयपुर की बैंकों में उत्कृष्ट काम हो रहा है। अतः प्रशासनिक कार्यालयों के कुछ विभागों को तथा बैंक की छोटी-छोटी शाखाओं एवं बड़ी शाखाओं के कुछ अनुभागों को अपना अधिकतम काम हिन्दी में करने के लिए 8(4) के अन्तर्गत निर्देश जारी किये जाने चाहिए।

श्री पणिक्करजी के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुये यह निर्णय लिया गया कि सभी सदस्य बैंक इस पर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे।

सदस्य बैंकों से प्राप्त सुझावों पर विचार-विमर्श—पंजाब एण्ड सिंध बैंक—प्रत्येक छःमाही में स्थानीय राजभाषा अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन पारस्परिक विचार-विमर्श हेतु आयोजित किया जाए।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के बाद, सभी राजभाषा अधिकारियों की बैठकें आयोजित की जायेंगी।

2. केनरा बैंक

(1) ऐसी उप-समिति गठित की जाये, जो समय-समय पर बैठकों के माध्यम से राजभाषा नीति के कार्यान्वियन पर समीक्षा प्रस्तुत करें।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि मार्गदर्शक समिति अपने विचार-विमर्श के दौरान इस पहलु को ध्यान में रखेगी।

(2) नई शाखा खुलने पर प्रारम्भ से ही पूर्णतः हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

इसे सभी सदस्य-बैंकों ने आवश्यक कार्यवाही हेतु नोट कर लिया।

(3) पंजाब नेशनल बैंक

समिति की ओर से विभिन्न अन्तः बैंक प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि चूंकि विभिन्न सदस्य बैंकों द्वारा हिन्दी दिवस के अवसर पर अन्तः बैंक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। अतः फिलहाल इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

संबोधन

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबन्धक डॉ. सोहन शर्मा ने कहा कि सभी सदस्य बैंकों के सहयोग से, हम भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभी रहे हैं। जयपुर की बैंकों में अच्छी प्रगति हुई है। केवल हिन्दी टाइपिंग तथा आशुलिपि के प्रशिक्षण के मामले में थोड़ी कमी है। उसे पूरा करने के लिए प्रयास की आवश्यकता है।

12. जयपुर

दिनांक 28 सितम्बर, 1989 को कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), राजस्थान, जयपुर के प्रांगण में "नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति" की 17वीं अर्द्धवार्षिक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्री इन्दरपाल सिंह महालेखाकार (लेखा व हकदारी), राजस्थान ने की। श्री युगल किशोर चतुर्वेदी बैठक में मुख्य अतिथि तथा गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग नई दिल्ली में उपनिदेशक श्री पूर्णानन्द जोशी, विशिष्ट अतिथि थे।

समिति के नये अध्यक्ष श्री इन्दर पाल सिंह, महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान ने, भाषा और लिपि के सम्बन्ध में कहा कि हमें अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों से कतराना नहीं चाहिए, अपनी बोलचाल के हर प्रचलित शब्द को अपनाना है।

इस प्रकार हमारी भाषा फूलेगी-फलेगी, विकसित हो समृद्ध होगी।

विशिष्ट अतिथि का समीक्षात्मक भाषण :

अध्यक्षीय समीक्षा के बाद, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री जोशी ने उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियमों के नियम 5 के प्रावधानों तथा उनके महत्व पर प्रकाश डाला। श्री जोशी ने, उक्त प्रावधानों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए नगर स्थित सभी कार्यालयों, निगमों तथा उपक्रमों के अध्यक्षों, प्रधानों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर

राजकाज में हिन्दी के प्रयोग, हिन्दी टाइपिस्टों तथा आशुलिपिकों तथा देवनागरी यंत्रादि की उपलब्धता की स्थिति (1-10-88 से 31-3-89)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	हिन्दी में पत्राचार (नियम-5)		हिन्दी में जारी मूल पत्र		हिन्दी में जारी तार		आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि के ज्ञान की स्थिति		टाइपिस्टों को हिन्दी टाइप के ज्ञान की स्थिति		देवनागरी टाइप राइटरों की उपलब्धता	
		प्राप्त कुल पत्र	अंग्रेजी में उत्तारित	कुल जारी	हिन्दी में जारी	कुल जारी	हिन्दी में जारी	कुल	हिन्दी आशुलिपिक	कुल	हिन्दी टंकक	रोमन	देवनागरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) राजस्थान	27741	—	37695	36439	279	246	14	10	142	44	66	56
2.	क्षेत्रीय निदेशक योजना (सांख्यिकी विभाग)	976	—	2583	1188	—	—	2	—	5	5	7	2
3.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त	10409	13	20680	17273	19	12	2	2	49	49	13	8
4.	भारतीय जीवन बीमा निगम	37920	—	36	25	100	80	13	1	54	20	156	36
5.	कम्पनी रजिस्ट्रार	173	—	4643	1285	—	—	1	—	3	2	2	1
6.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति अध्यापन एवं मार्गदर्शन केन्द्र (जलेबी)	906	—	3756	3507	—	—	1	—	3	3	1	1
7.	विपणन परिज्ञान एकक अर्थ एवं अंक निदेशालय	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	1560	—	8420	4580	270	100	2	2	8	8	14	60
9.	दूरदर्शन केन्द्र	266	—	2077	527	142	2	3	2	23	7	25	13
10.	भारतीय मानक ब्यूरो	85	—	7385	3663	46	36	3	—	7	5	8	4
11.	राष्ट्रीय अभिलेखागार	615	293	449	242	—	—	1	1	2	2	2	1
12.	मण्डल रेल प्रबन्धक	52402	—	37346	34760	1484	1133	21	14	33	28	44	46
13.	महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राजस्थान	28028	27	15193	14033	127	54	9	6	18	8	53	19
14.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	239	29	2055	83	237	—	2	5	5	5	3	3
15.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (तिलक नगर)	520	—	589	481	—	—	1	—	2	2	2	2
16.	सहायक आसूचना ब्यूरो	3753	264	11126	1949	—	—	7	1	14	4	12	5
17.	महाप्रबन्धक जिला दूरसंचार	28418	—	24960	14906	—	—	8	3	333	17	56	56
18.	प्रवर्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियमन)	104	5	702	210	6	4	1	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	411	—	5680	2180	—	—	2	1	4	3	5	1
20.	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.लि.	1349	40	5534	2522	103	—	2	1	28	10	20	10
21.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	1219	453	7850	766	—	—	3	—	7	5	12	3
22.	खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय	115	—	80	80	—	—	1	—	—	—	2	1
23.	उद्योग मंत्रालय कम्पनी कार्य विभाग	682	—	1862	708	—	—	—	—	3	3	1	2
24.	हवाई खनिज सर्वेक्षण एवं विदोहन	14	5	258	6	—	—	—	—	—	—	2	—
		15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	निदेशालय जनगणना आयोजन	2181	—	673	648	—	—	2	2	7	2	13	10
		2572	—	836	820	3	3	—	—	—	—	—	—
26.	पत्र सूचना कार्यालय	328	—	347	347	—	—	1	1	4	4	1	4
		526	—	382	382	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	पासपोर्ट कार्यालय	1050	—	935	935	—	—	—	—	33	2	3	1
		950	—	800	800	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	लघु उद्योग सेवा संस्थान	2729	—	9486	6605	38	8	11	10	9	9	22	10
29.	भारतीय डाक विभाग	2456	—	2746	1124	243	243	1	1	2	2	4	1
30.	पर्यटन कार्यालय	52	—	638	24	20	—	1		1	1	2	1
31.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	99	—	3037	279	19	7	3	1	4	1	6	1
32.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क	38802	5	96284	67226	359	39	19	6	72	28	85	54
33.	हिन्दुस्तान साल्टस लि.	794	—	228	228	—	—	8	3	4	4	15	3
34.	केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 जयपुर	310	—	310	310	—	—	—	—	5	2	1	1
35.	डाक महाध्यक्ष कार्यालय	9622	—	15764	12619	648	648	8	1	6	3	7	3
36.	केन्द्रीय जल आयोग	1337	—	2738	1842	—	—	1	—	3	2	3	1
37.	राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (वै.स. स्टेशन)	302	—	921	644	—	—	—	—	1	1	3	1
38.	नियंत्रक, विमान क्षेत्र	175	—	2734	218	—	—	—	—	1	—	2	1
39.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान	700	—	170	140	26	3	3	2	17	2	8	12
40.	नमक आयुक्त कार्यालय	958	—	14532	2551	176	—	5		17	3	23	3
41.	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग	1169	—	3064	2978	59	—	15	4	81	20	186	34
42.	आयकर आयुक्त का कार्यालय	2752	—	4223	3114	49	26	82	4	114	10	160	21
43.	रक्षा सम्पदा अधिकारी	565	733	4737	2312	62	10	1	1	6	4	5	2

चित्र समाचार

सूरीनाम और हालैण्ड में हिन्दी प्रचार के लिए पूर्व सम्मानित श्री कमला सिंह को "विश्व साहित्य संस्कृति सम्मान" की ओर से प्रशस्ति-पत्र प्रदान करते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा (पृ० 31)

लखनऊ : पद्मश्री "शिवानी" से पारितोषिक प्राप्त करते हुए श्री अनिल तिवारी (पृ० 89)

हैदराबाद : भारत डायनामिक्स लि. में संगोष्ठी में उद्घाटन भाषण देते हुए एअर कमोडोर आर. गोपालस्वामी तथा अन्य अधिकारीगण (पृ० 74)

तिरुवनन्तपुरम् : बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की एक झलक (पृ० 52)

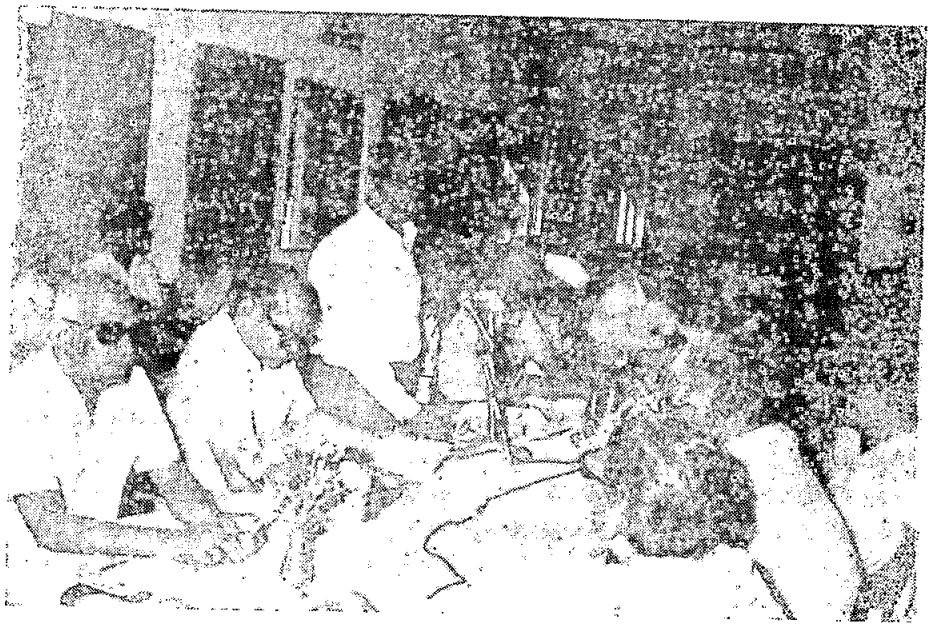

जयपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक (बाएं से) श्री नन्द स्वरूप सक्सेना, श्री हरीराम विहागरा—उपमहालेखाकार तथा अन्य अधिकारीगण (पृ० 62)

उद्घाटन समारोह में (बाएं से) सर्वश्री आर. के. शैणे, महाप्रबन्धक डॉ. अनूपचन्द्र भयाणी, मुख्य प्रबन्धक (देना बैंक), और सहायक महाप्रबन्धक, श्री पी. के. एन. कामत तथा एन. गणपति (पृ० 76)

हैदराबाद : समापन समारोह में सम्बोधित करती हुई महामहिम राज्यपाल श्रीमती कुमदबेन जोशी (पृ० 96)

पुणे : उद्घाटन समारोह की एक झलक (पृ० 96)

नई दिल्ली : ओरिएण्टल इंश्योरेंस कारपोरेशन के सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक निदेशक श्री एच. के. जे. सिक्वेरा (पृ० 96)

मंच पर (बाएं से) सहायक महाप्रबन्धक सर्वश्री बी. एम. रामचन्द्र, पी. एम. पै. स.म. प्र. तथा राहुल देव, संपादक, जनसत्ता, बम्बई (पृ० 86)

हावड़ा : हिन्दी दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रबन्धक निदेशक श्री सलिल कुमार घोष (पृ० 93)

नई दिल्ली : इंडियन ऑयल कारपोरेशन में कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए कार्यपालक निदेशक, श्री आर. पी. मेढेकर (पृ० 103)

महाप्रबन्धक श्री प्रभुदयाल (बांए) से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में हिन्दी के प्रयोग के बारे में बातचीत करते हुए उप सम्पादक डॉ. बजाज (मध्य) तथा साथ में प्रबन्धक श्री एम.एल. शर्मा (दाएं) (पृ० 76)

पटना : अध्यक्षीय भाषण देते हुए प्रबन्ध निदेशक श्री राम प्रवेश सिंह और उनके बांए बैठे हैं—श्री सर्वेश्वर झा, निदेशक (नीति) राजभाषा विभाग (पृ–105)

हुबली : कारपोरेशन बैंक में हिन्दी दिवस समारोह की एक झलक (पृ०85)

पणंबूर : समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रोफेसर एम. राजेशवरय्या (पृ० 99)

बम्बई : स्टाफ सदस्यों को सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष श्री एम. जे. फेरवानी, मंचासीन (एकदम बाएं) राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री हरिओम श्रीवास्तव (पृ० 102)

नई दिल्ली : मंचासीन (बाएं से) श्री श्यामलेन्दु नियोगी (महाप्रबंधक) इलेक्ट्रानिकी विभाग के अपर निदेशक डॉ. ओम विकाश, कम्पनी के परामर्शदाता श्री सतीश पांडया तथा अध्यक्ष व प्रबन्धक निदेशक श्री गौतम सोनी (पृ० 106)

निजामाबाद : आन्ध्र बैंक (वारंगल क्षेत्र) में स्वर्ण जयंती कार्यशाला में समापन भाषण देते हुए उप महाप्रबन्धक श्री जी. मालकोंडा रेड्डी (पृ०108)

नई दिल्ली : बैंक ऑफ बड़ोदा, अंचल कार्यालय में कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए राजभाषा विभाग के निदेशक (अनुसंधान) डॉ. महेश चन्द्र गुप्त तथा उनके साथ (बाएं) उप महाप्रबन्धक श्री नारायण सिंह खन्ना तथा अन्य अधिकारीगण (पृ० 113)

इन्दौर : भाषण देते हुए मण्डल प्रबन्धक श्री एस. बी. खण्डेलवाल, साथ में (बाएं) से) श्रीमती निशा चतुर्वेदी, निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री डी. कृष्ण पणिक्कर (पृ०57)

नई दिल्ली : वाटर एण्ड पॉवर कन्सलटैन्सी सर्विसेस (इंडिया) लि. में सम्बोधित करते हुए श्री डी. एस. पाहवा, उनके बांई ओर बैठे हैं महाप्रबन्धक श्री एस. रमणमूर्ति (पृ० 105)

तिरुवनन्तपुरम : सभा की एक झलक (पृ० 80)

पुणे : ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी में श्री गो. प. नेने से निबन्ध प्रतियोगिता का पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री सुखदेव सिंह खोकर (पृ० 96)

(घ) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

दिनांक 22/12/89 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठक कमो. राज वेंकटेश की अध्यक्षता में हुई ।

श्री बी. डी शर्मा, उप निदेशक (रा.भा.) रक्षा मंत्रालय नें हिंदी के कार्यान्वयन में गोवा शिपयार्ड द्वारा उठाए गये कदमों की सराहना अपने भाषण में की । तदोपरान्त दिनांक 28 सितंबर 1989 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की पुष्टि की गई और कार्यसूची में निर्दिष्ट मदों पर चर्चा की गई ।

हिन्दी शिक्षण योजना : प्रबोध परीक्षा में बैठने के लिए तीन कर्मचारियों ने आवेदन पत्र भरे थे किन्तु एक ही कर्मचारी सम्मिलित हुआ उसी प्रकार प्राज्ञ परीक्षा में 105 में से 59 कर्मचारी सम्मिलित हुए। यह परीक्षा दिसंबर 89 में ली गई । परीक्षा में बैठे सभी उम्मीदवार प्राइवेट के रूप में सम्मिलित हुए ।

हिन्दी टंकण :—हिंदी टंकण परीक्षा में दस टंकक बैठे थे, वे उत्तीर्ण घोषित हुए। जनवरी 1990 में ली जाने वाली परीक्षा में 14 कर्मचारियों ने अपने नाम दर्ज किए है । श्री आर्या सहा. निदेशक, तट रक्षक मुख्यालय ने अध्यक्ष महोदय से तट रक्षक के कर्मचारियों द्वारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में हिंदी टंकण का अभ्यास कराने की अनुमति चाही। अध्यक्ष महोदय ने इसके लिए सहमति प्रकट की ।

हिन्दी आशुलिपि :— लगभग दस वैयक्तिक सचिव तथा आशुलिपिक हिंदी आशुलिपिक सीखने के इच्छुक हैं तथा प्राइवेट के रूप में वे जुलाई 90 में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होंगे ।

सर्वकार्यभारी अधिकारी का पदभार : —मुरगांव क्षेत्र जिसमें वास्को-मडगांव सम्मिलित हैं, के लिए मुरगांव पत्तन न्यास के उपसचिव को हिंदी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारी का पदभार सौंपा गया था, किन्तु कमां. अ. शेख, प्रबंधक (का. एवं. प्रशा.) की सर्वकार्यभारी अधिकारी पद पर नियुक्ति के वास्ते उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी ओवा शिपयार्ड को सौंपी है।

नियुक्ति, बदली, प्रोन्नति के आदेश जारी करना :— अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त सभी आदेश केवल हिंदी में जारी करने स्वीकृति दी। यह प्रस्ताव उप निदेशक ने प्रस्तुत किया।

उप मुख्य इंजीनियर, कोटा-चित्तौड़गढ़ परियोजना, कोटा

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सवनि) कोटा के अध्यक्ष श्री जे. एल. माथुर ने दिनांक 11-12-89 को आयोजित बैठक में अत्यधिक उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बैठक के आरम्भ में पहली बार पधारे सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष श्री माथुर ने जोर दिया कि जब भी अधिकारी अपने अपने विभागीय दौरे पर जाएं तो हिंदी गति का जायजा भी अवश्य लें। तथा साथ ही प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह में घोषित हिंदी सप्ताह के दौरान संपादित समस्त कार्य को देखें।

वर्तमान में उपमुख्य इंजीनियर (को.चि.प.) कोटा के कार्यालय में मूल पत्राचार शत प्रतिशत रहा जबकि पूर्व में 98 प्रतिशत था अतः बढ़ोत्तरी हुई है अन्य कार्यालयों का भी शत प्रतिशत रहा है जो कि सराहनीय है।

अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित स्थिति संतोषजनक रही है। सभी कार्यालयों में पास/पी.टी.ओ./वेतन पत्रक/यात्रा भत्ता आदि पूरा बिल हिंदी में ही बनाए जा रहे हैं। मूल पत्राचार में बढ़ोत्तरी हुई है तथा धारा 3(3) का अनुपालन भी सभी कार्यालयों द्वारा शत प्रतिशत किया जा रहा है।

गत तिमाही में बूंदी स्थित सहायक इंजीनियर के कार्यालय एवं निर्माण निरीक्षक के कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निर्माण निरीक्षक द्वारा माप पुस्तिका हिंदी में बनाई गई है। जिसकी सभी सदस्यों ने सराहना की तथा भविष्य में इसमें और अधिक कार्य करने का निश्चय किया गया है ताकि स.व.नि. की स्थिति सुदृढ़ हो सके।

इस यूनिट में हि. स. श्री वीरेन्द्र शर्मा स्वयं चैक प्वाइंट के रूप में कार्यरत हैं। वे ऐसे पत्रों को जब तक जारी नहीं होने देते जब तक उनका हिंदी रूपांतरण नहीं किया जाए। इस संदर्भ में सभी अधिकारीगण भी चैक प्वाइंट के रूप में अग्रणी हैं। वे स्वयं भी ऐसे पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं करते जब तक कि पत्र द्विभाषी अथवा हिंदी में न हो। अतः इस सक्रियता के कारण स.व.नि. यूनिट में हिंदी की प्रगति में बढ़ोत्तरी हुई है जो कि सराहनीय है।

आरेख ड्राइंग चार्टों आदि में हिन्दी प्रयोग की स्थिति

आरेख/ड्राइंग व प्रगति चार्ट आदि सभी हिंदी में बनाए जा रहे हैं। उक्त कार्य के बावत दिनांक 11/11/89 को निदेशक (रा. भा.) श्री वी. के. मल्होत्रा द्वारा किये निरीक्षण के दौरान सराहना की गई।

नामित अनुभागों में हिंदी के शत प्रतिशत प्रयोग तथा अधिसूचित कार्यालयों में नियम 8 (4) कम अनुपालन : नामित अनुभागों में शत प्रतिशत प्रयोग के प्रयास किए जा रहे हैं तथा प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी हिंदी में कार्य कर रहे हैं तथा नियम नई दिल्ली 8(4) का अनुपालन किया जा रहा है।

संपदा निदेशालय, नई दिल्ली

राजभाषा कार्यान्वन समिति की बैठक 28-12-89 को संपदा निदेशक, श्री देवेंद्र नाथ भार्गव की अध्यक्षता में हुई।

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर समिति ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की और निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की :—

(1) जिन अनुभागों का "क" और "ख" क्षेत्रों में हिंदी पत्राचार का प्रतिशत 50% से कम है, उन्होंने निदेशक महोदय को आश्वासन दिया है कि भविष्य में इसे बढ़ाकर 50% से अधिक कर दिया जाएगा।

बचे हुए पुराने एवं कंडम अंग्रेजी के टाइपराइटरों के "की-बोर्ड" बदलाकर हिंदी के "की बोर्ड" लगवा दिए जाएंगे।

(3) तदर्थ मंजूरियां केवल हिंदी में जारी होंगी इसके लिए निदेशक महोदय ने यह निदेश दिया कि सन्वय-1 अनुभाग से अंग्रेजी की टाइपराइटर हटा लिया जाए और वहां केवल हिंदी का टाइपराइटर ही रखा जाए।

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग पर बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए :—

(क) जिन कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण अभी तक नहीं दिया गया है उन्हें यथाशीघ्र हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाए।

(ख) किसी भी अनुभाग का किसी भी स्थिति में हिंदी पत्राचार 60% से कम न हो।

(ग) केन्द्रीय रजिस्ट्री अनुभाग लिफाफों पर पते इत्यादि हिंदी में लिखने के लिए रबड़ की मोहर बनवा लें। और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पत्र-इत्यादि "क" और "ख" क्षेत्र को अंग्रेजी में न जाए।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

ईआईएल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 47वीं बैठक 23-11-89 को श्री बद्रीनाथ झा, निदेशक (कार्मिक) की अध्यक्षता में ईआई भवन में हुई।

हिंदी कक्षाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और यह तय हुआ कि हिंदी स्टेनोग्राफी/टाइपिंग की कक्षाओं में जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होते उनकी हर सूचना सप्ताह उनके महाप्रबंधक को दी जाए और समय-समय पर स्टेनोग्राफरों टाइपिस्टों की बैठक बुलाकर किसी निदेशक/महाप्रबंधक की उपस्थिति में उनसे चर्चा की जाए और कक्षाओं में उपस्थित न होने के बारे में उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों अथवा सुझावों पर निर्णय लिया जाए। अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि संबंधित महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष यह रुचि अवश्य लें कि उनके विभाग का जो व्यक्ति कक्षा के लिए नामित किया गया है वह कक्षा में एक घंटे के लिए अवश्य जाए। निरंतर गैर हाजिर रहने वाले स्टेनो/टाइपिस्टों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर भी संबंधित महाप्रबंधकों/विभागाध्यक्षों द्वारा विचार किया जाए।

हिंदी में साफ्टवेयर तैयार करने के बारे में यह तय हुआ कि 27 नवंबर को प्रबंध स्तर के व्यक्तियों के लिए होने वाली हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन करने आ रहे श्री कौशिक मुखर्जी से उस कंप्यूटर विभाग के श्री एस. जयरामन, श्री आशीर्वादम और श्री बी.एस.जी. के शास्त्री चर्चा करेंगे।

हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विशद् चर्चा करके यह निर्णय लिया गया कि जिन महाप्रबंधकों से रिपोर्ट समय पर नहीं मिले, उनको एक रिमाइंडर भेजने के बाद दूसरा रिमाइंडर उनके निदेशक महोदय को भेजा जाए।

उप महाप्रबंधक (मा.सं.) श्री शेषन ने उपस्थित सभी निदेशकों/महाप्रबंधकों से अनुरोध किया कि वे अपने यहां के स्टेनोग्राफरों/टाइपिस्टों को हिंदी में काम करने के लिए उत्साहित करें, स्वयं करें तथा उनकी भी काम करने के लिए दें तभी भारत सरकार के नियमों का किसी भी अंश में पालन हो पाएगा और हिंदी पत्रों की प्रतिशतता में बढोत्तरी हो पाएगी।

कलकत्ता कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव श्री हिन्हा ने कलकत्ता अधिप्राप्ति कार्यालय से प्रगति कराते हुए बताया कि उनके यहां काफी कर्मचारियों ने हिंदी शिक्षण योजना से प्रवीण प्राज्ञ की कक्षाएं पास कर ली हैं और अन्य लोगों को भी पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। हिंदी में काम करने के लिए अनुवादक और टाइपिस्ट की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन के कर्मचारी से हिंदी के कार्य की प्रगति संभव नहीं है। सभाध्यक्ष ने एक स्थायी अनुवादक-सह-टाइपिस्ट रखने की स्वीकृति पर विचार करने के लिए कहा। दो दिन की हिंदी कार्यशाला लगाने की भी स्वीकृति दी गई।

उपस्थिति पंजिका के बारे में यह निर्णय हुआ कि उसे द्विभाषी छपवाया जाए। पहला पृष्ठ हिंदी का हो और अंदर की ओर अंग्रेजी छापी जाए। यह भी तय हुआ कि सभी व्यक्तियों के नाम हिंदी में लिखे जाएं तो हस्ताक्षर भी शायद हिंदी में करने की प्रेरणा मिलेगी।

समिति को सूचित किया गया कि कंपनी में तकनीकी और इंजीनियरी अनुवाद करने के लिए श्री जे. आर. पराशर की अध्यक्षता में तकनीकी हिंदी अनुवाद समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्य सर्वश्री बी. के. समैयार, एस. एस. चुटानी, सुशीलचन्द्र गोयल, मदन मोहन तथा हरशरन गोयल हैं।

कंपनी ने टेबिल प्रशिक्षण की नई पद्धति अपनायी है जिसके अन्तर्गत अधिकारी की मेज पर जाकर हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरणा दी जाती और जो भी उनके यहां मानक नमूने हैं उनको द्विभाषी किया जाता है। यह प्रशिक्षण अधिप्राप्ति सेवा प्रभाग से शुरु किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया है कि आई एस आई ने जितने भी कोडों/मानकों का हिंदी में अनुवाद कर लिया है वे सभी गंगा लिए जाएं और अन्य स्थानों से भी पता लगाया जाए कि कहां-कहां तकनीकी किस्म की कंपनी के लिए उपयोगी पुस्तकें मिल सकती हैं।

यह भी तय हुआ है कि जिन प्रभागों/विभागों में हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट हैं और जिन्हें हिंदी में कार्य करने का अवसर नहीं मिल रहा है, ऐसे टाइपिस्टों/स्टेनोग्राफरों को उन विभागों में भेजा जाए जहां हिंदी में काम करने की जरूरत है। जोर इस बात पर दिया गया कि हिंदी में प्रशिक्षित स्टेनोग्राफर/टाइपिस्टों ने हिंदी में कार्य करवाया जाए।

यह तय हुआ कि कंपनी सील हिंदी-अंग्रेजी में बनाने के लिए अपने कर्मचारियों से नमूने मांगे जाएं। □

पुणे में राजभाषा के माध्यम से वैज्ञानिक संगोष्ठी

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे में दि. 18 सितंबर, 1989 को क्षेत्रीय स्तर की एक-दिवसीय वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रयोगशाला के जीवरसायन विज्ञान प्रभाग, तथा हिंदी अनुभाग के सहयोग से यह संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का विषय था—"पादप कोशिका तथा ऊतक संवर्धन"। इस वैज्ञानिक संगोष्ठी में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के अतिरिक्त अन्य चार संस्थानों—पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट, पुणे, पोचा सीड्स लि., पुणे तथा हिंदुस्तान लीवर रिसर्च सेंटर, बम्बई के कुल 9 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन प्रतिभागियों में से दो की मातृभाषा हिंदी, चार की मराठी तथा शेष तीन में प्रत्येक की क्रमशः पंजाबी, गुजराती और तेलुगू थी।

संगोष्ठी के समारम्भ में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के के हिंदी अधिकारी, डॉ. रमाशंकर व्यास ने अपने स्वागत भाषण में राजभाषा की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा की। तदुपरांत डॉ. रघुनाथ अनन्त माशेलकर, निदेशक, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने संगोष्ठी का विधिवत् उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में डा. माशेलकर ने कहा कि हमें विज्ञान की उपलब्धियों को जनसाधारण की भाषा में ही जन-जन तक पहुंचाना होगा ताकि आम आदमी उसे भली-भांति समझकर उसके प्रयोग से या उसे अपना कर अपना जीवन-स्तर ऊंचा उठा सके। उन्होंने संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वानों तथा वैज्ञानिकों से अनुरोध किया कि वे इस दिशा में आगे आकर कुछ और अधिक कार्य करने की पहल करें ताकि दूसरों के लिए भी यह अनुकरणीय बन सके। इसके बाद प्रयोगशाला के वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉ. मस्करनस ने सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए संगोष्ठी के प्रथम सत्र के प्रारंभ की घोषणा की।

संगोष्ठी के प्रथम सत्र में पुणे विश्वविद्यालय के डॉ. किशोर पंडित, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की श्रीमती उर्मिल मेहता एवं वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट के डॉ. एन. एम. पंत ने अपने-अपने शोध-पत्र प्रस्तुत किए। इस सत्र की अध्यक्षता महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज के वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉ. वी सूर्यप्रकाश राव ने की। द्वितीय सत्र में पोचा सीड्स प्रा. लि. की डॉ. रशीदा करमलावाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के डॉ. दिनेशचन्द्र अग्रवाल, श्रीमती वर्षा परशरामी एवं श्रीमती पूजा वालचन्दानी, हिंदुस्तान लीवर रिसर्च सैंटर के डॉ. भारतेंदु वत्स्य तथा पुणे विश्वविद्यालय के डॉ. गणेश एन चिंचणीकर ने अपने शोध-पत्रों का वाचन किया।

वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट के निदेशक, डॉ. जी. जी. हापसे ने संगोष्ठी के दूसरे सत्र की अध्यक्षता की। संगोष्ठी के दोनों सत्रों में पत्र-वाचन के दौरान स्लाइडों का प्रदर्शन भी किया गया। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में हिंदी के माध्यम से वैज्ञानिक संगोष्ठी आयोजित करने का यह पहला अवसर था। इस वैज्ञानिक संगोष्ठी में पढ़े गए सभी शोध-पत्रों की एक सार-पुस्तिका प्रकाशित की गई और इसे सभी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराया गया।

अन्त में संगोष्ठी के समापन अवसर पर संयोजक डॉ. दिनेशचन्द्र अग्रवाल ने सभी को धन्यवाद दिया।

□प्रस्तुति : डॉ. रमाशंकर व्यास

हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में गृह पत्रिका प्रकाशन

एसोसिएशन ऑफ़ बिज़नेस कम्युनिकेटर्स ऑफ़ इंडिया द्वारा आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी और कार्यशाला का उद्घाटन 19-12-1989 को श्री के. दोराईस्वामी, कार्यपालक निदेशक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बम्बई द्वारा किया गया। श्री भोजवानी, मुख्य जन संपर्क प्रबंधक, इंडियन ऑयल तथा भारत के भिन्न-भिन्न भागों में आए विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

उद्घाटन भाषण में श्री दोराईस्वामी ने ए.बी.सी.आई. के इस कार्य की सराहना की। विशेषत: भारतीय भाषाओं का उपयोग, गृह पत्रिकाओं के अधिकाधिक संख्या में प्रकाशन की जरूरत पर बल दिया।

प्रथम सत्र

"भारतीय भाषाओं में प्रकाशन क्यों"

इस विषय पर कु. सुनीता बुद्धिराजा, (एम.एम.टी.सी., नई दिल्ली) का बहुत ही विद्वत्तापूर्ण भाषण हुआ। भारतीय भाषाओं की तुलना मां के साथ करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी भाषा, मां, देश, धरती और संस्कृति की विरासत की रक्षा करना तथा इसे उचित सम्मान देना हम सब भारतीयों का प्रथम कर्त्तव्य है। जापान के प्रवास के अपने अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि जापानी लोग आपस में बातचीत करते समय जापानी ही बोलते हैं क्योंकि उन्हें अपनी भाषा बोलने में हम भारतीयों जैसी शर्म महसूस नहीं होती। अच्छा सम्प्रेषण हमारी भाषा में ही हो सकता है, विदेशी भाषा में नहीं। उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब हमारे घर में प्रेम की भाषा अंग्रेजी नहीं है, हमारे कर्मचारी भाई जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनके साथ संवाद अंग्रेजी में क्यों? उनका कहना था कि अंग्रेजी कायम रखने में राजनीतिज्ञों का हाथ है, वरना हमारी भाषाएं तो शब्द और अर्थ भंडार से भरी पड़ी हैं। सूर्य कमल, पानी, मन इन शब्दों की व्याख्या तथा अर्थ द्वारा उन्होंने अपनी विचारधारा की पुष्टि की। उनका कहना था कि जैसे घर की सारी बातों की चर्चा परिवार के सदस्यों के साथ अपनी भारतीय भाषाओं में होती है वैसे ही कर्मचारियों से संबंधित कार्यों की तथा सुख दुख की सारी बातें गृह पत्रिका में अपनी भाषा के माध्यम से होनी चाहिएं।

दूसरा सत्र

दूसरे सत्र "भारतीय भाषाओं में गृह पत्रिका" के वक्ता थे —मैसर्स लैंग्वेजेज के सर्वश्री बैंजल और कुलकर्णी.
उन्होंने वर्तमान वीडियो तथा दूरदर्शन माध्यम से प्रदर्शित विज्ञापनों की चर्चा की। इस कार्य में भारतीय भाषाओं की उपयुक्तता की चर्चा करते हुए उन्होंने खेद व्यक्त किया कि बहुत से विज्ञापन विदेशी संस्कृति तथा चाल-चलन से संबंधित होते हैं जो हमारे देश की आम जनता के लिए नहीं हैं। अंग्रेजी से भारतीय भाषा में केवल अर्थहीन तथा तर्कहीन भाषांतर करने से गलत अथवा अनुचित संदेश कैसे मिलता है। इस विषय पर उन्होंने अनेक उदाहरण वीडियो फिल्म द्वारा दिखाए और इससे बचाव के अनेक सुझाव व उपाय भी बताए। उनका कहना था कि हिन्दी भाषा के कुछ शब्दों का अर्थ अन्य भाषाओं में विपरीत हो सकता है. इसलिए भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। इस संबंध में अनेक उदाहरण बताते हुए उन्होंने सिद्ध किया कि ट्रान्सलेशन की जगह ट्रान्सक्रिपेशन की आवश्यकता है। विशिष्ट तथा विविध प्रकार के कैलीग्राफी के नमूने पेश करते हुए उन्होंने कहा कि मूल विषय को ध्यान में रखते हुए ही लिखावट का चयन करना चाहिए। क्योंकि कैलिग्राफी की सारी आवश्यकताएं टाइपसेटिंग से नहीं मिल पाती. मार्केट अनुसंधान की जरूरत, ग्राहकों की जरूरत आदि की जानकारी लेने पर उन्होंने बल दिया।

तीसरा सत्र

तीसरे सत्र "कर्मचारियों और प्रबंधकों के लिए तथा अन्तरपारस्परिक संबंध मजबूत करने में गृह पत्रिका का योगदान" के वक्ता थे श्री विमल सक्सेना, उप महाप्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली। उन्होंने कहा कि पत्रिका छापने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए तथा पत्रिका रोचक कैसे बनेगी—इस पर ध्यान देना चाहिए। आज औद्योगिक संस्थाओं की मुख्य समस्या यह है कि कर्मचारी का काम करने से अलगाव (एलिनिएशन) हो गया है। उन्हें अपने काम में रस नहीं, गर्व नहीं. यह समस्या संगठित कर्मचारियों में ज्यादा है. मन को कार्य से जोड़ना आवश्यक है क्योंकि जुड़े हुए मन से संस्था का कार्य अधिक होता है। मन को जोड़ने के लिए सम्प्रेषण की आवश्यकता है और यह काम गृह पत्रिका बखूबी निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि संदेश क्या हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए. संदेश का उद्देश्यों से तालमेल होना चाहिए। हमें क्या कहना है और हम क्या कह रहे हैं, इसकी समीक्षा करनी चाहिए.

कर्मचारी को महसूस होना चाहिए कि "यह मेरी कंपनी है", कर्मचारियों की चेतना में परिवर्तन लाना जरूरी है—यह सेतु गृह पत्रिकाओं को बनाना होगा।

सत्र की चर्चा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि गृह पत्रिका एक दुतरफा पुल है. कर्मचारियों की शिकायतें उचित रूप से उच्च अधिकारियों को पहुंचाने और सलाह देने का काम भी गृह पत्रिका कर सकती है।

चौथा सत्र

चौथे सत्र "गृह पत्रिका प्रबंध-रिपोर्टिंग, फीचर तैयार करना तथा संपादन अभ्यास" के वक्ता श्री सूरज प्रसाद पांडे, मुख्य उप संपादक, नवभारत टाइम्स, बम्बई ने कहा कि गृह पत्रिका कंपनी तथा कर्मचारियों के बीच की कड़ी होनी चाहिए. अंग्रेजी का अनुवाद करते समय तथ्यों को नहीं बदलना चाहिए। लेकिन लेखन शैली अलग-अलग तथा रोचक बनाने का प्रयास सदैव करना चाहिए। सामग्री का संकलन करते रहना चाहिए ताकि सामग्री कम पड़ने से उसका उपयोग किया जा सके. कर्मचारियों का इन प्रयत्नों में सहभागी होना आवश्यक है क्योंकि सामग्री उन्हीं से मिलती है।

उनका विचार था कि रिपोर्टिंग करते समय मुख्य तथा रोचक घटना प्रथम पैराग्राफ में आनी चाहिए। क्योंकि वह रिपोर्ट की आत्मा है। इसके बाद अन्य घटनाएं होनी चाहिए। श्री पांडे का कहना था कि अंग्रेजी तथा हिन्दी के पाइंट साइज अलग-अलग होते हैं। इसलिए हिन्दी में काम करते समय सीमित दायरे में ही काम करना पड़ता है इसलिए हिन्दी का शीर्षक भी रोचक तथा उपयुक्त पाइंट साइज का होना चाहिए।

फीचर लेखन पर उनकी राय थी कि यह अपने आप में एक कला है. इसके लिए विषय का ज्ञान तथा संरचनात्मक क्षमता की आवश्यकता है. संपादन के बारे में श्री पांडे का कहना था कि संस्थाओं की गृह पत्रिकाओं की सामग्री ज्यादातर उसके संवाददाताओं द्वारा भेजी जाती है, अतः उसे सुरुचिपूर्ण बनाना संपादक का दायित्व है।

पांचवां सत्र

पांचवां सत्र था "सर्जनात्मकता में सुधार लाने में गृह पत्रिका का योगदान". इस सत्र की वक्ता थीं—भारतीय कपास निगम की डॉ. (श्रीमती) रीता कुमार तथा इंडियन एक्सप्रेस, बम्बई के श्री पतंजलि सेठी।

श्रीमती कुमार ने कहा कि संस्थाओं की अधिकतम गृह पत्रिकाओं में सर्जनात्मकता लाने के लिए बहुत ही कम विषय होते हैं। कर्मचारियों द्वारा प्रकाशनार्थ भेजी गई रचनाएं जैसे लेख, कविताएं इत्यादि इसी श्रेणी में आती हैं. इसके बावजूद हर बार अच्छे और नए ढंग से उन्हें पेश करना संपादक का कर्त्तव्य है, क्योंकि आम कर्मचारी से मौलिक रचनाओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि जहां संभव हो वहां प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की रचनाओं को गृह पत्रिका में स्थान दिया जाना चाहिए। हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में निकाली गई पत्रिकाएं ज्यादा कर्मचारी पढ़ते हैं। इसलिये इन भाषाओं की सामग्री को प्राथमिकता देनी चाहिए। विदेशी साहित्यकारों की अमर रचनाएं भी कभी-कभी अपनी भाषाओं में अनुवाद करके प्रस्तुत की जा सकती हैं।

संस्था में काम करने वाले व्यक्ति की ईमानदारी, कर्त्तव्य-निष्ठा तथा संघठन शक्ति दर्शानेवाली घटनाओं को गृह पत्रिका में अवश्य स्थान मिलना चाहिए.

मुख पृष्ठ किसी घटना अथवा गतिविधि को लेकर बनाना चाहिए। अच्छा मुख पृष्ठ पाठकों को निश्चय ही गृह पत्रिका की ओर आकर्षित करता है। संक्षेप में संपादक को सूत्रधार की भूमिका निभानी चाहिए। उनका दावा था कि "जहां चाह है, वहां राह" है।

श्री सेठी का कहना था कि "गृह पत्रिका का अर्थ ही यह है कि उसमें "घर की बातें हों" अपने-अपने विचार, अनुभव आपस में बांटना ही गृह पत्रिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

प्रतियोगिताएं रखने से अच्छी सामग्री मिल सकती है. जो कर्मचारी अच्छा लिखना चाहते हैं उनके लिये कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। "क्या लिखने से सर्जनात्मकता बढ़ सकती है" इस विषय पर उन्होंने कहा कि जब लिखने का प्रयास किया जाता है तब आदमी सोचता है। अगर लेख छपता है तो अन्य लोग लेखक से मिलते और चर्चा करते हैं। मेल जोल बढ़ता है। इससे आदमी का व्यक्तित्व अच्छा होता है। यही सर्जनात्मकता का एक रूप है।

छठा सत्र

"संस्था की प्रतिमा उज्जवल बनाने में भारतीय भाषाओं की गृह पत्रिकाओं का योगदान" यह छठे सत्र का विषय था।

इस विषय को पेश करते हुए डॉ. बलवंत साठे, महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बम्बई ने कहा कि संस्था की प्रतिमा दो प्रकार की होती है। बाह्य प्रतिमा जो आम जनता से जुड़ी होती है और आंतरिक प्रतिमा जो संस्था के कर्मचारियों से जुड़ी होती है. इस विषय पर सोचने से पहले हमें संस्था के मुख्य उद्देश्य, साधन सामग्री और लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए। संस्था द्वारा लोगों से किये गये वायदे और उत्पादित वस्तुओं की क्षमता के दावे अगर सही न हों तो संस्था की विश्वसनीयता पर संदेह हो जाता है और उसकी प्रतिमा उज्जवल नहीं हो सकती।

सातवां सत्र

"प्रोडक्शन तकनीक—ले आउट डिजाइनिंग, टाइपसेट, प्रिंटिंग तथा रंगों का चयन इत्यादि" पर यह सत्र श्री वीनू वडगांवकर, जनसंपर्क अधिकारी, (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बम्बई) तथा श्री रवि अग्रवाल, (अग्ने टाइपसेटस, बम्बई) ने प्रस्तुत किया। पत्रिका को तैयार करने के लिय जो क्रियाएं करनी पड़ती हैं उन पर क्रमवार चर्चा हुई। आम तरह के टाइपसेटिंग और प्रूफ जांचने में बहुत समय लग जाता है. डीटीपी जैसी नयी साधन सामग्री से समय की बचत कैसे होती है, यह बखूबी बताया गया. साथ ही साथ आकृति ग्राफ, पन्ने की परिसीमा बनाने में इसका अच्छा उपयोग कैसे हो सकता है इसका भी वर्णन किया गया। जहां पर्सनल कम्प्यूटर हैं और छपाई के बहुत से काम करने हैं, वहां डीटीपी मशीन का उपयोग अधिक फायदेमंद हो सकता है।

समापन सत्र

इस संगोष्ठी एवं कार्यशाला का समापन श्री गिरिजा शंकर त्रिवेदी, संपादक, "नवनीत" (बम्बई) ने किया। संगोष्ठी के सात सत्रों का विवरण सुनने के पश्चात् उन्होंने सुखद आश्चर्य प्रकट किया कि गृह पत्रिकाओं में सुधार लाने के लिये कितनी गहराई से बहुत सी बातों पर विचार-विमर्श किया गया। हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के योगदान पर विशेष ध्यान देने के लिये उन्होंने ए.बी.सी.आई. तथा संगोष्ठी के संयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संस्था के उद्देश्यों तथा कार्यों को सरल भाषा में आम जनता तथा कर्मचारियों तक पहुंचाने का काम गृह पत्रिकाओं को करना चाहिए। यह कार्य भारतीय भाषाओं द्वारा हो सकता है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि एशिया में अन्य देशों में भारतीय भाषाओं को सीखने, समझने की होड़ लगती है, मगर हम भारतवासी अपनी भाषाओं का उपयोग करने में हिचकिचाते हैं. उन्होंने जोर दिया कि अगर संस्था के छोटे से छोटे कर्मचारी ने संस्था की गरिमा बढ़ाने के लिये कुछ सराहनीय काम किया है तो गृह पत्रिका में उसे प्राथमिकता अवश्य देनी चाहिए। पत्रिका रोचक कैसे बनाई जाए इस पर उन्होंने बहुत से सुझाव दिये. दैनिक जीवन में उपयुक्त बातें, आचार, व्यवहार की बातें, औषधियों, आहार, स्वास्थ्य, संत-महात्माओं के वचन इत्यादि का उपयोग पत्रिका में बखूबी किया जा सकता है।

□प्रस्तुति : डॉ. बी.एस. साठे

भाषा, समाज और संस्कृति : विचार गोष्ठी

भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, जयपुर के राजभाषा अनुभाग की ओर से 7-10-89 को खासा कोठी, जयपुर में "भाषा, समाज और संस्कृति" विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई. गोष्ठी के प्रारम्भ में उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग, जयपुर के सहायक निदेशक, श्री अश्विनी कुमार ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि भाषा के साथ-साथ समाज और संस्कृति में भी परिवर्तन होता है। पश्चिमी अवधारणा और पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान के हावी होने के पश्चात् कैसे पर्यावरण नष्ट हुआ, पौधों की प्रजातियां नष्ट हुई, भाषा से उनके प्रयोग से, हिंसा मूलक सभ्यता/संस्कृति कारण ज्ञान के विस्फोट के बावजूद मानव विश्व में कितना संत्रस्त है, इसके तार्किक उदाहरण उन्होंने दिए।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भोपाल से सहायक निदेशक श्री डी. कृष्ण पाणिक्कर ने उत्तर भारत में अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के अर्थ अनुकरण के उदाहरण देकर उत्तर भारतीयों विशेषकर हिन्दी भाषियों से स्वभाषा, स्वसंस्कृति अपनाने का आग्रह किया.

भाषा विभाग (राजस्थान) के निदेशक डा. कलानाथ शास्त्री ने समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि भाषा समाज में परिवर्तन जरूर आया है, परन्तु मूल्यों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। धार्मिकता की जड़ें आज भी समाज में काफी गहरी हैं।

गोष्ठी के प्रमुख वक्ता देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर ने कहा कि भाषा व्यक्ति के चरित्र के साथ राष्ट्र के चरित्र को भी उद्घाटित करती है। भाषा और आंखें कभी धोखा नहीं देती, भाषा के हो रहे अवमूल्यन पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम अर्थों को छोड़कर शब्दों के पीछे भाग रहे हैं। जब तक मनुष्य अर्थ नहीं पढ़ता. शांति नहीं पा सकता। उन्होंने शब्दों के अवमूल्यन का उदाहरण देते हुए कहा कि दान का शब्द आजकल भीख रह गया है, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ धरोहर लौटाना है। आज "देशद्रोही" "देश-प्रेमी" जैसे शब्दों की परिभाषा ही बदल गई है।

प्रस्तुति : सावित्री वर्मा,

श्री प्रभाकर ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा कि समाज तभी बदलता है, जबकि वह आंतरिक मूल्यों से अनुशासित हो. परन्तु आज समाज भीड़ में बदल चुका है। अगर समाज होता तो रामजन्म भूमि व बाबरी मस्जिद के लिए जनता पर इतना पागलपन सवार नहीं होता, आज हिन्दू या मुसलमान दोनों में से कोई भी उदारता नहीं दिखा रहा। संस्कृति के बारे में उनका कहना था कि आज भाषा बदल गई, धर्म बदल गया परन्तु संस्कृति नहीं बदली, आज व्यक्ति चाहे कितनी ही अंग्रेजी बोले, पश्चिमी खाद्य पदार्थों का सेवन करें, पश्चिमी वस्त्रों की धारणा करें, लेकिन गंगा, जमुना, रामायण-महाभारत में आस्था रखता है। सभ्यता बाह्य रूप है व संस्कृति आंतरिक रूप, जिसे बदल पाना बहुत कठिन है।

उन्होंने आगे कहा कि औद्योगीकरण के कारण समाज तथा संस्कृति विनाश के कगार पर पहुंच गई है। आज रूस और अमेरिका परमाणु अस्त्रों को नष्ट करने के लिए एक मत हैं ताकि इस विनाश से बचा जा सके। समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारतीय स्टेट बैंक के उप-महा-प्रबन्धक श्री दामोदर गुप्ता ने भाषा के सही सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को शब्दों के सही अर्थ का सृजन करते हुए उद्घाटित करने में साहित्यकारों के दायित्व को रेखांकित किया।

श्री विनोद मेहरा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ गोष्ठी समाप्त हुई।

मध्य क्षेत्र के हिन्दी अधिकारियों का द्वितीय सम्मेलन

मध्य क्षेत्र के हिंदी अधिकारियों का द्वि-दिवसीय सम्मेलन दिनांक 28 व 29 सितम्बर, 1989 को स्थानीय मण्डल कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित किया गया जिसमें इन्दौर व लखनऊ मण्डलों को छोड़कर सभी मण्डलों के हिंदी अधिकारी/प्रतिनिधि अधिकारी सम्मिलित हुए। क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रतिनिधि अधिकारी सम्मेलन में सम्मिलित हुए।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रादेशिक प्रबंधक (सं. एवं का. से.)/उप. क्षे. प्र० श्री एस. रामचन्द्रन ने जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया। अहिंदी भाषी होते हुए भी अपनी सरल और साधारण किन्तु संचेत हिंदी में बोलते हुए श्री रामचन्द्रन ने कहा कि हमारा पूरा मध्य क्षेत्र राजभाषा नियमों के अनुसार हिंदी भाषा भाषी बहुल "क" क्षेत्र में स्थित है और हमारे सभी कार्यालयों में कार्यरत लगभग सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को न केवल हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है वरन् उन्हें हिंदी में प्रवीणता भी प्राप्त है। हमारे सभी कार्यालयों में हिंदी में काम करने का समुचित वातावरण प्राप्त है। कार्यालय के दिन प्रतिदिन के कामकाज में प्रयोग में आने वाले सभी प्रपत्रादि तथा मार्ग निर्देशक निर्देशिकाएं आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध हैं। हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर भी खेद की बात है कि मध्य क्षेत्र स्थित हमारे कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी नहीं है। श्री रामचन्द्रन् ने कहा कि लोग दक्षिण की ओर उंगली उठाते हैं और हिंदी के प्रयोग में समुचित प्रगति न होने का दोष दक्षिण वालों पर आरोपित करते हैं किन्तु यह कितने खेद और शर्म की बात है कि हिंदी भाषा-भाषी बहुल "क" क्षेत्र के लोग ही हिंदी बोलने और लिखने में शर्म और झिझक अनुभव करते हैं तथा अंग्रेजी में काम करना श्रेयस्कर समझते हैं। श्री रामचन्द्रन् ने कहा कि हमें अब अपनी मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन करना है। हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा बनने की एकमात्र अधिकारिणी है। अतः हम सबका यह पुनीत कर्त्तव्य बनता है कि हम अपने दैनिक कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। हिंदी भाषा के माध्यम से जीवन बीमा व्यवसाय में प्रगति होगी। हम जीवन बीमा की सुरक्षा के प्रकाश को दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने तथा समाज के कमजोर वर्गों को जीवन बीमा सुरक्षा के छत्ते के नीचे लाने में सफल होंगे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आज इस सम्मेलन में हम राजभाषा सम्बन्धी सभी विषयों पर स्वतंत्र रूप से गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करेंगे और हिंदी के प्रयोग के कार्य में आने वाली कठिनाइयों का सर्वमान्य समाधान खोजने का प्रयास करेंगे तथा चाहेंगे कि इसके बाद प्रत्येक मण्डल का हिंदी अधिकारी अपने मण्डल में इस प्रकार कार्य करें कि मण्डल का सम्पूर्ण कामकाज हिंदी में ही हो और राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दिशा में हमारा मध्य क्षेत्र देश भर में अग्रणी हो।

उद्घाटन के पश्चात् सम्मेलन में उपस्थित सभी अधिकारियों ने अपना-अपना परिचय दिया।

इसके पश्चात् सहायक सचिव (का. से.) श्री व. सिद्दीकी ने सम्मेलन के पूर्व अपना प्रस्तावना भाषण प्रस्तुत करते हुये सम्मेलन में विचार विमर्श हेतु निर्धारित कार्य-सूची पर प्रारंभिक प्रकाश डाला तथा उपस्थित हिंदी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे इन सभी विषयों पर निशंक भाव से खुल कर चर्चा करें और उनके मार्ग में आने वाली अपनी कठिनाइयों से हमें अवगत कराएं जिससे कि इस सम्मेलन में उनका सर्वमान्य समाधान खोजा जा सके।

इसके पश्चात् सम्मेलन में मण्डलों के उपस्थित हिंदी अधिकारियों ने क्रमशः अपने-अपने मण्डल में हुई हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति एवं राजभाषा आदेशों के अनुपालन की स्थिति की तथा हिंदी दिसव/सप्ताह/माह (14 सितम्बर, 1989) के आयोजन सम्बन्धी अपने विवरण प्रस्तुत किए और साथ ही साथ प्रत्येक मण्डल के विवरणों की समीक्षा भी की गई तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति का समग्र एवं समेकित आकंलन भी किया गया।

इसके पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा कार्यान्वयन) श्री जगदीश कुमार बाजपेई द्वारा सभी मंण्डलों की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए।

दिनांक 29 सितम्बर, 1989 को पुनः सम्मेलन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। सबसे पहले हिंदी में किए जाने वाले कार्यों का समुचित लेखा जोखा रखे जाने पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया और क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर द्वारा तैयार किए गए तथा उपलब्ध कराए गए तीन अभिलेख रजिस्टरों पर रिकार्ड रखने पर बल दिया गया। विभिन्न मण्डलों के हिंदी अधिकारियों ने इन रजिस्टरों तथा उनके रख-रखाव के सम्बन्ध में अनेक जानकारियां चाही गयी जिनका विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय के पक्ष से अभिलेख रजिस्टरों के आधार

पर अभिलेखों के रख-रखाव पर बल देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि यदि इन अभिलेख रजिस्टरों के आधार पर हिंदी में किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखा जाता है तो तिमाही रिपोर्टों को समय से भेजने में कोई कठिनाई नहीं होगी और तिमाही रिपोर्टों के आंकड़े भी तथ्य-परक तथा आधार-परक होंगे।

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को हिंदी में प्रारूप एवं टिप्पण लेखन का प्रशिक्षण देने तथा हिंदी में काम करने के लिए उनकी झिझक को दूर करने के उद्देश्य से हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन करने पर विचार विमर्श किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि केन्द्रीय कार्यालय के निर्देशों के अनुसार हिंदी कार्यशाला का प्रत्येक सत्र कम से कम 30 घंटे की अवधि का होना चाहिए। चाहे वह एक घंटा प्रतिदिन हो और चाहे कार्यालय की सुविधानुसार दो या तीन घंटा प्रतिदिन हो। मात्र दो या तीन घंटों की अल्पावधि की कार्यशालाओं से वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। यह स्पष्ट किया गया कि अभिलेख रजिस्टरों पर अभिलेख रखने के लिए अभिलेख लिपिकों की कार्यशालाएं दो या तीन घंटे की अल्पावधि के लिए चलाई जा सकती हैं।

क्षेत्रीय स्तर पर प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी (रा.का.) श्री बाजपेई द्वारा बताया गया कि जैसा कि परिपत्र द्वारा सूचित किया जा चुका है कि चालू वित्तीय वर्ष में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार व प्रसार हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक चल वैजयन्ती और क्षेत्रीय राजभाषा अधिकारी चल रजत कप प्रदान करने की योजना लागू की गई है। यह योजना मण्डलों के लिए अलग और क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागों के लिए अलग है। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार अन्य योजनाएं लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है और केन्द्रीय कार्यालय को भी समय-समय पर लिखा गया है।

जांच बिंदुओं की स्थापना एवं उनके वस्तुनिष्ठ संचालन पर व्यापक रूप से चर्चा हुई। चक्रलेखन एवं प्रेषण विभाग में स्थापित जांच विन्दुओं के संचालन पर विशेष बल देते हुए यह निश्चित किया गया कि यदि कोई स्टेंसिल चक्रलेखन के लिए केवल अंग्रेजी में प्राप्त होता है तो उसे सम्बन्धित विभाग को इस अनुरोध के साथ वापस कर दिया जाना चाहिए कि उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए और इसी प्रकार प्रेषण विभाग में भी यदि कोई परिपत्र या तार अंग्रेजी में प्रेषण के लिये प्राप्त हो तो उसे भी इस अनुरोध के साथ वापस कर दिया जाना चाहिये कि उसके साथ उसका हिंदी प्रारूप लगाया जाए या उसे हिंदी में भेजा जाए। वार्षिक कार्यक्रमानुसार 31 मार्च, 1989 तक हिन्दी टंककों का अनुपात 50 प्रतिशत करने तथा 31 मार्च, 1990 तक हिंदी आशुलिपिकों का अनुपात 50 प्रतिशत करने के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से इस बात पर विशेष बल दिया गया कि वर्तमान टंककों एवं आशुलिपिकों को हिंदी टंकण/आशुलिपि लेखन के प्रशिक्षण का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाए। नई भर्तियों में भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि यथासम्भव अधिक से अधिक संख्या में हिंदी जानने वाले टंककों एवं आशुलिपिकों की भर्ती की जाए। यह प्रशिक्षण चाहे कार्यालय में दिया जाए या कार्यालय के बाहर।

इस बात पर भी बल दिया गया कि जिन मण्डल कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन/पुर्नगठन अभी तक नहीं हुआ है वहां इस कार्य को यथा-शीघ्र पूरा किया जाए। मण्डल कार्यालयों के अधीनस्थ शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन उपसमितियों का गठन भी किया जाना चाहिए और न्यूनतम एक तिमाही में एक बार उसकी बैठक अवश्य की जानी चाहिए। साथ ही उसका कार्यवृत्त तैयार किया जाना चाहिए और उसे अपने नियंत्रक कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।

कार्यालयों के दिनप्रतिदिन के काम काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति तथा राजभाषा आदेशों के अनुपालन की स्थिति पर सतर्क नियंत्रण रखने हेतु इस बात पर विशेष बल दिया गया। प्रत्येक मण्डल के हिंदी अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम मण्डल कार्यालय के एक विभाग और एक अधीनस्थ शाखा कार्यालय का निरीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए तथा निरीक्षण रिपोर्ट मण्डल प्रबन्धक को प्रस्तुत की जानी चाहिये और उसकी एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय को अवश्य भेजी जानी चाहिये।

निगम के कार्यालयों में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारी राजभाषा कार्यान्वयन श्री बाजपेई द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई और संसदीय समिति की प्रश्नावलियों को भरे जाने तथा उनमें समुचित आंकड़े देने आदि सभी विषयों पर व्यापक रूप से स्पष्टीकरण दिये गये।

विकास बैंक के हिंदी अधिकारियों का सम्मेलन

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नई दिल्ली स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में दिनांक 13 अक्तूबर, 1989 को बैंक के हिंदी अधिकारियों हेतु दूसरा एक-दिवसीय हिंदी अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न कार्यालयों से 18 हिंदी अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री भगवान दास पटैरया, उप-सचिव (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने किया तथा इसकी अध्यक्षता बैंक के महाप्रबंधक (कार्मिक) श्री वी. एच. पंड्या ने की। इस अवसर पर बैंक के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के उपमहाप्रबंधक श्री बी. के. तापड़िया भी विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित थे।

प्रारंभ में प्रशिक्षण केन्द्र के प्रबंधक श्री विनोद सक्सेना ने सभी का स्वागत करते हुए बैंक में हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता को स्पष्ट किया। तत्पश्चात्, बैंक के हिंदी विभाग के प्रबंधक डॉ. विजय कुमार गुप्त ने इस सम्मेलन के आयोजन की पृष्ठभूमि की जानकारी दी एवं कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। आरंभिक उद्बोधन में श्री तापड़िया ने बैंक में हिंदी कार्यान्वयन के प्रति किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास प्रकट किया कि शीघ्र ही हम सभी लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त कर लेंगे। उद्घाटन भाषण में श्री पटैरया, ने कहा कि हिंदी कार्यान्वयन हेतु वातावरण बनाने के लिए हमें दृढ़ता से कार्य करना है परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि अनुवाद की अपेक्षा हिंदी में मौलिक कार्य करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाए।

श्री वी. एच. पंड्या, महा प्रबंधक (कार्मिक) ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कोई भी भाषा दबावों से आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए हिंदी के काम को भी अन्य कार्यों की भांति प्राथमिकता दी जाए, तो इसका सहज विकास संभव है। साथ ही, श्री पंड्या ने हिंदी अधिकारियों को सुझाव दिया कि वह प्रति सप्ताह एक व्यक्ति को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखें। उद्घाटन सत्र के अंत में बैंक के हिंदी विभाग के उप प्रबंधक डॉ. देवेन्द्र नाथ त्रिवेदी ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव में इसे "संकल्प दिवस" के रूप में मनाने का आह्वान किया।

हिंदी अधिकारियों के दायित्वों के अनुरूप इस कार्यक्रम हेतु निर्धारित किए गए विषयों का स्वरूप अत्यंत उपयोगी रहा। प्रातःकालीन सत्रों में सर्वप्रथम श्री भगवान दास पटैरया, उप सचिव (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग ने हिंदी कार्यान्वयन का विकासमान रूप व चुनौतियां विषय पर अत्यंत सहज शैली में अपने विचार व्यक्त किए।

द्वितीय सत्र में श्री कौशिक मुकर्जी, निदेशक (तकनीकी) राजभाषा विभाग, ने 'यांत्रिक उपकरणों में हिंदी का प्रयोग: समस्याएं व समाधान' विषय पर हिंदी अधिकारियों को रोचक शैली में उपयोगी जानकारी प्रदान की। उन्होंने विशेष रूप से कंप्यूटर से हिंदी में कार्य लेने संबंधी प्रणाली का विस्तृत उल्लेख करते हुए यह सिद्ध किया कि कंप्यूटर में हिंदी कार्यक्रमों के परिचालन में कोई कठिनाई या तकनीकी समस्या नहीं है और लिप्यंतरण की प्रक्रिया भी पूर्णतया सरल रूप से संभव है। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में हुई प्रगति व आगामी प्रयासों का भी विवेचन किया।

तृतीय सत्र में डॉ. सूरज भान सिंह, निदेशक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने "हिंदी अनुवाद की चुनौतियां—बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य में" विषय पर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

ज्ञानवर्धक सत्रों की इस श्रृंखला के अंतिम सत्र में डॉ. महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग ने "वाक्य रचना संबंधी समस्याएं एवं तकनीकी भाषा प्रयोग का सरलीकरण" विषय पर विचार व्यक्त किए। उनकी इच्छा थी कि हिंदी जानने वालों को हिंदी में स्वयं ही काम करना चाहिए। उन्होंने हिंदी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे उच्चाधिकारियों को राजभाषा नियम 12 का हवाला देते हुए अधिक जागरूक बनाने का प्रयास करें।

अंतिम सत्र में श्री वी. एच. पंड्या ने हिंदी अधिकारियों से उनकी नीतिगत एवं कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। कुछ कार्यालयों में हिंदी स्टाफ की कमी, हिंदी अधिकारियों से लिए किए जा रहे अन्य कार्यों, हिंदी अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं आदि सभी मुद्दों पर उन्होंने समाधानकारक वक्तव्य दिए। साथ ही, हिंदी अधिकारियों की पदोन्नति नीति पर उन्होंने पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया और इस प्रकार का सम्मेलन प्रति वर्ष कम से कम दो दिन हेतु करने का सुझाव भी स्वीकार किया।

समापन अवसर पर उद्गार प्रकट करते हुए श्री पंड्या ने कहा कि अपनी भाषा में काम करने में कोई कठिनाई नहीं है, पर इसके लिए हिंदी अधिकारी प्रेरक के रूप में कार्य करें। श्री पंड्या ने प्रतिभागियों को परामर्श दिया कि वे हिंदी अधिकारी की बजाय विकास बैंक अधिकारी बनने का प्रयास करें तो उनकी सार्थकता अधिक होगी।

कार्यक्रम के अंत में डॉ. विजय कुमार गुप्त ने कहा कि इस सम्मेलन में पूरे दिन महा प्रबंधक (कार्मिक) की उपस्थिति एक सुखद प्रेरणा रही और यह राजभाषा हिंदी के, बैंक में पर्याप्त कार्यान्वयन के प्रति उनके दायित्वबोध का परिचायक है। सम्मेलन का समापन करते हुए कार्यक्रम के समन्वयकर्ता एवं प्रशिक्षण केन्द्र के हिंदी अधिकारी श्री प्रदीप अग्रवाल ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

भारत डायनामिक्स में राजभाषा संगोष्ठी

हैदराबाद स्थित, रक्षा मंत्रालयाधीन प्रेक्षपास्त्र-उत्पादन उद्यम भारत डायनामिक्स लिमिटेड में सोमवार दिनांक 20 नवम्बर, 1989 को राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में नगरद्वय के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के, राष्ट्रीयकृत बैंकों के तथा हिन्दी सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली से श्री एम. एस. रावत विशेष अतिथि तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के रीडर डॉ. पी. वी. राघव रेड्डी मुख्य अतिथि थे। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, एअर कमाडोर आर. गोपालस्वामी, अ. वि. से. मे., वि. से. मे. (निवृत्त) ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत कम्पनी के कर्मचारी श्री आशीर्वादम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना "वन्दे मातरम्" से हुई।

श्री एन. सांबमूर्ती, अपर महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने उपस्थितों का स्वागत करते हुए संगोष्ठी में सुलझे हुए विचारों की अपेक्षा की।

श्री नरहर देव, सहायक प्रबन्धक (राजभाषा) ने परिचय के साथ-साथ संगोष्ठी के आयोजन का उद्देश्य बताया।

कम्पनी के प्रबन्धक निदेशक एअर कमाडोर आर. गोपालस्वामी ने अपने उद्घाटन भाषण में कम्पनी में कार्यान्वित राजभाषा की प्रगति की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने चाहा कि जब तक किसी भी कार्य से संबद्ध विशेषज्ञों का विचार-मंथन नहीं होता तब तक अपेक्षित सफलता हासिल नहीं होती और राजभाषा के रूप में हिन्दी यह विषय भी एकाधिक समस्याओं के साथ जुड़ा है तथापि भाषा के बारे में जन-साधारण की भावनाओं से घनिष्ठता से जुड़ा है अतः इस पर समय-समय पर संगोष्ठियों के माध्यम से गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना तो आवश्यक है ही लेकिन ऐसी संगोष्ठियों में प्रकट होने वाले सधे हुए विचारों से भारत सरकार के संबंध विभागों को अवगत भी कराया जाना चाहिए। उन्होंने वी. डी. एल. की भी कुछ समस्याओं का जिक्र किया और उन पर व्यवहार्य उपायों की अपेक्षा की।

उद्घाटन के बाद सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की ओर से श्री पी. आर. घनाते, हिन्दी अधिकारी, एच. एम. टी. श्री गोवर्धन ठाकुर, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, एन. एम. डी. सी., सरकारी कार्यालयों की ओर से श्री जी. प्रेम कुमार, हिन्दी अधिकारी, हैदराबाद टेलीफोन, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् हैदराबाद शाखा के संयोजक श्री गजानन्द गुप्त, श्री सी. आर. रामचन्द्रन्, सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के रीडर डॉ. पी. वी. राघव रेड्डी (जो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे), बैंकों की ओर से डॉ. वेद व्यास कुचरु, इण्डियन बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री अर्जुन कुमार गीते, आन्ध्रा बैंक के उप मुख्य अधिकारी (राजभाषा) श्री डी. राम मोहन राव आदि ने अपने पत्र प्रस्तुत किए। इन पत्रों में व्यक्त विचारों पर रक्षा मंत्रालय से पधारे विशेष अतिथि श्री एम. एस. रावत, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समालोचन प्रस्तुत किया।

श्री एन. सांबमूर्ती, अपर महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने अध्यक्षीय समालोचन किया।

तीन बजे संगोष्ठी का दूसरा सत्र शुरू हुआ जिसमें हिन्दी साप्ताहिक राष्ट्रनायक के संपादक श्री हरिश्चन्द्र विद्यार्थी, हिन्दुस्तान केबल्स के राजभाषा अधिकारी डॉ. एम. लक्ष्मणाचार्युलु, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री कुलपति शर्मा, मिलिन्द प्रकाशन की संचालिका श्रीमती विभा भारती, आईआईसीटी, एनजीआरआई एवं सीसीएमबी की हिन्दी अधिकारी श्रीमती शैलजा, हैदराबाद दूरदर्शन से श्री एस. एस. धुत्रे, हिन्दी शिक्षण योजना के प्राध्यापक श्री देवीदास, सिधानि के हिन्दी अधिकारी श्री कान्तिलाल भट्ट, ईसीआईएल के हिन्दी अधिकारी श्री एन. नागेश्वर राव ने अपने विचार प्रकट किए। अपराह्न सत्र के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के रीडर डॉ. पी. वी. राघव रेड्डी ने कहा कि "विभिन्न सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं से लोग इस संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। उन्होंने हिन्दी प्रयोग में आने वाली समस्याओं तथा उनके समाधान पर सुझाव दिए हैं। मैं समझता हूं कि यदि इन समस्याओं पर तीन चार दिन भी विचार किया जाए तो कम होगा। हमें चाहिए कि हम इन सब बातों को भूलकर लगन से काम करें। उच्चाधिकारियों को अपने विनम्र व्यवहार से अपनी ओर आकर्षित करें। उन्होंने अंत में कहा कि इस तरह की संगोष्ठी महीने में एक बार रखी जाए तो अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।"

दोनों सत्रों का संचालन श्री नरहर देव, हिन्दी अधिकारी, वी. डी. एल. द्वारा किया गया।

धन्यवाद समर्पण श्री के. रामचन्दर, प्रबन्धक (प्रशासन) ने किया।

संगोष्ठी में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों की ओर से श्री राममोहन राव, उप मुख्य अधिकारी (राजभाषा) आन्ध्र बैंक ने प्रबन्ध वर्ग को, खासतौर पर, प्रबन्धक निदेशक, एअर कमाडोर आर. गोपालस्वामी को और अपर महाप्रबंधक श्री एन. सांबमूर्ती, राजभाषा अधिकारी को भी इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद दिये।

केनरा बैंक बम्बई अंचल का चतुर्थ वार्षिक राजभाषा सम्मेलन

दिनांक 6 नवम्बर, 1989 को बम्बई अंचल के राजभाषा सम्पर्क अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया। डा. अनूप चंद्र भयाणी, मुख्य प्रबन्धक (राजभाषा) देना बैंक, सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे तथा समारोह की अध्यक्षता मंडल कर्यालय बम्बई के सहायक महाप्रबन्धक श्री पी.के.एन. कामत ने की। उक्त अवसर पर अंचल कार्यालय के अन्य कार्यपालकगण तथा पचास से अधिक राजभाषा अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि डॉ. भयाणी है इस अवसर पर कहा कि राजभाषा सम्पर्क अधिकारियों/प्रतिनिधियों की भूमिका राजदूत के समान होती है, जिन्हें अपनी देश की संस्कृति, सभ्यता, भाषा सभी का प्रतिनिधित्व करना होता है, बहुत कुछ यही दायित्व राजभाषा सम्पर्क अधिकारियों का भी है, कि वे अंग्रेजीमय वातावरण में राजभाषा हिंदी की प्रतिष्ठा करें। हिंदी एक भाषा ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, इसी विचारधारा का अनुकरण करते हुए डॉ. पी. के. जयरामन् [निवतमान उप प्रबन्धक (हिंदी) भारतीय रिजर्व बैंक] ने ऐसे समय में बैंकिग जगत में हिंदी की प्रतिष्ठा की जब बैंकिग जगत का सारा कार्य अंग्रेजी में होता था : मुख्य अतिथि ने कहा, बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी की प्रतिष्ठा का मुख्य श्रेय डॉ.पी. के. जयरामन् को जाता है इस प्रकार हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने में हिंदी से इतर मातृ भाषा भाषियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः वे हिंदी के विकास में बाधा नहीं अपितु हिंदी के वाहक है। इस अवसर पर उन्होंने अर्धवर्ष में लक्ष्य प्राप्त करने वाले कार्यालय/शाखाओं को प्रशस्ति-पत्र भी वितरित किए।

इससे पूर्व सहायक महाप्रबन्धक श्री पी. के. एन. कामत ने अध्यक्षीय संबोधन में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में केनरा बैंक की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला तथा सभी राजभाषा सम्पर्क अधिकारियों/राजभाषा प्रतिनिधियों को राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति उनके दायित्वों आदि के निर्वाह के प्रति सचेत किया।

मंडल प्रबन्धक श्री आर. के. शैणे ने भी सम्पर्क अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। सम्मेलन में परिचर्चा के दो सत्र भी आयोजित किए गए थे। ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स के राजभाषा अधिकारी श्री वीरेन्द्र याज्ञिक ने "राजभाषा सम्पर्क अधिकारियों की भूमिका" विषय पर सभी राजभाषा सम्पर्क अधिकारियों/प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया। इंडियन बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री अशोक वर्मा ने "राजभाषा कार्यान्वयन—समस्याएं एवं निराकरण विषय पर सभी प्रतिभागियों से चर्चा की।

अंचल कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री अशोक कुमार सक्सेना ने सम्मेलन की कार्यवाही का सफल संचालन किया तथा श्री व्ही. गंगाधरन, अधिकारी द्वारा आभार प्रदर्शन के साथ सम्मेलन समाप्त हुआ। □

साक्षात्कार

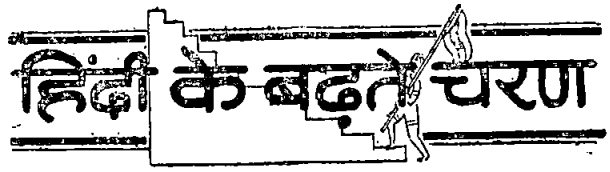

बैंकिंग उद्योग में ग्राहक की भाषा का प्रयोग आवश्यक

—प्रभु दयाल

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के नामकरण का इतिहास काफी रोचक है। बैंक का प्रधान कार्यालय पंजाब राज्य का मुख्य शहर 'पटियाला' है। ब्रिटिश शासकों के अधीन देशी रियासतों में सहकारिता के विकास, कृषि, व्यापार एवं उद्योग की वृद्धि आदि तथा पटियाला रियासत के सरकारी लेनदेन के लिए बैंक की स्थापना 17 नवम्बर, 1917 को तत्कालीन पटियाला स्टेट के महाराजा सरदार भूपेन्द्र सिंह ने की और बैंक का नाम रखा गया—'पटियाला स्टेट बैंक'।

देश के स्वतंत्र होने के बाद पंजाब क्षेत्र की देशी रियासतों के भारतीय संघ में मिला दिए जाने के बाद पैप्सू (पटियाला एण्ड ईस्ट ऑफ पंजाब स्टेट्स यूनियन) की स्थापना के साथ इस बैंक के कार्यक्षेत्र में भी विस्तार हुआ। बैंक के संविधान, दायरा तथा परिचालन में परिवर्तन हुआ और इसे भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन करते हुए नाम दिया गया —'बैंक ऑफ पटिलाला' और यह बैंक पैप्सू सरकार का बैंकर बन गया।

प्रस्तुति : डॉ. गुरुदयाल बजाज

इस बैंक के इतिहास में 1 अप्रैल, 1960 महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन यह बैंक भारतीय स्टेट बैंक का आनुषंगिक बैंक घोषित किया गया और साथ ही नया नाम दिया गया—'स्टेट बैंक ऑफ पटियाला'। भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी बैंक बन जाने के बाद बैंक ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पंजाब राज्य के तीन जिलों पटियाला, भटिण्डा तथा संगरूर के आर्थिक उत्थान में बैंक का बहुमूल्य योगदान है।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का मुख्यालय 'पटियाला' राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से "ख" क्षेत्र में है। बैंक की कुल 545 शाखाएं हैं इनमें से 535 शाखाएं "क" और "ख" क्षेत्रों में हैं और राजभाषा नियम 10 (4) के अन्तर्गत 110 शाखाएं संघ की राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए अधिसूचित हैं। बैंक की कुल 10 शाखाएं ही "ग" क्षेत्र में हैं। अधिकांश शाखाएं "ख" क्षेत्र में हैं। 30 जून तथा 30 सितम्बर, 1989 को समाप्य तिमाही के प्रगति पत्रों में समेकित रूप से पत्राचार की स्थिति इस प्रकार है:—

हिन्दी पत्राचार	30-6-89	30-9-89	लक्ष्य
"क" क्षेत्र	56%	64%	90%
'ख" क्षेत्र	48%	50%	50%
"ग" क्षेत्र	10%	11%	10%

किन्तु हिन्दी में तारों के प्रेषण में बैंक लक्ष्य से पीछे है।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल, महाप्रबन्धक (आयोजना) हैं। बैंकिंग व्यवसाय के विकास के साथ-साथ राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने का गुरुतर कार्य भी उन्हीं के जिम्मे है। यह कार्य उनकी रुचि के अनुकूल है क्योंकि बैंक के राजभाषा प्रभारी का पद ग्रहण करने के बाद बैंक के काम में हिन्दी प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। मृदुभाषी वरिष्ठ कार्यपालक श्री प्रभुदयाल से बैंक में राजभाषा प्रयोग सम्बन्धी मेरी चर्चा एक अनूठा अनुभव रहा है। भूगोल विषय में एम. ए. तथा विधि स्नातक श्री दयाल ने बैंकिंग उद्योग की विभिन्न परीक्षाएं पास की हैं। इण्टरमीडिएट तक उनकी शिक्षा का माध्यम हिन्दी था। जनवरी, 1964 में परिवीक्षा अधिकारी के रूप में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में बैंकिंग सेवा में सम्मिलित होने वाले सम्प्रति जून, 1987 से महाप्रबन्धक के पद पर कार्यरत हैं।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में हिन्दी के प्रयोग को लेकर श्री प्रभुदयाल से आपकी पत्रिका के उप सम्पादक से होने वाली बातचीत के मुख्य अंश प्रस्तुत हैं:—

दयाल साहब ! आपके बैंक की अधिकांश शाखाएं "ख" क्षेत्र में हैं, ऐसी स्थिति में आप संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन में क्या कठिनाई अनुभव करते हैं ?

यह ठीक है कि हमारे बैंक का मुख्यालय "ख" क्षेत्र में है और अधिकांश शाखाएं भी "ख" क्षेत्र में हैं किन्तु पंजाब राज्य की भाषा पंजाबी और हिन्दी में काफी साम्यता होने से हमारे कर्मचारियों को बैंकिंग कार्य में हिन्दी के प्रयोग में कोई विशेष मुश्किल नहीं होती है । हमारे कर्मचारी ग्राहकों से हिन्दी, पंजाबी अथवा पंजाबी-हिन्दी मिली-जुली भाषा का प्रयोग ग्राहक की सुविधा के अनुसार करते हैं । हिमाचल प्रदेश में स्थित हमारी प्रायः सभी शाखाओं में हिन्दी का प्रयोग होता है ।

बैंक में कर्मचारियों अधिकारियों को हिन्दी, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण देने की क्या व्यवस्था है ?

डॉ. बजाज ! हमारे 2058 अधिकारियों तथा 6122 कर्मचारियों में से लगभग 95% कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षित हैं । 53 आशुलिपिकों में से 10 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं और 1605 टंककों में से 125 को हिन्दी टाइप आती है ।

हिन्दी टंककों/आशुलिपिकों का अनुपात निर्धारित मानदंडों के अनुसार बहुत कम हैं, इस कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

राजभाषा विभाग की ओर से पंजाब राज्य में कोई भी हिन्दी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है, इसलिए हमारे कर्मचारी इस प्रशिक्षण में पीछे हैं। फिर भी कर्मचारी अपने प्रयासों से हिन्दी टाइप एवं आशुलिपि सीख रहे हैं । हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा पास करने पर एकमुश्त राशि का पुरस्कार दिया जाता है और हिन्दी में टाइप कार्य करने पर मासिक प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है ।

हिन्दी टंकण यंत्र और द्विभाषिक उपकरणों की खरीद में आपका बैंक लक्ष्यों से पीछे है ?

बैंक में हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद की उचित व्यवस्था की जा रही है । सभी सम्बन्धित विभागों/आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अधिक से अधिक टाइपराइटर हिन्दी अथवा द्विभाषिक ही खरीदें ।

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को बैंकिंग कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है ?

कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पंचकूला, चण्डीगढ़ तथा पटियाला में तीन प्रशिक्षण केन्द्र हैं । इन केन्द्रों में प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषिक रूप में दी जाती है । संकाय सदस्य भाषण हिन्दी तथा अंग्रेजी में देते हैं। संघ की राजभाषा नीति की जानकारी कार्यशालाओं में भी दी जाती है तथा इसके लिए प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा नीति की जानकारी देने के लिए विशेष सत्र रखे जाते हैं । वर्ष 1989 में ऐसे कुल 44 सत्र रखे गए जिससे 941 सहभागी लाभान्वित हुए ।

दयाल साहब ! मेरी इच्छा यह जानने की है कि जो कर्मचारी कार्यसाधक ज्ञान रखते है उन्हें हिन्दी में काम करने के लिए आप किस प्रकार प्रेरित करते हैं ?

डॉ. बजाज ! हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों के लिए विभिन्न शाखाओं में कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जहां पर मुख्यालय के राजभाषा अधिकारी राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं । प्रतिवर्ष प्रधान कार्यालय के विभागों तथा आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन शाखाओं में हिन्दी कार्यशालाओं/लघु कार्यशाला/डैस्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । वर्ष 1989 में कुल 28 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 194 अधिकारियों तथा 384 कर्मचारियों ने भाग लिया ।

कर्मचारियों से संबंधित पत्राचार किस भाषा में होता है ?

कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण, सेवा रिकार्ड आदि सम्बन्धी पत्राचार अधिकांशतः हिन्दी में किया जाता है। किंतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सम्बन्धित पत्राचार हिन्दी में किया जाता है । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोन्नति परीक्षाओं से पूर्व प्रशिक्षण हिन्दी में देने की व्यवस्था है । सुरक्षा कर्मियों के लिए हिदायतें आदि द्विभाषिक (हिन्दी तथा पंजाबी) रूप में जारी की जाती हैं । ग्राहकों से व्यवहार, ग्राहक सेवा सम्बन्धी साहित्य हिन्दी तथा पंजाबी में उपलब्ध है ।

बैंक की विभागीय पत्रिका "सारथी" एक उपयोगी प्रकाशन है, लेकिन पृष्ठ संख्या बहुत कम है। पत्रिका के पृष्ठ बढ़ाने के बारे में क्या विचार है ?

आगामी वित्त वर्ष में इस पत्रिका की पृष्ठ संख्या बढ़ाने का विचार है और इसमें राजभाषा हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी सामग्री भी प्रमुखता से शामिल की जाएगी ।

गृह मंत्रालय की त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' के आप पाठक हैं, इस पत्रिका के बारे में आपकी क्या राय है ?

'राजभाषा भारती' भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम है । इसमें चिन्तनपरक लेख, सम्पादकीय, हिन्दी के विभिन्न समारोहों की रोचक जानकारियां सामान्य पाठक को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं । कुछ समय पूर्व शुरु किए गए 'प्रेरणा-पुंज'

—जारी पृष्ठ 107 —

भारी पानी संयंत्र
परमाणु ऊर्जा विभाग
तूतीकोरिन (तमिलनाडु)

"ग" क्षेत्र में स्थित भारी पानी संयंत्र--तूतीकोरिन (तमिलनाडु) द्वारा दिनांक 5 दिसंबर, 1989 को बड़े उल्लास एवं उत्साहपूर्वक हिन्दी दिवस समारोह मनाया गया। हिन्दी सप्ताह के दौरान राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक व्यवस्था, राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम से परिचित कराया गया। कर्मचारियों के लिए हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कर्मचारियों के बच्चों के लिए हिन्दी में भाषण एवं गायन प्रतियोगिताएं रखी गई थीं।

हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री. के. जयकुमार हिन्दी अधिकारी, तुत्तुक्कुडि पत्तन न्यास आमंत्रित थे।

संयंत्र के महाप्रबन्धक श्री एम. पेरियाकरुप्पन ने दीप जलाकर हिन्दी दिवस समारोह का उद्घाटन किया। तत्पश्चात सरस्वती वंदना की गई। भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरिन), राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री वी. कि. सन्तानम् द्वारा मुख्य अतिथि, महाप्रबंधक सहित उपस्थित अन्य सभी लोगों का स्वागत किया गया।

महाप्रबन्धक श्री पेरियाकरूप्पन ने अपने भाषण में कहा कि "भारत सरकार के कार्यालयों, निगमों, बैंकों इत्यादि में कार्यरत लोगों को सहज भाव से हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। खास करके दक्षिण भारत के लोगों के दिल में से यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि, "हिन्दी हम पर लादी जा रही है।" हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है।

मुख्य अतिथि श्री जय कुमार ने कहा कि "मानव-मन के अनेक विचारों कल्पनाओं को दूसरों पर प्रकट करना, मानव-मन को एक दूसरे के निकट लाना भाषा का ही काम है। भाषा कोई भी हो, सबका अपना अपना महत्व है। सब भाषाओं में हिन्दी ही केवल एक ऐसी भाषा है जो अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। इसलिए हिन्दी को सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि हम हिन्दी के साहित्य, इतिहास तथा सांस्कृतिक भाव को समझ सकें।

महाप्रबंधक ने 37 पुरस्कारों का वितरण किया। मुख्य अतिथि को भी महाप्रबंधक ने स्मरण-भेंट प्रदान किया। हिन्दी अधिकारी श्री नरसिंह राम ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम "राष्ट्र गान" के साथ सपन्न हुआ!!

दूरसंचार विभाग
मद्रास टेलीफोन

14-9-89 को अध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक (सतर्कता) ने हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन किया। साथ साथ ही हिन्दी प्रदर्शनी का मंगल द्वार खोला। इस हफ्ते में 11 प्रतियोगिताएं हिन्दी में चलाई गई :--

कुल भागीदार : कर्मचारी--455 बच्चे : 133

प्रत्येक प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार :	1. एक क्वार्ट्ज दीवार घड़ी
दूसरा पुरस्कार :	2. ईगल कंपनी का एक तेरमो जार
तीसरा पुरस्कार :	3. ईगल कंपनी का एक तेरमो फ्लास्क

इन पुरस्कारों के अलावा 215 सांत्वना पुरस्कार (एक पेन और एक बाल प्वाइन्ट पेन) भी दिए गए।

आखिरी दिन पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। श्री एम. विश्वनाथन् महाप्रबंधक ने अध्यक्षासन ग्रहण किया। डॉ. एल. वी. के. श्रीधरन्, वरिष्ठ लेक्चरर (हिन्दी) एवं भारतीय भाषाओं के विभाग के अध्यक्ष, लयोला कालेज मुख्य अतिथि रहे।

पुरस्कार वितरण के बाद कर्मचारी तथा उनके बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया ।

दूरदर्शन केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम

समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. एन. चन्द्र शेखरन नायर, जो हिन्दी के मनीषी तथा केरल विश्वविद्यालय के यू.जी.सी. एमिरेटज़ प्रोफेसर भी है, को निमंत्रित किया गया । केन्द्र निदेशक की अध्यक्षता में संपन्न समारोह का उद्घाटन डॉ. चन्द्रशेखरन नायर ने किया। अपने भाषण में उन्होंने हिन्दी को देश की एकता के सूत्र में लाने की कड़ी बताते हुए एक विकासशील देश को कार्य करने के लिए देशी भाषा के महत्त्व पर प्रकाश डाला । उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दी सांस्कृतिक एकता की कड़ी है जिसमें सारी अन्य भारतीय भाषाओं को अपनाने की क्षमता है ।

अध्यक्ष ने बताया कि आजादी तथा राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी को लोकप्रिय बनाने की गांधीजी ने जो अभिलाषा की थी वह आजकल यथार्थ बनती जा रही है । उन्होंने आशा प्रकट की कि आगामी वर्ष में हिन्दी शिक्षण योजना की जरुरत नहीं होगी, क्योंकि आगामी वर्ष में सभी कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान आर्जित करेंगे । वर्ष 1988-89 के दौरान प्राप्त प्रगति रिपोर्ट, हिन्दी अधिकारी ने पढ़कर सुनाई। हिन्दी शिक्षण केन्द्र की शुरुआत, अनुवाद कार्य तथा पत्राचार में हुई प्रगति, हिन्दी कार्यशाला आदि इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम है । श्री एन. शशिधरन, सहायक अभियंता का आशीर्वाद तथा श्रीमती सुशीला विजयराघवन, उपनिदेशक (कार्यक्रम) के धन्यवाद भाषण के साथ समारोह समाप्त हुआ ।

केन्द्र पर जो विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, उनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैं :—

अनुवाद प्रतियोगिता

प्रथम—101 रु.—श्री उम्मन चेरियान,
द्वितीय—75 रु.—श्री पी. राजन
तृतीय—51 रु.—श्रीमती पदमा पिल्लै

हिन्दी भाषण प्रतियोगिता

प्रथम—101 रु.—श्री जी. एम. पिल्लै
द्वितीय—75 रु. —श्री एम. जे. डानियेल कुट्टी
तृतीय—51 रु.—श्री उम्मन चेरियान

हिन्दी टिप्पण तथा आलेखन प्रतियोगिता

प्रथम—101 रु.—श्रीमती पदमा पिल्लै,
द्वितीय—75 रु.—श्री पी. राजन
तृतीय—51 रु.—श्री एस. राधाकृष्णन,

हिन्दी टंकण प्रतियोगिता

प्रथम—101 रु.—श्री पी. राजन
द्वितीय—75 रु.—श्रीमती पद्मा पिल्लै
तृतीय—51 रु.—श्री एस. राधाकृष्णन

हिन्दी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता

प्रथम —101 रु.—श्री जी. एम. पिल्लै
द्वितीय—75 रु.—श्री पी. राजन
तृतीय —51 रु.—कु. ए. अनुराधा
समाश्वासक—50 रु.—श्री पी.पी. बालन

समापन सम्मेलन में निदेशक तथा अधीक्षक अभियंता ने विजेयताओं को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्रों का वितरण किया। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को भी प्रमाण पत्र दिए गए ।

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तिरुवनंतपुरम

समिति के तत्वाधान में 27 अक्तूबर, 1989 को सदस्य बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से हिंदी दिवस समारोह मनाया गया । समारोह केनरा बैंक, अंचल कार्यालय परिसर में सम्पन्न हुआ । समारोह की अध्यक्षता केनरा बैंक के उपमहाप्रबंधक श्री ए. एम. प्रभु ने की, जो समिति के भी अध्यक्ष हैं । अवकाश प्राप्त प्रो. चंद्रशेखरन नायर ने मुख्य अतिथि का आसन ग्रहण किया । इस अवसर पर अन्य बैंकों के कार्यपालक एवं अधिकारीगण भी मौजूद थे ।

समारोह केनरा बैंक की श्रीमती पूर्णिमा राधाकृष्णन के प्रार्थनागीत से प्रारंभ हुआ । तत्पश्चात् केनरा बैंक के ही मंडल प्रबंधक श्री बी. गणपति ने अध्यक्ष तथा मुख्य अतिथि सहित सभी उपस्थित सज्जनों का समिति की ओर से हार्दिक स्वागत किया ।

स्वागतोपरांत सुगम संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसमें विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों ने अपनी कला के प्रदर्शन से समा बांध दिया । संगीत की स्वरलहरियों में तन्द्रालस संभासद् को चेतन किया मुख्य अतिथि के भाषण ने । अत्यंत सरल एवं सहज भाषा में उन्होंने सभी से जीवन में हिंदी अपनाने की आपील की ।

भाषण के उपरान्त मुख्य अतिथि ने विभिन्न प्रतियोगिताओं को पुरस्कार प्रदान करके प्रतियोगियों का मनोबल बढ़ाया ।

उक्त समिति ने सदस्य बैंकों को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए की गई सेवाओं को मान्यता देने के निमित्त इस वर्ष "राजभाषा रोलिंग शील्ड योजना" प्रारंभ की है। यह योजना केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित है । इसके अंतर्गत हर वर्ष नगर स्थित सदस्य बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों तथा शाखाओं को

अलग-अलग प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 1988 के लिए इस योजना के अंतर्गत विजेताओं को श्री ए. एम. प्रभु ने ट्रॉफियां प्रदान की।

अध्यक्षीय भाषण के दौरान श्री प्रभु ने समिति की गतिविधियों पर प्रसन्नता व्यक्त की और सदस्यों से मिलने वाले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

श्री सोहन लाल, हिंदी अधिकारी, केनरा बैंक एवं सचिव, ने समिति की ओर से सबके प्रति आभार प्रदर्शित किया।

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, गोवा

समाहर्तालय द्वारा दिनांक 19-9-89 को हिन्दी दिवस का आयोजन, गोवा चेम्बर्स आफ कामर्स एवं इंडस्ट्रीज पणजी (गोवा) के सम्मेलन कक्ष में हुआ। इस अवसर पर गोवा राज्य के पुलिस महानिरीक्षक श्री आर. के. शर्मा (आई० पी. एस.) मुख्य अतिथि थे तथा गोवा विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष श्री अरविन्द पाण्डेय एवं राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई के सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) श्री जयप्रकाश प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित थे।

कार्यक्रम का प्रारम्भ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके किया। उसके बाद सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपर समाहर्ता श्री आर. सुन्दर रामन ने अतिथियों आदि का स्वागत किया। स्वागत भाषण में अपर समाहर्ता ने कहा कि चूंकि एक भाषा के कार्यान्वयन का प्रश्न है अतः यह बहुत जरूरी है कि सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रचार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। प्रमुख वक्ता श्री पाण्डेय तथा श्री जयप्रकाश ने भी विचार प्रस्तुत किए।

श्री जयप्रकाश ने सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार की अन्य नीतियों से राजभाषा नीति काफी उदार है और इस उदारता के तहत हमारा कर्त्तव्य है कि इस नीति के कार्यान्वयन में हम अपना पूरा-पूरा सहयोग दें।

प्रमुख वक्ताओं के भाषण के बाद समाहर्तालय के कर्मचारियों के लिए वाक् प्रतियोगिता की गई। प्रतियोगिता में तीन कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिन्दी दिवस के आयोजन के संबंध में निबन्ध प्रतियोगिता तथा लेखन प्रतियोगिता दिनांक 29-8-89 को की जा चुकी थी।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि ने अनेक कर्मचारियों को पुरस्कार दिए तथा जिन्होंने हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहन योजना तथा हिन्दी दिवस के उपलब्ध में आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किए थे। पुरस्कृत कर्मचारियों का विवरण निम्नलिखित है :—

कर्मचारियों का नाम	पद	राशि
1. हिन्दी में काम करने के लिए नकद पुरस्कार		
श्रीमती कविता के. नाईक	वरिष्ठ लेखा	रु. 400/–
श्री अन्थोनी फर्नान्डिस	अवर श्रेणी लिपिक	रु. 300/–
श्री राजेन्द्र नाईक	अवर श्रणी लिपिक	रु. 200/–
1. हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता :		
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	रेडियो टेक्निशियन	रु. 100/–
श्री दिलीप सावंत	सिपाही	रु. 75/–
श्रीमती प्रज्ञा मातोंडकर	निरीक्षक	रु. 50/–
3. हिन्दी लेखन प्रतियोगिता :		
श्रीमती शांता सु. नाईक	प्रवर श्रेणी लिपिक	रु. 100/–
श्री दिलीप सावंत	सिपाही	रु. 75/–
कु. मारी सायोनारा फेराव	महिला शोधक	रु. 50/–
4. हिन्दी वाक् प्रतियोगिता		
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	रेडियो टेक्निशियन	रु. 100/–
श्रीमती शांता सु. नाईक	प्रवर श्रेणी लिपिक	75/–
श्री एम. एस. खान	अवर श्रेणी लिपिक	रु. 50/–

मुख्य अतिथि ने अपने अनुभव के आधार पर इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कामकाज में प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को हूबहु हिन्दी में प्रयोग करने से हिन्दी के काम काज में काफी बढ़ोतरी मिल सकती है। अन्त में उन्होंने स्वरचित कुछ कबिताएं हिन्दी में सुनाई जिन्हें उपस्थित जनसमूह ने काफी पसन्द किया।

समाहर्ता (मुख्या०) श्री आर. जी. नागवेंकर ने धन्यवाद दिया।

आकाशवाणी, धारवाड़

14 सितम्बर, 1989 को केन्द्र/कार्यालय में हिन्दी दिवस कार्यक्रम, अधीक्षक अभियंता श्री के. तांडवसायी की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ। मुख्य अतिथि किटल आर्टस कालेज, धारवाड में हिन्दी विभाग की रीडर श्रीमती पुष्पमालती पाण्डेय थीं।

कार्यक्रम का शुभारंभ स्टाफ आर्टिस्ट श्री डी. कुमार दास ने सरस्वती वन्दना से किया। मुख्य अतिथि के सम्मान में स्वागत भाषण देते हुए केन्द्र निदेशक श्री सी. राजगोपाल ने राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत संघ की राजभाषा हिन्दी बन चुकी है।

हम सभी लोगों को, इसके प्रावधानों अधिनियमों/नियमों का पालन बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की हिन्दी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज स्थिति ऐसी हैं कि दक्षिण में लोग हिन्दी को बहुत ही अच्छी तरह से समझने लगे हैं, जानने लगे है और प्रयोग करने एवं सीखने लगे हैं।

श्रीमती पाण्डेय ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूर्व से पश्चिम तक हमारा भारत विविधताओं का देश है। परन्तु हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश में फिर भी अनेकता में एकता है।

श्री हर्ष मोहन सिंह, हिन्दी अनुवादक ने हिन्दी दिवस पर भूतपूर्व उपराष्ट्रपति माननीय श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती का शुभ कामना सन्देश सुनाया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी में काव्य पाठ, हास्य रस की कविताएं, भाषण गजल, भजन, एवं देशभक्ति गीत इत्यादि प्रस्तुत किए गए।

हिन्दी निबन्ध तथा राजभाषा ज्ञान परीक्षा प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व अध्यक्ष श्री के. तांडवसायी तथा मुख्य अतिथि ने विजेताओं को पुरस्कार दिए :—

निबन्ध लेखन

प्रथम पुरस्कार	100/– रु.	श्रीमती उमा कुलकर्णी
द्वितीय पुरस्कार	75/– रु.	श्रीमती के. गौरी
तृतीय पुरस्कार	50/– रु.	श्री राजेश्वर त्यागी सहा. अभि. (विद्युत) विविल निर्माण स्कन्ध

राजभाषा ज्ञान परीक्षा

प्रथम पुरस्कार	100/– रु.	श्री एस. आर. राठोड़, आशुलिपिक
द्वितीय पुरस्कार	75/– रु.	श्री एम. आर. कोण्णूर, आशुलिपिक
तृतीय पुरस्कार	50/– रु.	श्री चामराज बंगी, समाचार वाचक

मई सत्र के लिए आयोजित हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा में 55% से अधिक अंक लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को निम्न प्रकार से नकद पुरस्कार भी दिए गए।

श्री ख. गु. नाडगीर	प्र.अ. 64%	200/– रुपये का नकद पुरस्कार	
श्री जामराज बंगी,	न्यूजरीडर 62%	200/– रुपये	"
श्री एम. आर. कोण्णुर	स्टेनो 61%	200/– रुपये	"
श्री के. आर. प्रहलाद	स. स. सम्पा. 56%	100/– रुपये का नगद पुरस्कार	

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पुणे

भारतीय सर्वेक्षण विभाग पुणे के दल संख्या 31 में सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम का प्रारंभ 10 नवम्बर, 1989 को "हिन्दी निबंध प्रतियोगिता" से हुआ। दोनों स्थानीय दलों (दल संख्या 31 एवं 52) अधिकारियों और कर्मचारियों से किसी एक विषय पर हिन्दी में अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया :— 1. राष्ट्रीय एकता में हिन्दी का योगदान 2. राजभाषा के रूप में हिन्दी का उपयोग 3. सामान्य जीवन में हिन्दी का उपयोग

निबन्ध प्रतियोगिता की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच डाक्टर (श्रीमती) अंशुमति दुनाखे, सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह-मंत्रालय द्वारा की गई।

मुख्य रूप से आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले, अपेक्षाकृत कम शैक्षिणिक योग्यता वाले "घ" वर्ग के कर्मचारियों के लिए सरल हिन्दी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें "श्रुत लेखन" हुआ और प्रतियोगियों से एक प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा गया। बहुत कम स्कूली शिक्षा के बावजूद सबने बहुत अच्छा लिखा।

तकनीकी कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषय वस्तुओं को प्रदर्शित करते हुए एक सुन्दर विषय प्रमुख मानचित्र बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रतियोगियों को इतने अल्प समय में अपने नवीनतम विचार और कुशलता प्रदर्शित करने और इतने अल्प समय में हिन्दी में एक अच्छा मानचित्रक कार्य करने में अति उत्साही पाया गया।

लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के लिए हिन्दी टंकण में अपनी कुशलता प्रदर्शित करने के लिए हिन्दी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

अंतिम दिन दल संख्या 31 के हाल में एक भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें दोनों यूनिटों के सदस्यों के अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में अन्य विभागों के निमंत्रित व्यक्तियों ने भी भाग लिया। डाक्टर नागेन्द्रनाथ पाण्डेय, संयुक्त निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, बम्बई ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

डाक्टर (श्रीमती) दुनाखे, सहायक निदेशक ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हिन्दी के प्रशिक्षण पर बल दिया जिससे हिन्दी का प्रयोग कर कर्मचारी आर्थिक लाभ भी उठा सकें।

मुख्य अतिथि डा. पाण्डेय ने पुरस्कार वितरण किया।

आयकर विभाग पुणे

हिन्दी सप्ताह में राजभाषा हिन्दी में कामकाज की प्रगति के अवलोकन के लिए निरीक्षण–एक सराहनीय कदम

आयकर विभाग में 14 से 21 सितम्बर, 89 तक "हिन्दी सप्ताह" का उद्घाटन 14 सितम्बर, 89 को श्री वि. ह. गांगल, मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे ने किया। इनके अतिरिक्त आयकर आयुक्त, श्री सी. वी. गप्ते भी समारोह में अपस्थित थे।

समारोह का शुभारम्भ करते हुए संयोजक श्री धर्मचन्द शर्मा के स्वागत भाषण के पश्चात हिन्दी श्री आर. डी. महाडेश्वर, आयकर आयुक्त ने मुख्य अतिथि श्री वि. ह. गांगल का स्वागत किया।

श्री सी. वी. गुप्ते, आयकर आयुक्त ने अनुरोध किया कि प्रशासन अनुभागों/लेखा अनुभागों में निर्धारित हिन्दी प्रोफार्मों का ही प्रयोग करें।

श्री वि. ह. गांगल, मुख्य आयकर आयुक्त ने आग्रह किया कि सरकारी काम अधिक से अधिक हिन्दी में ही करने की आदत डालें एवं राजभाषा की प्रगति में अपना सहयोग दें।

तत्पश्चात् श्री आर. डी. महाडेश्वर, आयकर आयुक्त (अपील–2) ने इस सप्ताह के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की अधिकारियों से अपील की।

इसके पश्चात् हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 40 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रम

15 सितम्बर, 1989 को हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयकर उप-आयुक्त कार्यालयों के ग्रुपों के आधार पर की गई तथा इसमें आयकर उप-निदेशक (अन्व.) के ग्रुप ने प्रथम तथा आयकर उप आयुक्त रेंज–5 एवं उप-आयुक्त रेंज–2 ने क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त दो 60/–, 60/– रुपये के प्रोत्साहन क्रमशः उप-आयुक्त रेंज–1 तथा मुख्य आयुक्त/आयुक्त कार्यालय के ग्रुपों को दिए गए।

18 सितम्बर, 89 से 20 सितम्बर 89 तक आयकर विभाग के पुणे स्थित सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया जिसमें कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया गया एवं टिप्पण एवं आलेखन के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं दो प्रोत्साहन पुरस्कार कर्मचारियों द्वारा अप्रैल 89 से सितम्बर, 89 तक उनके द्वारा लिखे गये शब्दों के आधार पर दिए गए।

21 सितम्बर, 89 को एक वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका विषय था "भारतीय पारिवारिक व्यवस्था, पाश्चात्य पारिवारिक व्यवस्था से कहीं अधिक सुदृढ़ एवं मजबूत है" के लिए भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं दो प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए।

हिन्दी सप्ताह समापन समारोह

हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह 20 अक्तूबर, 89 को आयकर भवन के क्लब रूप में किया गया। इस अवसर पर एक अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

समापन समारोह में श्री वि. ह. गांगल, मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे मुख्य अतिथि थे तथा इनके अतिरिक्त श्री के. के. गुप्ता एवं श्री आर. के. राय, आयकर उप आयुक्त एवं श्री अंजनी कुमार, राजभाषा अधिकारी भी समारोह में उपस्थित थे।

श्री वि. ह. गांगल ने **कहा कि हमें अपना कार्यालय का कार्य पूर्ण रूप से हिन्दी में ही करने का प्रयास करना चाहिए** खासतौर पर प्रशासन एवं लेखा अनुभागों का दैनिक कार्य तो हम आसानी से हिन्दी में कर ही सकते हैं क्योंकि सभी प्रकार के प्रोफार्मों एवं रबर की मोहरें आदि हिन्दी में बनी हुई हैं।

मुख्य आयुक्त ने विजताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिए।

अपना कार्यालय का कार्य पूर्ण रूप से हिन्दी में ही करने का प्रयास करना चाहिए।

—श्री वि. ह. गांगल

केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर

डिपो राजभाषा कार्यान्वयन समिति व केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के सम्मिलित प्रयासों से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी केन्द्रीय आयुध डिपो कानपुर में राजभाषा हिन्दी के उत्थान एवं प्रचार प्रसार हेतु दिनांक 14 सितम्बर, 89 को हिन्दी दिवस समारोह मनाया गया।

स्मारिका जनवाणी का विमोचन व पुरस्कार वितरण

मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर ओम प्रकाश अस्थाना-कमाण्डेंट सी. ओ. डी. कानपुर ने इस अवसर पर संस्थान द्वारा प्रकाशित स्मारिका "जनवाणी" का विमोचन किया तथा डिपो व केन्द्र स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कारों व प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया। समारोह डिपो परिसर में ही हुआ। डिपो के सभी सैनिक व असैनिक अधिकारीगण तथा कमचारी उपस्थित थे।

स्मारिका जनवाणी के विमोचन के पश्चात् केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के मंत्री श्री राधेश्याम गुप्त "अग्रहरि" ने राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु भारत सरकार एवं

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन परिषद के उप प्रधान श्री करूणेश कुमार मिश्र ने किया।

इस अवसर पर एक "रंगारंग कवि सम्मेलन" का भी आयोजन किया गया जिसमें हिन्दी के साहित्यकार श्री देवी प्रसाद शुक्ल "राही" के अतिरिक्त नगर के कवि श्री सुरेश अवस्थी, श्री मृदुल तिवारी, डॉ. सुमति वेंकटरमण, कु. अंजनी सरीन ने भाग लिया। संस्थान की प्रतिभाओं में श्री चन्द्रमोहन पाण्डेय, श्री प्यारेलाल श्रीवास्तव, "सरल" श्री ए. आर. सरकार, श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव व मो. सलीम (शायर) ने अपनी अपनी सरल व भावपूर्ण कविता पाठ किया।

मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर अस्थाना ने कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए संकल्प लिया कि वह अपने डिपो में सभी को हिन्दी का ज्ञान कराएंगे तथा किसी भी कर्मचारी को निरक्षर नहीं रहने देगें।

पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल

भोपाल में अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी में कार्य करने की गति प्रदान करने के उद्देश्य से 14-9-89 से 21-9-89 तक हिन्दी सप्ताह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अवधि में अनेक कार्यक्रम भी किए गए जिनमें निबन्ध, कविता और वाद विवाद प्रतियोगिताएं प्रमुख हैं। विजेताओं को प्रशंसा स्वरुप प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार के रूप में हिन्दी साहित्य की पुस्तकें दी गई। ये पुरस्कार कार्यालयाध्यक्ष श्री इर्विन कुमार ने वितरित किए।

हिन्दी सप्ताह समारोह के दौरान ही 1988–89 में हिन्दी में अधिकतम कार्य करने के लिए तीन कर्मचारियों को 400 रुपये (2 पुरस्कार) और 200 रुपये (एक पुरस्कार) देकर सम्मानित किया गया।

दूरसंचार विभाग, जयपुर

दूरसंचार विभाग के सभी कार्यालयों में 14 सितम्बर, 1989 को "हिन्दी दिवस" बड़े उत्साह के साथ मनाया गया और उसके साथ ही 14 से 20-9-89 तक मनाए जाने वाले "हिन्दी सप्ताह" का भी शुभारम्भ किया गया। हिन्दी सप्ताह प्रारम्भ होने से पूर्व 11 सितम्बर, 1989 को श्री जगत प्रकाश गर्ग, मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार, राजस्थान परिमण्डल, जयपुर की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सरकारी काम काज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के उद्देश्य से एक अपील जारी की गई।

श्री जगत प्रकाश गर्ग, मुख्य महाप्रबन्धक, दूरसंचार, राजस्थान परिमंडल जयपुर ने 14 सितम्बर, 1989 को "हिन्दी सप्ताह" का उदघाटन किया। श्री गर्ग ने बताया कि भाषा मानव विचारों के सम्प्रेषण का सशक्त माध्यम है, अतः वह सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए।

समारोह के अध्यक्ष श्री अवधेश नन्दन प्रसाद, महाप्रबन्धक (विकास) ने हिन्दी में काम करने को सरल बताया और साथ ही भाषा की दुरूहता से बचने का आग्रह किया। श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, महाप्रबन्धक दूरसंचार जिला, जयपुर ने हिन्दी विशेषज्ञों की शुद्ध और क्लिष्ट भाषा के प्रति अत्यधिक अभिरूचि को ही हिन्दी की मन्थर प्रगति का मुख्य कारण बताया। श्री जुगल किशोर गुप्ता, उप-महाप्रबन्धक (प्रचालन) राजस्थान परिमण्डल ने हिन्दी की सरलता और व्यापकता का उल्लेख करते हुए मूल पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने का अनुरोध किया।

उदघाटन समारोह के प्रारम्भ में श्री अशोक भण्डारी उप-महाप्रबन्धक दरसंचार जिला जयपुर ने सबका स्वागत किया और तदनन्तर डा० भरत सिह वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी ने राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल में हिन्दी प्रगति की स्थिति और सरकार की भाषा नीति से अवगत कराते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रचलित प्रोत्साहन योजनाओं पर प्रकाश डाला। श्री मनचन्दा निदेशक दूरसंचार तथा श्री शिवसिंह भदौरिया, हिन्दी अधिकारी ने भी इस अवसर पर विचार व्यक्त किए। श्री एस. के. भटट ने सरस्वती वन्दना और श्री सत्यप्रिय नागर, हिन्दी अधिकारी ने समारोह का संचालन किया। अन्त में श्री अशोक भंडारी, उप महाप्रबन्धक ने सभी आमंत्रित अतिथियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।

"हिन्दी सप्ताह" के दौरान 15 और 18 सितम्बर, 1989 को विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

15 सितम्बर, 1989 को दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

(1) निबन्ध प्रतियोगिता

इस प्रतियोगिता में जयपुर स्थित विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों ने भाग लिया। निबन्ध का विषय था—"स्वतन्त्रता के पश्चात् राजस्थान में दूरसंचार सेवाओं का विकास" इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को दो समूहों में विभक्त किया गया और जिनमें निम्नलिखित कर्मचारी विजयी रहे।

समूह 'क' कार्यालय, महाप्रबंधक जिला दूरसंचार

श्री राम किशोर राय, पर्यवेक्षक	प्रथम
श्री नन्दलाल गुर्जर, कार्यालय सहायक	द्वितीय
श्री मदन लाल शर्मा, दूरसंचार प्रचालक	तृतीय

समूह 'ख' कार्यालय, मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार तथा अन्य कार्यालय

श्री दिनेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ दूर. अधि.	प्रथम
श्री नरेन्द्र कुमार गुर्जर, कनिष्ठ लिपिक	द्वितीय
श्री छीतर सिंह, कनिष्ठ दूर. अधि.	तृतीय

(2) टिप्पण और मसौदा लेखन प्रतियोगिता

इस प्रतियोगिता का आयोजन भी 15-9-1989 को किया गया । प्रतियोगियों को तीन समूहों में विभाजित कर निम्न प्रकार स्थान प्रदान किए गए :

समूह 'क' कार्यालय, महाप्रबन्धक दूरसंचार जिला, जयपुर

श्री महेश कुमार गुप्ता	प्रथम
श्री नन्द लाल गुर्जर	द्वितीय
श्री मदन लाल शर्मा	तृतीय

समूह 'ख' कार्यालय, मुख्य महाप्रबंधक दूर संचार एवं निदेशक दूरसंचार (पूर्व), जयपुर

श्री एस. पी. यादव	प्रथम
श्री नवल किशोर गुप्ता	द्वितीय
श्री अतुल कुमार सक्सेना	तृतीय

समूह "ग" केन्द्रीय तार घर तथा अन्य कार्यालय

श्री रामगोपाल गुप्ता	प्रथम
श्री गुलाब चन्द	द्वितीय
श्री ज्ञान चन्द जैन	तृतीय

दिनांक 18-9-1989 को "वाद-विवाद", "हिन्दी टंकण" और "हिन्दी आशुलिपि" प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । "वाद विवाद प्रतियोगिता" का विषय था—"टैलीफोन प्रचालक के कार्य में महिलाएं अधिक सफल हैं ।"

वाद विवाद प्रतियोगिता" के प्रतियोगियों को दो समूहों में विभक्त किया गया ।

समूह 'क' कार्यालय, महाप्रबन्धक दूरसंचार जिला, जयपुर

श्रीमती कृष्णा मंगल	प्रथम
श्रीमती रजनी विनीत	द्वितीय
श्री मदन लाल शर्मा	तृतीय

समूह "ख" कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार तथा अन्य कार्यालय :

श्री दिनेश कुमार शर्मा	प्रथम
श्री चतुर्भुज शर्मा	द्वितीय
श्री गुलाब चन्द	तृतीय

(3) "हिन्दी टंकण प्रतियोगिता"

समूह 'क' हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी

श्री एस. के. लख्यानी, अंग्रेजी आशुलिपिक	प्रथम
श्री राजीव बैंजल, अवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय
श्री रामजीलाल माली, उच्च श्रेणी लिपिक	तृतीय

समूह 'ख' नियमित हिन्दी टाइपिस्ट

श्री गोपाल लाल तंवर, हिन्दी टाइपिस्ट	प्रथम
श्री ब्रह्मस्वरूप वर्मा, हिन्दी टाइपिस्ट	द्वितीय
श्री श्याम बाबू, हिन्दी टाइपिस्ट	तृतीय

बैंक

कार्पोरेशन बैंक, हुबली

क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा कक्ष द्वारा हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया । गत चार वर्षों की भांति इस वर्ष भी हिन्दी दिवस स्मारिका "चन्दन 1989" प्रकाशित की गई जिसमें (1) राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन—बैंक की शाखाओं के संदर्भ में (2) बैंकों के राष्ट्रीयकरण का योगदान (3) हिन्दी के बारे में "नेहरू जी के विचार" आदि महत्वपूर्ण लेख शामिल किए गए हैं ।

क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन 56 शाखाओं, मुद्रा पेटिका तथा क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली के कर्मचारियों के लिए हिन्दी निबन्ध, अनुवाद, हिन्दी भाषण, हिन्दी गायन आदि विविध प्रकार की 13 प्रतियोगिताएं तथा स्थानीय अंतर प्रौढ़ शाला, अंतर महाविद्यालय, अंतर विभागीय विश्व (विद्यालय), अंतर बैंक, अंतर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के लिए—छः विविध प्रकार की हिन्दी प्रतियोगिताओं में प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त विजेताओं को आकर्षक ट्राफियां तथा प्रमाण-पत्र वितरित किए गए ।

स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, धारवाड़ के अध्यक्ष, डा. चन्दूलाल दूबे ने हिन्दी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देते हुए भारत की आजादी में हिन्दी का योगदान की चर्चा करते हुए राष्ट्रीय एकता में हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डाला । प्राचार्य पारसमल जैन ने "चन्दन 1989" का विमोचन करते हुए स्मारिका के लेखों की विशेषता के साथ-साथ कर्नाटक राज्य में हिन्दी के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका की प्रशंसा की ।

यूनाइटड बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय, कलकत्ता द्वारा सितम्बर, 1989 माह में हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया । यह कार्यक्रम दिनांक 8-9-1989 से आरम्भ हुआ एवम् निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया एवम् अधोलिखित प्रतियोगिताओं के सामने उल्लिखित प्रतियोगियों ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया :

प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कृत प्रतियोगी	
	अहिन्दी भाषी	हिन्दी भाषी
(1) हिन्दी आशुभाषण नेहरू सौ साल बाद	1. श्री मनोज कु. सरकार 2. श्री शिवनाथ चक्रवर्ती 3. सूश्री शिप्रा बसू	1. श्री जय शंकर तिवारी 2. शिव प्रकाश 3.

(2) हिन्दी वाद विवाद भारतीय कृषि का औद्योगिकरण तत्काल आवश्यक है।	1. श्री प्रदीप कु. घोष 2. श्री मनोज कु. सरकार 3. श्री शिवनाथ चक्रवर्ती	1. श्री एन. के. पी. सिन्हा 2. श्री जय शंकर तिवारी 3. श्री जु. पी. कश्यप
(3) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता जमा संग्रहण बैंक के काम-काज में हिन्दी देश का आर्थिक विकास–बैंकों का योग-दान	1.दुलाल चक्रवर्ती 2. सुश्री शिप्रा बसू 3. श्री शिवनाथ चक्रवर्ती	1. श्री एन के. पी. सिन्हा 2. श्री जय शंकर तिवारी 3. श्री शिव प्रकाश

(4) स्वरचित कविता पाठ

1. सुश्री छवि] विश्वास
2. श्री राजश] सिन्हा
3. श्री स्वत्न] चक्रवर्ती

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के पुरस्कार एवम् प्रमाणपत्र वितरण दिनांक 23 सितम्बर, 1989 को हिन्दी सांस्कृतिक संध्या के आयोजन के अवसर पर किया गया। सहायक महाप्रबंधक श्री अशोक बनर्जी ने राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला एवम् बैंक कर्मचारियों ने श्री मनोज मित्र द्वारा लिखित एवम् श्री शुभेन्दु मुखर्जी द्वारा निर्देशित "परवास" नाटक के हिन्दी रूपांतर का मंचन किया।

केनरा बैंक

अंचल कार्यालय, बम्बई

दिनांक 26 सितम्बर, 1989 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि "जनसत्ता हिंदी" बम्बई के संपादक श्री राहुलदेव थे तथा समारोह की अध्यक्षता अंचल कार्यालय, बम्बई के सहायक महाप्रबन्धक श्री पी. एम. पै ने की। इस अवसर पर अंचल कार्यालय बम्बई के सहायक महाप्रबन्धक बी. एम. रामचंद्र तथा अन्य सभी कार्यपालक अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित थे। बम्बई स्थित अन्य बैंकों के राजभाषा अधिकारियों तथा मंडल कार्यालय, बम्बई, मंडल कार्यालय थाना तथा अन्य बड़ी/बहुत बड़ी शाखाओं के कार्यपालकों तथा कर्मचारियों ने बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर समारोह को भव्यता एवं गरिमा प्रदान की।

समारोह का प्रारम्भ फोर्ट शाखा की सुश्री प्रतिमा मरफटिया तथा भायखला शाखा की सुश्री रोज़लीन जान द्वारा प्रस्तुत मधुर सरस्वती वंदना से हुआ।

सहायक महाप्रबन्धक श्री पी. एम. पै ने उत्साहवर्धक एवं प्रेरणा पूर्वक अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में केनरा बैंक की अनुपम उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि ने कहा कि जब तक अंग्रेजी के प्रति हमारा झूठा मोह नहीं छूटेगा तब तक भारतीय भाषाओं का प्रचलन संभव नहीं है। श्री राहुल ने कहा कि झगड़ा अंग्रेजी और हिन्दी का नहीं है, वरन् अंग्रेजी एवं समग्र भारतीय भाषाओं का है और इसके लिए भारत के समस्त लोगों को मिलकर प्रयत्न करना होगा।

समारोह के अवसर पर एक देशभक्त गीत—"हमको अभिमान देश का ——" श्री पीयूष शाह, श्री श्रीकान्त मुलूमदार, तथा व्ही. गंगाधार, श्री भरत कुमार राठौड़, श्री आर. एम. नाहर ने प्रस्तुत किया। श्री हंसवाडकर ने भजन से सुमधुर भक्ति रस की वर्षा की तथा श्री वी. गंगाधरण ने मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

पांच प्रतियोगिताओं यथा—हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता, राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता, अनुवाद प्रतियोगिता, हिंदी आशुलेखन प्रतियोगिता तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर किया गया। सभी पुरस्कार विजेताओं को समारोह अध्यक्ष श्री पी. एम. पै ने पुरस्कार दिए। इसके अतिरिक्त वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत दि. 27-5-89 को आयोजित हिंदी आशु निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा दि. 28-6-89 को आयोजित हिंदी आशुभाषण प्रतियोगिता के भी पुरस्कार विजेताओं को अध्यक्ष श्री पी. एम. पै ने पुरस्कार दिए।

केनरा बैंक राजभाषा अक्षय योजना—1988 के अंतर्गत प्रदत्त ट्राफियों का प्रदर्शन भी किया गया। मंडल कार्यालय पुणे के राजभाषा सम्पर्क अधिकारी ने बम्बई अंचल के सर्वश्रेष्ठ मंडल तथा श्री एम. पी. किणि, प्रबन्धक, कर्मचारी अनु. (अधिकारी) ने अं. का. के सर्वश्रेष्ठ अनुभाग के प्रदत्त ट्राफी मुख्य अतिथि श्री राहुल देव से प्राप्त की।

कार्पोरेशन बैंक

आंचलिक कार्यालय, बम्बई

कार्पोरेशन बैंक, बंबई द्वारा हिन्दी पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं की गई, जिनमें कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया।

दि. 14-09-89 को निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

दि. 15-09-89 को "बैंकों में द्विभाषिक इलैक्ट्रानिक सुविधाएं व उनका भविष्य" विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया ।

प्रतियोगिता के अगले चरण में दि. 16-09-89 को "शुद्ध एवं सुन्दर लेखन" तथा दि. 19-09-89 को भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

दि. 20-09-89 को गोरेगांव शाखा में कार्यरत कर्मचारियों हेतु विशेष बैठक का आयोजन किया गया ।

प्रतियोगिता के इस क्रम में दि. 21-09-89 को "राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों में हिन्दी की स्थिति" विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया । जिस में आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया ।

दि. 21-09-89 से 28-09-89 तक सभी शाखाओं में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में किया गया ।

हिन्दी पखवाड़े के अंतिम चरण में नरीमन पाइंट स्थित शाखा में दि. 28-9-89 को मुख्य समारोह का आयोजन श्री एन. सुरेश पई, मुख्य प्रबंधक, फोर्ट शाखा की अध्यक्षता में किया गया । मुख्य समारोह में सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। धन्यवाद ज्ञापन आंचलिक कार्यालय के प्रभारी राजभाषा अधिकारी श्री जयन्तीप्रसाद नौटियाल ने किया ।

केनरा बैंक

मंडल कार्यालय, करनाल

15 अगस्त, 1989 से 14 सितम्बर, 1989 तक हिन्दी मास का आयोजन मंडल स्तर पर सभी शाखाओं में किया गया । इस दौरान हिन्दी में कार्य का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से शाखाओं में हिन्दी में मूल-पत्राचार बढ़ाने पर बल दिया गया । हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन 5 नगरों में किया गया:—

1. अम्बाला

समारोह में अम्बाला छावनी, अम्बाला शहर तथा पंजोखड़ा की शाखाओं के कर्मचारियों ने भाग लिया । श्री आर. एन. शास्त्री प्रिंसीपल, सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, अम्बाला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए । सात प्रतियोगियों ने वाक्स्पर्धा प्रतियोगिता में भाग लिया । निम्नलिखित कर्मचारी प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे :—

श्री के. एल. मलिक, अम्बाला छावनी शाखा	—प्रथम
श्री आर. एन. प्रसाद, पंजोखेड़ा शाखा	—द्वितीय
श्री विनोद झांगड़ा, अम्बाला छावनी शाखा	—तृतीय

श्री आर. एन. शास्त्री ने केनरा बैंक की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें अंग्रेजी के प्रति मोह त्याग कर हिन्दी में कार्य करने को अपना गौरव समझना चाहिए ।

(2) करनाल

हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन दिनांक 14 सितम्बर, 1989 को किया गया । श्री नन्द लाल कालड़ा, उपायुक्त आयकर विभाग करनाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए । सर्वप्रथम श्री एम. आर. रामनन्दन मंडल प्रबन्धक ने सभी का स्वागत कर हिन्दी वाक्स्पर्धा प्रतियोगिता के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि श्री कालड़ा को सरस्वती दीप प्रज्वलित करने के लिए अनुरोध किया । कुमारी अरूपा ने सरस्वती वन्दना की । श्री एस. के. तुली राजभाषा अधिकारी ने केनरा बैंक की राजभाषा के क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र किया ।

हिन्दी वाक्स्पर्धा में निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त हुए:—

श्री के. सी. शर्मा	—प्रथम
श्री वी. एस. शानभाग	—द्वितीय
श्री नारयणन आर. वाई श्री आर. एम. सिंगला	—तृतीय

कुमारी सुलेखा, कुमारी अरुणा, श्री एस. एस. चड्डा तथा श्री वी. एस. शानभाग ने गीत, हास्य नाटिका, चुटकुले आदि प्रस्तुत किए। मंच का संचालन श्री एस. के. तुली ने किया । अन्त में श्री वी. आर. रवीन्द्रनाथ, प्रबन्धक ने धन्यवाद किया ।

(3) पानीपत

नगर तथा निकटवर्ती शाखाओं के लिए हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन पानीपत मुख्य शाखा परिसर में दिनांक 14 सितम्बर, 1989 को किया गया । इस अवसर पर आर्य महाविद्यालय पानीपत के प्रोफेसर वी. पी. मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए । श्री वी. के. गोयल ने अतिथियों का स्वागत कर समारोह को प्रारम्भ किया । इस अवसर पर हिन्दी वाक्स्पर्धा आयोजित की गई ।

निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त हुए :—

श्री जे. एल. डेरा	—प्रथम
श्री अशोक कुमार	—द्वितीय
श्री एन. जी. मुन्जाल	—तृतीय

श्री एम. विश्वनाथन, प्रबन्धक ने पुरस्कार वितरित किए तथा इसके उपरान्त मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया ।

(4) सिरसा

हिन्दी दिवस समारोह मीना बाजार शाखा परिसर में किया गया । कार्यक्रम का संचालन श्री जे. सी. गाबा, वरिष्ठ प्रबन्धक ने किया । इस अवसर पर हिन्दी वाक्स्पर्धा की गई, जिसमें निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त हुए—

श्री एस. के. जैन	—प्रथम
श्री ईश्वर चन्द वधवा	—द्वितीय
श्री रामपाल गर्ग	—तृतीय

मनोरंजन कार्यक्रम के उपरान्त समारोह का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया गया ।

(5) रोहतक

हिन्दी दिवस समारोह दिनांक 14 सितम्बर, 1989 को शाखा परिसर में किया गया । समारोह में रोहतक नगर की शाखा के अलावा नजदीकी शाखाओं के कर्मचारियों ने भी भाग लिया । इस अवसर पर हिन्दी वाक्स्पर्धा का आयोजन किया गया ।

पंजाब एंड सिन्ध बैंक,

क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

दिनांक 20-9-89 को कार्यालय परिसर में "हिन्दी सप्ताह समापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रीय हिन्दी परिषद, मेरठ के महासचिव डा. मित्रेश कुमार गुप्त मुख्य अतिथि थे तथा अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबंधक श्री मदनलाल भारद्वाज ने की ।

"हिन्दी निवन्ध प्रतियोगिता" एवं "वाद-विवाद प्रतियोगिता" समारोह का विशेष आकर्षण थीं। इन प्रतियोगिताओं में बैंक कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सफल सहभागियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए ।

राजभाषा अधिकारी श्री कुलदीप सिंह खुराना ने अपने क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में विगत वर्षो की तुलना में इस वर्ष हिन्दी के प्रयोग में काफी प्रगति हुई है ।

मख्य अतिथि डॉ. गुप्त ने उक्त प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने वाले सहभागियों को बधाई दी और हिन्दी दिवस सप्ताह की महत्ता की जानकारी दी ।

क्षेत्रीय प्रबंधक श्री भारद्वाज ने आभार प्रकट किया तथा समारोह में उपस्थित बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों से शाखा कार्यालय स्तर पर अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने की अपील की ।

हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता

श्री गरविन्द्र सिंह सचदेव	शाखा न्यू आगरा	प्रथम
श्री मनजीत सिंह मलहोत्रा	शाखा बेगम ब्रिज मेरठ	द्वितीय
श्री विवेक कुमार स्वामी	शाखा जौली (मु.नगर)	तृतीय

वाद-विवाद प्रतियोगिता

श्री जी.एस. ढींगड़ा प्रबंधक	शाखा दिल्ली रोड, मेरठ	प्रथम
श्री विनोद मांगो	क्षे. का मेरठ	द्वितीय
श्री मनजीत सिंह मलहोत्रा	शाखा बेगम ब्रिज मेरठ	तृतीय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कानपुर

दिनांक 11 से 15 सितम्तर 1989 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया । सप्ताह में सुलेख, हिन्दी टाइपिंग, प्रारुपण-टिप्पण प्रश्नमंच व भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । 11 सितम्बर 1989 को उप महाप्रबन्धक, श्री आर.जे.बेडेकर ने सभी स्टाफ सदस्यों को सम्बोधित करते हुए आग्रह किया कि वे इस सप्ताह में हिन्दी में ही प्रारुपण-टिप्पण लिखें तथा आपस में एक-दूसरे से वार्तालाप भी हिन्दी में ही करें ।

इस क्रम में सुलेख ,प्रश्न मंच प्रारम्भिक तथा हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । 12 सितम्तर को प्रारुपण-टिप्पण व शब्दावली प्रतियोगिता आयोजित की गई । 13 सितम्तर को आयोजित प्रश्न मंच का संचालन उप-महाप्रबन्धक, श्री आर.जे.बेडेकर ने किया । प्रश्नों के अभिनव चयन और कार्यक्रम के कुशल संचालन की सभी स्टाफ सदस्यों ने सराहना की ।

हिन्दी दिवस 14 सितम्तर के दिन भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई । डी.ए.वी. कालेज के प्रवक्ता डा. प्रतीक मिश्र , कर्मचारी भविष्यनिधि कार्यालय की हिन्दी अधिकारी डा. सुमति वेंकटरामन व प्रबन्धक श्री रमारमन भार्गव इस प्रतियोगिता के निर्णायक थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री आर.जे. बेडेकर ने की। प्रतियोयोगिता के परिणामों की घोषणा के बाद डा. श्रीमती वेंकटरामन ने कहा कि यह खेद की बात है कि उत्तर भारत के लोग ही हिन्दी को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं जबकि अन्य भाषा भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तेजी से अपनाई जाने लगी है ।

हिन्दी सप्ताह के अन्तिम दिन 15 सितम्तर को काव्य गोष्ठी आयोजित की गई । हिन्दी सप्ताह समारोह के अध्यक्ष श्री आर.जे.बेडेकर ने बताया कि विकास बैंक की कानपुर शाखा में 90 प्रतिशत से ज्यादा पत्राचार हिन्दी में हो रहा है। गोष्ठी की अध्यक्षता कानपुर के चर्चित समालोचक स्थानीय एस.डी. कालेज के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा. उपेन्द्र ने और संचालन विनोद तरुण ने किया ।

भारतीय स्टेट बैंक

आंचलिक कार्यालय, लखनऊ

केन्द्रीय कार्यालय द्वारा सितम्बर 1989 राजभाषा मास के रुप में घोषित किया गया था । राजभाषा मास से संबन्धित (बैनर) लगाने के लिए आदेश भेजे गए थे और काफी शाखाओं ने उनका अनुपालन भी किया । आंचलिक कार्यालय स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उनका विवरण नीचे दिया गया है :—

अनुवाद प्रतियोगिता

अनुवाद प्रतियोगिता के लिए सरकारी आदेश की पुस्तिका के एक मानक अंश को अनुवाद के रूप में प्रतियोगियों को दिया गया । इस अनुवाद अंश से दो उद्देश्यों की पूर्ति हुई प्रथम मानक अंश पर प्रतियोगियों का पर्याप्त अभ्यास, दूसरा नियमों की जानकारी होना । इस प्रतियोगिता में तीन पुरस्कार घोषित किए गए जिनमें श्रीमती नीरा श्रीवास्तव ने प्रथम, श्री अनिल तिवारी ने द्वितीय एवं सुश्री मीरा सक्सेना ने तृतीय स्थान प्राप्त किए ।

हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता

इसमें श्री कमलेश श्रीवास्तव प्रथम, प्रमोद कुमार टंडन द्वितीय एवं श्रीमती इंदु अग्रवाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किए ।

हिन्दी वाद विवाद प्रतियोगिता

हिन्दी वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय था "क्या समस्त भारतीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखने से भाषा समस्या का हल हो सकता है ? पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले समान रुप से थे । इसमें प्रथम पुरस्कार श्रीमती नीरा श्रीवास्तव, द्वितीय श्री अवनीश कुमार शर्मा एवं तृतीय श्री अतुल स्वरुप के लिए घोषित किया गया।

हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता

"बैंक में राष्ट्रीयकरण बनाम सामाजिक नियंत्रण" विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । स्टाफ सदस्यों ने काफी परिश्रम किया और अत्यन्त विचारोत्तेजक निबन्ध प्राप्त हुए । प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार श्री अनिल तिवारी तथा द्वितीय श्रीमती नीरा श्रीवास्तव तथा तृतीय श्री प्रगति कुमार के पक्ष में घोषित किया गया ।

ज्ञातव्य है कि समस्त पारितोषिक अत्यंत आकर्षक जर्मन चांदी की ट्राफियों के रूप में तैयार कराए गए थे जिनमें बैंक का प्रतीक चिन्ह (एम्बलम) और आवश्यक विवरण खुदवाया गया था ।

पद्मश्री गोरा पंत "शिवानी" सम्मान समारोह

पारितोषिक वितरण समारोह दिनांक 20 अक्तूबर 1989 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर आंचलिक कार्यालय लखनऊ ने पदमश्री गौरा पंत शिवानी का विशिष्ट सम्मान किया । यह सम्मान समारोह विशिष्ट भारतीय पद्धति में मण्डल के महाप्रबन्धक श्री आर.सी. माथुर एवं श्री पी.एल. जांगिद उप महाप्रबन्धक (लखनऊ आंचलिक कार्यालय) ने "उत्तरीय" से "शिवानी" को विभूषित किया ।

महाप्रबन्धक श्री माथुर ने कहा कि "शिवानी" जी का साहित्य जीवन मूल्यों की संरचना है और आने वाला युग उसे अपनी जीवन शैली का अंग बनाने में अपना गौरव अनुभव करेगा तथा इतिहास उसे सर्वांग रुप से उसे अपने में समाहित कर लेगा ।

उप महाप्रबन्धक श्री पी.एल. जॉगिड़ ने "शिवानी" जी के स्वागत करते हुए कहा कि शाँतिनिकेतन की तपोस्थली में शिक्षा प्राप्त करने वाली श्रीमती "शिवानी" हिन्दी का गौरव हैं और उनका सम्मान कर हम हिन्दी का सम्मान कर रहे है ।

कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री वाई.एल.बत्रा एवं के.एल. चोपड़ा प्रशासनिक सचिव श्री आर.एम.मिश्र सामान्य अनुभाग के प्रभारी श्री अखिलेश मिश्र ने भी माल्यार्पण कर "शिवानी" जी का सम्मान किया

इस कार्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की "हिन्दी स्नातकोत्तर पाठय क्रम विकास समिति के स्थायी सदस्य एवं राजभाषा अधिकारी डा. गोपी चन्द्र शुक्ल ने किया ।

पंजाब नेशनल बैंक

अंचल कार्यालय, भोपाल

पंजाब नेशनल बैंक ने अपने आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया । कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के महाप्रबंधक डा.एस सिंह ने की । मुख्य अतिथि डॉ. श्रीमती सरोज ललवानी थीं ।

कर्मचारियों को संबोधित करते हुए डॉ.एस. सिंह ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक देश भर में विशेष रुप से हिन्दी क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक हैं। हमारे कर्मचारियों को अधिकाधिक कार्य देश की राजभाषा हिन्दी में करना चाहिए ।

इस अवसर पर उन्होंने मध्यप्रदेश स्थित बैंक के समस्त कार्यालय को राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करने की घोषणा की। बैंक के समस्त कार्यालय नियम 10(4) के अंतर्गत पहले से ही अधिसूचित किए जा चुके है । बैंक के महाप्रबंधक ने घोषणा की कि आगामी वर्ष में हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारी को विशेष रुप सम्मानित किया जाएगा।

मुख्य अतिथि डॉ. श्रीमती सरोज ललवानी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बैंक द्वारा हिन्दी का सराहनीय कार्य किया जा रहा है ।

इसी अवसर पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें अंचल की 4 शाखाओं को वर्ष 1988 में सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्य निष्पादन हेतु शील्ड प्रदान की गई। इन शाखाओं के नाम इस प्रकार है :– शाखा सुनारी (भोपाल क्षेत्र)शाखा नरयावली (जबलपुर क्षेत्र) शाखा बड़गांव गूजर (इंदौर क्षेत्र) व शाखा गौंद (रायपुर क्षेत्र) । अन्य आयोजित प्रतियोगिताओं के भी 335 से भी अधिक विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए । कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण प्रबंधक श्री सुशील शर्मा ने मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय के प्रति हार्दिक आभार प्रकट किया । कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रानीशंकर प्रबंधक राजभाषा द्वारा किया गया ।

सेंट्रल बैंक आंफ इंडिया, नई दिल्ली

आंचलिक कार्यालय दिल्ली द्वारा हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन दिनांक 14-9-89 का प्यारे लाल भवन बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप श्री शम्भु दयाल पूर्व संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग तथा वर्तमान मुख्य श्रम आयुक्त "केन्द्रीय" को आमंत्रित किया गया। समारोह की अध्यक्षता दिल्ली के उप महाप्रबन्धक श्री एस गोपालकृष्णन ने की। उक्त अवसर पर केन्द्रीय कार्यालय से श्री रवि तिवारी मुख्य प्रबन्धक (राजभाषा) विशेष रूप से इस समारोह में विशेष अतिथि के रूप म आमंत्रित किये गए। दिल्ली की सभी शाखाओं के कर्मचारियों ने इस समारोह में भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्री शम्भु दयाल ने दीप जलाकर किया। मुख्य अतिथि के स्वागत में श्री एस. गोपालकृष्णन उप महाप्रबन्धक ने कहा कि यह बैंक के लिये हर्ष की बात है कि श्री शम्भु दयाल जैसे योग्य तथा हिन्दी में रुचि रखने वाले भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी पधारे हैं। उन्होंने अपनी ओर से तथा दिल्ली अंचल की ओर से श्री शम्भु दयाल का स्वागत किया तथा दिल्ली आंचलिक कार्यालय द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। **इस अवसर पर उन्होंने घोषित किया कि अब दिल्ली अंचल की जो भी नई शाखाएं खोली जायेंगी उन्हें शुरू से आदेश दिए जाएंगे कि वे अपना सारा कार्य हिन्दी में करें**। इस समय कुल 143 शाखाओं में से 94 शाखाओं को हिन्दी में काम करने के लिये नामित किया गया है जिसमें दिल्ली महानगर की भी कुछ शाखाएं हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस तरह के समारोह से निश्चय ही हिन्दी कार्य करने के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ेगी तथा वे अपना पूरा काम हिन्दी में कर सकेंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों को आंचलिक कार्यालय से पूरी सहायता दी जाएगी।

श्री रवि तिवारी मुख्यप्रबंधक ने अपने सम्बोधन में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबध में जानकारी दी तथा बैंक की उपलब्धियों के बारे में बताया कि वर्ष 1988-89 बैंक के लिए पुरस्कारों का वर्ष रहा, जिस दौरान बैंक के कई अंचलों/क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया एवं उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री एस. गोपालकृष्णन के नेतृत्व में दिल्ली अंचल सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में और अधिक सफलता प्राप्त करेगा।

श्री शम्भु दयाल ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अग्रणी रहा है तथा बैंकिंग उद्योग को एक दिशा दी है। उन्होने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से निवेदन किया है कि वे सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को भी एक प्रबंधकीय कार्य के रूप में लें और इसे लागू करें क्योंकि प्रबंधक का यह कर्त्तव्य होता है कि वे सरकार की नीतियों का निष्ठा से पालन करें।

इसमें सन्देह नहीं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच-समझकर देश की एकता को ध्यान में रखते हुए हिन्दी को राजभाषा घोषित किया था। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि किसी देश को स्वाधीनता दिलाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी राष्ट्रीयता को बनाये रखना और इस दिशा में हिन्दी निश्चय ही एक ऐसी कड़ी हो सकती है जो सम्पूर्ण देश को जोड़ कर रख सकती है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार की राजभाषा नीति का निष्ठा के साथ अनुपालन करें। उक्त अवसर पर वर्ष 1988-89 के दौरान हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों का श्रीमती शम्भु दयाल द्वारा पुरस्कृत किया गया तथा वर्ष 1987 में जमा संग्रहण हाउस कीपिंग ग्राहक सेवा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में दिये गये अग्रिमों के संबंध में सर्वश्रेष्ठ शाखाओं और बैंक क्षेत्र में हिन्दी में श्रेष्ठ कार्य करने के लिये नया बाजार शाखा को सर्वश्री शम्भु दयाल एवं श्री एस. गोपालकृष्णन उप महाप्रबन्धक द्वारा पुरस्कृत किया गया।

अन्त में श्री प्रेम नाथ अरोड़ा मुख्यप्रबन्धक ने मुख्य अतिथि एवं सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद दिया।

स्टेट बैंक आंफ बीकानेर एण्ड जयपुर

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रधान कार्यालय जयपुर में 15 अगस्त से 14 सितम्बर 1989 तक हिन्दी मास के रूप में मनाया तथा 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवधि में निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं:—

हिन्दी टंकण प्रतियोगिता.—दिनांक 23-8-1989 को हिन्दी टंकण प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें परिसर एव जड़ संग्रह विभाग के श्री सुदीप कुमार खण्डेलवाल इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे।

अन्तर विद्यालय हिन्दी भाषण प्रतियोगिता :—दिनांक 2-9-1989 को अंतर विद्यालय हिन्दी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें जयपुर स्थित 9 से 11 कक्षा तक छात्राओं ने भाग लिया।

बैंकिंग शब्दावली प्रतियोगिता :.—दिनांक 6 सितम्बर को बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकारी व लिपिकों ने भाग लिया। भविष्य निधि एवं उपदान अनुभाग की श्रीमती आशा गोयल प्रथम स्थान पर रही।

अन्तर महाविद्यालय हिन्दी भाषण प्रतियोगिता:—दिनांक 11 सितम्बर को महारानी कालेज, जयपुर में आयोजित की गई इसमें स्थानीय आठ महाविद्यालयों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में इसी महाविद्यालय की छात्रा कुमारी अंजु शर्मा प्रथम स्थान पर रहीं।

अन्तर आशु भाषण प्रतियोगिता :.—बैंक के पांच अंचलों के मध्य अंतर आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 1 सितम्बर को किया गया। इसमें बीकानेर अंचल के श्री सीताराम कच्छावा प्रथम स्थान पर रहे।

हिन्दी दिवस का समारोह 14 सितम्बर को आयोजित किया गया। भाषा विभाग राजस्थान सरकार के उपनिदेशक श्री आत्माराम शर्मा ने हिन्दी के महत्व पर विचार प्रगट किये तथा डॉ. के.एल. शर्मा भूतपूर्व प्रोफेसर राजस्थान विद्यालय ने हिन्दी की स्थिति और विकास की सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला। बैंक के महाप्रबन्धक श्री कृष्ण लाल मग्न ने बैंक में हिन्दी के प्रयोग स्थिति पर प्रकाश डाला और अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए सबको अभिप्रेरित किया। बैंक प्रबन्धक निदेशक द्वारा इस मास के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पारितोषिक प्रदान किया एवं हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरणा दी तथा राजभाषा प्रबन्धक माणक चंद कोचर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

कवि सम्मेलन—15-9-1989

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के राजभाषा विभाग की ओर से शुक्रवार की शाम रवीन्द्र मंच पर हुए कृषि कवि सम्मेलन में कई स्वर उभरे शहर के जाने माने कवियों ने नेहरू जन्म शताब्दी के उपलक्ष में रचनाएं सुनाई।

जोधपुर अंचल

अंचल द्वारा राजभाषा मास मनाया गया एवं 19 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया गया। राजभाषा मास के दौरान अंचल द्वारा बैंकिंग शब्द अनुवाद प्रतियोगिता, आशु-भाषण प्रतियोगिता एवं श्रुतिलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में अंचल कार्यालय एवं स्थानीय शाखाओं के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इसी अवसर पर राजभाषा मास के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान अर्जित करने वाले विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

अंचल की भीलमाल शाखा में भी बैंकिंग शब्दावली, श्रुति लेख एवं आशुभाषण प्रतियोगिताएं की गईं। हिन्दी दिवस के अवसर पर अंचल की नागौर शाखा द्वारा राजकीय महाविद्यालय के हिन्दी व्याख्याता श्री भवानी शंकर राकावत की अध्यक्षता में "बैंक के दैनिक कार्य में हिन्दी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सुझाव एवं कठिनाइयों" विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई।

अंचल की डूंगर शाखा द्वारा वहां के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता आयो की गई जिसमें 54 छात्र/छात्राओं ने भाग लिया।

बीकानेर अंचल

राजभाषा मास/दिवस समारोहों की श्रृंखला में बीकानेर अंचल की श्री डूंगरगढ़ शाखा द्वारा "हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक— हिन्दी" विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसके विजेता प्रतियोगियों को क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा पुरस्कार प्रदान किये गए।

अंचल की छत्तरगढ़ शाखा द्वारा 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया गया जिसमें शाखा के सभी सदस्य सम्मिलित हुए जिन्होंने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की तथा अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने का संकल्प लिया।

दिल्ली अंचल

दिल्ली अंचल के हरियाणा राज्य की मण्डी डबवाली शाखा द्वारा 14 सितम्बर 1989 को हिन्दी दिवस विशेष उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर शाखा द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रतियोगिताएं की गईं जिनमें स्थानीय एवं निकटवर्ती 17 विद्यालयों के 150 से भी अधिक छात्रों ने भाग लिया। इसी अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें नगर के सभी गणमान्य अधिकारी, व्यापारी, नागरिक एवं हमारे बैंक के ग्राहक भारी संख्या में इस समारोह में शामिल हुए। 800 से भी अधिक नगरवासियों ने इस समारोह में भाग लेकर राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति अपने प्रेम का प्रगाढ़ परिचय दिया। स्थानीय तथा निकटवर्ती विद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा।

उदयपुर अंचल

राजभाषा मास मनाने एवं हिन्दी दिवस पर समारोह आयोजित करने के संबंध में उदयपुर अंचल की भूमिका बहुत ही प्रभावशाली रही है। इस हेतु आंचलिक कार्यालय के कार्यपालक प्रभारी अधिकारी एवं शाखाओं के प्रबन्धक वास्तव में बधाई के पात्र हैं।

अंचल कार्यालय द्वारा अत्यन्त उत्साहपूर्वक राजभाषा मास मनाया गया। 14 सितम्बर को मुख्य समारोह विस्तार निदेशालय, के सभागार में प्रसिद्ध व्यंग्यकार एवं साहित्यकार श्री भगवती लाल व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विद्या भवन, उदयपुर के पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. नन्द चतुर्वेदी ने विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किये।

इसी अवसर पर कार्यवाहक सहायक महाप्रबन्धक श्री विजय गोपाल भट्टाचार्जी द्वारा समारोह के अध्यक्ष श्री भगवती

लाल व्यास का उनकी कृति "अनहद नाद" के लिए केन्द्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 1989 के लिए पुरस्कृत किये जाने के उपलक्ष्य में अभिनन्दन किया गया।

बैंक की बांसवाड़ा शाखा के श्री सी०एल० नागर एवं श्री भरत शर्मा का उनके द्वारा संयुक्त रूप से रचित कृति "शेप यात्राओं" के लिए अभिनन्दन किया गया।

अंचल कार्यालय के अतिरिक्त अंचल की 37 शाखाओं द्वारा अपने स्तर पर राजभाषा मास एवं हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। विजेता प्रतियोगियों की सम्बद्ध शाखाओं द्वारा आयोजित समारोह में पुरस्कार प्रदान किए गए। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

(1) ग्राहक सम्मेलन

ग्राहक सम्मेलन के माध्यम से **प्रतापगढ़, हुरडा, निम्बाहेड़ा, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़** शाखाओं द्वारा ग्राहकों को प्रेरित किया गया कि वे यथासम्भव अपनी जमा पर्चियां, ड्राफ्ट, आवेदन पत्र, चैक एवं आहरण पत्र आदि हिन्दी में भरें जिससे बैंक कर्मियों को शाखा का समस्त कार्य हिन्दी में करने में उनका सहयोग प्राप्त होता रहे।

हिन्दी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता

1. प्रतापगढ़ 2. हुरडा 3. निम्बाहेड़ा 4. राजसमन्द 5. भदेसर 6. देवगढ़ मदारिया 7. कांकरोली 8. परतापुर 9. सागवाड़ा 10. मावली 11. कुशलगढ़ 12. शाहपुरा (भीलवाड़ा) 13. खारीग्राम 14. बेगू

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

1. प्रतापगढ़ 2. चित्तोड़गढ़ 3. कांकरोली 4. कुशलगढ़ 5. मावली 6. बेगू

गीत, संगीत, काव्य पाठ आदि के लिए प्रतियोगिता

1. प्रतापगढ़ 2. हुरड़ा 3. निम्बाहेड़ा 4. चित्तौड़गढ़ 5. नाथद्वारा 6. सागवाड़ा 6. खारीग्राम

सुलेख प्रतियोगिता

1. प्रतापगढ़ 2. चित्तौड़गढ़ 3. परतापुर 4. सागवाड़ा 5. मावली 6. शाहपुरा (भीलवाड़ा) 7. खारीग्राम

भाषण प्रतियोगिता

1. निम्बाहेड़ा 2. देवगढ़ मदारिया 3. नाथद्वारा 4. डूंगला 5. शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आशुभाषण प्रतियोगिता

1. निम्बाहेड़ा 2. चित्तोड़गढ़

वाद-विवाद प्रतियोगिता

1. भदेसर 2. कपासन 3. मावली 3. खारीग्राम

विचार गोष्ठी

1. निम्बाहेड़ा

हिन्दी शब्दार्थ प्रतियोगिता

1. चित्तौड़गढ़

श्रुतलेख प्रतियोगिता

1. कुशलगढ़ 2. बेगू

सम्मान/अभिनन्दन

वर्ष 1988-89 के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अध्यापक डॉ० हीरालाल श्रीमाली का कांकरोली शाखा द्वारा अभिनन्दन किया गया जो अपने आप में अनुठापन लिये हुए था।

उपक्रम

नवमंगलूर पत्तन न्यास

दिनांक 14-11-1989 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्मशती भवन में हिन्दी दिवस मनाया गया। हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में पत्तन तथा पणंबूर में स्थित केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालयों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए हिन्दी में भाषण, निबन्ध लेखन, अनुवाद, अंत्याक्षरी और गीत-संगीत प्रतियोगिताएं दिनांक 9-11-89 और 10-11-1989 को आयोजित की गई। पं. जवाहरलाल नेहरू जन्मशती के अवसर पर हाइस्कूल के विद्यार्थियों (जिलास्तर पर) के लिए दिनांक 8-12-89 से 13-11-89 तक विभिन्न प्रतियोगिताएं चलाई गईं।

पत्तन के अध्यक्ष श्री बी महापात्र, भा.प्र.से., ने समारोह की अध्यक्षता की। विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त आचार्य एवं हिन्दी अध्ययन/अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष और हिन्दी सलाहकार समिति, जलपूतल परिवहन मंत्रालय के सदस्य, प्रोफेसर एम. राजेश्वरय्या समारोह में मुख्य अतिथि थे। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को श्रीमती सबिता महापात्र ने पुरस्कार दिए।

आरंभ में पत्तन के मुख्य अभियंता तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य श्री एम आर रंगराजन् ने स्वागत किया। प्रभारी सचिव श्री एच. सतीश नायक ने पत्तन में राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति तथा प्रस्तावित उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। पत्तन के कार्यपालक अभियंता श्री एम. एम. कामत ने धन्यवाद दिया।

अन्त में विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा तटीय कर्णाटक के जाने माने लोकनृत्य—यक्षगान "महिषा मर्दिनि" के प्रदर्शन के साथ समारोह का समापन हुआ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस, इन्दुनगर, उदक्मंडलम्

कंपनी में 14 सितंबर 1989 से हिन्दी सप्ताह मनाया गया । इस सिलसिले में निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं :—

कंपनी के कर्मचारियों के लिए

1. हिन्दी निबंध 2. हिन्दी तकनीकी शब्द-स्मरण शक्ति 3. हिन्दी टंकण 4. हिन्दी गीत 5. हिन्दी भाषण 6. हिन्दी क्विज ।

विद्यार्थियों के लिए

1. हिन्दी क्विज 2. हिन्दी अनुलेखन

भाषण प्रतियोगिता तथा गीत प्रतियोगिता क्रमश: दिनांक 19-9-89 तथा दिनांक 20-9-89 को प्रशिक्षण केन्द्र में श्री आई० वर्गीस, मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन विकास प्रभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

श्री पी.एस. सुब्रमणयम् मुख्य प्रबन्धक (उत्पादन) की अध्यक्षता में समापन समारोह हुआ । पी.एस. सुब्रमणयम् ने अपने अभिभाषण में बताया कि गांधीजी ने ही सबसे पहले यह घोषणा की कि भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए एक संपर्क भाषा की अधिक आवश्यकता है और सिर्फ हिन्दी ही हमारी राष्ट्रभाषा की भूमिका निभा सकती है । जब हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं हिन्दी के संबंध में उनके विचारों को स्वीकार करने में संकोच करना उचित नहीं है । श्री एस०वी० कृष्णन, अपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने स्वागत भाषण दिया और श्रीमती पी०एस० चांदनी, हिन्दी अधिकारी ने धन्यवाद समर्पित किया । कंपनी के कर्मचारियों का एक व्यंग्य चित्र तथा केन्द्रीय विद्यालय के बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सबका मन मोह लिया।

प्रागा टूल्स लिमिटेड सिकन्दराबाद

सिकन्दराबाद स्थित, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार उपक्रम, प्रागा टूल्स लिमिटेड में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों को जिन्होंने बहुत समय से हिन्दी का प्रयोग नहीं किया था और इस कारण उनकी हिन्दी भूली-भुलाई सी हो गई थी, उसे पुन: तरोताजा करने के लिए कनिष्ठ प्रबन्धक से लेकर प्रबन्धक स्तर के 30 अधिकारियों के लिए दो बैचों में (प्रथम बैच 5-9-1989 से 10-9-1989 तक व दूसरा बैच 12-9-1989 से 17-9-89 तक) हिन्दी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाया गया।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए हिन्दी अधिकारी श्रीमती एस. लक्ष्मी कुमारी ने हिन्दी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उसकी उपादेयता के बारे में प्रतिभागियों को समझाया । इस अवसर के लिए तैयार किए गए साहित्य का विमोचन पाठ्यक्रम की प्रथम बैच के उद्घाटन समारोह के अवसर के मुख्य अतिथि एवं अतिथि वक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा, प्रोफेसर एवं प्रभारी, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हैदराबाद केन्द्र ने किया । हिन्दी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के द्वारा अधिकारियों को हिन्दी वर्तनी, वाक्य रचना, कारक, वचन, लिंग आदि व्याकरण संबंधी सभी विद्याओं का विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया । उन्हें कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए भी उचित मार्गदर्शन दिया गया । इस कार्यक्रम के लिए नगरद्वय के गणमान्य हिन्दी विद्वानों की सेवायें ली गईं ।

इन अधिकारियों को कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने का प्रशिक्षण देने के लिए निकट भविष्य में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा ।

इस कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन हिन्दी अधिकारी श्रीमती एस० लक्ष्मी कुमारी ने किया ।

इंडियन एयरलाइन्स, हैदराबाद

हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में 15 सितम्बर 1989 को इण्डियन एयरलाइन्स, हैदराबाद के इंजीनियरी काम्प्लेक्स, रिक्रिएशन हाल में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता स्टेशन प्रधान श्री सैन गुप्ता द्वारा की गई।

श्री सेनगुप्ता ने कहा कि दक्षिण क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन अब बड़ी द्रुत तथा प्रभावी गति से चल रहा है । इसके लिए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा) तथा राजभाषा अनुभाग के कर्मचारियों को बधाई दी ।

"सरस्वती वन्दना" से कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया । तदुपरान्त प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा) श्री चन्द्र प्रकाश भटनागर ने हैदराबाद क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रमों में प्रगति की जानकारी दी । सांस्कृतिक कार्यक्रम में "हास्य नाटक" तथा "कुच्चीपुडी नृत्य" के कलाकारों की काफी सराहना की गई । समारोह के अन्त में हैदराबाद बेस के लगभग 58 कर्मचारियों/अधिकारियों को विभिन्न राजभाषा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया ।

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी, हावड़ा

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी, हावड़ा में 14 सितम्बर, 1989 को बड़े उत्साह के साथ "हिन्दी दिवस" मनाया गया । समारोह में मुख्य अतिथि, कम्पनी के प्रबंध निदेशक—श्री सलिल कुमार घोष के अलावा अन्य वरिष्ठतम अधिकारी-गण भी उपस्थित थे । इस उपलक्ष्य में हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी हस्तलिपि तथा हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई ।

प्रबंध निदेशक श्री घोष ने समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस समारोह में भाग लेते हुए उन्हें हर्ष का बोध हो रहा है और सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे सरकारी निदेश,नुसार अपने दैनंदिन कार्यों में जहां कहीं संभव हो, हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

इसके बाद, श्री समीर कुमार भट्टाचार्य, संयुक्त महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष,—राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने, कम्पनी में हुई हिन्दी प्रयोग की प्रगति के बारे में बताते हुए, कहा कि हिन्दी में काम करना आसान है और इसमें शब्दों के लिए अटकने की जरूरत नहीं। आवश्यकता पड़ने पर अन्य भाषाओं में प्रचलित शब्दों को "ज्यों का त्यों" हिन्दी में लिखकर भी काम चलाया जा सकता है। तत्पश्चात् प्रबंध निदेशक महोदय ने मई, 1989 के हिन्दी "प्रबोध" परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कर्मचारियों को नकद पुरस्कार पिछले सत्रों में हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण हुए विभिन्न कर्मचारियों को मंत्रालय से प्राप्त प्रमाण पत्र तथा "हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया।

कार्यक्रम का सफल संयोजन, कम्पनी के उप महाप्रबंधक (कार्मिक) एवं संयोजक राजभाषा कार्यान्वयन समिति— श्री मनीन्द्र कुमार नाथ के मार्गदर्शन में सर्वश्री कुंवर सिंह नेगी, बिक्रम मुखर्जी एवं टी० भास्कर राजू ने किया।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
(अहमदाबाद परियोजना)

परियोजना में हिन्दी के विकास के लिए दिनांक 14 से 21 सितम्तर 1989 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विजयी कार्मिकों को प्रथम पुरस्कार रु. 150/- द्वितीय पुरस्कार रु. 100/- तथा तृतीय पुरस्कार रु. 50/- देकर सम्मानित किया गया। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को एक बाल पेन जिसमें हिन्दी संबंधी स्लोगन उद्धृत था सभी को सान्तवना पुरस्कार के रूप में वितरित किया गया।

दिनांक 14 सितम्तर 89 को परियोजना प्रमुख डॉ. भगवान सहाय महाप्रबंधक (परियोजनाएं) द्वारा इस सप्ताह का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्मिकों को सम्बोधित करते हुए डॉ. सहाय ने कहा कि धीरे-धीरे परियोजना में हिन्दी की गतिविधियां बढ़ रही हैं और कार्मिक अपने सरकारी कामकाज में धीरे-धीरे हिन्दी की शुरूआत कर रहें हैं। उन्होंने सभी कार्मिकों से अनुरोध किया कि वे उन कार्मिकों से प्रेरणा लें जो अपना कार्य हिन्दी में कर रहे हैं। तदुपरान्त तकनीकी कार्य समूह के प्रमुख श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता ने भी कार्मिकों से अनुरोध किया कि वे कार्यालयों में सरल हिन्दी का प्रयोग करें जिसे समझने में किसी को भी कठिनाई न हो।

15 से 19 सितम्तर 89 तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें परियोजना के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत 120 कार्मिकों ने भाग लिया। जिन कार्मिकों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया उनकी सूची नीचे दी जा रही है :—

(1) हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता

अहिन्दी भाषी वर्ग

श्री जे.एच. कथिरियो, आशुलिपिक-2	प्रथम
श्री राकेश कौल सहायक अधिशासी अभियन्ता (विद्युत)	द्वितीय
श्रीमती मेरी फर्नांडिस आशुलिपिक-2	तृतीय

हिन्दी भाषी वर्ग

श्री के.के. शर्मा, सहायक अधिशासी अभियन्ता (वेधन)	प्रथम
श्री टी.एस. रावत, सहायक अधिशासी अभियन्ता (आटो)	द्वितीय
श्री अजय स्वामी, सहायक अभियन्ता (उत्पादन)	तृतीय

(2) वाक् प्रतियोगिता— हिन्दी भाषी

श्री अखिलेश	प्रथम
श्री अपूर्व चतुर्वेदी, परिवहन अधिकारी	द्वितीय
श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अधीक्षण भौतिकीविद	तृतीय

वाक् प्रतियोगिता—अहिन्दी भाषी

श्री बादल कुमार राय, सहायक अधिशासी अभियन्ता	प्रथम
श्री जे. एच. कथिरिया, आशलिपिक 2	द्वितीय
श्री राजकुमार थ ोफ सहायक-1	तृतीय

(3) हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता

श्री अशोक कुमार वरिष्ठ भू-भौतिकीविद	प्रथम
डा. राम प्रकाश शर्मा, भू-भौतिकीविद् (कप)	द्वितीय
श्री त्रिलोक सिंह रावत, सहायक अधिशासी अभियन्ता (आटो)	तृतीय

अहिन्दी भाषी

श्रीमती मेरी फर्नांडिस, आशुलिपिक-2	प्रथम
श्री राजकुमार असरानी, सहायक-2	द्वितीय
श्री सी. नारायणन, सहायक-3	तृतीय

(4) हिन्दी टाईपिंग प्रतियोगिता–हिन्दी भाषी

श्री आर.बी. पोखरियाल, सहायक-3	प्रथम

हिन्दी भाषी

श्री राजकुमार असरानी, सहायक-2	प्रथम
श्री आर. एन. जहलानी, आशुलिपिक-1	द्वितीय
श्री डी.पी. रावल सहायक-1	तृतीय

उपरोक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त वर्ष में कार्मिकों द्वारा लिखी गयी टिप्पणियों पर भी कार्मिकों को नकद पुरस्कार प्रथम रु. 700, द्वितीय रु. 500 और तृतीय रु. 350 देकर सम्मानित किया गया। ऐसे कार्मिकों की सूची निम्नवत् है :—

श्री आई.आर. कुमार, कनिष्ठ प्राविधिज्ञ (उत्पादन)—प्रथम

श्री एम.टी. साहू, कनिष्ठ प्राविधिज्ञ (उत्पादन)—प्रथम

श्री चन्द्र सिंह आर्य सहायक अभियन्ता (आटो) —द्वितीय

श्री आर. ए.एल. श्रीवास्तव प्रशासनिक अधिकारी—द्वितीय

श्री वी. के. सक्सैना वरिष्ठ उप निदेशक —द्वितीय

श्री सी. नारायणन्, सहायक पदक्रम-2 —तृतीय

श्री आई. एम धनजी अधीक्षक (का. एवं प्रशा.) —तृतीय

श्री ए.के. शर्मा सहायक विधि परामर्शी —तृतीय

श्री अग्गर राय सहायक अधिशासी अभियन्ता (आटो) —तृतीय

श्री आर.एल. मिलवार सहायक अभियन्ता (वेधन) —तृतीय

उपरोक्त सभी पुरस्कार हिन्दी सप्ताह के समापन समारोह दिनांक 20-9-89 को महा प्रबन्धक (परियोजनाएं) ने वितरित किए। इस समारोह में परियोजना के राजभाषा अधिकारी श्री राजेन्द्र झा द्वारा कार्मिकों का आभार प्रकट किया गया।

सप्ताह के अन्तिम दिन दिनांक 21-9-89 को लखनऊ की सुप्रसिद्ध नाटक मंडली "मेघदूत" द्वारा रात्रि 8.00 बजे एक हिन्दी सामाजिक नाटक का प्रदर्शन किया गया। इस नाटक के प्रदर्शन से पूर्व हिन्दी पत्रिका "साबरमती" तथा आयोग की प्रत्यायोजित शक्तियों की पुस्तक के हिन्दी रूपान्तरण का विमोचन श्री आर.सी. वर्मा मुख्य आयकर आयुक्त (प्रशासन) तथा जो अहमदाबाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष भी हैं उनके द्वारा इन दोनों पुस्तकों का विमोचन हुआ। विशेष अतिथि के रूप में डॉ. अम्बाशंकर नागर जो भाषा विभाग के निदेशक हैं ने अपने सम्बोधन से कार्मिकों से आग्रह किया कि वे अपनी राजभाषा हिन्दी का विस्तृत रूप से प्रचार और व्यापक रूप से प्रयोग करें।

नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

हिन्दी में वाउचर लेखन प्रतियोगिता—अत्यंत उल्लेखनीय कदम

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कम्पनी ने 14 सितम्बर 1989 को हिन्दी दिवस तथा 14 सितम्बर से 20 सितम्बर 1989 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। सारे भारत में एकरूपता के लिए निम्नलिखित प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया :—

(1) कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक ने अपील जारी कराई।

(2) हिन्दी के पोस्टर सभी कार्यालयों में लगाए गए।

(3) 14-9-89 को सभी कार्यालयों में बैठक का आयोजन हुआ जिसमें पहले अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक की अपील को पढ़ा गया एवं उसके बाद भारत सरकार की राजभाषा नीति, नियम, अधिनियम, अनुदेशों आदि से सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया गया।

(4) इस वर्ष विशेष रूप से हिन्दी में वाउचर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जो 14 सितम्बर 1989 से 31 दिसम्बर 1989 तक चला। विश्वास है कि इससे हिन्दी के काम को काफी गति मिल सकेगी।

पुरस्कार वितरण समारोह में महाप्रबन्धक श्री कैलाश चन्द्र मित्तल ने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षण पा रहे हैं वे इसे मात्र प्रशिक्षण तक ही सीमित न रखें बल्कि इसका कार्यालयों के कामकाज में प्रयोग बढ़ाएं। उन्होंने सभी उच्च-अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि वे रोज कम से कम एक पत्र या टिप्पणी हिन्दी में लिखने की शुरूआत करें। इससे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिन्दी में काम करने की झिझक समाप्त हो जाएगी। इस अवसर पर प्रधान कार्यालय के प्रबन्धक (राजभाषा) श्री बी.पी. गुप्ता ने राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने में बंगाल के मनीषयों की चर्चा की। उक्त अवसर पर श्री सिद्धि नाथ झा उप निदेशक (पर्व.) गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग (कार्यान्वयन) ने भी विचार व्यक्त किए एवं हिन्दी में किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

इसके अलावा कलकत्ता एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों ने भी हिन्दी दिवस सप्ताह मनाने की पुष्टि की है।

1. कलकत्ता

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्दी दिवस सप्ताह बहुत ही धूम-धाम से मनाया गया। इस दौरान निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय में भी हिन्दी दिवस समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबन्धक ने की। इस दौरान एक "भाषण प्रतियोगिता" का भी आयोजन किया गया।

2. दिल्ली

दिल्ली स्थित उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय में इस समारोह को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। बैठक की शुरूआत श्री एच. एल. मलहोत्रा, प्रबन्धक ने समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वागत से की। उन्होंने यह भी बताया की नेहरू जन्म शताब्दी के संबंध में समस्त पत्र व्यवहार हिन्दी में ही किया जा रहा हैं। समारोह की अध्यक्षता श्री आर विश्वनाथन ने की।

3. उत्तर प्रदेश

लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यकिलाप में हिन्दी दिवस/सप्ताह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया।

4. बिहार

पटना क्षेत्रीय कार्यालय में 14 सितम्बर 1989 को हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री आर. के. कोछड़ ने की। हिन्दी अधिकारी श्री उमेश कुमार पाठक ने कहा कि यह कार्यालय "क" क्षेत्र में स्थित है जहां अधिकांश लोगों को हिन्दी का ज्ञान है। अतः यहां पूर्ण काम हिन्दी में करना कठिन नहीं है। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

5. राजस्थान

जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में भी हिंदी दिवस/सप्ताह में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

6. गुजरात

अहमदाबाद एवं पुणे क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिंदी दिवस/सप्ताह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय में राजभाषा हिन्दी में हो रहे काम को दर्शाने के लिए लगी प्रदर्शनी में हिंदी में लिखे जा रहे चेक रसीदें, वाउचर, कवरनोट एवं पालिसी की प्रतियां विशेष आकर्षण का केन्द्र थीं।

7. महाराष्ट्र

बम्बई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय एवं अन्य सहायक कंपनियों में भारतीय साधारण बीमा निगम के तत्वाधान में संयुक्त रूप से हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष श्री अशोक गोयनका ने किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध पटकथा एवं संवाद लेखक डॉ. राही मासूम रजा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे।

डॉ. रजा ने कहा कि "हमें हिन्दी का प्रयोग सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें इससे कुछ सुविधा मिलेंगी या प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि हमें इसका प्रयोग इसलिए करना चाहिए कि यही वह भाषा है जिसमें राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण रखने की ताकत हैं।

श्री अशोक गोयनका ने कहा कि हमारे उद्योग में हिंदी के प्रयोग की काफी गुजांइश है साथ ही जरूरत भी है।

9. असम

गुवाहाटी स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय में भी हिंदी दिवस/सप्ताह मनाया गया। सभी की अध्यक्षता उप प्रबन्धक श्री यू. एस. सिंह ने की।

10. दक्षिण भारत

मद्रास, बेंगलूर, हैदराबाद एवं केरल क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिंदी दिवस/सप्ताह मनाया गया। हैदराबाद में समारोह में आन्ध्र प्रदेश की राज्यपाल महामहिम श्रीमती कुमुदबेन जोशी मुख्य अतिथि थीं। श्री के. सांबशिवराम (सांसद) ने समारोह की अध्यक्षता की एवं श्री बी. तुलसी राम (संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष) प्रधान वक्ता के रूप में उपस्थित थे।

इस अवसर पर हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एम. ई. कस्तूरी ने महामहिम राज्यपाल को स्मृति चिह्न भेंट किया।

हमें हिंदी का प्रयोग इसलिए करना चहिए कि यही वह भाषा है जिसमें राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण रखने की ताकत है।

—डा. राही मासूम रज़ा

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
भुवनेश्वर

दिनांक 8 से 14 सितंबर, 89 तक "हिन्दी सप्ताह" बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस क्रम में निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

8 सितंबर, 88 को कार्यालय के सभी मुख्य प्रवेश द्वारों पर बैनर लगाए गए तथा कार्यालय परिसर के विभिन्न स्थानों में हिन्दी भाषा की महत्ता एवं उपयोगिता के बारे में विभिन्न महापुरुषों एवं विद्वानों के कथनों के रंगारंग प्राचीर पत्र भारी संख्या में लगाए गए कि कार्यालय का हर विभाग "हिन्दी प्रदर्शनी" जैसा लग रहा था। राजभाषा संबंधी आदेशों के संक्षिप्त हस्तपत्रक छपवाकर सभी अधिकारियों को मेज़ के शीशे के नीचे लगाए गए, ताकि राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति उनका ध्यान सदा बना रहे। सप्ताह भर में हिन्दी में हस्ताक्षर करने एवं हिन्दी में बातचीत करने का अभियान चलाया गया।

9 सितंबर, 89 को कर्मचारियों के बीच "राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का महत्व" और "हिन्दी सीखने में मेरी कठिनाइयां" विषय पर हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

10 सितंबर, 89 को कंपनी की नवनिर्मित आवासीय नगरी "नालकोनगर" के "समुदाय केन्द्र सभागृह" में हिन्दी फीचर फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने भारी संख्या में जनसमूह उपस्थित हुआ ।

11 सितंबर, 89 को कार्यालय में हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कर्मचारियों ने भारी संख्या में भाग लेकर सुंदर हिंदी हस्तलिपि प्रदर्शित करके हिन्दी के प्रति अपनी गहरी रूचि का प्रमाण प्रस्तुत किया ।

12 सितंबर, 89 नालकोनगर के समुदाय केन्द्र सभा गृह में "स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। हिन्दी में रचित उत्कृष्ट कविताएं सुनकर निर्णायक एवं श्रोतागण भाव-विभोर हो गए ।

13 सितंबर, 89 को "संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के योगदान" विषय पर हिन्दी वाक-प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपने सारगर्भित विचार व्यक्त करते हुए हिन्दी भाषा को आपसी संपर्क के लिए सबसे उपयुक्त भाषा प्रतिपादित किया।

14 सितंबर, 89 को कंपनी के सम्मेलन कक्ष में "हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) श्री शाहिद हुसैन आजाद की अध्यक्षता में हुआ ।

प्रारंभ में कंपनी राजभाषा अधिकारी श्री रमेश प्रसाद साहु ने नालको में हिन्दी-प्रगति की स्थिति तथा कंपनी में सरकारी प्रावधानों के अलावा निजी तौर पर लागू की गई प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में सूचना दी।

महाप्रबंधक (कार्मिक) श्री ब्रज किशोर मिश्र ने कहा कि हमें हिन्दी भाषा का प्रयोग करते समय कठिन शब्दों से बचना चाहिए ।

अध्यक्षीय भाषण में श्री आजाद ने कहा कि हिन्दी को अपने गुणों के कारण संविधान में राजभाषा स्वीकार किया गया है ।

बाद में अध्यक्ष ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार दिए और विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए।

हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्री राकेश धींगरा और द्वितीय पुरस्कार कुमारी सतीन्द्रजीत कौर को प्रदान किए गए । हिंदी सुलेख प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्री शेख अब्दुल रहीम और द्वितीय पुरस्कार श्रीमती सविता सेनापति ने प्राप्त किए। स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता में विजेता श्री पूर्ण चंद्र साहु को प्रथम एवं उप-विजेता श्री रतिकांत महांति को द्वितीय पुरस्कार मिला । हिन्दी वाक् प्रतियोगिता में श्री रमेश चंद्र पटनायक को प्रथम एवं कुमारी प्रभावती दास को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए गए ।

हिन्दी प्रवोध परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर श्री रवीन्द्र कुमार परिड़ा, आशुलिपिक, हिन्दी प्रवीण परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर श्री गोपाल चंद्र दास, कनिष्ठ लेखाकार, श्री कालिंदी चरण दास, निजी सचिव, श्री वृष भानु दास, वैयक्तिक सहायक, और रमेश चंद्र दास, वैयक्तिक सहायक को तथा हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर श्री पीतवास महांति, कनिष्ठ कार्यपालक, सहायक और श्रीमती दावाला सरोजा, निजी सचिव को हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

हिन्दी प्रवीण परीक्षा, मई, 89 में उत्तीर्ण होने पर श्री रमाकांत साहु, वरिष्ठ सहायक और श्री नारायण दास, वैयक्तिक सहायक को कंपनी की ओर से निजी तौर पर लागू विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए ।

अंत में निगम कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव श्री कलाश गुप्त, कार्मिक प्रबंधक ने "हिन्दी सप्ताह समारोह" के दौरान सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कंपनी में हिन्दी की प्रगति हेतु हरेक कर्मचारी को इस ओर लगनपूर्वक प्रयास करने का अनुरोध किया ।

कंडला पोर्ट ट्रस्ट (कच्छ)

दिनांक 11 से 16 सितम्बर 1989 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया । इस दौरान अध्यक्ष कैप्टन एस. के. सौमयाजुलु ने एक अपील जारी की और पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से अनुरोध किया **कि वे सरकारी पत्राचार में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें** । हिन्दी सप्ताह के दौरान पोर्ट ट्रस्ट के हिन्दी अधिकारी श्री आर. एन. मिश्र ने हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें भाग लेने वाले 34 अधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय पत्राचार का गहन प्रशिक्षण दिया गया । इस दौरान "हिन्दी टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता" "हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता" तथा "राजभाषा नियमों एवं आदेशों से सम्बद्ध प्रतियोगिता" का आयोजन भी किया गया जिसमें क्रमशः 18, 35 और 8 कर्मचारियों ने भाग लिया ।

पोर्ट ट्रस्ट में हिन्दी का प्रशंसनीय प्रयोग करने वाले कर्मचारियों और साथ ही हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित उक्त प्रतियोगिताओं में अच्छे अंक प्राप्त करनेवाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने हेतु दिनांक 18 दिसम्बर 1989 को हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया । निम्नलिखित कर्मचारियों को अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने भव्य समारोह में पुरस्कृत किया ।

हिन्दी के प्रशंसनीय प्रयोग से संबंधित प्रतियोगिता

नाम		पुरस्कार राशि
कु. मधु जेठानी	लिपिक प्रथम	रु. 500/-
श्री डी. एम. अनकिया	लिपिक ,,	रु. 500/-

श्री ज्ञान.वी. नेभनानी	लिपिक	द्वितीय	रु. 300/-
श्री एच. ए. धनवानी	लिपिक	,,	रु. 300/-
श्रीमती सुशीला राइचंदानी	लिपिक	,,	रु. 300/-
श्री के. एन. कुकसाल	लिपिक	,,	रु. 150/-

"हिन्दी टिप्पण तथा आलेखन प्रतियोगिता"

कु. मधु जेठानी	लिपिक	प्रथम
श्री राम अनन्दानी	लिपिक	द्वितीय
श्री चन्द्र अनन्दानी	लिपिक	तृतीय
श्री राजेन्द्र मेहता	लिपिक	चतुर्थ
श्री के. एन. कुकसाल	लिपिक	चतुर्थ

"हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता"

श्री के. एन. कुकसाल	लिपिक	प्रथम
श्री चन्द्र अनन्दानी	लिपिक	द्वितीय
कु. मधु जेठानी	लिपिक	तृतीय
श्री के. ओ. मैथ्यू	कनिष्ठ आशुलिपिक	तृतीय
श्री जॉनसन जॉर्ज	कनिष्ठ लिपिक	तृतीय
श्री राम अनन्दानी	कनिष्ठ लिपिक	चतुर्थ
श्री एम. एल. बेलानी	कनिष्ठ अभियंता	चतुर्थ

हिन्दी नियमों तथा आदेशों संबंधी प्रतियोगिता

श्री चन्द्र जे. अनन्दानी	कनिष्ठ लिपिक	प्रथम
श्री राम अनन्दानी	वरिष्ठ लिपिक	द्वितीय
श्री भगवान राईचंदानी	हिन्दी टंकक	तृतीय
कु. मधु जेठानी	वरिष्ठ लिपिक	चतुर्थ
श्री रूद्र कुमार खेड़ा	कनिष्ठ लिपिक	चतुर्थ

पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर पोर्ट ट्रस्ट के हिन्दी अधिकारी श्री आर०एन० मिश्र ने राजभाषा नियमों की जानकारी दी और पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कप्तान एस. के. सोमयाजुत ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अपने नेमी पत्राचार में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को नई गति प्रदान करें। इस समय पोर्ट ट्रस्ट के कुल पत्राचार का लगभग 26% कार्य हिन्दी में निष्पादित किया जा रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने सलाह दी कि वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित हिन्दी पत्राचार के 60% लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सघन प्रयास करें।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड

बरौनी इकाई में 14 से 18 सितम्बर, 89 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

14 सितम्बर को महाप्रबन्धक द्वारा हिन्दी में काम करने के लिए अपील जारी की गई तथा विभिन्न स्थानों पर हिन्दी में काम करने संबंधी हिन्दी के बैनर टांगे गए।

18 सितम्बर को विभिन्न विषयों से विभिन्न शब्दावलियों के चार्ट जैसे कारखाना शब्दावली, विधि शब्दावली, आयकर शब्दावली, रेलवे शब्दावली, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क शब्दावली आदि का प्रदर्शन तकनीकी एवं प्रशासनिक भवन में किया गया, जिन्हें 19 सितम्बर के समापन दिवस पर विभिन्न कार्यालयों में तथा विभिन्न संयंत्रों के पाली कार्यालयों में हमेशा के लिए टंगवा दिया गया।

इस सप्ताह के मध्य में 16 सितम्बर 89 को भव्य, कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें समस्तीपुर दरभंगा, गढ़हराबरौनी, बेगूसराय से आए कवियों ने भाग लिया।

हिन्दी आशुलिपि, टंकण, टिप्पण आलेखन, अनुवाद निबन्ध आदि विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष भर हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी 500/- रु., 300/- रु. एवं 150/- रु. के क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप चैक प्रदान किये गये।

कार्यक्रम के आरम्भ में हिन्दी अधिकारी श्री केशव प्रसाद सिन्हा ने इस इकाई में अब तक हुई हिन्दी की प्रगति पर प्रकाश डाला।

समारोह के अन्त में सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी, श्री राम नारायण सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

पुरस्कृत व्यक्तियों का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :—

आशुलेखन (हिन्दी में)

		हिन्दी टंकण
प्रथम	श्री प्रमोद कुमार	74.2 शब्द प्र० मि०
द्वितीय	श्री रामजी दास	43 ,,
तृतीय	श्री मदन कु. पासवान	41.3 ,,

आलेखन (प्रारूप) टिप्पण एवं अनुवाद

प्रथम	श्री एस. के. यादव
द्वितीय	श्री चन्देश्वर प्रसाद
तृतीय	श्री के. एम. झा

निबन्ध प्रतियोगिता

प्रथम	श्री चन्देश्वर प्रसाद
द्वितीय	श्री एस. के. यादव
तृतीय	श्री के. एम. झा

हिन्दी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

श्री हरिश्चन्द्र गुप्ता---सहायक अभियंता (सिविल)	प्रथम	500/-
श्री रामावतार साह-कैन्टीन पर्यवेक्षक	,,	500/-
श्री राम बालक पासवान	द्वितीय	300/-
श्री अवधकिशोर सिंह	,,	300/-
श्री ललन प्रसाद, सहायक संपदा अधिकारी	,,	300/-
श्री चन्देश्वर प्रसाद-आश, सहायक	तृतीय	150/-
श्री उमेश चन्द्र मिश्र---सहायक अधिकारी	सांत्वना	100/-

अन्य प्रोत्साहन पुरस्कार

1. श्री राम जी दास, वरिष्ठ सहायक--- हिन्दी में उत्तम कार्य के लिए
2. श्री हरिशचन्द्र प्र० हसंह-वरीय लिपिक-हिन्दी टंकण कक्षा में उत्तम उपस्थिति
3. श्री तिलक मोची, आशु सहायक---हिन्दी कक्षा में उत्तम प्रयास के लिए।
4. श्री शशांक शेखर गरूरयार---हिन्दी के प्रचार प्रसार में योगदान हेतु
5. श्री सुरेन्द्र पाठक, वरीय प्रचालक---हिन्दी में लगातार विगत वर्षों से लॉग शीट अन्य कार्य सम्पादन हेतु।

क्षेत्रीय कार्यालय क.रा. बीमा निगम, अहमदाबाद

दिनांक 14-9-89 को हिंदी दिवस बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस सबंध में क्षेत्रीय कार्यालय की सभी शाखाओं और सभी स्थानीय कार्यालयों को पहले की से परिपत्र जारी करके अनुदेश दिए गए थे कि सभी अधिकारी और कर्मचारी हिंदी के प्रयोग और प्रसार की ओर विशेष रूप से ध्यान दें। हिंदी दिवस के दिन क्षेत्रीय कार्यालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में प्रसन्नता और उत्साह का भाव सुबह से ही दिखाई दे रहा था। मुख्यालय ने श्री भगवती प्रसाद बीमा आयुक्त इस शुभावसर पर विशेष रूप से पधारे थे। वह क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात को वर्ष 1987-88 के लिए हिंदी का सराहनीय प्रयोग करने के उपलक्ष्य में ट्राफी प्रदान करने आए थे।

दोपहर बाद विशेष सभा का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अतिरिक्त स्थानीय कार्यालयों के कर्मचारी भी उपस्थित हुए। सभा की अध्यक्षता श्री भगवती प्रसाद बीमा आयुक्त ने की। गुजरात विद्यापीठ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डा. कुंज बिहारी वार्ष्णेय मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। हिंदी अधिकारी श्री रमेश लाल वर्मा ने यह कामना की कि राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से आम लोगों में राष्ट्रीय चेतना और नागरिक सम्मान की भावना जागृत हो। इसी समय कार्यालय की महिला कर्मचारियों ने सामुहिक प्रार्थना गान किया। बीमा आयुक्तने निगम के प्रतीक पंचदीप को प्रज्वलित किया। वर्ष 1987-88 के लिए निगम के "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में हिंदी का सराहनीय प्रयोग के उपलब्ध में गुजरात क्षेत्र को मुख्यालय की ओर से ट्राफी प्रदान की गई। इस अवसर पर विशेष रूप से तैयार किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसमें कार्यालय के कर्मचारियों ने बड़े ही रुचिकर और मधुर गीतों का गायन किया। कुछ कर्मचारियों ने राजभाषा हिंदी के विषय में विचार भी व्यक्त किए।

क्षेत्रीय कार्यालय में इस वर्ष आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतियोगियों को बीमा आयुक्त ने पुरस्कार प्रदान किए। हिंदी अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 1988-89 में कार्यालय में हिंदी के प्रयोग प्रसार संबंधी गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्री रमेश लाल वर्मा ने कहा कि राज भाषा हिंदी को अपनाने में अब और ढील नहीं दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उठी जन भावनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान नागरिक अधिकारों की रक्षा, सच्ची जनसेवा, मौलिक चिंतन और बौद्धिक विकास के लिए माध्यम के रूप में स्वदेशी भाषा का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग होना चाहिए। क्षेत्रीय निदेशक श्री रमेश कुंभारे ने कर्मचारियों का कार्यालय में ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग किए जाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यालय का काम करने के लिए हिंदी का अपेक्षित ज्ञान सभी को है। हम एक बार हिंदी में कार्य करने का निश्चय कर लें तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। डॉ. वार्ष्णेय ने हिंदी की लोकप्रियता और इस के विस्तृत प्रयोग का हवाला देते हुए इसे एक समृद्ध और परिमार्जित भाषा बताया। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रभाषा हमारी संस्कृति की वाहिका है। किसी भी भारतीय भाषा को जानने वाले के लिए हिंदी जानना बड़ा सरल है। बीमा आयुक्त ने कहा कि हिंदी का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पढ़ने और लिखने वाले को अंग्रेजी की अपेक्षा यह ज्यादा आसान लगे। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात को हिंदी का अच्छा प्रयोग करने और इस उपलक्ष्य में ट्राफी प्राप्त करने के लिए तथा हिंदी दिवस समारोह का सुचारू ढंग से आयोजन के लिए बधाई दी।

श्री जे. के. शर्मा उप क्षेत्रीय निदेशक ने बीमा आयुक्त और डॉ वार्ष्णेय का समारोह में पधारने और मूल्यवान विचार प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने सभा में उपस्थित सभी कर्मचारयों और अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने की दृष्टि से निगम कार्यालयों में समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों की श्रंखला में निगम

कार्यालयों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से अन्तः क्षेत्रीय हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। वर्ष 1987-88 में आयोजित इस तरह की प्रतियोगिता में इस बार सभी निगम कार्यालयों में सर्वाधिक कार्य हिंदी में करने के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा और 'ग" क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य हिंदी में करने के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय कर्नाटक को शील्ड दी गई। सभी निगम कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में दूसरा स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब और "ख" क्षेत्र में स्थित निगम कार्यालयों में सर्वाधिक कार्य हिंदी में करने के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात को ट्राफी प्रदान की गई। यह शील्ड ट्राफियां इस वर्ष 14 सितंबर को आयोजित हिंदी समारोह में निगम मुख्यालय की ओर से संबधित कार्यालयों को भेंट की गई। इसके अलावा अन्य कार्यालयों में भी इस अवसर पर हिंदी समारोह आयोजित किए गए।

1. क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा

एक से 15 सितम्बर 1989 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसके दौरान हिंदी के प्रचार प्रसार की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

दिनांक 14 सितम्बर 1989 को हिंदी समारोह किया गया जिसमें मुख्यालय की ओर से वित्त आयुक्त श्री नरोत्तम व्यास ने क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा को सभी निगम कार्यालयों में सर्वाधिक कार्य हिंदी में करने के उपलक्ष्य में शील्ड भेंट की। इसके अलावा पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एव प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए।

2. क्षेत्रीय कार्यालय, कर्नाटक

एक से 15 सितम्तर, 1989 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। दिनांक 21 सितम्बर, 89 को हिंदी समारोह में मुख्यालय की ओर से निदेशक प्रबंध कैप्टन राजेंद्र सिंह रावत ने उक्त कार्यालय को "ग" क्षेत्र में स्थित निगम कार्यालयों में सर्वाधिक कार्य हिंदी में करने के उपलक्ष्य में शील्ड भेंट की। संयुक्त निदेशक श्री मंगल प्रसाद समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और उन्होंने राजभाषा विभाग की ओर से उक्त कार्यालय को राजभाषा ट्राफी प्राप्त करने के लक्ष्य में बधाई दी।

मनोरंजन क्लब की ओर से आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में श्रीमती अपर्णायेरी, श्रीमती टी. शशिरेखा व श्रीमती कुदसिया बेगम के मधुर स्वरों से श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इसके अलावा श्रीमती बी. प्रभा और श्री वेंकटदासु व श्री यु. वी. शेणै और के. संध्या के अभिनय तथा व्यंग्यपूर्ण चुटकुलों से हास्यमय वातावरण बन गया।

(3) क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब

एक से 14 सितंबर, 89 तक आयोजित हिंदी पखवाड़े के अंत में दिनांक 14 सितम्बर, 1989 को हिंदी समारोह का आयोजन किया गया। जिस में निगम मुख्यालय की ओर से श्री मदन गोपाल पुरी, संयुक्त मुख्य लेखा अधिकारी ने उक्त कार्यालय को सभी निगम कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ट्रॉफी भेंट की। समारोह में सर्वश्री राजेश कुमार, पंकज कुमार और विजय कालिया ने गीत प्रस्तुत किए और भारत सरकार के गीत तथा नाटक प्रभाग के कलाकारों ने मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

4. क्षेत्रीय कार्यालय, गुजरात

एक से 14 सितम्बर, 89 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया और 14 सितम्बर, 89 को उत्साहपूर्वक हिंदी समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यालय की ओर से बीमा आयुक्त, श्री भगवती प्रसाद ने उक्त कार्यालय को "ख" क्षेत्र में स्थित सभी निगम कार्यालयों में सर्वाधिक कार्य हिंदी में करने के उपलक्ष्य में ट्रॉफी भेंट की। समारोह में गुजरात विद्यापीठ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डा. कूंज बिहारी वार्ष्णेय ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बीमा आयुक्त ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतरीन कार्य के लिए कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

5. क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई

क्षेत्रीय कार्यालय में 1 से 14 सितम्बर, 89 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया और 14 सितम्बर, 89 को संयोगवश महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन का दिन होने के कारण 15 सितम्बर, 89 को हिंदी समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में श्रीमती राधिका सोमनी ने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे श्री एल. डी. संत ने संगीत दिया। निगम द्वारा संचालित विभिन्न पुरस्कार योजनाओं में पुरस्कृत कर्मचारियों को नकद पुरस्कार/प्रशस्त-पत्र भेंट किए गए। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्री इंद्रमूर्ति वर्मा तथा श्रीमती राजकुमारी भाटिया ने मनोरंजक चुटकुले सुनाए और श्री पारसनाथ राजभर ने स्वरचित गीत प्रस्तुत करके श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया।

6. क्षेत्रीय कार्यालय, आंध्र प्रदेश

कार्यालय में 14 सितम्बर, 1989 को हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया।

7. क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश

दिनांक 28 सितम्बर, 1989 को हिंदी पखवाड़े के समापन के अवसर पर वार्षिक हिंदी समारोह आयोजित किया गया, जिसमें "नवभारत" के प्रधान संपादक, श्री कमलदीप ने

प्रमुख अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आकाशवाणी, इंदौर के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, श्री वीरेंद्र मुंशी ने की और विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत कर्मचारियों को नकद पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। इस अवसर पर आकाशवाणी, इंदौर के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के सौजन्य से "मयूरी" नामक नाटक प्रदर्शित किया गया जिसकी सराहना हुई।

8. क्षेत्रीय कार्यालय, केरल

दिनांक 1 से 15 सितम्बर 1989 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया और संयोगवश 14 सितम्बर को ओणम् के उपलक्ष्य में अवकाश होने के कारण 15 सितम्बर, 1989 को हिंदी दिवस समारोह का शुभारंभ मनोरंजन क्लब के श्री कुमारन् की ईश वंदना से हुआ और श्री जाफर ने मधुर स्वर में हिंदी गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध, प्रवीण व प्राअ परीक्षाओं में सफल कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

9. उप क्षेत्रीय कार्यालय, पूना

अन्य निगम कार्यालयों की तरह इस कार्यालय में भी हिंदी पखवाड़े के समापन के अवसर पर हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया। जिसमें ए. आर. शिंदे तथा उनके साथियों द्वारा राष्ट्रभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर कई मनोरंजक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए जिसमें श्री फुले द्वारा निर्देशित एकांकी नाटक "छू मंतर" आकर्षण का केन्द्र रहा। कार्यालय की महिला कर्मचारियों द्वारा गरबा नृत्य ने दर्शकों को विभोर कर दिया।

10. उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर

एक सितम्बर, 1989 से 14 सितम्बर, 1989 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया और दिनांक 21 सितम्बर, 1989 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोताओं के दौरान पुरस्कृत कर्मचारियों को नकद पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। इस अवसर पर उप क्षेत्रीय कार्यालय में स्थापित हिंदी पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया गया। श्रीमती सौहास गायकी ने अपने मधुर कंठ से "मैं तो सांवरे के रंग रांची" गीत गाकर समारोह की शोभा में चार चांद लगाए।

11. क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

1 सितम्बर, 1989 से 14 सितम्बर, 1989 तक आयोजित हिंदी पखवाड़े के समापन अवसर पर 14 सितम्बर को हिंदी समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मां सरस्वती को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर हुआ। समारोह में श्री विजय कुमार गुप्ता के देशभक्ति गीत व श्री जे. के. पारीक की कविताएं सुनकर वातावरण करतल ध्वनि से गूंज उठा।

12. क्षेत्रीय कार्यालय, उड़ीसा

इस कार्यालय में भी हिंदी पखवाड़े के समापन के अवसर पर 14 सितम्बर, 1989 को हिंदी समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत कर्मचारियों को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति-पत्र भेंट किए गए। इस अवसर पर श्री अरविंद घोष ने "सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा" और श्री के. शिवप्रसाद राव ने "हरि का ध्यान लगा मन मेरे" नामक भक्ति गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

13. क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता

14 सितम्बर, 1989 से शुरू किए जाने वाले हिंदी सप्ताह की मंगल बेला पर हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगिताओं को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस समारोह में रिजर्व बैंक के राजभाषा अधिकारी, श्री राधा वल्लभ कंठ ने भाग लेकर समारोह की शोभा बढ़ाई।

14. क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली

दिनांक 1 से 15 सितम्बर, 89 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया और 19 सितम्बर, 89 को हिंदी समारोह आयोजित किया गया। समारोह मे निगम के बीमा आयुक्त श्री भगवती प्रसाद ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल कर्मचारियों को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र भेंट किए।

15. क्षेत्रीय कार्यालय, गोआ

उक्त कार्यालय में 14 से 29 सितम्बर, 89 तक हिंदी पखाड़े का आयोजन किया गया और 4-10-89 को हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया।

लुब्रिज़ॉल इंडिया लिमिटेड, बम्बई

25 से 29-12-1989 की अवधि में हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान उपक्रम से सभी कार्मिकों को यथासम्भव राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। मेजर एम. भारते प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने 26-12-1989 को उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की।

मेजर भारते ने कहा कि राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा होने के कारण हिन्दी सीखना, हिन्दी में कार्य करना और इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना हमारा कर्त्तव्य है।

श्री मनोजकुमार सिंह हिन्दी अधिकारी ने बताया कि हिन्दी हमारी अपनी भाषा है। हिन्दी का प्रचार-प्रसार अपेक्षित मात्रा में न होने के लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं क्योंकि हीन भावना से ग्रस्त होकर हम शिक्षा

रोजगार में हिन्दी का प्रयोग न करके हर जगह अंग्रेजी का प्रयोग कर अपने आपको गौरवान्वित समझते हैं। उन्होंने उपक्रम के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए पुरजोर अपील की।

हिन्दी सप्ताह के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं यथा--निबन्ध लेखन, टिप्पण, प्रारुपण व अनुवाद प्रतियोगिता और श्रुतलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगिओं को निम्नानुसार पुरस्कृत किया गया :--

श्रुतलेखन प्रतियोगिता

श्री अतुल भाईचन्द शाह	--प्रथम पुरस्कार
श्री मयूर आर. परिख	--द्वितीय पुरस्कार
श्री आनंद रानडे	--तृतीय पुरस्कार

टिप्पण, प्रारुपण व अनुवाद प्रतियोगिता

श्री विक्रम सिंह परांजुली	--प्रथम पुरस्कार
श्री मनोहर आत्माराम कामेरकर	--द्वितीय पुरस्कार
श्री आनन्द रानडे	--तृतीय पुरस्कार

निबन्ध प्रतियोगिता

श्री विजय कुमार वाल्मीकी	--प्रथम पुरस्कार
श्री अतल भाईचन्द शाह	--द्वितीय पुरस्कार

हिन्दी सप्ताह के दौरान दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कुल 13 कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया।

एयर इंडिया, बम्बई

हिन्दी सप्ताह को मद्दे नजर रखते हुए, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की शाखा की विशेष बैठक शाखा-प्रधान श्री आर.जे. मोज़ेस की अध्यक्षता में 21 सितम्बर, 1989 को सम्पन्न हुई।

मुख्य अतिथि के करकमलों से परिषद की इस शाखा का विधिवत उद्घाटन हुआ। तत्पश्चात् अपने भाषण में श्री सिधवा ने हिन्दी की बढ़ोत्तरी में परिषद की रुचि और इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हिन्दी शासन नहीं बल्कि एकता चाहती है अतः देश और समाज के उत्थान तथा उनमें एकता कायम रखने के लिए हिन्दी की महत्ता बताने और इसका उपयोग करने में परिषद् का प्रयास सचमुच सराहनीय है। हमें आशा है कि यह शाखा एअर-इंडिया के कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति अधिकतम लगाव पैदा करने में अवश्य सफल होगी। शाखा के उपस्थित पदाधिकारियों को उन्होंने आश्वासन दिया कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए उनका समुचित सहयोग हमेशा मिलता रहेगा।

श्री राजेन्द्र शर्मा ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु परिषद् द्वारा अपनाएं जाने वाले तरीकों का जिक्र करते हुए हिन्दी के संवैधानिक हक से सबको परीचित कराया। एअर-इंडिया के लेखा विभाग में हो रही हिन्दी की प्रगति की चर्चा करते हुए श्री शर्मा ने शाखा मंत्री को बधाई दी। उन्होंने आगे कहा कि लेखा विभाग से हमें सीख लेनी चाहिए और अगर हम इस शाखा के माध्यम से जितना कुछ इस विभाग में हुआ है, उतना अन्य विभागों में भी कर ले जाएं तो हम अपने को हिन्दी के प्रति समर्पित हुआ कहने के हकदार हो सकते हैं और निगम में हिन्दी के बढ़ते कदम कभी रुक नहीं सकेंगे।

शाखा प्रधान श्री मोज़ेस ने शाखा के उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करते हुए सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों से निवेदन किया कि परिषद् द्वारा आयोजित अनेकानेक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सभी अपने-अपने विभागों के कर्मचारियों को प्रेरित और उत्साहित करें। हमें प्रतियोगिताओं के दिन एवं समय की जानकारी ठीक समय पर अधिक से अधिक कर्मचारियों को देनी चाहिए जिससे इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट, बम्बई

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बंबई स्थित सभी कार्यालयों में पहली बार दिनांक 14 सितम्बर, 1989 को हिन्दी दिवस समारोह आयोजित किया गया। मुख्य समारोह न्यू मेरीन लाइन्स स्थित प्रधान कार्यालय में हुआ, जिसमें अध्यक्ष, श्री एम.जे. फेरवानी ने हिन्दी सीखने हेतु एक प्रोत्साहन योजना आरम्भ करने की घोषणा की। श्री ए.पी. करियन कार्यपालक न्यासी ने आपसी संबंधों में घनिष्ठता लाने के लिये हिन्दी को अनिवार्य माध्यम बताया। श्री के.जी. वासल मुख्य महाप्रबन्धक ने ट्रस्ट द्वारा हिन्दी में किए गए कार्यों तथा भावी कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दी।

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के उपनिदेशक श्री हरिओम श्रीवास्तव ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिन्दी ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा देश के किसी भी कोने में हम अपना काम चला सकते हैं। उन्होंने कर्मचारियों से प्रतिदिन कम से कम एक हिन्दी शब्द फाइलों पर लिखने को कहा।

मेकर टावर काफ परेड कार्यालय में श्री ए. एन. पालवणकर महाप्रबन्धक ने 14 सितम्बर, 1989 को अनन्त चतुर्दशी ट्रस्ट पर 'गागर में सागर' नामक फिल्म के दूरदर्शन पर प्रसारण व पहली बार ट्रस्ट में हिन्दी दिवस के आयोजन को एक सुसंयोग बताया। इस अवसर पर कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु कार्मिकों के कर्तव्य एवं हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों हिन्दी सीखने पर मिलने वाले प्रोत्साहनों के विषय में अवगत कराया गया।

जे.बी.पी.डी. कार्यालय में राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना की उपनिदेशक श्रीमति इंदिरा पंड्या मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने कर्मचारियों को राजभाषा नियमों व हिन्दी सीखने पर मिलने वाले प्रोत्साहनों के विषय में जानकारी दी। इस अवसर पर श्री बी.एस. पण्डित उप महाप्रबन्धक ने भी संबोधित किया।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गाजियाबाद

राजभाषा कार्यान्वयन् समिति के अध्यक्ष एवं अपर महाप्रबन्धक (संचार) श्री ओ.पी. मोंगा ने 14 सितम्बर, 89 को "हिन्दी सप्ताह" का उदघाटन किया।

श्री मोंगा ने उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को यह शपथ दिलाई—"मैं अपनी भाषा की उन्नति के साथ-साथ राजभाषा हिन्दी को समृद्धशाली बनाने का प्रयास करता रहूंगा।

इस वर्ष में आयोजित प्रतियोगिताओं की संख्या में वृद्धि की गई तथा हिन्दी भाषा के क्षेत्र में वास्तविक प्रतिभाओं का पता लगाने पुरस्कृत करने के लिए कई नए प्रयोग किए गए। सभी प्रतियोगिताएं तत्स्थान (बिना पूर्व जानकारी) दिए गए विषय के आधार पर कराई गई। कहानी लेखन एक चित्र के आधार पर कराया गया।

निबन्ध लेखन, कहानी लेखन कार्यालयी, पत्र-व्यवहार टाइपलेखन तथा वाद-विवाद के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

हिन्दी मातृ भाषा वालों के लिए प्रतियोगिताएं

पत्र लेखन

विशेष पुरस्कार श्री ई.एम. आदित्यन विजय कुमार

वाक् प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार —श्री टी. राजेन्द्र
द्वितीय पुरस्कार —एन. शैडरिक
तृतीय —डी. अमरेन्द्र
विशेष —ई.एम. आदित्यन, श्री एन. रवि शंकर
विशेष पुरस्कार श्री शिवकुमार गोसाई

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त एक प्रतियोगिता "सितम्बर-अक्तूबर, 89 में सर्वाधिक हिन्दी कार्य" के नाम से की गई। प्रतियोगियों से आंकड़े प्राप्त होने तथा आंकड़ों की वास्तविकता की पुष्टि होने के बाद सफल प्रतियोगी को रु. 200 का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, नई दिल्ली

14 से 28 सितम्बर 1989 तक को पाइपलाइन्स प्रभाग में हिन्दी पखवाड़े के रूप में मनाया गया।

14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में पाइप-लाइन्स मुख्यालय में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक श्री आर.पी ढेकर ने की। इस अवसर पर महाप्रबन्धक (परियोजना) श्री आर.ए. शानभाग ने कार्यपालक निदेशक (पाइप-लाइन्स) के हिन्दी दिवस स्मारिका का विमोचन किया। समारोह में पाइपलाइन्स मुख्यालय के अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिन्दी में काम करने के लिए मिली प्रेरणा, व्यावहारिक कठिनाइयों और उनके समसामयिक समाधानों के संबंध में विचार प्रस्तुत किए।

कार्यपालक निदेशक श्री.आर.पी. मेढेकर ने हिन्दी टाइपिंग और मई 1989 में आयोजित हिन्दी शिक्षण की प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षाओं के सफल प्रशिक्षार्थियों को नकद प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया। अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने व दिल से इस कार्य में जुट जाने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया।

समारोह की विशेष एवं उल्लेखनीय बात यह रही कि समारोह में मंच संचालन का कार्य हिन्दी के प्रति समर्पित अहिन्दीभाषी अधिकारी श्री के.एस.आर. अंजनेयुलु ने किया। उनसे पूर्व वरिष्ठ वित्त प्रबन्धक श्री बी.डी. सोनी ने भी विचार व्यक्त किए।

हिन्दी टाईपिंग में सफल कर्मचारी

1. सर्वश्री एच.सी. अजमानी।

हिन्दी शिक्षण योजना की मई 1989 की परीक्षा में उत्तीर्ण

प्रबोध सर्वश्री ए.बी. चन्दा, एस. दास, एम.के. सरकार।
प्रवीण बी. रे, एस. के. राय, डी. बनर्जी, एस.के. घोष, पी.के. भट्टाचार्य, पी. भट्टाचार्य, चन्दरु तथा टी.सी. कुण्ड।

प्राज्ञ एस. राय, ए.के. गुहा, जे. घोष, तथा टी.के. सरकार।

हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिता

14 सितम्बर, 1989 को हिन्दी पखवाड़े के दौरान मुख्यालय एमजेपीएल, के बी पी एल एवं वीसीपीएल में संयुक्त रूप से तथा पूर्वी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र में अलग-अलग हिन्दी सुलेख श्रुतलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न ग्रेडों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता

हिन्दी में कार्यालय का काम निपटाने की दिशा में हिन्दी पखवाड़े के दौरान 20 सितम्बर, 1989 को मुख्यालय, एमजेपीएल केबीपीएल एवं वीसीपीएल में संयुक्त रूप से

हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता पूर्वी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र में भी इसी पखवाड़े के दौरान ही आयोजित की गई।

"डी" व "ई" ग्रेड के कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला

वर्ष 1989-90 के वार्षिक कार्यक्रमानुसार इस वर्ष की पहली एवं समेकित रूप से 22 वीं हिन्दी कार्यशाला का आयोजन पाइपलाइन्स मुख्यालय में किया गया। कार्यशाला में "डी" व "ई" ग्रेड के 11 अधिकारियों ने तन्मयता से भाग लिया। कार्याशाला का उदघाटन कार्यपालक निदेशक (पाइपलाइन्स) श्री आर.पी. मेढेकर ने किया। उन्होंने हिन्दी की संवैधानिक स्थिति की चर्चा करते हुए इस की महत्ता एवं दायित्वों के प्रति प्रबन्धकों को सचेत रहने का परामर्श दिया। कार्यशाला में राजभाषा नीति इंडियन ऑयल में हिन्दी की प्रगति· हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग एवं पत्राचार का अभ्यास ·कराया गया। समापन अवसर पर श्री एम.के. स्करिया उप महाप्रबन्धक (कार्मिक) ने प्रतिभागियों को कार्यशाला की उपयोगिता एवं सार्थकता के विषय में बताया और आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए वे सभी अपने-अपने विभागों में हिन्दी के काम को नई दिशा देंगे।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय–मेरठ

दिनांक 14-9-1989 को हिन्दी कार्यशाला पर आधारित प्रतियोगिता में श्री अनिल कुमार सैनी प्रथम, श्रीमती सुषमा आनन्द द्वितीय एवं श्री कृष्ण. गोपाल अग्रवाल तृतीय स्थान पर रहें जिन्हें समापन समारोह के अवसर पर क्रमश: रु. 51, रु. 31 एवं रु. 21 पुरस्कार, स्वरूप प्रदान किए गए।

हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता

प्रतियोगिता में श्री महिपाल शर्मा प्रथम, श्री टी.एस. नारंग द्वितीय एवं श्रीमती सुषमा आनन्द तृतीय स्थान पर रहे जिन्हें क्रमश: रु. 150, रु. 100 एवं रु.75 पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए।

हिन्दी टंकण प्रतियोगिता :

15-9-1989 को हिन्दी टंकण प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में श्री प्रवीण कुमार गुप्ता प्रथम, श्री देवेन्द्र कुमार द्वितीय एवं श्री अशोक कुमार गुप्ता तृतीय स्थान पर रहें जिन्हें क्रमश: रु. 51, रु. 31 एवं रु. 21 पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये गये।

हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता

15-9-89 को हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। प्रतियोगिता में श्री बी.के. लाल प्रथम, श्री एस. पी. सिंह द्वितीय एवं श्री मौ. असलम तृतीय स्थान पर रहे जिन्हें क्रमश: रु. 150, रु. 100 एवं रु. 75 पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए।

कविता पाठ प्रतियोगिता

दिनांक 18-9-89 को कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित की गई।

प्रतियोगिता में श्री राजकुमार त्यागी प्रथम, श्री बी. के. लाल द्वितीय एवं श्री एस. पी. सिंह तृतीय स्थान पर रहे जिन्हें क्रमश: रु. 51, रु. 31 एवं रु. 21 पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये गये।

वादविवाद प्रतियोगिता––

दिनांक 18-9-89 को वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई।

प्रतियोगिता में श्री बी.के. लाल प्रथम, श्री एस.पी. सिंह द्वितीय एवं श्री टी.एस. नारंग तृतीय स्थान पर रहें इन्हें क्रमश: रु. 51, रु. 31 एवं रु. 21 पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये गये।

स्थानीय क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सौजन्य से ' 'राष्ट्रीय एकता" एवं श्री जवाहरलाल नेहरू" पर हिन्दी में वृत्तचित्रों का प्रदर्शन किया गया।

हिन्दी सप्ताह समापन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. धनप्रकाश मिश्र, अध्यक्ष हिन्दी विभाग एन.ए एस. पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मेरठ थे। अध्यक्षता क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्री कुंवर बहादुर यादव ने की। श्री मिश्र ने सरस्वती जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करके एवं द्वीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उसके बाद ज्योति जूनियर हाई स्कूल, हनुमानपुरी, मरठ की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की। कार्यालय में हिन्दी प्रयोग संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हिन्दी प्रगति से संबंधित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के विषय में जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने आह्वान किया कि राजभाषा की प्रगति के लिए केवल कार्यालय ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में भी हम हिन्दी को ही अपनाएं। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम दो चरणों में हुआ।

कवि सम्मेलन सर्वश्री "पदम सिंह "पद्म", दरियाव सिंह "ब्रजकण", ब्रजभारती, ताराचन्दपाल "बैकल" डा० धनप्रकाश मिश्र, पं. आशुतोष, सुधाकर आशावादी, धर्मजीत सरल, कैलाश गौतम, श्रीमती शशि रानी शर्मा, विष्णु सरस, विजय प्रशान्त एवं कु. सुलक्षणा अंजुम जैसे प्रसिद्ध कवियों ने भाग लिया।

अन्त में, हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी प्रत्याशियों, बाल-कलाकारों एवं कवियों को पुरस्कार वितरण के साथ सम्पन्न हुआ। मंच संचालन हिन्दी अनुवादक श्री अलीरोशन ने किया।

14 से 20 सितम्बर, 89 तक साप्ताहिक हिन्दी आख्या

	कुल संख्या	हिन्दी में	अंग्रेजी में	द्विभाषी
1. प्राप्त पत्र .	348	263	85	—
2. दिये गये उत्तर	124	120	4	—
3. भेजे गये तार		—शून्य—		
4. अपनी ओर से पत्राचार	331	286	45	—
5. चैक . .	715	703	12	—
6. सामान्य आदेश .	2	2	—	—

भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड
प्रधान कार्यालय, पटना

14 से 29 सितम्बर 1989 के बीच हिन्दी पखवाड़े का उद्घाटन कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री रामप्रवेश सिंह ने किया। पखवाड़े के दौरान वाद-विवाद, निबंध, टिप्पण-प्रारूपण आदि विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

29 सितम्बर को पखवाड़े के समापन समारोह तथा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि थे राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के निदेशक (नीति) श्री सर्वेश्वर झा। इस अवसर पर श्री झा ने कहा कि हिन्दी संघ की राजभाषा ही नहीं देश की एकता की भाषा भी है। यह हमारे देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है।

समारोह की अध्यक्षता कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री राम प्रवेश सिंह ने की। इस अवसर पर अपनी कम्पनी में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित उपलब्धियों की विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने भविष्य में कम्पनी के कार्यालय काम काज में हिन्दी का प्रयोग और अधिक बढ़ाने का आश्वासन दिया।

'मिटको' के राजभाषा सलाहकार श्री जगत पाण्डेय "युगल" ने भी उक्त समारोह में विचार व्यक्त किए। महा-प्रबन्धक श्री ईश्वर चन्द सिन्हा ने अतिथियों का स्वागत किया तथा प्रबन्धक (मानव संसाधन विकास) श्री राय विरेन्द्र कुमार दत्ता ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यपालक (हिन्दी) श्री मदन मोहन सिंह ने किया।

विभिन्न प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया :—

1. श्री प्रबोध चन्द कुमार, कार्यपालक (कार्मिक)
2. श्री अतुल कुमार सिंह, कार्यपालक (कार्मिक)
3. श्री अशरफ खां, कनिष्ठ आशुटंकक
4. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, आशु-सहायक
5. श्री राम विनोद लाल, आशु-सहायक
6. श्री विनोद कुमार, कनिष्ठ सहायक
7. श्री नवल प्रसाद सिंह, कनिष्ठ सहायक
8. श्री अशोक कुमार गुप्ता, टंकक-सह-सहायक
9. श्री अबोध कुमार पट्टजोषी, कायपालक (वित्त)
10. श्री तूफान कुमार गुप्ता, कार्य अध्ययन सहायक

वैपकोस, नई दिल्ली

वाटर एवं पावर कन्सलटेंसी सर्विस इंडिया लि., नई दिल्ली में सरकारी कामकाज में राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 14 से 20 सितम्बर, 1989 के दौरान हिन्दी सप्ताह मनाया गया। हिन्दी सप्ताह के दौरान निम्नलिखित बातों का खास तौर पर ध्यान रखने का अनुरोध किया गया :—

(1) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं, वे आदेशानुसार अपना सारा काम हिन्दी में ही करें।

(2) ऐसे अहिन्दी भाषी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना के माध्यम से हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अपना अधिकाधिक काम हिन्दी में करने का प्रयत्न करें।

(3) जिन अहिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों ने अभी तक हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वे कम से कम अपने हस्ताक्षर हिन्दी में करना शुरू करें।

(4) राजभाषा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में अल्लिखित कानूनी अपेक्षाओं का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(5) जितने भी मानक मसौदे द्विभाषी रूप में अपलब्ध हैं, अन्हें केवल हिन्दी में ही भरकर भेजा जाए।

इसके अलावा, उपर्युक्त हिन्दी सप्ताह के दौरान एक विशेष अल्पकालिक पुरस्कार योजना भी लागू की गई ताकि अधिकारी/कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

पुरस्कार योजना के पुरस्कार विजेताओं के साथ साथ इससे पहले राजभाषा प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं अर्थात् हिन्दी निबंध वाद विवाद व टंकण प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।

1 श्री अत्तर सिह, सहायक	100/- रु.
2. श्री अमरीक सिह, वैयक्तिक सहायक	100/- रु.
3. श्री एस. पी. कुमार, उप प्रबंधक (वि)	100/- रु.
4. श्री प्रेम प्रकाश भारद्वाज, कनि सहायक	100/- रु.
5. श्री बी. एस. रावत, वरि. सहायक	75/- रु.
6. श्री उदयवीर सिह, सहायक	50/- रु.
7. श्री ओ. पी. सेठी, सहायक एव कोषाध्यक्ष	50- रु.
9. श्री दीनदयाल, सहायक	50/- रु.
9. श्रीमती निर्मला मित्तल, पुस्तकाध्यक्ष	25/- रु.
10. श्री भक्त राज कमल, प्रारूपकार	25/- रु.
11. श्री पृथ्वी राज, वरि. सहायक	25/- रु.
12. श्री डी.एस. पाहवा, वरि. प्रबंधक क. एवं मासवि	25/-
13. कु० मनजीत कौर, स्वागति	25/-

पुरस्कार वितरण महाप्रबंधक श्री एल. वी. कुमार ने किया पुरस्कार वितरण के बाद उन्होंने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे राजभाषा नीति के अनुसार अपना ज्यादा से ज्यादा कार्य हिन्दी में ही करें।

श्री डी. एस. पाहवा, प्रबंधक (का. एव. मासवि) ने भी अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित किया और हिन्दी अधिकारी द्वारा वैष्कोस में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मुख्य अपलब्धियों और विचाराधीन कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।

ई टी एण्ड टी कार्पोरेशन, नई दिल्ली

कम्पनी के प्रधान कार्यालय में से 22 जनवरी, 1990 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की प्रतियोगिताए करायी गई और हर स्तर के व्यक्ति को जोड़ने के लिए आकर्षक पुरस्कार रखकर अखिल भारतीय हिन्दी वाक प्रतियोगिता समारोह के अवसर पर सम्मानित किया गया।

ई टी एण्ड टी में शुरू से ही राजभाषा हिन्दी के प्रति रूचि जागृत करने तथा इस राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिये मैनेजमेंट हमेशा से जागरूक रहा है। 19 जनवरी 1990 को ई टी एण्ड टी परिसर के सभी कर्मचारीगण विश्व युवक केन्द्र में अखिल भारतीय हिन्दी वाक प्रतियोगिता मनाने के लिये एकत्रित हुए। इस प्रतियोगिता के मुख्य आकर्षण थे— क्षेत्रीय आधार पर आयोजित हिन्दी वाक प्रतियोगिता में प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त कर्मचारियों द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लेना तथा दूसरे, हिन्दी पखवाड़े के अन्तर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत कर्मचारियों को पुरस्कृत करना। श्री श्यामलेन्दु नियोगी, महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) ने प्रतियोगिता का शुभारम्भ करते हुए इलेक्ट्रानिकी विभाग से आए मुख्य अतिथि डॉ. ओम विकास, अपर निदेशक तथा श्री राजाराम जायसवाल, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, श्री गौतम सोनी का स्वागत किया उन्होंने सूचित किया कि इस वर्ष से इलेक्ट्रानिकी विभाग ने शील्ड देने की योजना बनाई है और यह शील्ड उस कम्पनी की दी जाएगी जो सबसे ज्यादा हिन्दी में काम करेंगे। हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह शील्ड हमें मिले उन्होंने हिन्दी में काम करने के लिये दी जा रही सुविधाओं तथा लागू प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ साथ पुस्तकों की खरीद से संबंधित सुझाव हिन्दी कक्ष को भेजने का अनुरोध किया।

"संविधान के अनुसार हिन्दी राजभाषा है। इसे हृदय से स्वीकार करें।"

—श्यामलेन्दु नियोगी,
महाप्रबन्धक (कार्मिक व प्रशासन)

अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक श्री गोतम सोनी ने कहा कि मुझे खुशी है कि सितम्बर, 1989 में संसदीय राजभाषा समिति ने अपने निरीक्षण के दौरान निगम में हुई हिन्दी की प्रगति की सराहना की है। उन्होंने हिन्दी प्रचार बढ़ाने के लिये अपील की कि कम्पनी का प्रत्येक कर्मचारी रोजाना एक पत्र टिप्पणी हिन्दी में लिखना शुरू करे इसे कम्पनी में हिन्दी पत्राचार काफी बढ़ जाएगा तथा हिन्दी की प्रगति सम्भव होगी।

प्रतियोगिता का उद्घाटन डा. ओम विकास, अपर निदेशक, इलेक्ट्रानिकी विभाग ने किया। इसके बाद ई टी एण्ड टी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से आए प्रतियोगियों द्वारा अपने अपने विषयों पर सरस मधुर तथा उत्कृष्ट व्यक्ति किए गए इस सभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी कर्मचारीगण हिन्दी भाषी थे। श्री सतीश पान्ड्या, परामर्शदाता (जनसम्पर्क) ने कहा कि हिन्दी में काम करने के लिए राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के प्रति लगाव की जरूरत है और किसी भी भारतवासी के लिए हिन्दी में काम करना नहीं है।

ले. कर्नल बी. आर. कायस्थ, उप महाप्रबंधक (सामग्री) ने भी हिन्दी में काम करना सरल तथा प्रत्येक भारतवासी के लिये सम्मान सूचक बताते हुए कमचारियों से अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने का अनुरोध

किया। तदुपरान्त करतल ध्वनि के बीच श्री के. वैत्तीश्वरन, महाप्रबंधक (देशीय विपणन) ने पुरस्कारों की घोषणा की। बम्बई कार्यालय के मुख्य प्रबंधक की ओर से शील्ड प्रथम पुरस्कार विजेता कु. गायत्री बाल सुब्रह्मयम् ने प्राप्त की। इसके बाद अखिल भारतीय हिन्दी वाक् प्रतियोगिता के अन्य पुरस्कृत सभी कर्मचारियों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

श्री कामेश्वर प्रसाद सहायक प्रबंधक (कार्मिक व राजभाषा) ने सभी सहभागियों के प्रयास की सराहना की तथा पुरस्कृत कर्मचारियों को बधाई दी तथा सभी अधिकारियों व कमचारियों से हिन्दी पत्राचार के क्षेत्र में सहयोग देने का अनुरोध किया।

अखिल भारतीय हिन्दी वाक् प्रतियोगिता में पुरस्कृत कर्मचारी

कु. गायत्री बालासुब्रहमण्यन, –बम्बई कार्यालय	–प्रथम
श्री ए.वी. सुब्रहमण्य, –मद्रास कार्यालय	––द्वितीय
श्रीमती पी. एस. पवार, –बम्बई कार्यालय	––तृतीय
श्रीमती रीता अरोडा, – बंगलोर कार्यालय	–तृतीय
मोहम्मद इक्रामुल्लाह, –मद्रास कार्यालय	–सांत्वना
श्री श्यामल चक्रवर्ती, ––कलकत्ता कार्यालय	–सांत्वना
श्री के. एस. वेंकटेश प्रसाद, –हैदराबाद कार्यालय	–सांत्वना
श्री केतू राजेश्वर, ––हैदराबाद कार्यालय	–सांत्वना

केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

संस्थान में 14-20 सितम्बर, 1989 को हिन्दी दिवस सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया इस अवसर पर निबन्ध, टिप्पण आलेखन तथा भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया 21-9-89 को मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि श्री दया प्रकाश सिन्हा निदेशक, उ. प्र. हिन्दी संस्थान ने भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता का उल्लेख करते हुए हिन्दी को जनभाषा बताया। मुख्य अतिथि का स्वागत संस्थान के कार्यकारी निदेशक डा. डी. एस. माकुनी ने किया। समारोह का प्रमुख आकर्षण हास्य व्यग्य की काव्य गोष्ठी थी जिसमें संस्थान के वैज्ञानिक डा० प्रेम सागर, कार्यवाहक अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वान समिति सहित लखनऊ के प्रख्यात कवियों सर्वश्री लीलाधर जगूडी, श्याम मिश्र, राजेश "विद्रोही" राजेश अरोडा, अनूप श्रीवास्तव, सूर्य कुमार पाण्डेय रमेश रंजन, श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव तथा श्रीमती सावित्री शर्मा ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मन्त्रमुग्ध कर दिया काव्य गोष्ठी का संचालन श्री रमेश रजन ने किया

मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिताओं के निम्नलिखित विजताओं को पुरस्कार दिए।

निबन्ध प्रतियोगिता (कुल प्रतियोगी 21)

कु. अपणा, डा. फ्रेमा एस. सूबमणियमन	प्रथम
श्रीमती पुष्पा पटनायक, कु. पदमा कुमारी एस.	द्वितीय

आलेखन टिप्पणलेखन प्रतियोगिता (कुल प्रतियोगी 19)

श्री शिवाकान्त, डा. प्रेमा एस. सुब्रामणियन	प्रथम
श्री सदन कुमार, श्री टी. एस. शशिकुमार	द्वितीय

भाषण प्रतियोगिता (कुल प्रतियोगी 10)

श्री निशोध सक्सेना, डा. प्रेमा एम. सुब्रमण्यिम	––प्रथम
श्री मती सफिया नसीम, कु. पदमा कुमारी एस.	द्वितीय

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष डा. प्रेम सागर ने आमंत्रित अतिथियों तथा अधिकारियों कर्मचारियों को हिन्दी दिवस सप्ताह समारोह" आयोजन को सफल बनाने हेतु धन्यवाद दिया। □

पृष्ट 77 का शेषांश

स्तम्भ के अन्तर्गत दी जाने वाली सामग्री अहिन्दी भाषियों के हिन्दी प्रेम को उजागर करती है। इससे दक्षिण में हिन्दी के लिए एक भूमि तैयार हो सकेगी। 'आदेश-अनुदेश' स्तम्भ के अन्तर्गत राजभाषा नीति सम्बन्धी आदेशों की जानकारी यथा-समय मिल जाती है।

बैंक में राजभाषा हिन्दी को बढ़ाने के लिए आपकी भावी योजना क्या है?

डॉ. बजाज! जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हिन्दी टंकण यंत्रों की खरीद के साथ साथ हिन्दी टंकण एवं आशु-लिपि प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक शाखा के निरीक्षण के समय एक पैरा राजभाषा कार्यान्वयन के बारे में दिया जा रहा है, उस पर अनुवर्ती कार्रवाई अवश्य की जाएगी। प्रत्येक शाखा में एक मानद हिन्दी प्रतिनिधि नियुक्त करने की योजना है, जो शाखा में हिन्दी कार्य को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। वर्ष में एक या दो बार इन हिन्दी सेवी प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने की योजना है और मुझे विश्वास है कि शाखा स्तर पर हिन्दी के प्रयोग बढ़ाने से हमारे बैंक में हिन्दी प्रयोग में अपूर्व वृद्धि होगी। □

हिंदी कार्यशालाएं

भारतीय खाद्य निगम, मद्रास

भारतीय खाद्य निगम अचंल कार्यालय, द्वारा अपने कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से दिनांक 12–13 सितम्बर 1989 को हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। श्री एम. ए. रामालिंगम संयुक्त प्रबन्धक, ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए निगम में हिन्दी के प्रयोग के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि हिन्दी कार्यशालाएं कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए तैयारी हेतु सशक्त माध्यम है।

इस कार्यशाला में हिन्दी में प्राज्ञ परीक्षा पास कर्मचारियों ने प्रशिक्षण ग्रहण किया। हिन्दी शिक्षण योजना के उप निदेशक श्री आर. के. दीक्षित ने कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए हिन्दी का महत्व अक्षुण्ण है। वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी दक्षिण रेलवे डॉ. एस. सुब्रहमणियम् ने हिन्दी में टिप्पणी-आलेखन के बारे में विस्तार से चर्चा की।

इंडियन एयरलाइन्स, मद्रास

11 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 1989 तक मद्रास में हिन्दी कार्यशाला (प्रशिक्षण कार्यक्रम) का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में इंडियन एयरलाइन्स के दक्षिणी क्षेत्र स्थित कोचीन, त्रिवेन्द्रम बेंगलूर हैदराबाद तथा मद्रास स्टेशन के 19 कर्मचारियों ने भाग लिया।

दक्षिणी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों भारत को सरकार की राजभाषा नीति राजभाषा अधिनियम एवं नियमों की पूरी जानकारी देने के प्रबंध किए गए इसके अतिरिक्त उन्हें इंडिययन एयरलाइन्स की कार्यप्रणाली में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित शब्दावली से भी परिचित कराया गया। इंडियन एयरलाइन्स का यह प्रयास रहा कि ऐसे कार्यक्रमों में कार्यरत अधिकारियों एवं प्रबंधकों को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया जिससे इंडियन एयरलाइन्स की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझाया जा सके।

वक्ताओं ने अपने भाषणों में सरल से सरल हिन्दी का प्रयोग किया एवं साथ ही क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास भी किए जाएं। कर्मचारियों ने अपने मूल्यांकन में उक्त कार्यक्रम की उपयोगिता को काफी सराहा उन्होंने विश्वास दिलाया कि अपने स्टेशनों पर जाकर वे इस कार्यक्रम का लाभ अपने रोजमर्रा के कार्यों में हिन्दी का प्रयोग कर उठाएंगें। डॉ० किशोर वासवानी का भाषण भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा राजभाषा हिन्दी ही क्यों? तथा श्रीमती रूबी सहाय द्वारा दिया गया "हिन्दी व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, आम गलतियां" सत्र बहुत सराहा गया। इसके अतिरिक्त आंतरिक प्रवक्ताओं में विशेषकर श्री आर. कामथ के "नियुक्ति, पदोन्नति, तैनाती, स्थानान्तरण सम्बन्धित अधिसूचनाएं हिन्दी में" सम्बन्धी सत्र भी काफी चर्चित रहा।

कार्यशाला के समापन पर दक्षिणी क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी ने ज्ञापित धन्यवाद किया और हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग पर बल दिया

इंडियन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर

कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र, कोरमंगला, बेंगलूर में 16 व 17 अक्टूबर, 1989 को अधिकारियों के लिए और 18-19 अक्टूबर, 1989 को अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए अलग-अलग हिन्दी कार्यशालाएं आयोजत की गई। संकाय सदस्य के रूप में बी० ई० एम० ए० ल० बेंगलूर, बैंक आफ-महाराष्ट्र, आन्ध्र बैंक एवं इंडियन ओवरसीज बैंक आदि से अधिकारी पधारे। इन दोनों हिन्दी कार्यशालाओं में संघ की राजभाषा नीति, बैंकों में हिन्दी का कार्यान्वयन आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और बैंकिंग कार्यादि में हिन्दी के प्रयोग का अभ्यास कराया गया। सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण एवं अपनी-अपनी शाखाओं में हिन्दी प्रयोग का संकल्प लिया।

आन्ध्र बैंक, निजामाबाद में वरंगल अंचल की स्वर्ण जयंती हिन्दी कार्यशाला

आन्ध्र बैंक, निजामाबाद क्षेत्र ने अपनी 22वीं हिन्दी कार्यशाला 18, से 20 जनवरी 1990 को होटल कपिल, निजामाबाद में आयोजित की। यह कार्यशाला वरंगल अंचल,

की, जिसमें आन्ध्रा बैंक के वरंगल, करीमनगर व निजामाबाद 3 क्षेत्र हैं, 50वीं (स्वर्ण जयंती कार्यशाला) थी। संयोग से आज से 2-1/2 वर्ष पहले 11 जुलाई, 87 को निजामाबाद क्षेत्र में ही वरंगल अंचल की प्रथम हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई थी। 50वीं कार्यशाला भी आयोजित करने का श्रेय भी निजामाबाद क्षेत्र को ही जाता है।

स्वर्ण जयंती कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जी. चलमय्या ने वरंगल अंचल में, विशेष कर निजामाबाद क्षेत्र में हो रही हिन्दी अनुपालन की प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों में हिन्दी अनुपालन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में अब तक क्षेत्र में आयोजित की गई विभिन्न कार्यशालाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत कम समय में ही हमारा क्षेत्र सभी सांविधिक अनिवार्यताओं का पालन करने के साथ-साथ बैंकिंग परिचालन क्षेत्र में भी हिन्दी का सफल प्रयोग कर रहा है। इससे पहले क्षेत्र के राजभाषा अधिकारी श्री केसर सिंह ने वरंगल अंचल की स्वर्ण जयंती हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में क्षेत्रीय प्रबंधक व प्रतिभागियों का स्वागत किया और कार्यशाला में पढ़ाये जाने वाले विषयों की जानकारी दी।

कार्यशाला 3 दिन तक चली जिसमें श्री केशर सिंह के अलावा स्थानीय हिन्दी विद्वान श्री शोभनाथ सिंह ने भी अपना योगदान दिया।

कार्यशाला के अंत में समापन समारोह की अध्यक्षता श्री जी. मालकोंडा रेड्डी उप महाप्रबंधक (प्राथमिकता क्षेत्र) केंद्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने की। इस अवसर पर वरंगल अंचल के आंचलिक प्रबंधक श्री एम.टी. कृष्ण राव तथा क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जी. चलमय्या भी उपस्थित थे। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री मालकोंडा रेड्डी ने कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत खुशी है कि वरंगल अंचल निजामाबाद में स्वर्ण जयंती हिन्दी कार्यशाला आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि निजामाबाद क्षेत्र हिन्दी अनुपालन के अलावा भी बैंकिंग के अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक को अंचल की 50वीं हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर बोलते हुए आंचलिक प्रबंधक श्री एम. टी. कृष्णाराव ने कहा कि निजामाबाद क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक व राजभाषा अधिकारी के हिन्दी अनुपालन में सक्रिय योगदान की वजह से वरंगल अंचल हिन्दी अनुपालन में उत्कृष्ट निष्पादन कर सका है। उन्होंने सभी से अपील की कि इसको बनाए रखें।

प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद

सिकन्दराबाद (आं.प्र.) स्थित प्रागा टूल्स लिमिटेड में अधिकारियों के लिए 5-5 दिवसीय दो हिन्दी कार्यशालाएं दिनांक 7-11-1989 से 11-11-1989 तक तथा दिनांक 13-11-1989 से 18-11-1989 तक हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में कनिष्ठ प्रबन्धक से लेकर प्रबन्धक स्तर के 30 तकनीकी अधिकारियों को कार्यालयीन हिन्दी का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर हिन्दी अधिकारी श्रीमती एस. लक्ष्मी कुमारी ने अतिथि वक्ता एवं प्रतिभागी अधिकारियों का स्वागत करते हुए हिन्दी कार्यशाला की उपादेयता पर प्रकाश डाला।

कार्यशालाओं में भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम एवं वार्षिक कार्यक्रम, शासकीय पत्राचार और उसके विभिन्न रूप, अंग्रेजी-हिन्दी में शैलीगत भेद, टिप्पण प्रयोजन और उसके नियम व उसके विभिन्न रूप तथा अहिन्दी भाषियों से हिन्दी में होने वाली सामान्य भूलें, वाक्य रचना आदि महत्वपूर्ण विषयों पर व्यावहारिक गहन प्रशिक्षण दिया गया।

उक्त विषयों के प्रशिक्षण से प्रतिभागियों को अपना कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने में काफी सहायता मिली एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रतिभागी अधिकारियों ने कार्यशाला के प्रति काफी दिलचस्पी दिखाई व अधिक से अधिक अपना कार्यालयीन काम हिन्दी में करने का दृढ़ संकल्प लिया।

कार्यशालाओं का समापन समारोह दिनांक 18-11-89 को सम्पन्न हुआ। अवसर की अध्यक्षता उपक्रम के कार्यवाहक प्रबन्ध निदेशक एवं महाप्रबन्धक (विपणन) श्री एन.सी. जगोता ने की। प्रतिभागी अधिकारियों का स्वागत श्री पी. साम्बशिव राव, महाप्रबन्धक (परिचालन) ने किया।

अध्यक्ष श्री जगोता ने प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने सम्बन्धी शब्दावलियां एवं अन्य साहित्य अपने कर-कमलों से प्रदान किया। श्री जगोता ने कहा कि कम्पनी में राजभाषा के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से काफी कार्य हुआ है और भविष्य में भी हमारा हर संभव प्रयास होगा कि राजभाषा कार्य की गतिविधियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहें।

चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक रोड

चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक रोड़ में दिनांक 16 अक्तूबर, 1989 से पन्द्रह कार्य दिवसीय प्रति दिन 2 घण्टे तक "हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन, मुद्रणालय के उप महाप्रबन्धक श्री बी.एस. लालचन्दानी ने किया। कार्यशाला में प्रशासन, नियंत्रण, लेखा, तकनीकी अनुभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया था। मुद्रणालय के राजपत्रित अधिकारियों तथा अनुवादकों और दो अन्य कार्यालयों के राजपत्रित अधिकारियों ने सम्बोधित किया और प्रशिक्षणार्थी से विभिन्न विषयों पर अभ्यास भी करवाया।

दिनांक 4 नवम्बर, 1989 को कार्यशाला समाप्त हुई। इस अवसर पर आयोजित समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता उप महाप्रबन्धक, श्री बी.एस. लालचन्दानी ने की। अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कार्यशाला में जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसका उपयोग दैनिक कार्य में तथा अपने निजी कार्य में भी करें।

केनरा बैंक
चंडीगढ़

चंडीगढ़ अंचल के तत्वावधान में 14-12-89 से 16-12-89 तक लिपिकीय वर्ग के लिए तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला––अग्रिम पाठ्यक्रम का आयोजन जालंधर में किया गया।

कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए बी.एम.सी. चौक जालंधर के वरिष्ठ प्रबंधक श्री वी.जी. चावला ने शाखाओं में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया। इसके प्रयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा: "एक सरल एवं सामान्य भाषा जो सभी के द्वारा बोली जाती है, का प्रयोग न केवल सरकारी संस्थानों में बल्कि निजी व्यापार के लिए भी अपेक्षित है"।

द्वितीय चरण के लिए निर्धारित सभी विषयों पर गम्भीरता के साथ चर्चा हुई। उल्लेखनीय बात यह है कि यह कार्यशाला व्याख्यान प्रधान न होकर सामूहिक चर्चा व अभ्यास परक थी। चर्चा के महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित थे :

1 प्रथम चरण कार्यशाला	––प्रत्यावर्तन,
2 बैंकिंग शब्दावली	––अभ्यास
3 अनुवाद	–– शिकायत, अपील इत्यादि-अभ्यास
4 तार प्रेषण एवं पत्राचार	–– अभ्यास
5 कार्ययोजना एवं जांचबिन्दु	––
6 बिभिन्न बैंकिंग योजनाएं	–– बैंकिंग उन्मुख हिन्दी
7 व्याकरण	–– प्रयोग, वाक्य रचना–– विभिन्न भूलें एवं सुधार
8 तिमाही प्रगति रिपोर्ट	–– बैंक की अन्य विवरणियां हैं।

कार्यशाला के अन्तिम चरण में प्रत्यावर्तन के रूप में समूह चर्चा हुई तथा एक प्रश्न-पत्र दिया गया व प्रतिभागियों के सुझाव आमन्त्रित किए गए। लघु परीक्षा के आधार पर परिणाम निम्नलिखित रहा :

श्री सुमन खन्ना	मंडल कार्यालय अमृतसर	प्रथम
श्रीमती रमन	माई हीरा गेट जालन्धर	द्वितीय
श्री चित्तरंजन शर्मा	17-सी, चंडीगढ़	तृतीय
श्री ओम प्रकाश	मंडल कार्यालय जालंधर	तृतीय

विजया बैंक
प्रभागीय कार्यालय, अहमदाबाद

अहमदाबाद में 15वीं हिन्दी कार्यशाला, अधिकारियों के लिए दिनांक 14 से 16-12-89 तक आयोजित की गई। कार्यशाला का उदघाटन प्रभागीय कार्यालय में वरिष्ठ प्रबंधक श्री के. एन. राजगोपालन ने किया।

बैंक में, वर्तमान अंग्रेजी पत्र-व्यवहार को किस प्रकार हिन्दी पत्राचार में ढाला जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई और सुझाव लिए-दिए गए। हिन्दी कार्याशाला के अन्त में लघू परीक्षा भी ली गई।

दिनांक 16-12-89 को समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता, प्रभागीय प्रबंधक श्री एस० लक्ष्मीकांत हेगड़े ने की।

अध्यक्ष महोदय ने लघू परीक्षा में प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता निम्नलिखित सहभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए :—

श्री प्रकाश साबले, जामखंभालिया शाखा	प्रथम
श्रीमती सुमति जी., प्रभागीय कार्यालय, अहमदाबाद	द्वितीय

अध्यक्ष श्री हेगड़े ने सभी सहभागी अधिकारियों को प्रशस्तिपत्र भी प्रदान किए। श्री हेगड़े ने विश्वास व्यक्त किया कि अधिकारी, कार्यशाला से लौटने के बाद शाखाओं में खुद भी हिन्दी में काम करेंगे और स्टाफ से भी हिन्दी में काम कराएंगे। उन्होंने सहभागियों को आश्वस्त किया कि इस सम्बन्ध में जो भी संभव सहायता वे प्रभागीय कार्यालय से चाहते हैं, वह उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी लेकिन शाखाओं में अब हिन्दी के प्रयोग की गति तेज हो जानी चाहिए तभी हिन्दी कार्याशाला का प्रयोजन पूरा होगा।

श्री जोशी द्वारा आभार-ज्ञापन के साथ ही हिन्दी कार्यशाला बहुत ही उत्साहपूर्ण और प्रेरणा-पूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.
बरौनी

बरौनी इकाई में दिनांक 16-8-89 से 18-8-89 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस में विभिन्न विभागों के 9 अहिन्दी भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षक के रूप में डॉ. हृदयेश कुमार पालीवाल और श्री जे. पी. युगल, ने भाग लिया। कार्यशाला का संचालन इकाई के हिन्दी अधिकारी श्री केशव प्रसाद सिन्हा ने किया और समापन मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी श्री मधुसूदन शुक्ल ने किया।

प्रतियोगियों को विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के व्यवहार से संबंधित व्यावहारिक विषयों की जानकारी दी गई और उनके विभागों से संबंधित विषयों में टिप्पण/आलेखन, एवं अनुवाद के अभ्यास कराये गये।

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, इन्दौर

शाखा कार्यालय, इंदौर (म. प्र.) में दिनांक 22-12-89 को "हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन श्री डी. एस. हांडा, सहायक प्रबन्धक की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला संचालन हिन्दी अनुवादक श्री वीरेन्द्र चन्द्र शुक्ला, ने किया।

अभ्यास पश्चात् कर्मचारियों के लिए एक प्रश्नावली वितरित करके, उनके हिन्दी संबंधित ज्ञान की परीक्षा आयोजित की गई।

यूको बैंक मण्डल कार्यालय, इन्दौर

यूको बैंक मंडल कार्यालय इंदौर द्वारा एक दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन अपने लिपिक वर्ग के लिए किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ दिनांक 11 दिसम्बर 89 को मध्यक्षेत्र के राजभाषा (कार्यान्वयन) सहायक निदेशक श्री डी. कृष्ण पणिक्कर ने मां सरस्वती को माल्यार्पण करते हुए किया।

श्री डी. कृष्ण पणिक्कर ने सार गर्भित उद्‌बोधन में कहा कि हिन्दी को अगर लाना है तो मौलिक एवं सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुवाद का रास्ता सही रास्ता नहीं है। अध्यक्षीय उदबोधन में मण्डल प्रबंधक श्री एस. बी. खण्डेलवाल ने कहा कि "क" क्षेत्र में तो अब सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में ही होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय हित तथा ग्राहक सुविधा की दृष्टि से हिन्दी के उपयोग हेतु प्रतिभागियों से आग्रह किया।

दिनांक 12 दिसम्बर, 89 को गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली की निदेशक श्रीमती निशा चतुर्वेदी ने संक्षिप्त उद्‌बोधन में कहा कि अब युवा पीढ़ी को हिन्दी को सही सम्मान देने के लिए आगे आना चाहिए। राजभाषा अधिकारी श्री बाजपेयी ने बताया कि इंदौर मंडल में राजभाषा नीति का अनुपालन प्रगतिगामी है। परिपत्र द्विभाषिक जारी होते हैं। पत्राचार 70–75/ तक हिन्दी में होता है तथा वार्षिक कार्यक्रम लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। श्रीमती चतुर्वेदी एवं श्री पणिक्कर ने यूको बैंक इंदौर मण्डल के द्वारा राजभाषा नीति अनुपालन संबंधी किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की व प्रगति के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

कार्यशाला में सामूहिक चर्चाएं हुईं। अंत में एक अभ्यास भी कराया गया तथा अंकों के आधार पर प्रथम 5 प्रतिभागियों को हिन्दी साहित्य की उत्कृष्ट पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप मंडल प्रबंधक द्वारा भेंट की गईं।

पंजाब एंड सिन्ध बैंक, गाजियाबाद

दिनांक 6-7 अक्तूबर को गाजियाबाद के शम्भू दयाल कालेज परिसर में दो-दिवसीय हिन्दी कार्यशाला (गैर-आवासीय) का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्‌घाटन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के गाजियाबाद स्थित अनुसंधान अधिकारी श्री शमशेर अहमद खान ने किया। इस अवसर पर कालेज के हिन्दी विभागाध्यक्ष, बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री मदन लाल भारद्वाज तथा जी. टी. रोड गाजियाबाद शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक श्री एच. एस. राणा भी उपस्थित थे। इस दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का संचालन राजभाषा अधिकारी श्री कुलदीप सिंह खुराना ने किया।

क्षेत्रीय कार्यालय तथा अधीनस्थ शाखाओं के 21 कर्मचारियों/अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। दो दिन की अवधि के दौरान कार्यशाला में मु. का. राजभाषा विभाग के राजभाषा अधिकारी डा. प्रताप सिंह क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के प्रबंधक श्री नरेश तलवाड़ तथा शम्भू दयाल कालेज के हिन्दी विभागाध्यक्ष श्री लवानियां अतिथि संकाय के रूप में उपस्थित थे।

पंजाब एंड सिन्ध बैंक, मेरठ

बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ ने दिनांक 21-22 दिसम्बर, 1989 को आगरा में दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। इस का प्रारम्भ केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के विभागाध्यक्ष प्रो. अमरबहादुर सिंह के प्रभावशाली भाषण से हुआ। इस अवसर पर बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक स. गुरदयाल सिंह बक्शी आगरा की मुख्य शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक श्री प्रेम प्रसाद शर्मा ने भी सहभागियों को अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग का आह्‌वान किया। राजभाषा अधिकारी श्री कुलदीप सिंह खुराना ने कार्यशाला का संचालन किया। कार्यशाला में विभिन्न शाखाओं के कुल 33 कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया।

समापन से पूर्व सहभागियों को वाद-विवाद तथा अपने विचार प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री बक्शी ने भी हिन्दी के प्रति समर्पित भाव से अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।

क्षेत्रीय प्रबंधक ने अपने समापन भाषण में सहभागियों से आग्रह किया कि वे अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की आदत डालें।

आयकर विभाग, कानपुर

मुख्य आयकर आयुक्त श्री जी. सी. अग्रवाल की प्रेरणा से विशिष्ट हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 17-10-89 को किया गया। समारोह में आयकर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं आयकर अधिकारी, कर्मचारी एवं आयकर अधिवक्ता संघ के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यशाला

का शुभारम्भ करते हुए मुख्य आयकर आयुक्त श्री जी. सी. अग्रवाल ने कहा कि हिन्दी से वैसा ही प्रेम होना चाहिए जैसा हमें अपने देश से है। यह हमारी राजभाषा है और सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप इसका सरकारी काम-काज में पूरी तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने उपस्थित सभी व्यक्तियों का आह्वान किया कि वे समर्पित भाव से राजभाषा हिन्दी को अपनाकर उसका गौरव बढ़ायें।

यह विशिष्ट हिन्दी कार्यशाला मुख्य आयकर आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप आयकर अधिवक्ता संघ के सदस्य एवं आयकर विभाग के स्टाफ के लिए संयुक्त रूप से आयोजित की गई ताकि आयकर अधिवक्ताओं को भी आयकर संबंधी फार्मों को हिन्दी में भरने तथा उन्हें हिन्दी में पत्राचार तथा हिन्दी शब्दावली का अभ्यास हो सके। राजभाषा नीति, आयकर शब्दावली तथा हिन्दी में पत्राचार संबंधी विषयों पर व्याख्यान हुए। व्याख्यान आयकर विभाग के अधिकारी श्री जी. सी. श्रीवास्तव उप आयकर निरीक्षण निदेशक, श्री एस. एम. निगम, उप आयकर आयुक्त और आयकर अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष श्री एस सी. पाण्डेय ने दिए।

मुख्य आयकर आयुक्त श्री जी. सी. अग्रवाल का अभिनन्दन किया गया और उनके विशिष्ट एवं बहुआयामी व्यक्तित्व एवं हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए उनके द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा की गई। मुख्य आयकर आयुक्त श्री जी. सी. अग्रवाल को वर्ष 1986–87 के लिए राजभाषा विभाग भारत सरकार द्वारा हिन्दी के उत्कृष्ट कार्य के सम्मान स्वरूप प्रदान की गई राजभाषा ट्राफी प्रशस्तिपत्र एवं अन्य पुरस्कार प्रदर्शित किये गये।

न.रा.का. समिति, पटना

हिन्दी अधिकारियों की विशेष कार्यशाला का आयोजन

हिन्दी का काम-काज बढ़ाने में हिन्दी अधिकारियों की बहुत ही अहम् भूमिका है। यह अनुभव किया गया कि नगर स्तर पर हिन्दी अधिकारियों को एक विशिष्ट कार्यशाला का आयोजन हो जिसमें उन्हें राजभाषा संबंधी नियमों आदि की अद्यतन जानकारी दी जाए। देखा जाता है कि राजभाषा संबंधी आदेशों आदि के पालन में कभी कभी व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं उनके निराकरण का भी मार्ग खोजने के लिए एक सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता समझी गई। इस उद्देश्य से पटना नराकास के अध्यक्ष एवं माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक श्री अरूण कुमार वर्मा की ओर से केन्द्रीय कार्यालयों उपक्रमों तथा बैंकों में कार्यरत हिन्दी अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मौर्यलोक औद्योगिक वित्त निगम के सभाकक्ष में किया।

कार्यशाला का उद्घाटन नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति डा. कुमार विमल ने किया। उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में बताया कि भाषा केवल साहित्यिक पुस्तकों की रचना से ही नहीं होती बल्कि उसमें समृद्धि तब आती है जब वह कूटनीति, व्यापार एवं अन्य तकनीकी क्षेत्र में सहज रूप से व्यवहार के योग्य बनाई जाती है। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि हिन्दी में ये सारी क्षमताएं विद्यमान हैं और जीवन के किसी भी संवेदनशील कार्य के लिए हिन्दी का प्रयोग सहजता के साथ किया जा सकता है। हिन्दी संसार की उन सर्वोत्कृष्ट भाषाओं में से है जो मनुष्य की कमनीय भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ-साथ जीवन के अन्य व्यवहारिक क्षेत्र में भी प्रयुक्त हो सकती है।

पटना विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा ने हिन्दी अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि हिन्दी में अदभूत सामर्थ्य है। मध्य काल से ही सामंजस्य की भाषा रहने के साथ-साथ यह लोक चेतना से जुड़ी रही है। लोक चेतना की भाषा होने के कारण यह मिट्टी से जुड़ी हुई है और लोक शाही में कोई इसकी उपेक्षा करने का साहस कर ही नहीं सकता।

पटना विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक डॉ. चन्द्र किशोर पाण्डेय ने कहा कि यदि हिन्दी राजभाषा के रूप में प्रयोग के सक्षम नहीं होगी तो देश संस्कार भ्रष्ट होगा और इस देश की संस्कृति ध्वस्त हो जाएगी।

राजभाषा विभाग के उप-निदेशक (कार्यान्वयन) श्री सिद्धिनाथ झा ने हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपाय सुझाए और बताया कि किस प्रकार हम कार्यालयों में हिन्दी को प्रभावी रूप में ला सकते हैं। उन्होंने भारत सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हिन्दी अधिकारी को हिन्दी के काम में पूरा सजग रहना चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ आदेशों का पालन करने को तैयार रहना चाहिए।

हिन्दी अधिकारियों की इस कार्यशाला में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं मिटको के अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक श्री अरुण कुमार वर्मा ने समापन भाषण में कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यद्यपि कार्यालय अध्यक्षों को राजभाषा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई, परन्तु तथ्य यह है कि हिन्दी अधिकारी के स्तर पर ही व्यावहारिक निर्णय लिए जाते हैं। हिन्दी अधिकारियों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उन्हें हमेशा सजग रहना चाहिए ताकि कार्यालयों में हिन्दी संबंधी प्रावधानों की अवहेलना न की जा सके तथा हिन्दी प्रभावी ढंग से लागू हो।

नगर समिति के सचिव श्री उदय कुमार सिंह ने बड़े उत्साहपूर्वक इस कार्यशाला के आयोजन में दिलचस्पी दिखायी और अनके अथक प्रयास के कारण ही यह कार्यशाला सफल हुई। श्री सिंह ने कार्यशाला के प्रतिभोगियों एवं प्रशिक्षकों को हार्दिक धन्यवाद दिया।

बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली

उत्तरी अंचल स्तर पर दिनांक 1-3 नवम्बर, 1989 के दौरान अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें अत्तरी अंचल तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अंचल के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के प्रारम्भ में आंचलिक उप महाप्रबन्धक श्री नारायण सिंह खन्ना ने राजभाषा विभाग के निदेशक एवं त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" के संपादक डॉ. महेश चन्द्र गुप्त का स्वागत किया। तथा अंचल में हिन्दी के प्रयोग संबंधी गतिविधियों पर संक्षेप में प्रकाश डाला। तत्पश्चात मुख्य अतिथि डॉ० गुप्त ने दीप जलाकर कार्यशाला का उद्घाटन किया। उद्घाटन भाषण में डॉ० गुप्त ने सर्वप्रथम इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि राजभाषा के प्रयोग की दिशा में बैंकों ने काफी अच्छा कार्य किया है। किन्तु उनका मत था कि जन-सामान्य से सीधे जुड़े होने के कारण बैंकों द्वारा इस दिशा में और अधिक प्रगति किए जाने की आवश्यकता है। राजभाषा के प्रयोग के संबंध में अपने स्पष्ट विचारों एवं निष्ठा के लिए उन्होंने श्री खन्ना की प्रशंसा की। हिन्दी के प्रयोग से संबंधित प्रेरक उद्बोधन के साथ ही उन्होंने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रमुख मुद्दों को भी अत्यंत सरल एवं सहज शैली में स्पष्ट किया। उन्होंने राजभाषा नीति के संबंध में प्रतिभागियों द्वारा उठाई गई शंकाओं का भी समाधान किया।

अंचल कार्यालय के वरिष्ठ प्रबन्धक (कार्यालय प्रशासन) श्री एस: के. साही ने बैंक के आमंत्रण को स्वीकार करने एवं अपने विचारों से प्रतिभागियों को लाभान्वित करने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

□

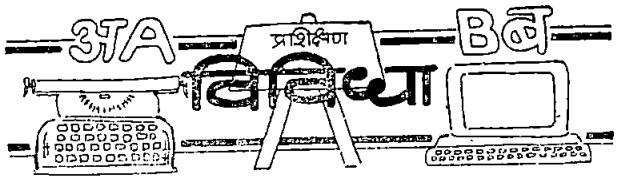

समाचार दर्शन

हिन्दी अन्दर, अंग्रेजी बाहर

अंग्रेजी में मिली सभी चिट्ठियों और प्रार्थना-पत्रों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिवालय इन दिनों इस टिप्पणी के साथ वापस लौटा रहा है कि कृपया पत्र हिन्दी में लिख कर भेजें।

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की इस सख्त हिदायत के तहत की जा रही है कि सभी सरकारी कामकाज हिन्दी में ही किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह आदेश भी दिया है कि दूसरे मंत्री और सरकारी अधिकारी सरकारी पत्रों में अंग्रेजी का इस्तेमाल कदापि न करें। स्वयं मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले अंग्रेजी में आवेदन लिखकर लाने वालों को निराश लौटना पड़ रहा है क्योंकि श्री यादव साफ तौर पर उनकी अर्जियां लेने से इनकार कर रहे हैं।

यों हिन्दी में ही सरकारी कामकाज के आदेश कोई नए नहीं हैं क्योंकि पिछली कई सरकारें हिन्दी में काम किए जाने पर जोर देने के लिए परिपत्र जारी करती रही हैं। पर कुछ समय से यह देखने में आ रहा है कि इन सरकारी आदेशों की खुली अवहेलना की जा रही है। पिछले कुछ बरसों में हिंदी में कामकाज की दिशा में बहुत ढील भी आई है। कई सरकारी अधिकारी अंग्रेजी का प्रयोग करने लगे हैं और विभिन्न विभागों से अंग्रेजी में लिखकर पत्र भी जाने लगे है। कुछ सरकारी विभागों ने 90-91 की अपनी जो योजनाएं तैयार की हैं वे भी अंग्रेजी में तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि केन्द्रीय सरकार से जो भी पत्र-व्यवहार किया जाए यह भी मूल रूप में हिन्दी में ही हो और यदि बहुत जरूरी हो तो हिन्दी के पत्रों के साथ उनका अंग्रेजी रूपांतर भेजा जाएं।

पिछले सप्ताह कुछ वरिष्ठ डाक्टर मुख्यमंत्री को इस महीने होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में आमंत्रित करने गए थे। उन्होंने जो नियंत्रण पत्र तैयार किया था वह अंग्रेजी में था। मुख्यमंत्री ने उसे लेने से इन्कार कर दिया। वे उस पर विचार करने को तभी तैयार हुए जब तत्काल उसे हिन्दी में लिखकर उन्हें दिया गया। कुछ नेताओं के पत्र व अर्जियां भी उन्होंने इसलिए तत्काल वापस कर दी कि वे अंग्रेजी में लिखी हुई थी।

मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रवक्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री इस बारे में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि सरकारी कामकाज में में वे हिन्दी के प्रयोग की अनिवार्यता को सख्ती से लागू कराएं। प्रवक्ता का कहना था कि मुख्यमंत्री का निश्चित विचार यह है कि भारत में भारतीयता की भावना को जागृत करने के लिए हिंदी का प्रयोग बहुत जरूरी है। जो लोग अभी भी अंग्रेजी से अपने को बचा नहीं पा

शेष पृष्ठ 115

हिन्दी महिमा व्याख्यानमाला

भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के अशोक एस्टेट स्थित पावर सैक्टर कार्यालय में हिन्दी के प्रचार प्रसार एवं कार्यान्वयन को गति देने के लिए एक नई योजना "हिन्दी महिमा व्याख्यानमाला" के नाम से प्रारंभ की गई है। 19 अक्तूबर को इस व्याख्यानमाला का विधिवत उदघाटन श्री चन्द्रमोहन गुप्ता कार्यपालक निदेशक ने किया। श्री गुप्ता ने हिन्दी के महत्व और महिमा को रेखांकित करते हुए कहा कि हिन्दी का विकास कार्य हमारे नित्य प्रति के कार्यों के प्रयोग से बढ़ेगा और इसकी महिमा का बखान करते हुए बताया कि सम्पूर्ण भारत में लोग अपने-अपने ढंग से हिन्दी समझते हैं।

व्याख्यानमाला के संयोजक डॉ. शेरजंग गर्ग प्रबंधक (हिंदी) का कहना था कि इस व्याख्यानमाला के अन्तर्गत हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वानों साहित्यकारों, हिन्दी के माध्यम से विश्व प्रसिद्धि पाने वालों के व्याख्यान कराए जाएंगे जिनमें सर्वश्री मनोहरश्याम जोशी, कमलेश्वर, जसदेव सिंह, डां. वेदप्रताप वैदिक, मृणाल पाण्डेय प्रभृति विद्वानों को आमंत्रित करने की योजना है। उपस्थित कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने इस व्याख्यानमाला में अत्यधिक रुचि प्रकट की और योजना का स्वागत किया।

प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

प्रकाशकों के सहयोग से प्रत्यक्ष कर विषयों से संबंधित पुस्तकों को हिन्दी में अनुदित और प्रकाशित करने की योजना

प्रकाशकों के सहयोग से प्रत्यक्षकर विषयों अर्थात् आयकर, धनकर, दानकर और कम्पनी लाभ अतिकर से संबंधित विविध विषयों पर अंग्रेजी पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद करवा कर उनके प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड एक योजना चला रहा है। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) इस योजना में प्रत्यक्षकर विषयों से संबंधित हिन्दी में अनुदित पुस्तकें स्वीकार की जाएंगी।

(2) हिन्दी अनुवाद के लिए पुस्तकों का चयन स्वयं प्रकाशक कर सकता है या विभाग द्वारा स्वयं चुनी हुई पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए कहा जा सकता है।

(3) यह योजना प्रकाशकों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।

(4) अनुदित पुस्तकों के प्रकाशनाधिकार को प्राप्त करने का दायित्व प्रकाशक का होगा।

(5) इस योजना के अंतर्गत प्रकाश्य पुस्तक के हिन्दी अनुवाद और पुनरीक्षण की व्यवस्था करना प्रकाशक का ही दायित्व होगा तथा प्रकाश्य पुस्तक के आकार, टाइप, मुद्रण विधि आदि के संबंध में विभाग का परामर्श लेना अपेक्षित होगा।

(6) योजना के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों की 1,000 प्रतियां विभाग खरीद लेगा। प्रकाशक के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह पुस्तक की कम से कम 2,000 प्रतियां अवश्य मुद्रित करवाएं।

(7) इस योजना के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों को खरीदने के लिए चयन का काम एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा तथा योजना के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों के मूल्य का निर्धारण विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

(8) जो प्रकाश्य योजना की विहित शर्तों पर हिन्दी में प्रत्यक्ष कर विषयों से संबंधित पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए तैयार होंगे उन्हें प्रारम्भिक कार्यवाहियां तय होने के बाद विभाग के साथ एक अनुबन्ध करना होगा जिसमें अनुवाद और मुद्रण संबंधी विभिन्न शर्तों का उल्लेख होगा।

(9) इस योजना की शर्तों के संबंध में विस्तृत जानकारी डाक द्वारा या स्वयं आकर "श्री राम शंकर सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा प्रशासन) केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड राजभाषा प्रभाग आयकर निदेशालय (गवेषणा, सांख्यिकी, प्रकाशन व जन सम्पर्क) छठी मंजिल मयूर भवन, कनाट सर्कस नई दिल्ली—110001" (टेलीफोन नं. 3313823) से प्राप्त की जा सकती है।

पृष्ट **114** का शेष

रहे हैं उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाए जाने की जरुरत है। हिन्दी एक सशक्त भाषा है और विज्ञान-तकनीक से लेकर दूसरे तमाम क्षेत्रों में हिन्दी में कामकाज किया जा सकता है। यह काफी हद तक साबित हो चुका है।

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से इस बारे में जल्दी विस्तृत आदेश पूरे प्रशासन को जारी किए जाने वाले है। इनमें यह व्यवस्था भी होगी कि हिन्दी में काम करने के आदेशों का उल्लंघन प्रशासनिक अनुशासनहीनता माना जाए।

सांध्य टाइम्स : 13-3-90 से साभार

प्रेरणा पुंज

पंजाब नेशनल बैंक के कार्मिक प्रभाग में कार्यरत सहायक महाप्रबंधक बंगलाभाषी श्री असीमेश राय चौधरी "सोशल वर्क" तथा "मैनेजमेंट" में पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 1965 में बैंक में स्टाफ अधिकारी के रूप में भर्ती हुए। उन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता में प्राप्त की और बैंक में इनकी पहली तैनाती भी पश्चिम बंगाल में हुई। किन्तु इन सब बातों से हिन्दी में काम करने की इनकी लगन में रुकावट नहीं आई।

श्री रायचौधरी का विश्वास है कि अंग्रेजी की बनी बनाई भाषा में काम करने की अपेक्षा हिन्दी में काम करना अधिक सुविधाजनक है क्योंकि इस भाषा में अपने विचार व्यक्त करना ज्यादा आसान है। इनके कार्यकाल में कार्मिक प्रभाग में न केवल हिन्दी में टंकण का कार्य करने वाले कर्मचारियों/टाइपराइटरों आदि के रूप में साधनों का विकास हुआ बल्कि हिन्दी पत्राचार आदि में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

पंजाब नेशनल बैंक के कार्मिक प्रभाग में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हो रही प्रगति के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वर्ष, 1984 से बैंक द्वारा चलाई जा रही प्रधान कार्यालय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में यह प्रभाग प्रत्येक वर्ष न केवल पुरस्कार प्राप्त करता रहा है बल्कि पिछले दो वर्षों से लगातार प्रथम स्थान पर है।

जून, 1988 से भीकाजी कामा प्लेस स्थित प्रधान कार्यालय के भवन में श्री राय चौधरी के नेतृत्व में हिंदी टंकण प्रशिक्षण केन्द्र सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। पिछले डेढ़ वर्ष में प्रशिक्षण केन्द्र पर बैंक के लगभग 100 कर्मचारी हिन्दी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

श्री असीमेश राय चौधरी

श्री रायचौधरी केवल आदेश देने में विश्वास नहीं रखते बल्कि स्वयं भी उतनी ही कठोरता से अपने आदेशों के अनुरूप कार्य करते हैं। इसलिए श्री रायचौधरी ने पहले फाइलों पर स्वयं हिंदी में टिप्पणियां लिखनी शुरू की और उसके बाद ही अपने स्टाफ से ऐसा करने का अनुरोध किया प्रस्तुत हैं उनकी हिंदी में लिखी गई टिप्पणी:—

हिन्दी स्टैनो उपलब्ध है। यदि विधि विभाग के हिन्दी स्टैनो को श्री जोगिन्दर पाल की अनुपस्थिति के दौरान प्रतिदिन आधा दिन कार्मिक प्रभाग में कार्य करने का आदेश दिया जाए तो आवश्यक कार्य तत्काल निपटाए जा सकते हैं।

आदेश के लिए प्रस्तुत है।

[signature] 26/7/85
हिंदी अधिकारी

गांधी साब
कृपया मुख्य, विधि विभाग से चर्चा करें।
मैं इस बात में सहमत हूं।
[signature]
(असीमेश राय चौधरी)
मुख्य कार्मिक

पुस्तक समीक्षा

भारत का संविधान—एक परिचय

लेखक : डा. (न्यायमूर्ति) दुर्गादास बसु
अनुवादक : श्री ब्रजकिशोर शर्मा
मूल्य : 59 रुपये, पृष्ठ : 458
प्रकाशक : प्रेंटिस हाल आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली-110001

भारतीय भाषाओं के संदर्भ में, शिक्षा और परीक्षाओं में, विशेषकर विधि के क्षेत्र में, हिन्दी माध्यम अपनाए जाने के बारे में प्रायः यह कहा जाता है कि हिन्दी में विधि के उत्कृष्ट ग्रंथों का सर्वथा अभाव है । प्रायः सभी केन्द्रीय अधिनियमों, नियमों आदि के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ सुलभ हैं और विधि शब्दावली का विशाल कोश भी प्रकाशित हो चुका है, जबकि हिन्दी में मौलिक ग्रंथों और श्रेण्य ग्रन्थों के प्रामाणिक अनुवादों/टीकाओं का नितांत अभाव है । इससे उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों और शोधकर्ता हिन्दी माध्यम अपनाने में हिचकते हैं । प्रस्तुत पुस्तक भारत का संविधान एक परिचय इसी मंजिल की दिशा में एक सार्थक कदम है । संविधान के गूढ़ और अर्थगर्भित उपबंधों की सरल सटीक व्याख्या को हिन्दी भाषा के कलेवर में संजोकर प्रस्तुत करने वाली यह पुस्तक विद्यार्थियों एवं अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी ।

प्रस्तुत पुस्तक सुविख्यात विधिवेत्ता और संविधान-विशेषज्ञ डॉ. (न्यायमूर्ति) दुर्गा दास बसु की अंग्रेजी पुस्तक 'एन इन्ट्रोडक्शन टू द कोन्स्टीट्यूशन (12वें संस्करण) का हिन्दी अनुवाद है । विधि और न्याय मंत्रालय में अपर सचिव श्री ब्रज किशोर शर्मा ने इस पुस्तक का हिन्दी पाठ अपने लम्बे शिक्षण अनुभव और विधियों के हिन्दी में प्रामाणिक पाठ तैयार करने की दक्षता से तैयार किया गया है । प्रस्तुत कृति में 12वें संस्करण की अंतर्वस्तु का उपयोग किया गया है और यथा-वश्यक शुद्धियां भी की गई हैं । इसमें 1987 के अंत तक के सभी प्रमुख निर्णयों के सार का समावेश किया गया है । संविधान के 61वें संशोधन तक सभी संशोधन इसमें सम्मिलित हैं ।

विवेच्य ग्रंथ में भारतीय संविधान की पूरी अन्तर्वस्तु प्रस्तुत करने के साथ-साथ संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सिंहावलोकन किया गया है । संविधान से पहले प्रवृत्त शासन संविधियां भी इस पुस्तक में समाविष्ट हैं । इससे संविधान पूर्व कानून की स्थिति की झलक मिलती है । इसमें संविधान की पृष्ठभूमि के रूप में विकसित सिद्धांत और स्थान-स्थान पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नियम भी सुस्पष्ट और सुबोध शैली में अंकित हैं ।

यूं तो निजी प्रकाशकों के माध्यम से इक्की-दुक्की संविधान टीकाएं प्रकाशित की गई हैं किंतु वर्तमान प्रकाशन की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी प्रमाणिकता । इसमें अद्यतन संविधान के प्राधिकृत पाठ का प्रयोग किया गया है। विधि के क्षेत्र में अनुवादक को विधि के उपबंधों का अनुवाद अपनी इच्छानुसार करने की स्वतंत्रता नहीं होती । उसका काम केवल इतना है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित और राजपत्र में प्रकाशित विधि का अद्यतन एवं अविकल प्रस्तुत कर दे । वर्तमान संविधान की टीका इसका उत्तम उदाहरण है । इसमें निर्णयज विधि का समावेश बड़े संतुलित ढंग से किया गया है । परिणामस्वरूप विधि सिद्धांतों की सुस्पष्ट और सरल व्याख्या पाठकों के लिए उपादेय सिद्ध होगी ।

अनुदित पुस्तकों में अभी तक जो सबसे बड़ा दोष दिखाई पड़ता है वह है अलग-अलग ग्रंथों में भिन्न-भिन्न शब्दों पर्यायों का प्रयोग जिससे पाठक भटक जाते हैं। वर्तमान प्रकाशन में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित मानक विधि शब्दावली का ही सर्वथा प्रयोग किया गया है । मानक खण्डों, वाक्यांशों और शब्दों की एक रूपता तथा सुनिश्चितता विधि के क्लिष्ट विषय को भी सुबोध और ग्राह्य बना देती है । विवेच्य पुस्तक में जहां एक ओर विधिवेत्ता श्री ब्रजकिशोर शर्मा का अनेक वर्षों का विधि शिक्षण अनुभव संविधान के सिद्धांतों की बारीकियों के सुस्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध हुआ है, वहां दूसरी ओर विधि मंत्रालय में राजभाषा खंड में शीर्ष पद पर उनका अनुभव उनकी अनुवाद भाषा में प्रवाह और प्रांजलता के रूप में साफ झलकता है।

आकर्षक आवरण और सुंदर मुद्रण तथा उत्तम कागज आदि गुण इसकी अन्तर्वस्तु को द्विगुणित कर देते हैं । इस कृति को इतने कम मूल्य पर सुलभ कराने का प्रयास हिन्दी प्रेमी विधि अध्येताओं को उत्साहवर्धक प्रतीत होगा । हिन्दी भाषा और हिन्दी पाठक-वृंद दोनों का संवर्धन होगा ।

—कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
जैड-8, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023

बैंकिंग-समस्याएं और समाधान

लेखक--श्री विष्णु कुमार भटनागर

मूल्य--20 रुपये

प्रकाशक--प्रतिभा प्रकाशन, कानपुर

बैंकों में हिन्दी के प्रयोग के प्रारम्भ के साथ ही इस दिशा में आवश्यक सन्दर्भ-सामग्री की आवश्यकता भी तीव्रता से अनुभव की गई है । किन्तु खेद का विषय है कि इस दिशा में अब तक किए गए अधिकांश प्रयास संभवतः उनके लेखकों की निजी सीमाओं के कारण कृत्रिम अनुवाद तक ही सीमित रहे हैं । तथापि श्री विष्णु कुमार भटनागर की पुस्तक "बैंकिंग समस्याएं और समाधान" लीक से हटकर किया गया एक सराहनीय प्रयास है ।

यूं तो शाखा स्तर पर कार्य करते समय एक बैंक कर्मचारी को असंख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है किंतु कुछेक समस्याएं तो इस प्रकार की होती हैं जिनसे उन्हें लगभग हर रोज ही रूबरू होना पड़ता है । इसी प्रकार चुनींदा--116--समस्याओं को उठाकर इस पुस्तक में उनके नियम सम्मत समाधान देने का प्रयास किया गया है । हिन्दी माध्यम से सी. ए. आई. आई. बी. परीक्षा के "बैंकिंग--विधि एवं व्यवहार" प्रश्नपत्र के परीक्षार्थी तो इससे सीधे ही लाभान्वित हो सकेंगे ।

लेखक को बैंक कर्मचारी की व्यस्त दिनचर्या का भी ध्यान रहा है इसीलिए पुस्तक के कलेवर को भी भारी भरकम नहीं होने दिया गया है । (वस्तुतः आकार की दृष्टि से तो इस पुस्तक को पुस्तिका कहना ही अधिक उचित होगा) ।

बैंकिंग जैसे तकनीकी विषय क्षेत्र से सम्बद्ध होने के बावजूद पुस्तक की भाषा को आमतौर पर बोझिलता से बचाए रखा गया है । तथापि कुछेक स्थानों पर लेखक से शब्दचयन में भूलें हुई हैं, यथा--समस्या क्रम.--74 के उत्तर में लेखक ने अंग्रेजी शब्द को यथावत रोमन लिपि में ही रख दिया है जबकि नियमानुसार इसका हिन्दी रूप देकर कोष्ठक में अंग्रेजी रूप को देवनागरी लिपि में दे दिया जाना चाहिए था । "इन्स्ट्रक्शन" के अर्थ में "उपदेश" शब्द का प्रयोग समस्या क्रमांक (104) या फिर "सन्डरी" के अर्थ में उचन्त शब्द का प्रयोग भी (समस्या क्रमांक -27) इसी प्रकार की भूलें हैं (उचन्त--शब्द "सस्पेन्स" के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है) । इसी प्रकार कहीं-कहीं "आंहायी" (समस्या क्र. 33), 'अभुगतानित' (समस्या क्र.-103) जैसे अप्रचलित शब्द भी कहीं-कहीं देखने को मिल जाते हैं । किन्तु कुल मिलाकर यह पुस्तक सभी स्तर के बैंक कर्मचारियों के लिए पठनीय है ।

--कृष्ण लाल अरोड़ा, राजभाषा अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, संसद मार्ग,
नई, दिल्ली ।

हिन्दी की आत्मा

लेखक : धर्मवीर

पृष्ठ 360 मूल्य--200 रुपये

**प्रकाशक : समता प्रकाशन, 30/64 गली नं. 8,
विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-210032**

भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के उपरांत हिन्दी के स्वभाव एवं स्वरूप को लेकर अनेक मत-मतान्तर प्रस्तुत किए जाते रहे हैं । क्या हिन्दी संस्कृत की जननी है अथवा क्या उसकी प्रकृति में आधुनिक भारतीय भाषाओं को अपने अन्दर आत्मसात करने की सामर्थ्य है अथवा नहीं ? ऐसे प्रश्न विद्वतजनों की चर्चा के केन्द्र बिन्दु रहे हैं । इस परिप्रेक्ष्य में डॉ. धर्मवीर ने "हिन्दी की आत्मा" नामक पुस्तक की रचना करके इस विषय में चर्चा हेतु नया आधार प्रस्तुत किया है ।

विवेच्य पुस्तक लेखक के मानसिक ऊहापोह का प्रतिफल है । इसी क्रम में प्रयत्न किया गया है कि हिन्दी और संस्कृत अलग भाषाएं हैं तथा हिन्दी संस्कृत से प्रभावित हुई अवश्य है परन्तु संस्कृत हिन्दी भाषा का आधार नहीं है । यह मान्यता भी स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि संस्कृत उच्च वर्गों की भाषा है हिन्दी पिछड़े वर्गों की जनभाषा है और संस्कृत का हिन्दी पर थोपा जाना हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध है । लेखक ने अपनी मान्यता के पक्ष में राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द आदि अनेक विद्वानों के विचारों का भी सहारा लेने का यत्न किया है । इस मंथन में कई स्थलों पर हिन्दी व संस्कृत के विवाद को अकारण ही समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दरार का प्रतीक बनाने का प्रयत्न किया गया है । साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार का समाज के प्रति अपना दायित्व होता है । आधे-अधूरे तथ्यों के आधार पर ऐसी मान्यता की स्थापना का यत्न करके हिन्दी को जातिगत आधार देने का प्रयत्न किया गया है । "हिन्दी की आत्मा" जैसे संवेदनशील विषय पर पूर्वग्रह ग्रस्त सिद्धांत प्रतिपादित करने के बजा गंभीर चिंतन और मनन नितांत आवश्यक है जिससे अवांछित भ्रम उत्पन्न न हो । इस प्रकार लेखक ने अपने सामाजिक दायित्व का सम्यक निर्वाह नहीं किया है । यही इस पुस्तक का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है अन्यथा लेखक ने जितना इस विषय के बारे में जो परक अनुसंधान प्रयास किया है वह उल्लेखनीय है । प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि:--

> "कई लोगों को यह महसूस हुआ है कि उन्होंने वर्षों तक राजकाज में हिन्दी के नाम पर कोरी संस्कृत सी लिख कर हिन्दी के साथ अन्याय किया है । उन्होंने यह भी माना है कि अंग्रेजी से हिन्दी के अनुवाद ने हिन्दी के स्वभाव को बिगाड़ कर रख दिया है । अब संविधान के

लागू होने के चौथे दशक में यह उपयुक्त समय है कि राजभाषा हिन्दी में अब तक जो कुछ किया जा चुका है हिन्दी भाषा की जीनियस के संदर्भ में उसका एक सम्यक पुनर्मूल्यांकन किया जाए ।"

यदि इस पुस्तक का उद्देश्य हिन्दी भाषा की जीनियस के संदर्भ में अब तक किए गए प्रयासों का मूल्यांकन है तो यह कहना ही पर्याप्त है कि इसमें मूल्यांकन के स्थान पर एक मत की स्थापना करने का यत्न मात्र हुआ है जो कि इसके नाम के परिप्रेक्ष्य में न केवल भ्रामक है बल्कि अपूर्ण तथ्यों के आधार पर एक मान्यता स्थापित करने का प्रयास मात्र है ।

कुल मिलाकर पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें एक नया पक्ष प्रस्तुत किया गया है भले ही इससे कोई विवाद उठ खड़ा हो अथवा नहीं । हालांकि इस पर हुए विवाद एवं विचार-विमर्श आगे के लिए इस विषय में अधिक अनुसंधान करने के लिए प्रेरणा-स्रोत बनेंगे ।

—श्रीमती माला प्रकाश, जे-68 साकेत, नई दिल्ली-110017

□

विधिका (त्रैमासिक)

(विधि की शोध पत्रिका)

संपादक : प्रभा संगल

प्रकाशक : निदेशक, भारतीय विधि अकादमी
243, सिविल लाइन्स (दक्षिणी)
मुजफ्फरनगर पिन-251001 (उ.प्र.)

मूल्य : एक प्रति—15 रुपए

वार्षिक—60 रुपए

आजीवन—500 रुपए

विधिका पत्रिका के सम्पादकीय में पत्रिका के प्रकाशन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 को उद्धृत किया गया है— "संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए । उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके...."

विधिका, यह न केवल संघ का बल्कि प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कर्त्तव्य मानकर चलती है कि वह भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के कर्त्तव्य के अधीन रहकर हिन्दी भाषा के प्रसार में भी योगदान दें ।

विधिका कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर विधि क्षेत्र में कदम रख रही है । उनमें मुख्य हैं—हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग और प्रसार के लिए मार्ग प्रशस्त करना तथा विधि क्षेत्र में शोध-कार्य को प्रोत्साहन देना ।

न्याय व्यवस्था सम्बन्धी सभी प्रकरणों को हिन्दी माध्यम द्वारा व्यक्त किया जाए यही "विधिका" का प्रयास रहेगा ।

लोक सभा के महासचिव डा. सुभाष कश्यप ने भी आशा व्यक्त की है कि यह पत्रिका विधि सम्बन्धी शोध लेख अधिनियमों की समीक्षा उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा आदि हिन्दी में प्रकाशित कर न केवल राष्ट्र भाषा हिन्दी को समृद्ध बनाएगी वरन् जनसाधारण को भी उसकी अपनी भाषा में विधि साहित्य उपलब्ध कराकर जनचेतना जगाने की दिशा में एक सेतु की भूमिका निभाएगी ।

आलोच्य प्रवेशांक में बाल परिवार, किशोर, दहेज, वाणिज्य पर्यावरण प्रदूषण आदि विभिन्न विषयों पर विधि विशेषज्ञों के लेख सम्मिलित हैं । जिनमें प्रत्येक मुददे पर न्यायिक दृष्टि से विचार-विनिमय प्रस्तुत किया गया है । पत्रिका के आगामी प्रकाशनों में स्त्री व बाल विधि विशेषांक, कर वृद्धि विशेषांक, औद्योगिक एवं श्रम विधि विशेषांक, शिक्षा विधि विशेषांक आदि प्रस्तुत करने की योजना है । हमारा यह दृढ़ मत है कि विधिका जैसे प्रकाशन विधि एवं न्याय के क्षेत्र में हिन्दी माध्यम से अध्ययन-अध्यापन के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे । ०गुरू

□

भारतीय कृषि अनुसंधान पत्रिका

प्रबन्धक सम्पादक : आर. डी. गोयल

प्रकाशक : कृषि अनुसंधान संचार केन्द्र
सदर करनाल—132001 (हरियाणा)

वार्षिक मूल्य

पुस्तकालय : 50/- रुपए व्यक्तिगत : 30/- रुपए

आलोच्य त्रैमासिक पत्रिका है । इसमें कृषि तथा पशु विज्ञान पर शोधपरक लेख सम्मिलित हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कृषि तथा पशु अनुसंधान के क्षेत्र में किए गए अद्यतन अनुसंधानों को प्रयोगशालाओं से सीधे किसान तक लाने के लिए उसकी भाषा में पहुंचाने का सार्थक प्रयास है । पत्रिका में शामिल लेख सहज और सरल भाषा हिन्दी में होते हैं, जिसे किसान भाई आसानी से समझ सकते हैं और खेती कार्य में नई तकनीक को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं ।

विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षण-प्रशिक्षण कार्य से जुड़े कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान परक लेख इस पत्रिका की उपादेयता को बढ़ा रहे हैं । पत्रिका कृषि एवं पशु विज्ञान के अध्येताओं के लिए भी लाभप्रद है । —०गुरू

अपने खण्डहर

कवि : कुलभूषण कालरा,

प्रकाशक समूह प्रकाशन, पटियाला-147001,

पृष्ठ 96, मूल्य तीस रुपए ।

पंजाब की उर्वरा भूमि पर रहकर कविता रचने वाले नए कवियों में कुमार विकल, विजय निर्बाध आदि की परम्परा में कुलभूषण का बड़ा काम नाम यद्यपि बहुत नया नहीं है, तथापि हिन्दी के विशाल पाठक वर्ग को वे कुछ नये लग सकते हैं। उन्होंने बाल साहित्य के अलावा उपन्यास और कहानियां लिखी हैं, मगर कविता के मामले में यह उनकी पहली किताब है। अपनी ओर से, शीर्षक भूमिका में कवि ने साहित्य में कविता की भूमिका को अधिक विशिष्ट और महत्वपूर्ण माना है। अपनी कविताओं से उनका लगाव इस सीमा तक है--"जब भी भावनाओं का ज्वालामुखी मन में फूटता है, मेरी लेखनी से किसी-न-किसी रचना का जन्म हो ही जाता है और हर नवयौवन सभी रचना से मुझे बेहद प्यारा है। मेरी हर रचना मेरी प्रेयसी है।" कदाचित इतने लगाव, इतने जुड़ाव के बगैर कवि के लिए कविता लिखना संभव न होता।

लगभग साठ कविताओं के इस संकलन में 'नए वर्ष' से लेकर 'दिनचर्या' 'रात्रि की आत्मकथा' 'गाड़ी' आदि विविध विषयों की कविताएं हैं और कहना होगा कि कवि का अनुभव जगत् व्यापक है। अधिकांश कविताएं नई कविता के पैटर्न पर हैं, जिनमें मुक्तछंद के अलावा आधुनिक संवेदनाएं भी मौजूद हैं, और कतिपय स्थलों पर छोटी कविताओं में उभरने वाला तीखा व्यंग्य दृष्टव्य है, जैसे 'व्यवस्थाएं' में :

एक और द्रोपदी
जिसका
चीरहरण रोकने वाला
अब भी कोई कृष्ण नहीं

इसी प्रकार 'अभियुक्त' कविता में आक्रोश की धारा भीतर ही भीतर प्रवाहित होती दिखाई देती है :

सुनते हैं कल
स्वप्नों के शहर में
जल गई
इच्छाओं की
एक बस्ती
आग
लगाने वाले का
नाम था समाज

मुक्त छंद में रचित कविताओं का आस्वाद सहज रूप से ग्राह्य कहा जा सकता है, परन्तु छंदमुक्त रचनाओं में, जो कि बहुत कम है, अभी वह कलात्मकता कम मात्रा में मौजूद है, जिसकी अपेक्षा इस प्रकार की रचनाओं में होती है ।

मेरा विश्वास है कि जो काव्यरत है, वह पहली कविता पुस्तक होने के कारण है। भविष्य में और अधिक काव्य साधना उनमें निश्चित ही नया निखार पैदा करेगी ।

— शेरजंग गर्ग,
जी-261-ए, सेक्टर 22
नौएडा-201301

□

पदार्थ विज्ञान

प्रकाशक : केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्
(नगर समन्वय समिति)

मूल्य : 35 रु.

पुस्तक मंगाने का पता : 16/8, आदर्श नगर,
सिविल लाइन्स, रुड़की-247667

संघ की राजभाषा नीति के अनुरूप विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प तथा साक्षात्कार के लिए हिन्दी माध्यम के बाद अंग्रेजी पुस्तकें पढ़कर हिन्दी में तैयारी कर पाना कठिन है। इस दृष्टि से समय-समय पर यह प्रश्न आड़े आता है कि हिन्दी में तकनीकी एवं वैज्ञानिक पुस्तकों की कमी है। विभिन्न परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम से परीक्षा की छूट मिल जाने के बाद अनेक वैज्ञानिकों और तकनीकी शिक्षकों ने विभिन्न विषयों पर हिन्दी में पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

इस क्रम में पदार्थ विज्ञान का प्रकाशन महत्वपूर्ण उपलब्धि है । पुस्तक के लेखकद्वय श्री सुदर्शन कुमार हांडा और विनोद कुमार गौतम विषय के विद्वान हैं और इनकी कृति ए.एम. आई.ई. (इंडिया) की परीक्षा हिन्दी माध्यम से देने वाले छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा विश्वास है। — गुरू

आदेश-अनुदेश

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) का दिनांक 5 मार्च 1990 का कार्यालय ज्ञा. सं. 20034/6/90-रा.भा. (पत्रिका)

विषय : सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकों की खरीद ।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 19-6-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11020/21/73-रा.भा. की ओर से ध्यान आकर्षित करने का मुझे निदेश हुआ है, जिसके अन्तर्गत अनुदेश दिया गया था कि केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों, उपक्रमों आदि में पुस्तकालयों में पुस्तकों की खरीद संबंधी अनुदान की कम से कम 25% राशि हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाए और बाजार में विभिन्न विषयों पर हिन्दी में उपयुक्त पुस्तकों के उपलब्ध होने पर यह राशि 50% तक खर्च की जाए। इसके साथ ही यह भी सूझाव दिया गया था कि पुस्तकालयों की चयन/क्रय समिति में हिन्दी अधिकारी को सदस्य-सचिव के रूप में रखा जाए।

2. सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर हिन्दी में प्रकाशित वैज्ञानिक, तकनीकी, साहित्यिक पुस्तकों की सूचियां जारी की गई है। इस विभाग के दिनांक 4 मई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं० 20034/6/85-पत्रिका एकक के अनुसार पुस्तकों के चयन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

3. राजभाषा विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कई कार्यालयों आदि में ललित साहित्य की खरीद के नाम पर निम्न स्तर की पुस्तकें खरीदी गई है जो कि किसी भी पुस्तकालय में खरीदी जानी वांछित नहीं है। पुस्तकालय अनुदान का उपयोग केवल अच्छे स्तर की पुस्तकों की खरीद हेतु अपेक्षित है। विभाग द्वारा इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि जहां तक ललित साहित्य की खरीद का प्रश्न है, राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को स्तरीय पुस्तकों की खरीद हेतु सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी तथा ललित साहित्य की खरीद उन्हीं पुस्तक सूचियों तक सीमित रखी जाए। इस विषय में राजभाषा विभाग द्वारा पुस्तक प्रकाशन से सम्बद्ध विभागों, संस्थाओं, साहित्यकारों की समिति गठित की गई है। उक्त समिति द्वारा चयनित पुस्तकों की सूची यथाशीघ्र सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को भिजवा दी जाएगी।

4. राजभाषा विभाग के दिनांक 4 मई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की पुस्तकें खरीदने का अनुदेश दिया गया है।

(1) हिन्दी में काम करने के लिए सन्दर्भ ग्रन्थ जैसे शब्दकोश, शब्दावली, विभाग/कार्यालय के काम से संबंधित विषयों पर लिखी हिन्दी में पुस्तकें आदि।

(2) ऐसी पुस्तकें जो सरल भाषा में और रोचक विषयों पर लिखी हों या सरल और लोक प्रिय समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि, जिनसे कर्मचारियों को हिन्दी में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा हो और वे सरल भाषा में बिना झिझक सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग कर सकें।

(3) सरल और रोचक भाषा में लिखी गई पुस्तकें, पत्रिकाएं, रसाले आदि जिन्हें पढ़ कर हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का ज्ञान बना रहे और वे समय के साथ इसे भूल न जाएं।

(4) मंत्रालयों/विभागों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यालयों में जहां वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकार की हिन्दी में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, वे निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए हिन्दी की शब्दावलियों कार्यालयों सहायिका/सन्दर्भ ग्रन्थ आदि को खरीदें।

(5) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही मौलिक पुस्तक लेखन योजनाओं के अन्तर्गत पुरस्कृत और प्रकाशित पुस्तकें।

5. मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि पुस्तकों की खरीद उक्त (1), (4), तथा (5) के अनुसार करें। किन्तु (2) तथा (3/ के अन्तर्गत, साहित्य की खरीद के लिये पुस्तक चयन समिति द्वारा सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बीच, जबतक कि उपर्युक्त सूचियां तैयार हों, मंत्रालयों/ विभागों आदि से अनुरोध है कि साहित्य संबंधी पुस्तकों की खरीद निम्नलिखित लेखकों की कृतियों तक ही सीमित रखी जाए:—

(क) (क) कालिदास, भवभूति, तथा वाणभट्ट के हिन्दी में अनुदित ग्रंथ,

(ख) रविन्द्र नाथ ठाकुर, सचिदानन्द राउतराय, तारा शंकर बंधोपाध्याय, बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, कामिल बुल्के, पन्ना लाल पटेल, तकषी शिवशंकर पिल्लै, मास्ति वेंकटेश अध्यंगार, कन्हैयालाल माणिक-लाल मुंशी, विमल मित्र, शरत् चन्द्र चट्टोपाध्याय, डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी, श्री राधा कुमुद मुखर्जी एस.के० पोट्टेकाट, वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य, के. शिवराम कारन्त, आशा पूर्णा देवी, गोपीनाथ महान्ती, द०रा० बेन्द्रे, विष्णु दे, कृष्ण चन्दर, अमृत प्रीतम, विश्वनाथ सत्यनारायण, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, कु.वु० पुटप्पा, उमाशंकर जोशी, जी शंकर कुरुप, आर.के० नारायण, वी०वा० शिरवाडकर "कुसुमाग्रज", गुलाब दास ब्रोकर की हिन्दी में अनुदित कृतियां।

(ग) कबीर, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, रसखान, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा "नवीन", मुंशी प्रेमचन्द, जय शंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, मैथिलीशरण गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला", सुमित्रानन्दन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह "दिनकर", सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन "अज्ञेय", जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश, अमृत लाल, नागर, रांगेय राघव, आंचार्य चतुरसेन, आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी, सोहन लाल द्विवेदी, डॉ. लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद वल्लभ पंत, नागार्जुन, डा० शंकर शेष, इलाचन्द्र जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध, फणीश्वर नरथ "रेणु", वृन्दावन लाल वर्मा, वियोगी हरि, सेठ गोविन्द दास, यशपाल।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करें तथा अपने सभी सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व/नियंत्रणा-धीन कम्पनियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में ला दें और उनके सुनिश्चित अनुपालन के लिए निदेश दें। इस संबंध में दिए गए अनुदेशों की एक प्रतिलिपि, कृपया, इस विभाग को सूचनार्थ भेजने की व्यवस्था करें।

[]

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 2-3-90 का कार्यालय ज्ञा. सं.-21034/1/90-रा.भा.(घ)

विषय :—हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करना।

उपर्युक्त विषय से सम्बधित गृह मंत्रालय के दिनांक 4-10-1960 कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/30/60—रा.भा. (घ) व दिनांक 28-5-1984 कार्यालय ज्ञापन संख्या 11018/1/84—रा.भा. (घ) के द्वारा सभी मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध किया गया था कि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी/हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों को हिन्दी के काम काज पर लगाया जाए ताकि उनके प्रशिक्षण का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सकें।

2. राजभाषा विभाग को यह जानकारी दी गई है कि कार्यालय में हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप उनका ज्ञान और अभ्यास व्यर्थ ही जाता है। इससे न केवल प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि का उपयोग हो पाता है बल्कि संवैधानिक नियमों के अनुसार हिन्दी में काम-काज भी नहीं होता।

3. इस प्रसगं में यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों ने हिन्दी/हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि का प्रशिक्षण हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत अथवा अन्य साधनों द्वारा पूरा कर लिया है उन्हें यथासम्भव उनके संबन्धित कार्यालयों/ अनुभागों में हिन्दी कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया जाये। इससे हिन्दी पत्राचार की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए अतिरिक्त हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और इस के साथ ही साथ हिन्दी जानने वाले और हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा नियमित अभ्यास किये जाने से उनके हिन्दी के ज्ञान में भी सुधार आयेगा तथा इससे वे प्रशासनिक का की अपेक्षाओं के अनुरूप इसे अपना सकेंगे।

4. हिन्दी में प्रशिक्षित और हिन्दी जानने वाले कर्म-चारियों को नियमित आधार पर हिन्दी में कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाये। इसके लिए उन्हें हिन्दी टाईपराइटरों/ उपयुक्त संदर्भ साहित्य जैसे कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिन्दी अभिव्यक्तियों की सूचियां अथवा शब्द संग्रह, विधि मंत्रालय में तैयार किये गये विधि नियम पुस्तिकाओं आदि के हिन्दी अनुवाद तथा मानक हिन्दी अंग्रेजी और अंग्रेजी-हिन्दी शब्द कोष आदि भी उपलब्ध करायें जायें।

5. हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें ऐस अनुभागों/अधिकारियों के साथ तैनात किया जाये, जहां उनके

हिन्दी में प्राप्त प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाया जा सके। साथ ही सम्बन्धित शाखा प्रमुखों व सम्बद्ध अधिकारियों को भी ऐसे कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण तथा आलेखन के लिए उत्साहित करना चाहिए।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष में, सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से पुनः अनुरोध है कि वे कृपया हिन्दी जानने वाले तथा हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें उपयुक्त संदर्भ साहित्य आदि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा उनकी तैनाती उन अनुभागों/अधिकारियों आदि के साथ करें जहां उन्हें प्राप्त प्रशिक्षण से सम्बन्धित काम करने का अवसर मिले।

यह भी अनुरोध है कि वे इस आशय से सम्बन्धित अनुदेश अपने अधीनस्थ एवं सम्बद्ध कार्यालयों को भी दें।

□

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 20-2-90 का कार्यालय ज्ञा. सं. 20034/10/85-अ.वि. एकक

विषय : राजभाषा हिन्दी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले वृत्त (डाक्यूमेंट्री फिल्में) चित्र

संदर्भ : इस विभाग का दिनांक 21-12-1988 का का.ज्ञा. सं. 20034/10/85—अ.वि. एकक

मंत्रालय/विभाग कृपया इस विभाग का दिनांक 21-12-88 का उपर्युक्त ज्ञापन देखें जिसमें यह कहा गया था कि राजभाषा संबंधी फिल्मों के कैसेट स्वयं खरीदें और संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, अपक्रमों निगमों आदि को भी ख प्रेरित करें। अभी भी कई मंत्रालयों/विभागों आदि ने इस विषय में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों उपक्रमों आदि को न तो उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की प्रति भेजी है और न ही अपने स्तर पर कोई कार्रवाई की है जिसके फलस्वरूप वे राजभाषा हिन्दी में काम-काज की प्रेरणा देने के लिए उपलब्ध साधनों का वांछित लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। इसलिए कृपया अपेक्षित कार्रवाई तत्काल की जाए और इस विभाग को भी सूचित किया जाए।

उल्लेखनीय है कि वृत्त चित्र के बी. एच. एस. कैसेटों के जो मूल्य इस विभाग के दिनांक 21-12-88 के समसंख्यक ज्ञापन द्वारा सूचित किए गए थे उनमें कुछ पवितर्न हुए हैं। विभिन्न फिल्मों के बी. एच. एस. कैसेटों की संशोधित दरें इस प्रकार हैं :—

फिल्म का नाम	अवधि	मूल्य
1. उद्यांजलि	20 मिनिट	130.00 रुपये
2. एकता का पर्व	12 ,,	130.00
3. हिन्दी सब संसार	21 ,,	225.00
4. हिन्द की वाणी	47 ,,	225.00
5. देश की वाणी	20 ,,	130.00

उपर्युक्त पांचों फिल्मों का एक कैसेट 350.00 रुपये

इन वृत्त चित्रों के प्रिन्टों के मूल्य वही रहेंगे जो इस विभाग के दिनांक 21-12-88 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन उल्लिखित हैं।

फिल्मों/कैसेटों की प्राप्ति के लिए कृपया निम्नलिखित अधिकारी से सम्पर्क किया जाए —

प्रभारी अधिकारी (वितरण) फिल्म प्रभाग "फिल्म भवन" 24—डा. जी. देशमुख मार्ग, बम्बई-400026

□

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, का दिनांक 15-2-90 का कार्यालय ज्ञा. सं.-14025/6/89-रा.भा. (घ)

विषय :—हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों की सहायता के लिए कार्यशालाओं का आयोजन-मानदेय की धनराशि बढ़ाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 29-10-84 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14025/2/83—रा.भा.घ. दिनांक 7-8-1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14023/2/85—रा. भा. घ. दिनांक 10-9-86 तथा दिनांक 23-1-1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14025/1/86—रा.भा. म. के अधिक्रमण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिन्दी कार्यशालाओं में शिक्षण देने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय की दर को 20 रु. प्रति घण्टे बढ़ा कर 50 रु. प्रति घण्टे करने का निर्णय लिया गया है, परन्तु मानदेय की अधिकतम राशि एक कोर्स में प्रति प्रशिक्षक 500 रु. से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक भाषण की अवधि न्यूनतम एक घण्टे होगी।

2. इसे गृह मंत्रालय के आन्तरिक वित्त प्रभाग के दिनांक 17-1-1990 के आई. डी. सं. एच—8/90—वित्त—11 की सहमति से जारी किया गया है।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने कि तिथि से प्रभावी होगें।

□

कार्यालय, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 9-2-90 का. ज्ञा. सं. 14012/12/89-रा.भा. (ग)

विषय : हिंदी आशुलिपिकों तथा हिंदी टाइपिस्टों का अनुपात—वर्ष 1990-91 के लिए

राजभाषा विभाग के 20 अगस्त, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14012/7/87-रा.भा.(ग) में ये निदेश दिए गए थे कि "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों में आशुलिपिकों के कुल पदों में से कम से कम 25% पदों पर हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिक उपलब्ध कराए जाएं। "क" क्षेत्र में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या कंपनी या बैंक आदि के कार्यालयों में आशुलिपिकों के कुल पदों में से कम से कम 50%

पदों पर हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिक रखने के निदेश दिए गए थे। "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या कंम्पनी या बैंक आदि के कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद पर कम से कम 25% हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिक नियुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। 28 जनवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14012/7/87-रा.भा.(ग) द्वारा "ग" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों में हिंदी आशुलिपिकों के 10% पदों पर हिंदी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिक रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

2. इस विभाग के 1 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14012/14/87-रा.भा.(ग) के गंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कुल टाइपिस्टों में से हिंदी टाइपिस्टों का अनुपात निम्न प्रकार निर्धारित किया गया था :—

(क) "क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों तथा विभागों के मुख्यालयों के लिए 25%

(ख) "क" क्षेत्र में स्थित शेष कार्यालियों के लिए 50%

(ग) "ख" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालियों के लिए 25%

(घ) "ग" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालियों के लिए 10%

3. केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 27 जुलाई, 1989 को हुई बैठक में की गई सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् अब यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1990-91 के लिए हिंदी आशुलिपिकों तथा हिंदी टाइपिस्टों का अनुपात निम्न प्रकार निर्धारित कर दिया जाए :

(क) "क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों तथा विभागों के मुख्यालयों के लिए 30%

(ख) "क" क्षेत्र में स्थित शेष कार्यालियों के लिए 60%

(ग) "ख" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालियों के लिए 30%

(घ) "ग" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालियों के लिए 12%

4. यह भी निर्णय लिया गया है कि जब तक हिंदी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिक किसी कार्यालय में उपर्युक्त अनुपात के अनुसार नहीं हो जाते तब तक नई भर्ती में यदि हिंदी आशुलिपि जानने वाले उम्मीदवार उपलब्ध हों तो केवल हिंदी आशुलिपि के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों को ही आशुलिपिक पद पर नियुक्त किया जाए। ऊपर निर्धारित लक्ष्य 31 मार्च, 1991 तक पूरा कर लिया जाए। यदि किसी कार्यालय में निर्धारित लक्ष्य से अधिक हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों की आवश्यकता हो तो इस अनुपात से अधिक भी हिंदी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। उपरोक्त निर्धारित अनुपात पूरा हो जाने के बाद भी अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि का और अंग्रेजी टाइपिस्टों को हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया जाता रहेगा।

5. केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों से अनुरोध है कि इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि से भी इन निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करें।

□

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 9-2-90 का ज्ञा. सं. 1/14013/9/89-रा.भा. (क-1)

विषय : राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद का अनुपात निर्धारित करना।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/13011/1/75-रा.भा.(क-1) दिनांक 22 नवंबर, 1976 में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में देवनागरी टाइपराइटरों को खरीदने के संबंध में निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए थे :

(क) जिन कार्यालयों में एक भी हिंदी टाइपराइटर नहीं है उनमें कम से कम एक हिंदी का टाइपराइटर खरीद लिया जाए।

(ख) "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में देवनागरी का एक टाइपराइटर पहले से है, वे कार्यालय वर्ष में खरीदे जाने वाले कुल टाइपराइटरों के कम से कम 50 प्रतिशत देवनागरी के टाइपराइटर खरीदें :

(ग) "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में हिन्दी का एक टाइपराइटर पहले से हैं वे कार्यालय वर्ष में खरीदे जाने वाले कुल टाइपराइटरों के कम से कम 25 प्रतिशत हिंदी के टाइपराइटर खरीदें।

(घ) "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में जहां, हिंदी का कम से कम एक टाइपराइटर उपलब्ध है, वे कार्यालय वर्ष में खरीदे जाने वाले कुल टाइपराइटरों के कम से कम 10 प्रतिशत हिंदी के टाइपराइटर खरीदें।

2. हिंदी टाइपराइटरों की खरीद के संबंध में ये लक्ष्य 1976-77 से लगातार प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम में दोहराए जाते रहे हैं।

3. हिंदी टाइपराइटरों की उपलब्धता के बारे में जो आंकड़े प्राप्त हैं उनसे पता चलता है कि अनेक मंत्रालयों/विभागों में अभी भी देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या बहुत ही कम है। संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण के समय प्रायः यह देखने में आया है कि उन कार्यालयों में भी देवनागरी के टाइपराइटर निर्धारित अनुपात से बहुत कम संख्या में है। इससे सरकारी कामकाज में सरकार की नीति के अनुसार निर्धारित अनुपात में हिंदी में काम करने के प्रयास में कठिनाई होती है।

4. केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 27-7-1989 को हुई बैठक में इस विषय पर विचार किया गया तथा कुछ सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों पर विचार करने के बाद

देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद के संबंध में उपर्युक्त पैरा-1 में वर्णन किए गए निर्देशों के आंशिक संशोधन में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :—

(क) "क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों तथा विभागों के मुख्यालयों में कुल टाइपराइटरों में से कम से कम 30% टाइपराइटर देवनागरी के उपलब्ध होने चाहिए।

(क) "क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों के मुख्यालयों को छोड़ कर शेष कार्यालयों में यह अनुपात 60% होना चाहिए।

(ग) "ख" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य कार्यालयों में समस्त टाइपराइटरों का कम से कम 30% देवनागरी के टाइपराइटर होने चाहिए।

(घ) "ग" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों तथा विभागों और दूसरे कार्यालयों में कुल टाइपराइटरों का कम से कम 12% देवनागरी के टाइपराइटर होने चाहिए।

5. यह भी निर्णय लिया गया है कि जब तक किसी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि में देवनागरी टाइपराइटरों का अनुपात पैरा 4 में दर्शाए अनुपात के अनुसार नहीं हो जाता है तब तक ऐसे मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में केवल देवनागरी के टाइपराइटर ही खरीदे जाएं तथा रोमन का कोई टाइपराइटर न खरीदा जाए। अगर रोमन का कोई मौजूदा टाइपराइटर नकारा हो जाए तो उसकी जगह भी देवनागरी का टाइपराइटर ही खरीदा जाए।

6. यदि किसी कार्यालय में पैरा 4 में दर्शाए अनुपात से अधिक देवनागरी टाइपराइटरों की जरूरत महसूस की जाए तो इस अनुपात से अधिक देवनागरी टाइपराइटर खरीदे जा सकते हैं।

7. जो अधिकारी टाइपराइटर की खरीद का आर्डर देता है उसका यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि जब तक ऊपर दर्शाए गए अनुपात में देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक केवल देवनागरी के टाइपराइटर ही खरीदे जाएं।

8. ये निदेश केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन उपक्रमों/बैंकों आदि में भी लागू होंगे।

9. केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों को आवश्यक अनुपालन हेतु अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कंपनियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में लादें।

10. द्विभाषी टाइपराइटरों की खरीद को उपर्युक्त बिन्दुओं की गणना में शामिल नहीं किया जाना जाए।

11. इस विषय पर की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी सूचित करें।

□

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 5-2-90 का कार्यालय ज्ञा. संख्या-11/12013/3/90-रा.भा. (क-2)

विषय :—विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में मंत्रालयों तथा उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों आदि में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की नियमित रूप से सूचना देना।

उपर्युक्त विषय पर दि. 19-4-79 के इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या—1/20034/5/79—रा. भा. 1(क-2) में सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी, हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों में निम्नलिखित विषयों पर भी नियमित रूप से जानकारी दिया करें :—

(1) मंत्रालय के कामकाज में राजभाषा अधिनियम, नियम, तथा अनुदेशों के अनुसार हिन्दी के प्रयोग की स्थिति;

(2) राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति;

(3) मंत्रालय/विभाग की कार्यान्वयन समितियों में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों पर कार्रवाई की समीक्षा; एवं

(4) मंत्रालय में हिन्दी के बारे में चल रही योजनाओं की प्रगति पर जानकारी।

2. उपर्युक्त मद संख्या-1 के अन्तर्गत जिन विषयों के संबंध में आंकड़े दिये जाने हैं उनके बारे में भी एक प्रोफार्मा 19-4-79 के कार्यालय ज्ञापन के साथ जारी किया गया था। ये निर्देश केन्द्रीय हिन्दी समिति की 17-4-79 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किये गये थे।

3. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों की कार्यसूची में उपर्युक्त मदों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दें और मद संख्या-1 के बारे में भी मदवार अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत करें। इससे मंत्रालय और उसके कार्यालयों में हिन्दी की स्थिति की समीक्षा करने में सदस्यों को सुविधा होगी। समितियों की बैठकें भी कृपया नियमानुसार आयोजित करने की व्यवस्था करें।

4. कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की पावती भेजें।

□

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 11-1-90 का कार्यालय ज्ञा. संख्या -19011/29/89-केहि प्रसं/202

विषय :—बैंकिंग हिन्दी प्राज्ञ पाठ्यक्रम की परीक्षाओं का आयोजन।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 22 सितम्बर, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-14016/41/86—के हि प्र सं./13091 के अनुसार जनवरी, 1989 के बैंक के कर्मचारियों के लिए अलग से प्राज्ञ का एक पाठ्यक्रम आरम्भ किया जा चुका है।

2. कुछ बैंकों द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि उपर्युक्त पाठ्यक्रम की समाप्ति पर इसकी परीक्षाएं हिन्दी शिक्षण योजना की अन्य परीक्षाओं के समान, कार्य दिवसों में न रखकर, छुट्टी वाले दिन ली जाएं। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले राजभाषा विभाग ने बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालयों से कार्यालय ज्ञापन संख्या-19011/26/89-के हि प्र सं./1475, दिनांक 4 अप्रैल, 1989 द्वारा उनके विचार जानने चाहे थे।

3. राजभाषा विभाग को बैंकिंग प्रभाग तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालयों से इस संबंध में जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उनमें से अधिकांश सुझाव बैंकिंग हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा का आयोजन यथापूर्व कार्य दिवसों में ही कराने के पक्ष में हैं।

4. अतः उपर्युक्त सुझावों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि बैंकिंग हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा का आयोजन पहले की तरह कार्य दिवसों में ही किया जाएगा।

□

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 20-12-89 का कार्यालय ज्ञा. सं. 12024/9/89-रा.भा. (ख-2)

विषय :—नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन और उनमें वरिष्ठ अधिकारियों के भाग लेने की आवश्यकता।

ऐसे नगरों में जहां केन्द्रीय सरकार के 10 या इससे अधिक कार्यालय हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित करने का निर्णय इस विभाग के दिनांक 22-11-76 के का. ज्ञा. संख्या 1/14011/12/76—रा. भा. (क-1) द्वारा लिया गया था। संबंधित नगरों में केन्द्रीय सरकार का जो वरिष्ठतम अधिकारी होता है वही सामान्यतः इस समिति का अध्यक्ष होता है।

2. इन समितियों के काम के संबंध में विस्तार से जानकारी इस विभाग के दिनांक 3-9-79 के का. ज्ञा. संख्या 12027/2/79—रा. भा. (ख-1) के द्वारा दी गई थी। समितियों के मुख्यतः निम्नलिखित कर्तव्य हैं :—

(क) राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिन्दी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा।

(ख) नगर के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर विचार।

(ग) हिन्दी के संदर्भ साहित्य, टाइपराइटरों, टाइपिस्टों, आशुलिपिकों आदि की उपलब्धि की समीक्षा।

(घ) हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं पर विचार।

3. दिनांक 3-9-1989 के कार्यालय ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि नगर में स्थित सभी केन्द्रीय कार्यालय राजभाषा अधिनियम नियमों और समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में बैठक से एक सप्ताह पूर्व समिति के अध्यक्ष के पास 2 प्रतियों में भिजवाएंगे और एक-एक प्रति राजभाषा विभाग को भी भिजवाएंगे। इस संबंध में भी ध्यान दिलाया जाता है कि बैठकों में विशेष चर्चा के लिए कार्यसूची की मदें जो कि निम्न प्रकार से हैं, इस विभाग के दिनांक 22-9-88 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12027/39/88—रा. भा. (ख-2) द्वारा सभी को भेजी गई थीं।

1. नगर स्थित कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची।
2. कार्यसूची की मदें।
3. गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
4. गत बैठक में लिए निर्णयों पर की गई कार्यवाई।
5. विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गए आंकड़ों की समीक्षा-निर्धारित लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार :—

(क) कर्मचारियों का हिन्दी ज्ञान एवं प्रशिक्षण,

(ख) हिन्दी टाइप/हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण की स्थिति,

(ग) हिन्दी टाइपराइटरों की स्थति

(घ) धारा 3 (2)) के अंतर्गत जारी किए गए कागजात की स्थिति,

(ड़) हिन्दी में प्राप्त पत्रों की स्थिति,

(च) पत्राचार की स्थिति,

(छ) हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन की स्थिति,

(ज) हिन्दी पदों की स्थिति,

(झ) कार्यालयों के प्रयोग में आने वाली सामग्री-फार्म, मोहरों, नामपट्टों की स्थिति,

6. वर्ष----------में हिन्दी दिवस/सप्ताह तथा अन्य हिन्दी प्रतियोगिताओं की स्थिति।

7. वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन की स्थिति

8. अन्य कोई मद अध्यक्ष की अनुमति से।

अनुरोध है कि भविष्य में कार्यसूची तैयार करते समय उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखा जाए ताकि बैठकों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी चर्चा परिणामपरक हो सके।

4. समितियों की बैठकों में महत्त्वपूर्ण चर्चा होती है और कुछ नीतिगत मुद्दों पर निर्णय भी लेने होते हैं, इसलिए इस विभाग के दिनांक 22-1-83 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12027/1/83-रा. भा. (ख-2) द्वारा इस बात पर जोर दिया गया था कि समितियों की बैठकों में स्थानीय कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्ष स्वयं भाग लें। यदि किसी विशेष स्थिति में वे स्वयं भाग न ले पाएं तो अन्य वरिष्ठ अधिकारी को ही भाग लेने के लिए भेजें।

5. भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने, राजभाषा अधिनियम-1963 तथा नियम 1976 के कार्यान्वयन की स्थिति पर नजर रखने तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में उनके क्षेत्र में स्थित अन्य सभी केन्द्रीय कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के आयोजन में सहयोग करने हेतु राजभाषा विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित नगरों में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं। उनका कार्यक्षेत्र उनके नाम के सामने दर्शाया गया है:

कार्यालय का पता	कार्यक्षेत्र
1	2
1. उप निदेशक (का.) क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तीसरा माला कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बेलार्ड एस्टेट, बम्बई---400038।	1. महाराष्ट्र 2. गुजरात 3. गोवा 4. दादरा एवं नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)
2. उप निदेशक (का.) क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय 18 वां तल द्वितीय बहुतलीय भवन, 234/4 आचार्य जे. सी.-बोस रोड, निजाम पैलेस परिसर, कलकत्ता।	1. पश्चिम बंगाल 2 उड़ीसा 3. बिहार 4. अंडमान निकोबार द्वीप।
3. उप निदेशक (का.) क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय 5/1 जे. सी. रोड, बेंगलर---2	1. आंध्र प्रदेश 2. कर्नाटक
4. उप निदेशक (का.) क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कमरा नं. 305, सी. जी.-ओ. भवन, कमला नेहरु नगर, गाजियाबाद।	1. पंजाब 2. हरियाणा 3. उत्तर प्रदेश 4. हिमाचल प्रदेश 5. चंडीगढ़, 6. जम्मू व काश्मीर 7. दिल्ली।
5. उप निदेशक (का.) क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्व) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, तीसरी मंजिल, छाया राम कुमार भवन, चाराली, ए. टी. रोड, गुवाहाटी	1. आसाम, 2. अरुणाचल प्रदेश, 3. मिजोरम, 4. त्रिपुरा, 5. नागालैण्ड, 6. मणिपुर, 7. मेघालय, 8. सिक्किम
6. उप निदेशक (का.) क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण पश्चिम), विल्लरशोरिल भवन, 27/649 वी महात्मा गांधी मार्ग, मानूर, कोचीन	1. केरल, 2. तमिलनाडु, 3. पाण्डिचेरी।
7. उप निदेशक (का.) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य) 6/3 चित्तौड़ काम्पलैक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल---462003	1. मध्य प्रदेश, 2. राजस्थान

6. देखा गया है कि कई सदस्य कार्यालयों से निर्धारित प्रोफार्मा में प्रगति रिपोर्ट यथा समय समितियों को नहीं प्राप्त होती है। फलस्वरूप ऐसे कार्यालयों में राजभाषा के कामकाज की प्रगति की समीक्षा नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसे कार्यालयों की सूची और जिन कार्यालयों के अध्यक्ष लगातार बैठकों में शामिल नहीं होते, उनका विवरण भी संबद्ध क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय तथा राजभाषा विभाग को भिजवाने की कृपया व्यवस्था करें जिससे यह मामला संबंधित विभाग के साथ भी उठाया जा सके। इस संबंध में यह भी उपयुक्त होगा कि समिति के अध्यक्ष भी इस विषय में संबंधित कार्यालय अध्यक्ष का ध्यान अवश्य आकर्षित करें।

7. ऐसा भी देखा गया है कि कुछ नगरों में इन समिति की बैठकें समय पर आयोजित नहीं होती हैं तथा उनकी सूचना समय पर सभी संबंधितों को नहीं मिल पाती है जिससे वे बैठकों में नहीं आ पाते। अतः सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों से अनुरोध है कि वे कृपया नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में 2 बैठकें 6 माह के अन्तराल पर आयोजित करना सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यालय

उप सचिव (का.) राजभाषा विभाग तथा समिति के सभी सदस्यों को कम से कम एक माह पहले दी जाए ताकि नगर के सभी कार्यालयों के अध्यक्ष तथा राजभाषा विभाग के अधिकारी इन बैठकों में भाग लेना सुनिश्चित कर सकें।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न कार्यालयों ज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आयोजित की जाएं तथा सभी संबंधितों को पर्याप्त समय रहते सूचना भेजी जाए। बैठक की कार्यसूची तथा पिछली बैठक का कार्यवृत्त भी समिति, सभी सदस्यों एवं राजभाषा विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों एवं उप सचिव (का.) को यथा समय भिजवाएं।

□

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 18-10-89 का कार्यालय ज्ञा. सं. 14013/5/89-रा. भा. (घ)

विषय:—स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं के मैट्रिक स्तर से नीचे की परीक्षाओं की हिन्दी शिक्षण योजना की प्रबोध एवं प्रवीण की समकक्षता के संबंध में

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के तारीख 6-5-60 व 9-9-60 का ज्ञा. सं. 3/3/60—एच. के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को निम्नलिखित हिन्दी परीक्षाओं के स्तर को आगामी आदेश तक हिन्दी शिक्षण योजना की प्रबोध एवं प्रवीण परीक्षाओं के स्तर के समकक्ष मानने का निर्णय राजभाषा विभाग द्वारा लिया गया है :—

संगठन का नाम	परीक्षा का नाम	हिन्दी के किस स्तर तक सरकार द्वारा मान्यता दी गई है
1. मैसूर हिन्दी प्रचार सभा परिषद, बैंगलोर	सुबोध प्राथमिक	प्रवीण (मिडिल स्तर) प्रबोध (प्राइमरी स्तर)
2. महाराष्ट्र राष्ट्र-भाषा सभा, पूणे	सुबोध प्रवेशिका	(प्रवीण मिडिल स्तर) (प्रबोध प्राईमरी स्तर)
3. हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद	उत्तमा	(प्रवीण मिडिल स्तर)

2. हिन्दी शिक्षण की प्रगति के संबंध में आंकड़ों का संकलन करने के प्रयोजन के लिए जिन उम्मीदवारों ने उक्त परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया है उनके बारे में यह मान लिया जाए कि उन्होंने इस मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना की प्रबोध एवं प्रवीण स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

3. यह आदेश कार्यालय ज्ञापन जारी करने की तिथि से लागू होगा।

□

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 16-10-89 का का.ज्ञा. सं. 20014/3/88-रा.भा. (ख-2)

विषय :— मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी आशुलिपिकों की सेवाओं का समुचित उपयोग

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20 मई, 1988 को आयोजित 18 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित आशूलिपिक यथा संभव उन अधिकारियों के साथ नियुक्त किए जाए जो हिन्दी जानते हो ताकि इन आशुलिपिकों का समुचित उपयोग हो सके और हिन्दी का प्रयोग बढ़ सके।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों की पदस्थापना करते समय उपयुक्त निर्णय को कृपया ध्यान में रखें।

□

वार्षिक कार्यक्रम 1989-90 तथा 1990-91 के महत्त्वपूर्ण मदों का तुलनात्मक विवरण

मदें	1989-90	1990-91
'क' क्षेत्र		
पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग		
(1) "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रादि का प्रतिशत	10%	20%
(2) "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से देवनागरी में भेजे जाने वाले तारों/टेलेक्स संदेशों का प्रतिशत	25%	40%
टाइपराइटर, टाइपिस्ट आदि		
(3) "क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों में देवनागरी टाइपराइटरों, हिन्दी टाइपिस्टों, हिन्दी आशुलिपिकों का प्रतिशत	25%	30%
(4) "क" क्षेत्र में अन्य कार्यालयों में देवनागरी टाइपराइटरों, हिन्दी टाइपिस्टों, हिन्दी आशु-लिपिकों आदि का प्रतिशत	50%	60%
'ख' क्षेत्र		
पत्राचार में हिन्दी		
(1) "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रादि का प्रतिशत	10%	20%
(2) "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से देवनागरी में भेजे जाने वाले तारों/टेलेक्स संदेशों आदि का प्रतिशत	25%	30%
टाइपराइटर आदि		
(3) "ख" क्षेत्र में स्थित देवनागरी टाइपराइटरों, हिन्दी टाइपिस्टों आशुलिपिकों का प्रतिशत	25%	30%
'ग' क्षेत्र		
पत्राचार में हिन्दी		
(1) "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रादि का प्रतिशत	15%	20%
(2) "ग" क्षेत्र से "क" और "ख" क्षेत्रों में सभी राज्य सरकारों और व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रादि का प्रतिशत	55%	60%
(3) "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों से "ग" क्षेत्र के कार्यालयों में भेजे जाने वाले पत्रादि का प्रतिशत	5%	20%
टाइपराइटर/टाइपिस्ट आदि		
(4) "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में देवनागरी टाइपराइटरों, हिन्दी टाइपिस्टों, हिन्दी आशु-लिपिकों का प्रतिशत।	10%	12%
बैंक/उपक्रम आदि		
"ख" क्षेत्र में स्थित बैंकों और उपक्रमों से भेजे जाने वाले पत्रादि	50%	60%
"ग" क्षेत्र में स्थित बैंकों और उपक्रमों से भेजे जाने वाले पत्रादि	10%	20%

राजभाषा भारती

र०नं०3246/77

सत्यमेव जयते

गृहमंत्री
भारत
नई दिल्ली-110001
HOME MINISTER
INDIA
NEW DELHI-110001
दिनांक 21 दिसम्बर, 1989

सन्देश

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा देश के अलग-अलग क्षेत्रों में राजभाषा सम्मेलन कराए जाते हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान पुणे और कोच्चिन में ऐसे सम्मेलन कराए गए हैं। इन सम्मेलनों में केन्द्रीय कार्यालयों, सरकारी कंपनियों और बैंकों आदि के अधिकारी शामिल होते हैं और भारत सरकार की नीति के अनुसार अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने के बारे में चर्चा करते हैं और उपाय सुझाते हैं। अतएव ये सम्मेलन राजभाषा हिन्दी में सरकारी कामकाज बढ़ाने की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले सभी महानुभावों के प्रति, विशेषकर मुख्य अतिथि के प्रति, मैं आभार प्रकट करता हूं। राजभाषा विभाग द्वारा जिन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया है, उन सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामना करता हूं।

मुफ्ती मोहम्मद सईद

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग भारत सरकार के लिए डॉ०गुरुदयाल बजाज द्वारा नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित तथा प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।
1990